VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material 2022

(September 2021 to June 2022)

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

दिल्ली । लखनऊ । जयपुर । हैदराबाद । पुणे । अहमदाबाद । चंडीगढ़ ।गुवाहाटी

अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय सूची

1. रोजगार और कौशल विकास (Employment and Skill Development) 7

1.1. रोजगार (Employment) 7

1.1.1. गिग वर्कर्स (Gig Workers) 8

1.1.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)} 10

1.1.3. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics) 11

1.2. कौशल विकास (Skill Development) 12

2. आर्थिक और समावेशी विकास (Economic and Inclusive Growth) 13

2.1. सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान {Gross Domestic Product (GDP) Estimates} 13

2.2. महामारी के बाद अर्थव्यवस्था (Post Pandemic Economy) 15

2.3. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation) 16

2.3.1. निर्धनता के अनुमान (Poverty Estimates) 17

2.3.2. बढ़ती आर्थिक असमानताएं (Widening Economic Inequalities) 19

2.4. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) 22

2.5. शहरी विस्तार और विकास (Urban Growth and Development) 23

2.5.1. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission: SCM) 24

2.6. आवासन (Housing) 26

2.7. भारत में भूमि सुधार (Land Reforms in India) 27

3. राजकोषीय नीति एवं अन्य संबंधित सुर्ख़ियां (Fiscal Policy and Related News) 28

3.1. सरकारी वित्त की स्थिति (Status of Government Finances) 28

3.1.1. सकल घरेलू उत्पाद - सकल मूल्य वर्धित अंतराल (GDP-GVA GAP) 29

3.1.2. राज्य वित्त (State Finances) 31

3.2. अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) 34

3.3. प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation) 35

3.3.1. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान (Taxation on Virtual Digital Assets: VDAS) 35

3.4. गैर-कर स्रोतों से वित्त जुटाना (Financial Mobilization from Non-tax Sources) 38

3.4.1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetisation) 39

4. मौद्रिक नीति (Monetary Policy) 42

4.1. मौद्रिक नीति (Monetary Policy) 42

VISION IAS

4.1.1. स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility: SDF) 43
4.1.2. खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct Scheme) 44
4.2. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) 46
4.2.1. क्रिप्टोकरेंसी और आर्थिक संप्रभुता (Cryptocurrency and Economic Sovereignty) 47

5. बैंकिंग और भुगतान प्रणालियां (Banking and Payment Systems) 49

5.1. बैंकिंग (Banking) 49
5.1.1. बैंक पुनर्पूंजीकरण (Bank Recapitalisation) 50
5.1.2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण {Privatisation of Public Sector Banks (PSBs)} 51
5.2. परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring) 54
5.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016} 55
5.3. भुगतान प्रणाली (Payment Systems) 58
5.3.1. पेमेंट विजन 2025 (Payments Vision 2025) 59
5.4. फिनटेक सेक्टर (FinTech Sector) 60
5.5. अन्य वित्तीय संस्थाएं (Other Financial Entities) 61
5.5.1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्केल-आधारित विनियामक ढांचा (Scale-based Regulatory Framework for NBFCs) 61
5.5.2. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units) 62
5.5.3. विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institutions: DFIs) 64

6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) 67

6.1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) 67
6.2. अंतर्राष्ट्रीय निवेश (International Investment) 68
6.2.1. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Ratings) 69
6.3. चालू खाता घाटा (Current Account Deficit: CAD) 71
6.4. पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility: CAC) 73
6.5. भारत और वैश्विक सूचकांक (India and Global Indices) 76
6.6. वैश्विक न्यूनतम कर दर (Global Minimum Tax Rate) 78
6.7. सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) 80

7. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities) 81

7.1. कृषि निवेश प्रबंधन- भाग I (Agricultural Input Management- Part I) 81
7.2. कृषि निवेश प्रबंधन- भाग II (Agricultural Input Management- Part II) 82
7.3. कृषि निवेश प्रबंधन- भाग III (Agricultural Input Management- Part III) 83

VISION IAS

7.4. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) 84

7.5. किसानों को वित्तीय सहायता (Financial Support to Farmers) 86
7.5.1. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (Agricultural Indebtedness in India) 87
7.5.2. पी.एम.-किसान (PM-Kisan) 88
7.5.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY) 90

7.6. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector) 92
7.6.1. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक (Fisheries Sector in India) 93
7.6.2. चीनी मिल (Sugar Mills) 95

7.7. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (Food Processing Sector) 98

7.8. कृषि निर्यात (Agricultural Exports) 99
7.8.1. कृषि जिंसों के मूल्य में उतार-चढ़ाव (Fluctuation in Price of Agricultural Commodities) 101

8. उद्योग (Industry) 103

8.1. औद्योगिक नीति (Industrial Policy) 103
8.1.1. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB) 104
8.1.2. सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (Public Procurement and Project Management) 105
8.1.3. विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (Special Economic Zones: SEZ) 107

8.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) 111

8.3. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (Electronics Industry) 112

8.4. वस्त्र उद्योग (Textile Industry) 113

8.5. भारत में अर्धचालक विनिर्माण (Semiconductor Manufacturing in India) 114

9. सेवा क्षेत्र (Service Sector) 116

9.1. ई-कॉमर्स (E-commerce) 116
9.1.1. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC) 117

9.2. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector) 119

9.3. पर्यटन (Tourism) 120
9.3.1. राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (National Digital Tourism Mission: NDTM) 121

9.4. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector) 122

10. परिवहन (Transport) 123

10.1. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स (Multimodal Connectivity and Logistics) 123
10.1.1. गति शक्ति (Gati Shakti) 123
10.1.2. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (Multimodal Logistics Parks: MMLPs) 124

10.2. रेलवे (Railways) 126

VISION IAS

10.2.1. रेलवे सुरक्षा (Railway Safety) 127

10.3. सड़क मार्ग (Roadways) 129

10.3.1. सड़क सुरक्षा (Road Safety) 130

10.4. नागरिक उड्डयन क्षेत्र (Civil Aviation Sector) 132

10.5. पोत परिवहन क्षेत्रक (Shipping Sector) 133

10.5.1. सागरमाला कार्यक्रम (Sagarmala Programme) 134

11. खनन और विद्युत क्षेत्रक (Mining and Power Sector) 136

11.1. खान और खनिज (Mines and Minerals) 136

11.1.1. खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 {Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules (MCDR), 2021} 137

11.1.2. लिथियम आपूर्ति (Lithium Supply) 137

11.2. विद्युत क्षेत्रक (Power Sector) 140

11.2.1. जनरल नेटवर्क एक्सेस (General Network Access: GNA) 141

11.3. कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक (Coal, Oil and Gas Sector) 143

11.3.1. भारत में कोयला क्षेत्रक (Coal Sector in India) 144

11.3.2. शहरी गैस वितरण नेटवर्क {City Gas Distribution (CGD) Network} 145

12. व्यापार और नवाचार (Business and Innovation) 147

12.1. व्यापार नीति (Business Policy) 147

12.1.1. संधारणीय उद्यम पद्धतियां (Sustainable Business Practices) 148

12.1.2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) 151

12.2. नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship) 153

12.2.1. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (Startup Ecosystem in India) 154

12.3. बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights: IPR) 157

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2014-2021 तक पूछे गए प्रश्नों (अर्थव्यवस्था खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

- अच्छे उत्तर में सटीक कंटेंट अब छोड़ देने लायक घटक नहीं है, बल्कि यह एक मूल आवश्यकता है। एक सटीक उत्तर लिखने की तैयारी पेन हाथ में लेकर उत्तर के बारे में सोचने से पहले ही शुरू हो जाती है। पूछे गए विषय की अच्छी समझ के साथ प्रासंगिक डेटा और उदाहरणों का इस्तेमाल उत्तर को सटीक बनाता है। इससे सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी मदद मिलती है।
- इसके अलावा एक बेहतरीन शैली में उत्तर की प्रस्तुति उसमें शामिल तथ्यों और जानकारी को आसानी से समझने में मदद करती है।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:

इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:

इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें उत्तरों में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

इनके साथ-साथ, इस वर्ष हमने विषयों को अच्छी तरह से याद करने तथा सटीक तरीके से उत्तर लिखने में आपकी मदद करने के लिए कुछ और विशेषताओं को शामिल किया है, इनमें शामिल हैं:

विषयों के महत्वपूर्ण डेटासेट की पहचान करने और उन्हें रिवाइज़ करने में आपकी सहायता के लिए इसे डिज़ाइन कर संबंधित आर्टिकल में जोड़ा गया है।

प्रासंगिक वीकली फोकस दस्तावेज की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

जल्दी रिविज़न के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में मुख्य डेटा और तथ्यों का एक परिशिष्ट जोड़ा गया है।

हम आशा करते हैं कि ये नई विशेषताएं न केवल आपको विषयों की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करेंगी, बल्कि प्रभावी और अच्छी तरह से प्रस्तुत किये गए उत्तर लिखने के लिए आवश्यक इनपुट भी प्रदान करेंगी।

> "ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"
>
> – जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 2 AUGUST, 9 AM | 24 JUNE, 1 PM
LUCKNOW: 7 JULY | 9 AM
JAIPUR: 16 AUG | 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2022
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)
GS-1 & GS-2
27 AUGUST
GS-3 & GS-4
28 AUGUST
All India Percentile
Closely aligned to UPSC pattern
Concrete Feedback & Corrective Measures
Available in ENGLISH / हिन्दी
Register at: www.visionias.in/abhyaas
40 CITIES
Ahmedabad | Aizawl | Bengaluru | Bhopal | Bhubaneswar | Chandigarh | Chennai | Coimbatore | Dehradun | Delhi | Ghaziabad | Gorakhpur | Guwahati
Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jammu | Jodhpur | Kanpur | kochi | Kolkata | Lucknow | Ludhiana | Mumbai | Nagpur | Noida
Patna | Prayagraj | Pune | Raipur | Ranchi | Rohtak | Shimla | Thiruvananthapuram | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam

1. रोजगार और कौशल विकास (Employment and Skill Development)

1.1. रोजगार (Employment)

रोजगार – एक नज़र में

- PLFS 2020–2021 के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर 41.6% थी।
- सक्रिय रोजगार की तलाश करने के बावजूद 4.2% कार्यबल बेरोजगार था।
- लगभग 52 करोड़ कामगार मिलकर भारत के कार्यबल का निर्माण करते है।
- 46% कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।

प्रमुख उद्देश्य

- **महिला श्रम बल की भागीदारी** को बढ़ाकर कम-से-कम 30% तक करना।
- **कार्यबल के औपचारीकरण** को प्रोत्साहन देना।
- **संधारणीय और समावेशी विकास** पर बल देते हुए रोजगार व आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना।
- श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छी कार्यदशा, उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

योजना/पहल

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।**
- **संपूर्ण रोजगार योजना।**
- **आजीविका– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।**
- **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना।**
- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।**
- **ई–श्रम पोर्टल–** असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस।
- **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना–** बेरोजगारी के दौरान भत्ता प्रदान करने पर लक्षित।
- गर्वनमेंट टू सिविलियन (G2C), बिज़नेस टू कंज़्यूमर (B2C) और बिज़नेस टू बिज़नेस (B2B) सेवाएं प्रदान करते हुए अपडेटेड व कुशल डेटाबेस के रूप में कार्य करने के लिए उद्यम, **ई–श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) जैसे डेटाबेस को आपस में जोड़ना।**

सीमाएं

- बड़ी संख्या में **श्रमिक सामाजिक सुरक्षा या श्रम विनियमन के दायरे में नहीं** आते हैं।
- **आधे से भी कम स्नातकों के पास अपेक्षित कौशल** है और वे रोजगार हेतु योग्य हैं।
- कार्यबल और इनकी भागीदारी पर **समयबद्ध एवं आवधिक डेटा अनुमानों का अभाव है।**
- कृषि के मशीनीकरण के कारण **कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम है।**
- **ऑटोमेशन और मल्टी–स्किलिंग के कारण विनिर्माण क्षेत्रक के तहत रोजगार में गिरावट आयी है।**
- **सीमित होता सार्वजनिक क्षेत्रक, स्वैच्छिक बेरोजगारी में वृद्धि, रोजगार हेतु आवश्यक कौशल की कमी, कोविड–19 का प्रभाव आदि जैसे अन्य कारक।**

आगे की राह

- **श्रम बाजार सूचना प्रणाली (LMIS)** जैसी पहलों के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना चाहिए।
- वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम **कानूनों का सरलीकरण करना और उसमें आवश्यक संशोधन** करना चाहिए।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जैसे साधनों के माध्यम से रोजगार से **संबंधित डेटा संग्रह में सुधार** करना चाहिए।
- औपचारीकरण को बढ़ाने के लिए औद्योगिक विनियमों को सुव्यवस्थित करना चाहिए।
- **मजदूरी से संबंधित विनियमों** और निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की सीमा **को बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए।**
- अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक में **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) को बढ़ावा देना चाहिए।**

1.1.1. गिग वर्कर्स (Gig Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने यह संभावना व्यक्त की है कि वित्त वर्ष 2030 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट को **"इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी"** नामक शीर्षक से जारी किया गया था।

गिग वर्कर्स और वर्तमान समय में इसका महत्व

- **कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020** के अनुसार, **गिग वर्कर** वह व्यक्ति होता है जो कोई काम करता है या किसी कार्य व्यवस्था में संलग्न होता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।

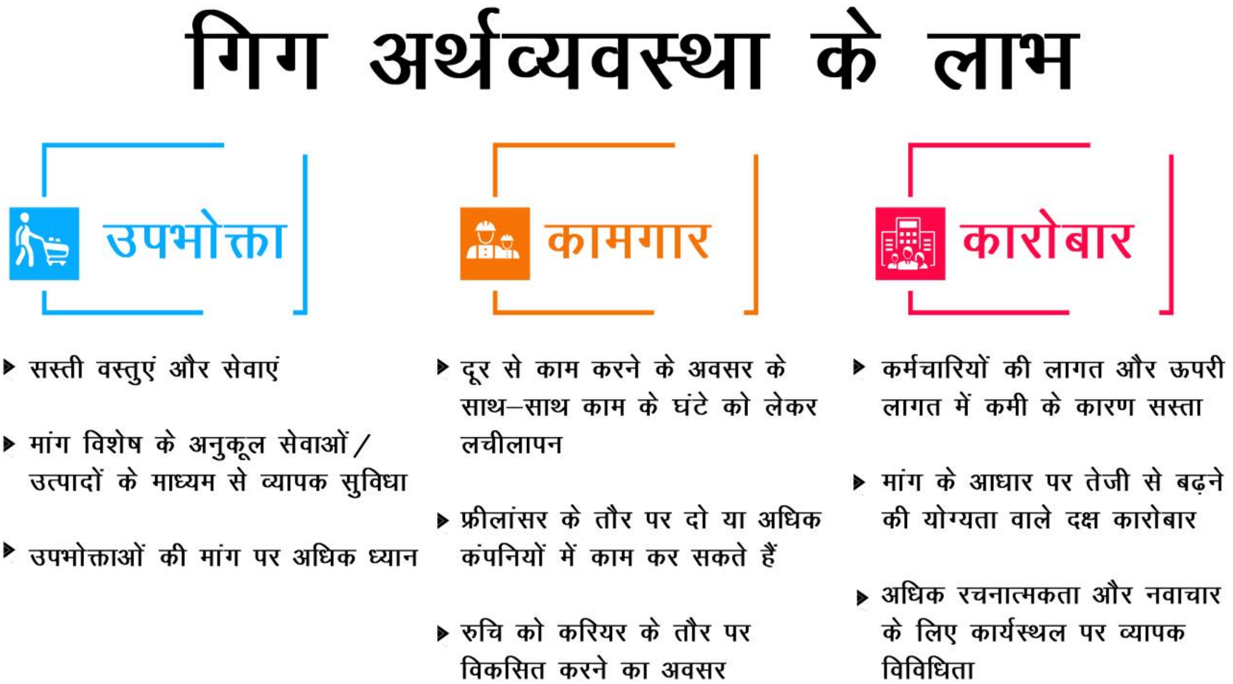

- लगभग आधे बिलियन श्रम बल के साथ, भारत गिग कार्यबल में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में उभरा है। वैश्विक महामारी और **भारत में शहरीकरण, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं स्मार्टफोन तक अत्यधिक पहुंच इसके मुख्य कारण रहे हैं। साथ ही स्टार्ट-अप संस्कृति, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म** आदि की भी इसमें प्रमुख भूमिका रही है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **कार्यबल की संख्या:** वर्ष 2020-21 में, गिग इकॉनमी में संलग्न कार्यबल की संख्या लगभग 77 लाख (कुल कार्यबल का 1.5%) रही है। वर्ष 2029-30 तक भारत में इनकी संख्या 2.35 करोड़ (कुल कार्यबल का 4.1%) तक पहुंचने की उम्मीद है।
- **कार्य का प्लेटफॉर्माइजेशन:** गिग वर्कर्स की उच्च रोजगार लोचशीलता उनकी बढ़ती मांग को दर्शाती है। साथ ही यह नॉन-गिग वर्क के गिग वर्क में प्लेटफॉर्माइजेशन को भी इंगित करता है।
    - वर्तमान में 75% से अधिक कंपनियों में गिग कार्यबल की संख्या 10% से कम है। हालांकि, इसके बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उदार रोजगार नियोजन विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं।
    - खुदरा व्यापार और बिक्री में लगभग 26.6 लाख गिग वर्कर्स, परिवहन में 13 लाख गिग वर्कर्स, विनिर्माण क्षेत्र में 6.2 लाख गिग वर्कर्स आदि के साथ इसका पहले से ही सभी क्षेत्रों में विस्तार जारी है।
- **गिग वर्कर्स के लिए उच्च संभावनाओं वाले उद्योग:** निर्माण, विनिर्माण, खुदरा तथा परिवहन और लॉजिस्टिक्स।
- **गिग कार्यबल का कौशल स्तर:** वर्तमान में, मध्यम कौशल वाली नौकरियों में गिग वर्क की हिस्सेदारी लगभग 47% रही है, जबकि उच्च कौशल वाली नौकरियों में यह हिस्सेदारी लगभग 22% और कम कौशल वाली नौकरियों में लगभग 31% है।
- **कौशल का ध्रुवीकरण:** वर्तमान प्रवृत्ति मध्यम कौशल में श्रमिकों की संख्या में हो रही क्रमिक गिरावट को दर्शाती है, जबकि कम कौशल वाले और उच्च कौशल वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार यह रिपोर्ट कौशल के ध्रुवीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

गिग वर्कर्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **नौकरी संबंधी सुरक्षा का अभाव**, अनियमित वेतन और अनिश्चित रोजगार की स्थिति। उदाहरण के लिए- ओला, उबर में ड्राइवरों की आय में गिरावट या IPL के दौरान फूड डिलीवरी ऐप द्वारा अस्थायी रूप से हायरिंग करना।
  - **काम और आय की अनिश्चितता** से **तनाव** और **दबाव में बढ़ोतरी** हो सकती है।
- **इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच** गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक कामगारों के लिए एक बाधक बन सकती है।
- प्लेटफॉर्म कंपनियों के मालिक और गिग वर्कर के बीच **संविदात्मक या कॉन्ट्रैक्ट संबंध** होने से उनके लिए **कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा और अन्य अधिकार प्राप्त कर पाना कठिन** हो जाता है।
- **एल्गोरिदम प्रबंधन** और **रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन होने के दबाव के कारण तनाव** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे, ओला और उबर के कर्मचारियों की निगरानी।
  - प्लेटफॉर्म कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जो किसी फॉउंडेशनल टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर अन्य कंपनियां पैदा होती हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाती हैं।

नीति आयोग की सिफारिशें

- **गिग वर्कर्स का उचित मूल्यांकन:** गिग इकॉनमी के आकार और गिग वर्कर्स की विशेषताओं के आकलन हेतु पृथक रूप से गणना किया जाना चाहिए।
  - यह आधिकारिक गणनाओं (PLFS, NSS या अन्य) के दौरान सूचनाएं एकत्र करके किया जा सकता है।
- **प्लेटफॉर्माइजेशन को प्रोत्साहन:** इसके लिए **प्लेटफॉर्म इंडिया पहल** को लागू करना (स्टार्टअप इंडिया के समान) चाहिए। इसे **प्लेटफॉर्माइजेशन की गति को तीव्र करने** वाले आधारों पर विकसित किया गया है। इसमें सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एवं प्रोत्साहन, कौशल विकास और सामाजिक वित्तीय समावेशन पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - यह प्लेटफॉर्म **स्व-नियोजित व्यक्तियों** को कस्बों और शहरों के व्यापक बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में मदद कर सकता है।
  - दोपहिया (बाइक टैक्सी या बाइक-पूल के रूप में) और तिपहिया (रिक्शा, ऑटो-रिक्शा) से लेकर चौपहिया वाहनों तक सभी श्रेणियों में किराये पर यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।।
- **वित्तीय समावेशन की गति को बढ़ाना:** वित्तीय उत्पादों के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें ऐसे वित्तीय उत्पादों शामिल हैं, जो विशेष रूप से प्लेटफॉर्म कंपनियों के वर्कर्स और स्वयं के प्लेटफॉर्म स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हों। इसके लिए,
  - **फिनटेक और प्लेटफॉर्म बिजनेस** का उपयोग किया जा सकता है।
  - भारत में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या प्लेटफॉर्म बिजनेस या व्यवसाय के लिए औपचारिक ऋण उपलब्ध कराने को लेकर **विशेष जोर** दिया जा सकता है।
    - **प्लेटफॉर्म बिजनेस** वस्तुतः व्यवसाय मॉडल का एक प्रकार है, जो जो दो या दो से अधिक परस्पर-निर्भर समूहों के बीच (आमतौर पर उपभोक्ताओं और उत्पादकों में) आदान-प्रदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

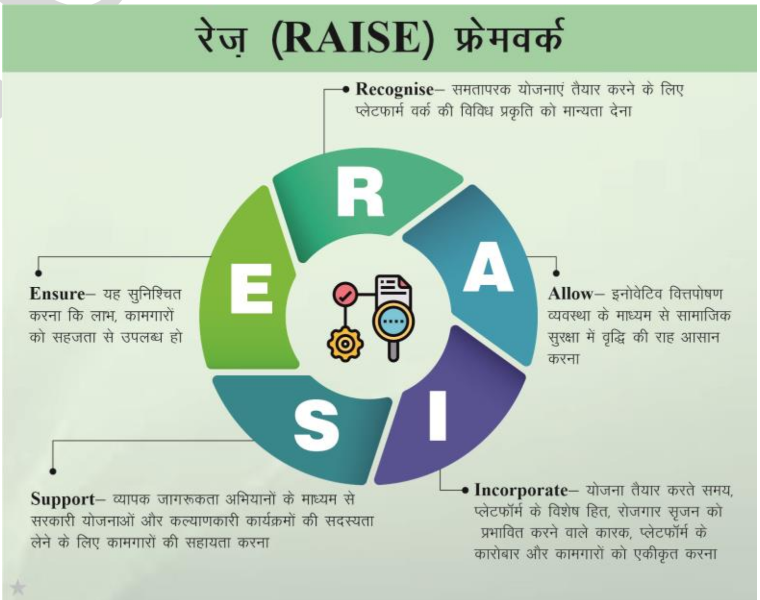

- **प्लेटफ़ॉर्म बिजनेस से सम्बंधित नौकरियों हेतु कौशल विकास:** युवाओं और कार्यबल को कौशल युक्त बनाने वाले और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक या परिणाम-आधारित मॉडल को विकसित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें रोजगार पाने योग्य बनाया जा सकेगा।
  - रोजगार और कौशल विकास पोर्टलों, जैसे ई-श्रम पोर्टल और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल या उद्यम पोर्टल को ASEEM पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- **सामाजिक समावेशन को बढ़ाना:** आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में **लैंगिक संवेदनशीलता** को बढ़ावा देकर तथा जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच को बढाकर **सामाजिक समावेशन** को बढ़ाना चाहिए।

- **सामान्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** इसके लिए वैश्विक उदाहरणों/ सुझावों/ प्रथाओं से सीखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 में परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा उपायों का पार्टनरशिप मोड में विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें गिग वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए बीमारी के दौरान पेड लीव, उनके व्यवसाय के कारण होने वाले रोग एवं कार्य दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति/पेंशन योजनाएं और अन्य आकस्मिक लाभ शामिल हैं।
  - **कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी** को **RAISE फ्रेमवर्क** का उपयोग करके परिचालित किया जा सकता है (चित्र देखें)।

प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के भविष्य को सुनिश्चित करना: गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि सक्षमता और बाधाओं की पहचान की जा सके। यह एक शोध एजेंडा के रूप में छोटे प्लेटफॉर्म्स, महिलाओं द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म्स, रोजगार के औपचारीकरण, जी.डी.पी. में योगदान आदि के सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है।

1.1.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) की आधी अवधि के दौरान ही मनरेगा योजना का फंड समाप्त हो गया।

मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए की गईं पहलें

- **मनरेगा ट्रैकर -** सरकार के प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)[1] डेटा का उपयोग करके।
- **नरेगा सॉफ्ट (NREGAsoft)** एक स्थानीय भाषा सक्षम कार्य प्रवाह आधारित ई-गवर्नेंस प्रणाली है। यह प्रणाली मस्टर रोल, पंजीकरण आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड/ रोजगार रजिस्टर आदि जैसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराती है।
- **प्रोजेक्ट 'लाइफ-मनरेगा' (पूर्ण रोजगार में आजीविका) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना,**
  - **मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार में सुधार करना, और**
  - **श्रमिकों की आजीविका में सुधार करना है**

मनरेगा के बारे में

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तहत **मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** है।
- यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ऐसे परिवार के वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक होने चाहिए।
- **मनरेगा के मुख्य उद्देश्य हैं:**
  - निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली **उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना;**
  - गरीबों के **आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना;**
  - **पूरी सक्रियता से सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करना;**
  - **पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना; आदि।**
- यह **बॉटम-अप (नीचे से ऊपर का), लोक-केंद्रित,** स्व-चयन और अधिकार-आधारित कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के तहत बनाई गई संपत्ति में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल हैं-
  - जल संरक्षण, भूमि विकास और सिंचाई।
    - इनके अलावा, योजना के तहत **बांध, सिंचाई नहर, चेक डैम (check dam), तालाब, कुएं और आंगनवाड़ी** भी बनाए गए हैं।
- **सोशल ऑडिट निष्पादन के लिए जवाबदेही तय करता है,** विशेषकर तत्काल हितधारकों के प्रति।

मनरेगा के सकारात्मक पक्ष

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की समस्या में कमी:** मनरेगा का प्रदर्शन संभवतः अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से निजात पाने का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सभी रोजगारों का 80% से 90% हिस्सा है।
- **कोविड लॉकडाउन के दौरान सहायक: कोविड-19** के दौरान इस योजना ने रिकॉर्ड 11 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य सहारा:** यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुख्य रूप से मंदी की अवधि के दौरान आजीविका के पूरक साधन प्रदान करता है।
- **बॉटम-अप दृष्टिकोण:** मनरेगा की विकेन्द्रीकृत प्रकृति मनरेगा के लिए नियोजन प्रक्रिया को **स्थानीय सरकारों में ग्राम स्तर से शुरू करके नीचे से ऊपर के स्तर तक** ले जाने में सक्षम बनाती है।

---

[1] Management Information System

आगे की राह

- **योजना में संशोधन:** सामाजिक कार्यकर्ता **मनरेगा योजनाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की मांग** कर रहे हैं; यह जबरन पलायन को रोकने में महत्वपूर्ण होगा।

उचित आवंटन और समय पर भुगतान: सरकार को कार्यों के लिए पूर्ण आवंटन और समय पर पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।

- **सहभागी तकनीकें:** प्रभाव मानचित्रण (Influence Mapping) जैसी प्रक्रिया का उपयोग नरेगा जैसे जटिल बड़े पैमाने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पेचीदगियों की बेहतर समझ बनाने और संभावित समाधानों का आकलन करने में मदद के लिए किया जा सकता है।
- मनरेगा के अंतर्गत सृजित **परिसंपत्तियों के स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित** करते हुए योजना के तहत **स्वीकृत कार्यों के दायरे का विस्तार करना।**
- **मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों का कौशल विकास** और **महिला श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यस्थल** सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बेहतर सतर्कता के लिए ई-मस्टर रोल, ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी, आदि जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। उदाहरण के लिए- बिहार में बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से ई-मस्टर रोल का उपयोग किया जा रहा है।
- **रीयल टाइम असेसमेंट मैकेनिज्म** के जरिए योजना की निगरानी करना, **सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन का अनुपालन** और सांसदों की भागीदारी बढ़ाना।
- मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए **लोकपाल ऐप** का उचित उपयोग करना। यह ऐप मनरेगा के **कार्यान्वयन** से संबंधित शिकायतों की **सुचारू रिपोर्टिंग और उनके वर्गीकरण** में मदद करता है।

1.1.3. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अर्थशास्त्र में **सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार 2021** तीन अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित "प्राकृतिक प्रयोगों" से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आधा पुरस्कार **डेविड कार्ड** को और शेष आधा पुरस्कार संयुक्त रूप से जोशुआ डी. ऐंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू. इम्बेन्स को प्रदान किया।

पुरस्कार विजेता शोध के बारे में

- शोध के अनुसार, **आव्रजन और रोजगार के स्तर**, स्कूली शिक्षा और छात्रों की भविष्य की आय आदि के बीच संबंध जैसे मुद्दे सभी समयों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रासंगिक रहे हैं।
- डेविड कार्ड ने न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजार प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए **"प्राकृतिक प्रयोग" (natural experiments)** (वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाली स्थितियां जो यादृच्छिक प्रयोगों से मिलती-जुलती हैं) का उपयोग किया।
  - शोध के परिणाम से पता चलता है कि **न्यूनतम वेतन बढ़ाने से जरूरी नहीं कि रोजगार कम हो जाए**।
  - किसी **देश में पैदा हुए लोगों की आय नए आप्रवास से लाभान्वित हो सकती है।** इसके विपरीत पहले प्रवास कर गए लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का जोखिम उठाते हैं।

- ○ **स्कूलों में विद्यमान संसाधन छात्रों के भविष्य के** श्रम बाजार की सफलता के लिए पहले की तुलना में **कहीं अधिक महत्वपूर्ण** हैं।
- प्राकृतिक प्रयोगों से **डेटा की व्याख्या करने और निष्कर्ष निकालने की पद्धति** की खोज जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेन्स द्वारा दी गई थी।

1.2. कौशल विकास (Skill Development)

कौशल विकास – एक नज़र में

- वर्ष 2019-20 में, भारत के 542 मिलियन कार्यबल में से केवल 73 मिलियन ने किसी भी रूप में व्यावसायिक/पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% के मुकाबले भारत में केवल 5% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल है।
- भारत वर्ष 2018 से वर्ष 2055 तक चलने वाले 37 वर्षीय जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में प्रवेश कर गया है।
- भारत कौशल रिपोर्ट, 2021 के अनुसार शिक्षित लोगों की नियोजनीयता दर 45.9% है। यह अभी भी कम है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ने नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट को उजागर किया है।

प्रमुख लक्ष्य

- वर्ष 2022 तक **400 मिलियन** भारतीयों को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) के तहत प्रशिक्षित करना।
- PMKVY 3.0 के तहत **बाजार की मांग**, उद्योग की आवश्यकता, सेवा व नए युग की रोजगार भूमिकाओं के संबंध में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
- वर्ष 2021-25 के मध्य स्किल इंपैक्ट बॉण्ड के माध्यम से **50,000 युवाओं** को कौशल प्रदान करना।
- भारत को विश्व की **'कौशल राजधानी'** बनाना।
- भारत के **कार्यबल में औपचारिक** रूप से कुशल श्रमिकों के वर्तमान 5.4% के स्तर को बढ़ाकर कम-से-कम 15% तक करना।
- लिंग, स्थान, संगठित/असंगठित आदि के आधार पर मौजूद विभाजन को कम करते हुए **समावेशिता** सुनिश्चित करना।

योजना/नीतियां/पहल

- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) और कौशल भारत मिशन।**
- **पी.एम. कौशल विकास योजना (PMKVY), पी.एम. युवा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आदि।**
- संकल्प (SANKALP) अर्थात् **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता तथा स्ट्राइव (STRIVE) अर्थात् औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण।**
- **स्मार्ट (SMART) अर्थात् कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन पोर्टल।**
- निपुण (NIPUN) अर्थात् 'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल' परियोजना के तहत **निर्माण क्षेत्रक से जुड़े 1,00,000 श्रमिकों** का कौशल बढ़ाना।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति।**
- अन्य पहल, जैसे – **स्किल इंपैक्ट बॉण्ड।**

सीमाएं

- भारत में कौशल सुधारों पर गठित **शारदा प्रसाद समिति ने 'अपर्याप्त उद्योग भागीदारी'** को भारत में व्यावसायिक/पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रमुख मुद्दे के रूप में चिन्हित किया था।
- असंगत कौशल मांग, विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग क्षेत्रकों में अपर्याप्त कौशल कार्यबल की स्थिति।
- **आकलन और प्रमाणन प्रणाली की बहुलता।**
- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का **अविकसित और खराब गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा।**
- **कौशल विकास योजनाओं में महिलाओं की सीमित भागीदारी।**
- **छात्रों के लिए उचित करियर से संबंधित मार्गदर्शन का अभाव।**
- **कौशल के बारे में लोगों की सीमित धारणा** और औपचारिक अकादमिक प्रणाली में इसे कम प्राथमिकता देना।
- कौशल और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच **सीमित गतिशीलता।**

आगे की राह

- **उद्योग-अकादमिक साझेदारी** निर्मित करने के लिए एक परिवेश विकसित करना।
- कौशल संबंधी आवश्यकताओं का **मानचित्रण करना**, ताकि क्षेत्रक-वार और भौगोलिक दृष्टि से मांग-संचालित कौशल विकास पारितंत्र तैयार किया जा सके।
- शिक्षा की **मुख्यधारा में कौशल विकास को शामिल करना।**
- इसके लिए कौशल को अकादमिक शिक्षा के बराबर और ITIs में प्रवेश लेने हेतु पात्र बनाने वाली एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
- **प्रमाणन का मानकीकरण करना।**
- कौशल विकास के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों जैसे **CSR, CAMPA, MPLAD** निधि, मनरेगा आदि का उपयोग किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्रक को** कौशल विकास कार्यों में भाग लेने के लिए **प्रोत्साहित करना** चाहिए, क्योंकि उनके पास आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता होती है।

2. आर्थिक और समावेशी विकास (Economic and Inclusive Growth)

2.1. सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान {Gross Domestic Product (GDP) Estimates}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 2021-22 के लिए** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का **पहला अग्रिम अनुमान** जारी किया। इसमें GDP की संवृद्धि दर **9.2%** आंकी गई थी।

GDP की गणना क्यों महत्वपूर्ण है?

GDP विभिन्न पद्धतियों (उत्पादन, व्यय और आय) के माध्यम से परिकलित होता है। GDP डेटा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी देश की अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए प्राथमिक मानदंड बन गए थे।

- **पारंपरिक आर्थिक संकेतकों का एकीकरण:** अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, क्लासिकल अर्थशास्त्री **सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि** को **उच्चतर व्यक्तिगत संतुष्टि से जोड़ते हैं।** GDP की उच्च संवृद्धि, संतुष्टि (उपयोगिता) में वृद्धि और उच्च रोजगार आदि की स्थिति को दर्शाती है।
- **यह संवृद्धि के संकेत के रूप में कार्य करता है:** GDP की दर, नीति निर्माताओं और केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था के संकुचन अथवा विस्तार के संकेत प्रदान करती है। यह उसी के अनुसार तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना संभव बनाती है।
- **राजकोषीय नीति, कर आदि के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी:** यह नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायों के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति, आर्थिक आघातों और कर एवं व्यय योजनाओं जैसे चरों (variables) के प्रभाव का विश्लेषण करने में सहायता करेगा।

GDP के आंकड़ों की सीमाएं

अलग-अलग मुद्दों का समाधान करने के लिए **GDP के आंकड़ों** का समय के साथ विकास हुआ है। अभी भी, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के **समग्र जीवन स्तर** या **कल्याण** का उचित माप नहीं है। यह **सांख्यिकीय सीमाओं** और **अन्य कमियों** से ग्रस्त है, जो **विकास का मापन करने** के लिए GDP के आंकड़ों की उपयोगिता सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए-

सांख्यिकीय सीमाएं	• **आंकड़ों की प्रकृति:** आंकड़े अर्थव्यवस्था में वास्तविक घटनाओं के बाद आते हैं। इससे **प्रमुख संरचनात्मक बदलावों** को समझने का समय बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए- ○ भारत में, GDP के सबसे सटीक आंकड़े, अर्थात् **संशोधित अनुमान** लगभग 3 वर्ष के अंतराल के बाद आते हैं। ○ अमूर्त वस्तुओं (जैसे कि सॉफ्टवेयर, ब्रांड इक्विटी, नवाचार या अनुसंधान एवं विकास आदि) में निवेश के कारण अधिकांश डिजिटल अर्थव्यवस्था इसका हिस्सा नहीं है। • **आर्थिक व्यवहार:** क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि बाजार परिस्थितियों में लोग तर्कसंगत विकल्प चुनते हैं। जबकि वास्तव में, लोग इसके विपरीत भावनात्मक और सामाजिक तत्वों के कारण तर्कहीन विकल्प भी चुनते हैं। • **अन्य सीमाएं:** GDP नि:शुल्क ऑनलाइन सेवाओं, असंगठित क्षेत्रक, पूंजीगत मूल्यह्रास (capital depreciation) आदि का मापन नहीं कर पाता है। इससे GDP और देशों के बीच तुलना करने के लिए इसका उपयोग सीमित हो जाता है।
अन्य चिंताएं	• **बढ़ती असमानताएँ:** अधिकांश देशों में लाभों का निचले स्तर तक वितरण विफल रहा है। इससे लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में असमानता बढ़ी है। हालिया महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ाया है। ○ उदाहरण के लिए, **ऑक्सफैम की असमानता रिपोर्ट 2021** (शीर्षक- इनेक्वॉलिटी किल्स) के अनुसार, **84% भारतीय परिवारों** की आय में गिरावट आई है, जबकि 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुने से अधिक हो गई। **सबसे निचले आर्थिक स्तर के 50% लोगों की राष्ट्रीय संपदा में हिस्सेदारी केवल 6% थी। वर्ष 2020 में 4.6 करोड़ से अधिक भारतीय अत्यधिक निर्धन लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए।** • **पर्यावरणीय प्रभाव:** आर्थिक संवृद्धि पर विशेष बल देने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान और संसाधनों का दोहन होता है। इससे पर्यावरण का निम्नीकरण होता है।

	• **धन और कल्याण के बीच दुर्बल संबंध:** लोगों की कल्याण की भावना, न केवल पैसे से बल्कि अन्य कारकों से भी नियंत्रित होती है।

कल्याण को मापने के लिए अन्य संकेतक निम्नलिखित है:

- **सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness: GNH):** इसे 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक द्वारा गढ़ा गया था। GNH **चार स्तंभों- सुशासन, संधारणीय सामाजिक-आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण** और **पर्यावरण संरक्षण** पर केंद्रित है।

- **मानव विकास सूचकांक (Human Development Index: HDI):** इसे **शिक्षा, आय** और **स्वास्थ्य** जैसे कारकों को मापने के लिए 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरंभ किया गया (मूल रूप से महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया) था।
- **बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (Bare Necessities Index: BNI):** यह सूचकांक वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 में शुरू किया गया था। यह **आवास, जल, स्वच्छता, बिजली आदि जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का आकलन करता है।**
- **हरित GDP:** पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद को हरित GDP कहा जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास और पर्यावरणीय निम्नीकरण की लागत को GDP से घटाने पर प्राप्त होता है।
- **सकल पर्यावरण उत्पाद (Gross Environment Product):** यह हरित GDP का एक घटक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं या प्राकृतिक संसाधनों और प्रक्रियाओं जैसे कि भोजन, स्वच्छ पानी आदि से प्राप्त लाभों का मापन करता है।
- **वास्तविक प्रगति संकेतक (Genuine Progress Indicator: GPI):** इसे किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। GPI जी.डी.पी. के साथ-साथ इसकी नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय लागत जैसे कि अपराध, संसाधन की कमी आदि को भी ध्यान में रखता है।

निष्कर्ष

हालांकि, इनमें से प्रत्येक संकेतक की कार्यपद्धति की आलोचना की जाती है, लेकिन ये कई उद्देश्यों के लिए **GDP डेटासेट के पूरक हो सकते हैं।** संक्षेप में, कल्याण का सबसे उपयुक्त माप यह है कि **आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ कम असमानता, लोगों के कल्याण, प्रणालीगत लचीलापन और पर्यावरणीय संधारणीयता** को एकसाथ जोड़कर देखा जाए।

2.2. महामारी के बाद अर्थव्यवस्था (Post Pandemic Economy)

वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था – एक नज़र में

कोविड–19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित कमियों को उजागर किया है:

- वैश्विक महामारी, NPA संकट और GST व्यवस्था को अपनाने संबंधी प्रभाव आदि मुद्दों ने संयुक्त रूप से मौजूदा आर्थिक स्लोडाउन को और बढ़ा दिया।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की सेवा क्षेत्रक पर अधिक निर्भरता ने अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी को उजागर किया।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यापक पैमाने पर आई बाधाओं ने आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन की कमी को प्रकट किया।
- अर्थव्यवस्था में अनौपचारीरण के उच्च स्तर के कारण प्रवासी संकट पैदा हुआ और बड़े पैमाने पर रोजगार का नुकसान हुआ।
- तुलनात्मक रूप से अत्यधिक प्रभावित निर्धन वर्गों ने असमानता की जटिल प्रकृति और आर्थिक विकास के प्रचलित मॉडल की कमियों को उजागर किया।

अर्थव्यवस्था की प्रकृति में हुए परिवर्तन

- सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे उपायों ने **'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) के विचार को एक सामान्य कामकाजी तरीका बना दिया है।**
  - WFH ने संबंधित तकनीकी विकास को और प्रोत्साहित किया है। साथ ही, रिमोट वर्किंग तथा गिग इकोनॉमी पारितंत्र को भी बढ़ावा दिया है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा के कारण **आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित हुआ है।**
- अधिकांश कारोबारों और संस्थानों के **डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है।**
- 'वैक्सीन नेशनलिज्म' जैसी राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि के कारण **डिग्लोबलाईजेशन की प्रवृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।** साथ ही, श्रम से जुड़ी अनिश्चितता ने प्रौद्योगिकी–गहन और पूंजी–गहन विकास को बढ़ावा दिया है।
- परीक्षण (Testing) करने संबंधी अवसंरचना, वेंटिलेटर आदि जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि के रूप में **स्वास्थ्य क्षमता का विकास हुआ है।**

अन्य क्षेत्रों में हुए परिवर्तन

- **अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण** ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के साथ–साथ **समाज के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया है।**
- WFH से महानगरों पर दबाव कम हुआ है और सीमित कार्यालय एरिया के साथ **शहरीकरण के पुनर्नियोजन का मार्ग प्रकट** हुआ है।
- ई–लर्निंग के लोकप्रिय होने के कारण **शिक्षा में तेजी से प्रौद्योगिकी का प्रवेश** हुआ है।
- वैश्विक महामारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और आदतों के परिणामस्वरूप आम लोगों में भी स्वच्छता मानकों का समावेश हुआ है।
- बढ़ती बेरोजगारी ने **सामाजिक मुद्दों** यथा– बाल श्रम, श्रमिकों के शोषण आदि **में बढ़ोतरी** की है।

वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उपाय

- **पर्यावरणीय संधारणीयता, बेहतर लोक–कल्याण, असमानता में कमी और आर्थिक संवृद्धि के साथ–साथ प्रणालीगत लचीलेपन** को शामिल करते हुए आर्थिक विकास के एक नए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना।
- आर्थिक निर्णय लेने को अधिक समावेशी बनाने हेतु **शेयरधारक पूंजीवाद से अंशधारक पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाना।**
- स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने और हरित रिकवरी सुनिश्चित करने में निवेश करके **लचीलेपन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **ट्रिपल बॉटम लाइन– पीपल, प्रॉफिट और प्लेनेट पर ध्यान केंद्रित करना।** इसमें आर्थिक संवृद्धि, असमानता के स्तर और पर्यावरण की स्थिति जैसे सामाजिक मापदंडों को अपनाना शामिल है।
- '4–डे वीक', '24X7 इकोनॉमिक्स' आदि जैसे विचारों के अनुप्रयोग के रूप में **नवाचार को हमेशा प्रक्रिया का हिस्सा बनाना।**

सहज और तीव्र रिकवरी सुनिश्चित करने के उपाय

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का और विस्तार करके **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।**
- वैश्विक महामारी से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने हेतु **प्रभावित आबादी को प्रत्यक्ष नकद अंतरण लाभ प्रदान करना।**
- **भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहिए,** क्योंकि ज्यादातर देश चीन केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य, शहरी, ग्रामीण और विशेष रूप से डिजिटल अवसंरचना के संवर्धन के लिए भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) कानून में ढील देकर **अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय अवसरों को बढ़ाना चाहिए।**

2.3. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)

गरीबी निवारण – एक नज़र में

भारत में 364 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करते हैं।

भारत की अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट आई है। यह वर्ष 2011 के 22.5% के स्तर से गिरकर वर्ष 2019 में 10.2% के स्तर पर आ गई।

विश्व के दो-तिहाई गरीब संघर्ष-प्रभावित देशों में रहते हैं।

मुख्य उद्देश्य

- **लोगों के समक्ष उत्पन्न अत्यधिक गरीबी की स्थिति को समाप्त** करना।
- भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए **आय स्तर पर निर्भर न रहकर उपभोग व्यय को आधार** बनाना।
- **आर्थिक क्षेत्र से परे जाकर सभी प्रकार की गरीबी** की पहचान करना।
- **बहुआयामी गरीबी का समग्र रूप से समाधान** करना।

योजनाएं/ पहल

- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005।
- प्रधान मंत्री किसान निधि योजना।
- प्रधान मंत्री आवास योजना।
- एकीकृत बाल विकास सेवा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना।

सीमाएं

- **भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का असमान वितरण**- इसके कारण निःशुल्क लाभभोगियों (फ्री राइडर्स) का मुद्दा सामने आता है।
- संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन।
- इन योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते। वह भ्रष्टाचार करते हैं तथा इन पर स्थानीय अभिजात वर्ग का दबाव बना रहता है।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन में **स्थानीय स्तर के संस्थानों की कम भागीदारी**।

आगे की राह

- सरकार और बैंक अधिकारियों को **उपयुक्त प्रशिक्षण** एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।
- गरीबी कम करने के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए PPP (**$3.2 प्रति दिन**) के आधार पर निम्न-मध्यम आय (Low Middle Income: LMI) वाली गरीबी रेखा की अवधारणा को अपनाना।
- लागत-प्रभावी तरीके से कम-से-कम अंतराल पर सर्वेक्षणों का प्रयोग करना चाहिए।
- **स्थानीय सरकार और संस्थानों** की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए।
- **संपत्ति** और आर्थिक वृद्धि के **लाभों का प्रभावी वितरण** करना चाहिए।
- नीतिगत कार्रवाई में **गरीबी के बदलते स्वरूप की झलक** प्रदर्शित होनी चाहिए।
- गरीबी के खिलाफ़ कार्रवाई में संघर्ष के हॉट स्पॉट्स, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 इत्यादि का समाधान होना चाहिए।
- राज्य, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर सभी हितधारकों के मध्य **सहयोग और समन्वय को बढ़ाना चाहिए।**

2.3.1. निर्धनता के अनुमान (Poverty Estimates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) से जुड़े लेखकों ने भारत में निर्धनता और असमानता के दो अलग-अलग अनुमान प्रकाशित किए।

अन्य संबंधित तथ्य

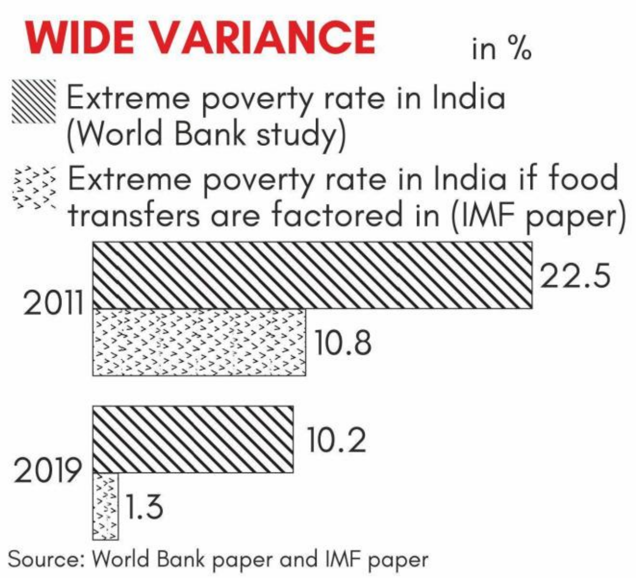

- CMIE (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) - **कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे** (CPHS) के आधार पर, विश्व बैंक के शोधपत्र में पाया गया है कि भारत में **चरम निर्धनता (extreme poverty) में 12.3% की गिरावट** आई है। यह वर्ष 2011 में 22.5% था, जो घटकर वर्ष 2019 में 10.2% पर पहुंच गया।
- IMF के शोधपत्र में यह बताया गया है कि भारत ने चरम निर्धनता को लगभग समाप्त कर दिया है। यह वर्ष 2011 के 10.8% से घटकर वर्ष 2019 में 1.3% के स्तर पर आ गई। यह अनुमान **उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण** और **सब्सिडी समायोजन सहित अन्य डेटा सेट्स के आधार पर** की गई तुलना में व्यक्त किया गया है।

निर्धनता और निर्धनता मापने की विभिन्न विधियों के बारे में

- **निर्धनता** किसी व्यक्ति या समुदाय की वह स्थिति या दशा है जब उसके पास एक उचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक धन या संसाधनों तक पहुंच का अभाव होता है।
- **इसे आमतौर पर** निर्धनता की सीमा या निर्धनता रेखा के आधार पर **पूर्ण या सापेक्ष निर्धनता[2] के रूप में मापा जाता है।** इस सीमा रेखा के नीचे आने वाले लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है।
- हालांकि, निर्धनता के कई स्वरूप हैं, जो समय और स्थान के साथ बदलते हैं। इस कारण निर्धनता मापने की विभिन्न विधियां अपनानी पड़ती हैं जैसे:

निर्धनता अनुमान के दृष्टिकोण	आयाम/संकेतक
बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण (Well-being Approach)	**एरिक एलार्ड** द्वारा दिए गए इस दृष्टिकोण में तीन आयाम शामिल हैं: • (संसाधन) पास होना (Having), • (सामाजिक) स्वीकार्यता होना (Loving), और • (आध्यात्मिक-भावनात्मक) संतुष्टि होना (Being)।
क्षमता वाला दृष्टिकोण (Capabilities Approach)	आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में **अमर्त्य सेन** द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण के आधार पर, OECD ने बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें निम्नलिखित पांच क्षमताओं को शामिल किया गया है: • आर्थिक क्षमताएं, • मानवीय क्षमताएं, • राजनीतिक क्षमताएं, • सामाजिक-सांस्कृतिक क्षमताएं, और • सुरक्षा संबंधी क्षमताएं।
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)	इसे **UNDP** और **ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)** द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। यह गंभीर बहुआयामी गरीबी की एक अंतर्राष्ट्रीय माप है। इसे निम्नलिखित **3 आयामों (और 10 संकेतक)** के आधार पर घरेलू स्तर की गरीबी को मापने और उसकी व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया है: • **शिक्षा** (स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति के वर्ष),

[2] Absolute or Relative Poverty

	• **स्वास्थ्य** (बाल मृत्यु दर और पोषण), और • **जीवन स्तर** (बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, रसोई ईंधन और संपत्ति)। MPI मान की गणना **'गरीबों की संख्या' या 'बहुआयामी गरीबी का विस्तार' और 'बहुआयामी गरीबी की तीव्रता' के गुणनफल से की जाती है।** • **बहुआयामी गरीब 27.9% आबादी के साथ भारत को 109 देशों में 62वाँ** स्थान दिया गया है।

- **भारत में** भी निर्धनता को मापने के लिए कई पहल की गई हैं। आरंभ में दादाभाई नौरोजी ने इसे परिभाषित किया था। हाल ही में, **UNDP** और **ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)** के सहयोग से **नीति आयोग** द्वारा एक परिभाषा (राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक) विकसित की गयी है, इसके उद्देश्य हैं-
  - हस्तक्षेपों और योजनाओं का **प्रभावी कार्यान्वयन करना**, ताकि कोई भी पीछे न रहे। इसके लिए **नीति निर्माताओं और स्थानीय अधिकारियों** को जटिलता तथा व्यापकता का प्रबंधन करने हेतु **सशक्त बनाना होगा।**

नीति आयोग द्वारा तैयार बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

- यह सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक GIRG[3] पहल का एक हिस्सा है। यह नवीनतम सूचकांक UNDP और OPHI के MPI पर आधारित है। इसमें **स्वास्थ्य** और **जीवन स्तर** के आयामों के तहत **दो अतिरिक्त संकेतक,** यथा- **प्रसवपूर्व देखभाल** और **बैंक खाता** शामिल हैं।
- भारत की पहली राष्ट्रीय MPI माप की यह आधारभूत रिपोर्ट **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)[4] की** वर्ष **2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है।**

निर्धनता के सटीक अनुमानों का महत्व

- इसकी सहायता से उत्पादकता बढ़ाने और बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली स्थायी प्रतिकूल परिस्थिति पर काबू पाने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह **पीढ़ियों से चली आ रही निर्धनता के चक्र** को समाप्त करने में सहायता करती है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- इससे लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों और स्थायी परिणामों के लिए **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण** में मदद मिलती है।
- इससे असमानताओं और बुनियादी जरूरतों, सीखने और नौकरी के अवसरों के अन्य मुद्दों का समाधान कर **समावेशी संवृद्धि लाने में** मदद मिलती है।

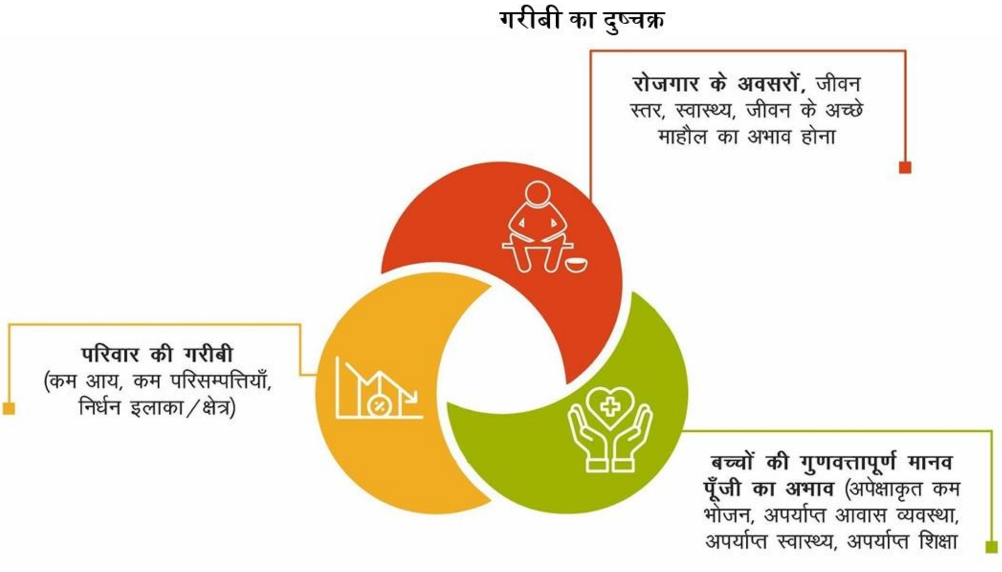

- इसके चलते नागरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके परिणामस्वरुप मानवाधिकारों का **पूर्ण और प्रभावी** उपयोग सुनिश्चित हो पाता है।
- इससे समुदायों, कुछ **समूहों** (जैसे- विकलांग व्यक्ति) और परिवार के भीतर **सामाजिक-आर्थिक भेदभाव के क्षेत्रों का पता लगाने** में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, **महिलाओं** को बच्चों के अत्यधिक बोझ का सामना करना पड़ता है, जिससे **'समय निर्धनता (time poverty)'** की समस्या पैदा होती है।

---

[3] Global Indices for Reforms and Growth

[4] National Family Health Survey

- **समय निर्धनता** ऐसी स्थिति है, जिसमें स्वयं के लिए बहुत कम समय बचता है। इससे, महिलाओं और लड़कियों को भोजन के खराब विकल्पों को चुनना पड़ता है। साथ ही, स्वास्थ्य की समस्या पैदा होती है और मानसिक तनाव होता है।

निर्धनता के सटीक आकलन में चुनौतियां

- **डेटा की उपलब्धता:** गरीबी के आकलन के लिए सभी संकेतकों पर डेटा की उपलब्धता नहीं है। इसके कारण सीमित संख्या में संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
- **अर्थशास्त्री का पूर्वाग्रह:** समग्र अर्थव्यवस्था पर डेटा संग्रह के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के तहत आमतौर पर निर्धनता के अनुमानों की गणना अर्थशास्त्रियों द्वारा की जाती है। इससे, वास्तविक कल्याण के छद्म संकेतक के रूप में **आय और खपत डेटा** के उपयोग की स्थिति पैदा होती है।
- **डेटा एकत्रित करने में लंबा अंतराल:** यहाँ तक कि इन डेटा सेट्स के भीतर भी घरेलू डेटा या डेटा-त्रुटियों में लंबा अंतराल पाया जाता है। उदाहरण के लिए, **उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (CES)**[5] प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। गौरतलब है कि गुणवत्ता के मुद्दों के कारण वर्ष 2017-18 का CES डेटा वापस ले लिया गया था, यानी CES पर एकत्रित किए जाने वाले डेटा में 10 साल का अंतराल हो गया है।

MPI: लाभ और सीमाएं

लाभ:

- **बेहतर तुलना:** यह नीति के लिए उपयोगी निहितार्थ के साथ विभिन्न क्षेत्रों, नृजातीय समूहों या किसी अन्य जनसंख्या उप-समूह में बहुआयामी निर्धनता की संरचना को दर्शाता है।
- **आय आधारित निर्धनता मापकों का पूरक:** आय निर्धनता के आंकड़े विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त किए जाते हैं, और इन सर्वेक्षणों में अक्सर स्वास्थ्य, पोषण आदि के बारे में जानकारी शामिल नहीं होती है।

सीमाएं:

- **कम संवेदनशील,** क्योंकि परिवारों को गरीब के रूप में गणना किये जाने के लिए अधिक संकेतकों में वंचित होने की जरूरत है।
- गरीबों के बीच **व्याप्त असमानता को चिन्हित करने में असमर्थ।**
- कोई व्यक्तिगत स्तरीय संकेतक न होने के कारण **अंतर-घरेलू असमानताओं को चिन्हित करने में असमर्थ।**
- सभी संकेतकों पर आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण **विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक दायरे को सीमित करता** है।

- **संकेतकों को अपनाने में कठिनाइयां:** ऐसे संकेतकों की पहचान करना और उन्हें डिजाइन करना कठिन है, जिससे समाज में रहने वाले अमीर और गरीब वर्गों के बीच सार्थक तुलना की जा सकती है। इसका कारण यह है कि विभिन्न घटकों के भार और संदर्भ में बदलाव होता रहता है।
- **गुणात्मक डेटा संग्रह में जटिलताएं:** भारत की उच्च सामाजिक-आर्थिक विविधता के कारण गरीबी और कल्याण को समझना एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही, इतनी बड़ी आबादी के लिए महिलाओं जैसे समाज के सूक्ष्म और जटिल वर्गों पर तुलनीय आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल है।

निष्कर्ष

नीति आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लक्षित नीति निर्माण के लिए, उप-संकेतकों से संबंधित अलग-अलग डेटा का उपयोग करके और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे-

- लैंगिकता, आयु, सुभेद्यता आदि के आधार पर **विशिष्ट डेटा एकत्रित करना।**
- **उच्चतर LMI[6] निर्धनता रेखा** को अपनाया जा सकता है। इसके लिए PPP के आधार पर प्रति दिन की आय 3.2 डॉलर निर्धारित की जा सकती है।
- **वहनीय उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षणों का उपयोग करना,** यानी वास्तविक समय में निर्धनता के आंकड़े एकत्रित करने हेतु आर्थिक मॉडलिंग या वायरलेस तकनीक पर आधारित लागत प्रभावी उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षण।

2.3.2. बढ़ती आर्थिक असमानताएं (Widening Economic Inequalities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने व्यवसाय और समाज को कैसे कार्य करना चाहिए, इस पर कड़े उपाय किए हैं। इन उपायों के माध्यम से चीन ने लोगों के बीच बढ़ते वेल्थ गैप (संपत्ति अंतराल) को कम करने के लिए एक “साझा समृद्धि (common prosperity)” कार्यक्रम शुरू किया है।

[5] Consumer Expenditure Survey

[6] निम्न-मध्यम आय/low middle income

आर्थिक असमानता (या संपत्ति अंतराल) के बारे में

- **आर्थिक असमानता का अर्थ** आबादी या समाज के समूहों में आय या अवसर के असमान वितरण से है। उदाहरण के लिए, यदि हम **आय असमानता की बात करें,** यानि पूरी आबादी में आय किस प्रकार से असमान रूप से वितरित है, तो **OECD {आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)}**[7] **देशों में सबसे अमीर 10%** और **सबसे निर्धन 10% देशों में 1980 के दशक के मध्य, आय असमानता 7.2 गुना थी जो 2013 में बढ़कर 9.6 गुना** हो गई।
- **वैश्विक असमानता में परिवर्तन:** 1820 के दशक के बाद पहली बार 1990 के दशक में विश्व में सभी व्यक्तियों के बीच असमानता घटी, क्योंकि विकासशील देशों ने विकसित देशों की तुलना में तेजी से विकास करना शुरू किया।
    - लेकिन **महामारी के कारण इस दिशा में हुई प्रगति के पुन: खो जाने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि महामारी के कारण** विकासशील देशों की संवृद्धि की गति मंद पड़ती जा रही है जिससे **अमीर और गरीब देशों के बीच खाई** एक बार फिर से बढ़ती जा रही है।
- **राष्ट्रों के भीतर असमानता:** विकासशील देशों के भीतर, असमानताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, भारत में, सर्वाधिक धनी 10% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। इसकी तुलना में, सबसे गरीब 67 मिलियन भारतीयों की संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि हुई है।

लगातार आर्थिक असमानता का प्रभाव

- **बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण:** आर्थिक असमानता बढ़ने से सामाजिक गतिशीलता स्थिर होने या कम होने के कारण समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। धर्म, क्षेत्र, लिंग या जाति के आधारों पर पहले से ही विखंडित भारत में आर्थिक असमानता एक अन्य विखंडन कारक का निर्माण करता है।
- **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य** और **शिक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा और कल्याण** खतरे में पड़ जाते हैं।
- **आर्थिक जोखिम: उच्च आर्थिक असमानताएं,** दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और अवसरों की समानता की स्थिति पाने की राह में कांटा है। इससे निम्नलिखित का जोखिम पैदा होता है-
    - बहुत बड़ी युवा आबादी द्वारा गरीबी झेलने की मजबूरी बढ़ने से जनता की बढ़ती गरीबी,
    - अपने गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करने के लिए राज्य की क्षमता कम होना, और
    - वैश्वीकरण से दूर जाने और राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग में वृद्धि होना।
- **राजनीतिक जोखिम:** लोगों के बीच आर्थिक असमानता के कारण, नीतिगत निर्णयों में अपना अभिमत व्यक्त करने तथा नीतियों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने से जनसंख्या के विशिष्ट वर्गों को वंचित रखा जाता है।
- **सुरक्षा जोखिम:** विश्व स्तर पर, आर्थिक असमानताओं के कारण राष्ट्रों के बीच शक्ति का अंतर बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में भारत-चीन के सीमा संबंधी मुद्दे।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** आर्थिक असमानताओं के कारण असमान और अन्यायपूर्ण विकास की स्थितियाँ बनती हैं जिससे आर्द्रभूमि को नुकसान पहुंचने, नदी प्रदूषण में वृद्धि होने जैसे जोखिम पैदा होते हैं।

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए की गई पहलें

आय असमानता कम करने के लिए	स्थिरता और विकास के लिए	सामाजिक सुरक्षा जाल में सुधार करने के लिए
कराधान में सुधार	डिजिटलीकरण का मार्ग प्रशस्त करना	पेंशन नेटवर्क को बढ़ाना
सब्सिडी और अंतरण	MSMEs का समर्थन करना	चिकित्सा सुरक्षा में सुधार
संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करना	क्षेत्रीय असमानता को कम करना	आवास सुरक्षा में सुधार
आय वितरण में सुधार	वित्तीय मार्गदर्शन में बढ़ोतरी	मूलभूत सेवाओं की समान सुलभता

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकारों ने कई पहलें की हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

[7] Organisation for Economic Co-operation and Development

आर्थिक असमानताओं को दूर करने में चुनौतियां

- **आय में अंतर व्यक्तिगत प्रयासों को दर्शाते हैं:** हाल ही के समय में कई स्टार्टअप कंपनियों का उदय होना, यह बताता है कि धन, ज्ञान का फल (incentive of knowledge) है। धन का पुनर्वितरण करने वाली राज्य की नीतियां व्यक्तिगत प्रोत्साहनों में बाधा बन सकती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में धन के सृजन में कमी आ सकती है।
- **आय के अंतर कई पीढ़ियों के परिणाम होते हैं-** चाहे वह बच्चों की संख्या हो, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया गया खर्च हो। ये सभी एक ही आय वर्ग के लोगों के भीतर भी भिन्न-भिन्न होते हैं।
- **ऐतिहासिक अंतर:** आमतौर पर, उच्च आय असमानता वाले क्षेत्रों या राष्ट्रों में **अंतर-पीढ़ी गतिशीलता कम होती है,** क्योंकि यह क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने में विफल रहते हैं।
- **मौद्रिक संसाधन बाधाएं:** आर्थिक असमानताओं के कारण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था (काला धन) की उपस्थिति, कर चोरी, कर जमा करने वाले लोगों की कम संख्या आदि जैसे मुद्दे उत्पन्न होते हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य की ओर से लागू की जाने वाली पुनर्वितरण नीतियों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक वित्त और संसाधन सीमित हो जाते हैं।
- **मानव पूंजी की बाधाएं:** उच्च असमानता के कारण मानव पूंजी संचय भी कम हो जाता है, इससे कम आय, कम उत्पादकता, कम कर और कम मानव पूंजी का दुष्चक्र शुरू हो जाता है।
- **धन के पुनर्वितरण की चुनौतियां:** इस प्रश्न का समाधान करना एक कठिन कार्य है कि पुनर्वितरण सबसे धनी तथा सबसे निर्धन स्तर के बीच व्याप्त असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए या इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का लाभ उठाने में **मध्यम वर्ग समर्थ हो सके जिससे कर जमा करने वाले लोगों की संख्या बढ़े।**

आगे की राह

असमानताओं से निपटने और लंबे समय तक बनी रहने वाली संधारणीयता के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने हेतु खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा किसी भी सुधार के लिए आवश्यक घटक है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे जोड़ा जाता है। इसलिए, दबाव का उपयोग करने के बजाय हमें परिणामों और अवसरों को बराबर करने के लिए पुरस्कृत करने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए।

- असमानता के बारे में जानकारी को सटीक रूप से एकत्रित करके असमानताओं और नीतियों के परिणामों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करना।
- लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और निष्पादन (आउटकम) और अवसरों दोनों की असमानता से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के अनुमोदन के माध्यम से व्यापक जनसमर्थन के आधार पर नीतियों का निर्माण करना या सुधारों का प्रारंभ करना।
- **ऐसे समतामूलक समाज को बढ़ावा देना** जहां कंपनियां अपने लाभों में कर्मचारियों को स्वेच्छा से सहभागी बनाने के लिए तत्पर रहें न कि केवल मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक से अधिक लाभांश पर अधिकार करें या मजबूरीवश ही लाभांश देने के लिए राजी हों।
- मौजूदा अक्षम तंत्रों के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे विकल्पों के माध्यम से **सब्सिडी का युक्तिकरण** और **लाभार्थियों का बेहतर लक्ष्यीकरण** ।
- **उद्यमिता को बढ़ावा देना** जिससे लोगों को अच्छी नौकरियां मिलें और खासकर महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि हो।
- लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और असमानता को कम करने करने के लिए, सभी स्तरों पर **शिक्षा के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ाने** के साथ–साथ सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

2.4. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

वित्तीय समावेशन – एक नज़र में

- वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख वयस्कों के लिए 14.7 बैंक शाखाएं थीं। यह जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से अधिक है।
- 45 करोड़ से अधिक प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खाते। इनमें से 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- PM जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वर्ष 2022 तक 12.77 करोड़ नामांकन। लाभकर्ताओं में से 4.33 करोड़ महिलाएं हैं।
- वैश्विक आबादी के शीर्ष 10% के पास कुल घरेलू सम्पत्ति का 76% हिस्सा है वर्ष 2021 में कुल आय का 52% हिस्सा था। (विश्व असमानता रिपोर्ट 2022)
- निचली 50% आबादी के पास संपत्ति का केवल 2% और आय का मात्र 8% है। (विश्व आसमानता रिपोर्ट, 2022)

मुख्य उद्देश्य

- **वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच:** वहनीय, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों के लिए (जहां बैंक की सेवाएं नहीं हैं वहां के लिए बैंकिंग)।
- वर्तमान में वंचितों के लिए युक्तियुक्त लागत पर **ऋण तक बेहतर पहुंच।**
- **वित्तीय संधारणीयता को बनाए रखना।** ऐसा वित्तीय साक्षरता, नवीन वित्तीय उत्पादों आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाकर किया जा सकता है।
- वित्तीय प्रबंधन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, रोज़गार अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण।
- डिजिटल समाधानों, संस्थानों के मध्य प्रभावी समन्वय और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

योजनाएं/पहल

- **वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन,** जिसे प्रधान मंत्री जनधन योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना** (PMSBY), **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** (PMJJBY) **और अटल पेंशन योजना** (APY) के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
- RBI **द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति** 2019–2024। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक वयस्क के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
- NPCI, UPI **और** RuPay **कार्ड के माध्यम से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना।**
- बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से गांवों में **बैंकिंग पहुंच प्रदान करना।**
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम** के माध्यम से रोजगार और स्टार्टअप्स की सहायता करना।

सीमाएं

- निम्न आय वाले परिवारों तथा लघु अनौपचारिक व्यवसायों में **वित्तीय साक्षरता का अभाव।**
- **पारंपरिक बैंकिंग की उच्च संचालन लागत** तथा डिजिटल मॉडल में धोखाधड़ी व अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति।
- उत्पादों व बाज़ार प्रवेश पर **अत्यधिक विनियमन** आवश्यकताएं। साथ ही, नई प्रौद्योगिकियों के प्रति पारंपरिक विनियमित दृष्टिकोण।

आगे की राह

- नियमित स्कूल पाठ्यक्रमों तथा जनसंचार अभियानों में **व्यापक वित्तीय साक्षरता का समावेश** करके नई योजना की शुरुआत करना।
- ऋण, वित्तीय कौशल और उद्यम विकास के माध्यम से वित्तीय सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- परिवारों और अनौपचारिक व्यवसायों के लिए ऋण योग्यता मूल्यांकन में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- बेहतर प्रोत्साहन से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। साथ ही, अनारक्षित क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए भुगतान बैंकों और अन्य मंचों का लाभ उठाना।

2.5. शहरी विस्तार और विकास (Urban Growth and Development)

भारत में शहरी योजना – एक नज़र में

शहरी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के केंद्रीय और सुसंगत विचार को विकसित करना है। एक दृष्टिकोण के रूप में यह किसी शहर के सभी आयामों पर विचार करती है, जैसे- आर्थिक विकास, जनसंख्या विविधता और परस्पर सामाजिक क्रिया।

- **शहर के स्तर पर** (सिटी मास्टर प्लान, स्थानीय क्षेत्र के स्तर का नियोजन तथा इमारतों के स्तर पर पहलें इत्यादि)।
- **क्षेत्रीय स्तर** (जिला/महानगरीय विकास योजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र योजनाएं आदि)।
- **राष्ट्रीय/राज्य स्तर** (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई दीर्घकालिक योजनाएं)।

शहरी योजना का वर्तमान ढांचा

- **सरकारों की भूमिका:** 7वीं अनुसूची के तहत शहरी नियोजन की शक्ति राज्यों के हाथ में है। इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार 'परामर्शदात्री' की भूमिका अदा करती है तथा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- **वैधानिक ढांचा:**
  - **राज्य स्तर पर:** स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम, नगर निगम अधिनियम आदि।
  - **क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर:** उदाहरण के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957।
  - भूमि, आवासन, अवसंरचना, पर्यावरण आदि से संबंधित अधिनियम: उदाहरण के लिए- पंजीकरण अधिनियम, 1908, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1968 आदि।
- **संस्थागत ढांचा:**
  - **संविधान द्वारा निर्मित संस्थान (74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992):** शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और मेट्रोपॉलिटन/ जिला योजना समितियां।
  - **अन्य संस्थान:** स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियां/निकाय, सुधार ट्रस्ट्स आदि।

भारत की शहरी-योजना क्षमता में समस्याएं

- **संस्थागत मुद्दे:** प्राधिकारियों की बहुलता; प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव, नगरपालिका निकायों के शासन में समस्याएं।
- **योजना प्रक्रिया में समस्याएं:** सहभागितापूर्ण निर्णय निर्माण का अभाव; शहरों और स्थानीय मास्टर प्लान्स की कमी; निजी क्षेत्रक की सीमित सहभागिता, शहरी योजना और शहरी भूमि आंकड़ों में ताल-मेल का अभाव।
- **शहरी भूमि के उपयोग को लेकर समस्याएं:** 'शहरी' क्षेत्रों की पहचान न होना; शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग न होना तथा विकास विनियमों के अवांछित प्रभाव।
- **आपदा लचीलापन से जुड़ी समस्याएं:** विकास क्षेत्रों से संबंधित निर्णय संकट के जोखिम को ध्यान में रख कर नहीं लिए जाते हैं। प्राकृतिक जल-निकासी प्रणालियों और जलाशयों के प्रति उदासीनता; इमारतों से जुड़े उप-नियम केवल कुछ संकट जोखिमों तक सीमित होते हैं आदि।
- **शहरी योजना में संलग्न मानव संसाधन में समस्याएं:** पर्याप्त और तकनीकी रूप से योग्य योजना निर्माताओं की कमी; विशेषज्ञ पेशेवरों का अभाव; प्रशासन और चयनित अधिकारियों के बीच शहरी योजना से संबंधित सीमित ज्ञान; उपस्तरीय क्षमता निर्माण परिवेश आदि।

भविष्य के शहरी स्थानों के विकास में शहरी योजना की भूमिका

- शहरी आबादी में **तीव्र वृद्धि के लिए जगह बनाना और अनियोजित वृद्धि के कारण उठने वाले मुद्दों** जैसे झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण, यातायात संबंधी भीड़भाड़ से निपटना आदि।
- शहरी केंद्रों के वितरण और शहरीकरण की गति के संदर्भ में अंतर्राज्यीय असमानताओं को दूर करना।
- **आपदा के प्रति लचीले शहरों** का निर्माण करना।
- **भारत की आर्थिक वृद्धि, अवसंरचना और रोजगार लक्ष्यों को प्राप्त करने** के लिए प्रभावी शहरी योजना ज़रूरी है।
- **शहरों में उत्सर्जन को नियंत्रित करके अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ना।
- **भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना:** SDG 11, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का नया शहरी एजेंडा और पेरिस जलवायु समझौता।

आगे की राह: भविष्य के शहरों का निर्माण

- **मौजूदा मास्टर प्लान की तैयारियों में हस्तक्षेप:** दीर्घकालिक प्लानिंग करना, शहरों का परस्पर संबंधित बेस मैप तैयार करना; शहर के सभी प्रासंगिक उप केंद्रों का मानचित्र तैयार करना तथा स्पष्ट दायित्वों के साथ विशेष प्रस्तावों का विकास और समावेशन करना।
- **मानव संसाधन प्रबंधन:** नियमित क्षमता निर्माण कार्यों में संलग्न होना, टाउन प्लानर्स के रिक्त पदों को जल्दी भरकर शहरी योजना निर्माताओं की कमी को समाप्त करना; टाउन प्लानर्स की नौकरी के विवरणों का मानकीकरण करना आदि।
- **कार्यकारी और विधायी सुधार:** विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाओं और दायित्वों का स्पष्ट आवंटन; टाउन प्लानर्स और अन्य विशेषज्ञों की नौकरियों का विवरण; योजना विनियमों को अपनाना तथा शहर के आर्थिक वृद्धि संचालकों के अनुसार उप-नियम बनाना आदि।
- शहरों में लचीलापन विकसित करने के लिए संकट जोखिम और सुभेद्यता का मूल्यांकन करना।
- **सहभागिता बढ़ाना:** 'सिटीजन आउटरीच कैंपेन' शुरू करना; निजी क्षेत्रक की भूमिका को बढ़ाना; शहरी योजना से संबंधित शिक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाना आदि।

2.5.1. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission: SCM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

36 में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मिशन के लिए अपने हिस्से का फंड जारी नहीं किया है। राज्य के हिस्से का अंतर या अंतराल बढ़कर 6,258 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में

- इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह **आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)**, और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) की सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है।
- भारत के **विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों और कस्बों** को SCM के तहत चयनित किया गया है।
- इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है, जो **प्रमुख अवसंरचना और स्वच्छ एवं संधारणीय वातावरण** तथा अपने नागरिकों को **"स्मार्ट समाधान" के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करते हैं।**
- **शहरी समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट समाधानों** का विकास और अनुप्रयोग **SCM की मुख्य विशेषता रही है** जो इसे विगत शहरी-सुधार पहलों से अलग करती है।
- **कार्यान्वयन:** एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के माध्यम से।
- **वित्त पोषण:** अनुमानित परियोजना लागत के आधे से भी कम को पूरा करने के लिए सरकारी फंड का प्रयोग किया जाना है। शेष फंड को वित्तीय मध्यस्थों, राज्य / स्थानीय सरकार के आंतरिक स्रोतों आदि सहित आंतरिक और बाहरी स्रोतों से जुटाया जाना है।

SCM के समर्थन के लिए सरकारी पहल

- **नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (NUDM):** NUDM के अंतर्गत डेटा की उपलब्धता और कौशल निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अवसंरचना और उपकरण सृजित किए जा रहे हैं।
- **नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (NULP):** क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए।
- **ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स (EoLI):** यह शहरी नीतियों, योजनाओं और उनके कार्यान्वयन में मौजूदा अंतरालों या कमियों को दर्शाता है और उन्हें दूर करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है।
- **म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स (MPI):** यह शहरी अभिशासन की गुणवत्ता को दर्शाता है (नगर पालिकाओं के प्रदर्शन)।
- **इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट (ISAC):** सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है।
- **द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (TULIP):** यह नव स्नातकों (fresh graduates) को प्रयोगात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करता है।
- **स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च (SAAR) कार्यक्रम:** इसे SCM के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसमें देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान SCM के तहत शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं और उनके परिणामों का दस्तावेज तैयार करते हैं।
- 80 स्मार्ट शहरों में **एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) की स्थापना की गयी है।** इसका उद्देश्य यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल आदि के क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

* **निगरानी:** इसके लिए तीन स्तरीय निगरानी की व्यवस्था की गयी है- राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष समिति (एसी); राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय संचालन समिति (HPSC); और शहर के स्तर पर स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (SCAF)।

SCM के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियां

* स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में **धीमी प्रगति** एक चिंता का विषय है। कुल मिलाकर, मिशन के छह वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अब तक 50% से भी कम परियोजनाओं को पूरा किया जा सका है।
* **SPVs में रिक्त पद** और **प्रशिक्षित व्यक्तियों की अपर्याप्त संख्या।**
* **पूंजी जुटाने में सभी स्तरों पर कठिनाई तथा** पूंजी का अकुशल उपयोग।
* **गोपनीय डेटा की चोरी का जोखिम या** SCM के सेंसर और नेटवर्क से जुड़े उपकरणों तथा प्रणालियों द्वारा तैयार व्यापक डेटा तक पहुंच से मनाही (Denial Of Access)।
* **कोविड-19 महामारी से संबंधित लॉकडाउन और अन्य अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण** देश भर में स्मार्ट सिटी के कार्यों के कार्यान्वयन में अस्थायी तौर पर रुकावट उत्पन्न हुई है।

आगे की राह

* भारतीय शहरों का विकास और गवर्नेंस की गुणवत्ता निम्न स्तरीय रही है। साथ ही, इनके समक्ष सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी रही हैं। इनसे निपटने के लिए **दीर्घकालिक परिवर्तन कार्यक्रम को अपनाना** चाहिए।
* SCM की वर्तमान विकास योजनाओं में **जरूरत के आधार पर अन्य परियोजनाओं को भी जोड़ा** जाना चाहिए, जैसे- शहरों में वर्षा जल का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जल निकासी व्यवस्था।
* **SPVs** के खराब प्रदर्शन के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए **अनुभव आधारित अध्ययन किया जाना चाहिए।** SPVs में कार्यरत कर्मचारियों तथा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं का निर्माण करना आवश्यक है।
* **एन्क्रिप्शन और साइबर सिक्योर स्मार्ट सिटी नेटवर्क** के माध्यम से **डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।**
* कुशल कराधान के माध्यम से **पूंजी एकत्र करना** और धन के वैकल्पिक स्रोत तैयार करना।

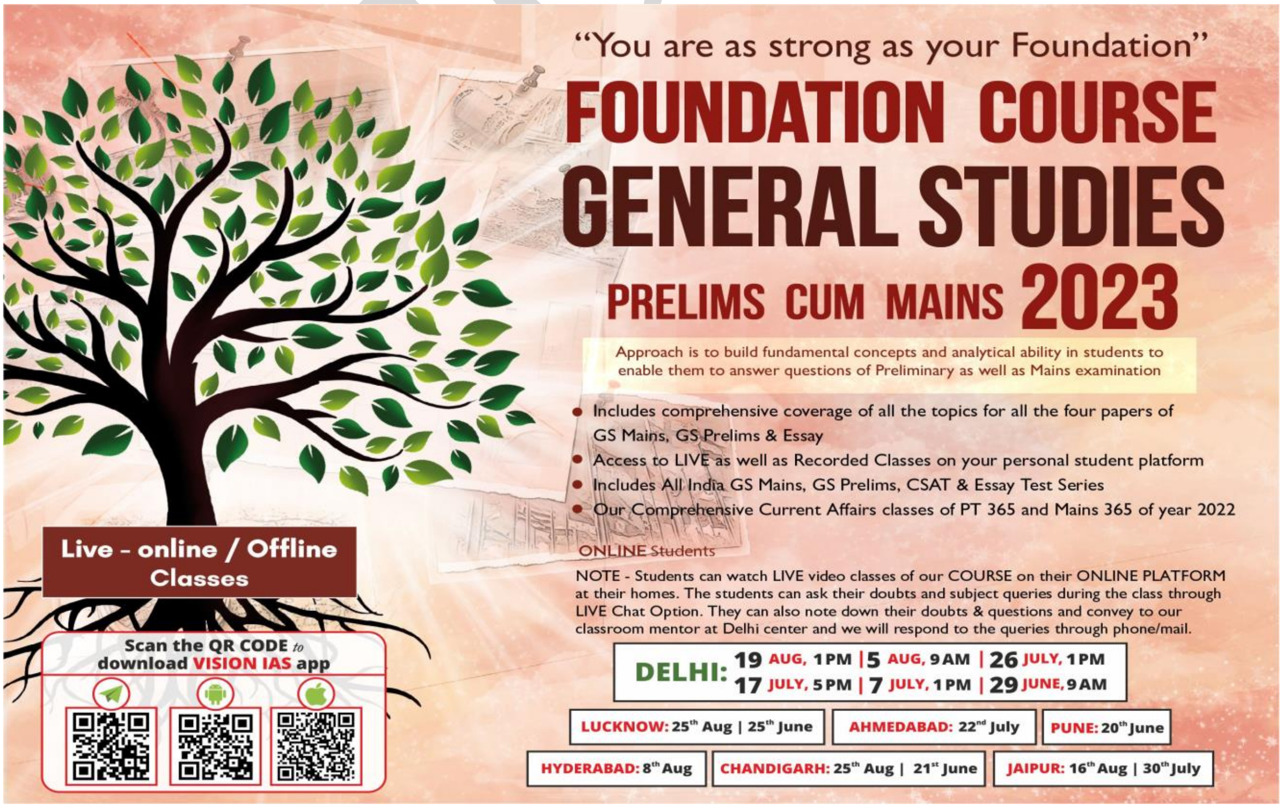

2.6. आवासन (Housing)

आवासन – एक नज़र में

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 3 और 1.2 करोड़ आवासों की आवश्यकता है।

PMAY (U) के तहत करीब 1 करोड़ घरों की नींव डाली गई है और 61 लाख घर बन चुके हैं।

PMAY (R) के तहत करीब 2 करोड़ घरों की नींव डाली गई है और 1.66 करोड़ बन चुके हैं।

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (GHTC)- इंडिया के तहत 6 लाइट हाउस परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

मुख्य उद्देश्य:

- वर्ष 2022 तक 11.2 मिलियन शहरी और 21.4 मिलियन ग्रामीण आवासों का निर्माण करके 'वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को हासिल करना।
- प्रत्येक परिवार के पास एक पक्का घर होना चाहिए। ये घर पानी के कनेक्शन, शौचालय और 24x7 बिजली की सुविधाओं से युक्त होंगे। इसके साथ ही, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना तक भी पहुंच होगी।
- झुग्गी वासियों और शहरी गरीबों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करना।
- शहरी प्रवासी/ गरीबों के लिए ईज ऑफ़ लिविंग।

नीति/ योजनाएं/ पहल

- ऋण सब्सिडी, झुग्गियों के पुनर्विकास, किफायती आवास आदि के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना।
- ईज ऑफ़ लिविंग के लिए किफायती किराया आवास परिसर (ARHCs)।
- किफायती आवास क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा तथा किफायती किराया निधि (AHF) और प्राथमिक क्षेत्रक ऋण (PSL) के तहत परियोजना के वित्तपोषण में रियायत।
- नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों को पहचानने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने हेतु ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज–इंडिया।
- निर्माण कर्मियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए DAY-NULM के तहत 'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल' (निपुण/NIPUN)।

बाधाएं:

- औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण तक पहुंच का अभाव।
- म्युनिसिपल न्यायिक क्षेत्र के तहत शहरी क्षेत्रों के बड़े हिस्सों में लंबी अवधि तक चलने वाली बहु–स्तरीय अनुमोदन प्रणाली।
- शहरी क्षेत्रों की किफायती आवास योजनाओं में निजी क्षेत्रक की सीमित भागीदारी।
- पारंपरिक निर्माण पद्धतियों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिसमें पहले से तैयार या निर्मित सामग्री का सीमित उपयोग होता है। इससे पूरी प्रक्रिया में देरी होती है।
- किफायती आवासन परियोजना के लिए लैंड बैंक्स तक सीमित पहुंच।
- निर्माण क्षेत्रक कौशल विकास परिषद वर्ष 2013 से संचालित है। इसके बावजूद प्रशिक्षित निर्माण राज मिस्त्रियों का अभाव है।
- बड़ी संख्या में आवासन परियोजनाओं को डिजाइन और तैयार करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता का अभाव है।

आगे की राह

- वित्तपोषणः किफायती आवासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत वित्त और वैकल्पिक वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार करना। निजी क्षेत्रक की सहभागिता को इनोवेटिव मॉडल्स (उदाहरण के लिए, स्विस चैलेंज) द्वारा प्रोत्साहित करना।
- नीति/ नियमः आवेदनों को बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ाना।
- मानव संसाधनः ULBs की क्षमता का निर्माण; कौशल विकास और रोजगार पारितंत्र को आवासन क्षेत्रक के साथ जोड़ना।
- प्रौद्योगिकी का प्रयोगः संधारणीय, पर्यावरण अनुकूल और आपदा रोधी घरों का निर्माण करने के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री को बढ़ावा देना। अन्य क्षेत्रकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना। (उदाहरण के लिए, स्टील और सीमेंट)

2.7. भारत में भूमि सुधार (Land Reforms in India)

भूमि सुधार – एक नज़र में

2010–11 में कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर था।

भूमि का <10% हिस्सा गैर-कृषि उपयोगों के लिए है।

कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.62% हिस्से पर वन है।

मुख्य उद्देश्य:

- **लैंड लीज़िंग** को सरल और **वैधानिक** बनाना।
- किसानों के **छोटे प्लॉट्स को एकत्रित करना,** ताकि दक्षता और समता को बढ़ाया जा सके।
- एक **डिजिटल और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली** का निर्माण करना, जो सभी राज्यों में सुलभ हो।
- **वन भूमि के प्रबंधन** में दक्षता बढ़ाना।
- **अपशिष्ट और बंजर भूमि** को उपयोगी बनाना।
- **संपत्ति अधिकारों,** खासकर वन भूमि पर समुदायों के अधिकारों को मजबूत बनाना।

योजनाएं:

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme)
- SVAMITVA (सर्वे ऑफ विलेजेज़ एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम)

बाधाएं

- **प्रतिबंधात्मक कृषि किरायेदारी कानूनों** (Agricultural Tenancy Laws) के कारण कई समस्याएं आती हैं, जैसे- पट्टे की शर्तें तथा अनौपचारिक किराएदारी की बहुलता।
- **भूमि का छोटा आकार** 'इकोनॉमी ऑफ स्केल' को हतोत्साहित करते हैं।
- **खराब उत्पादकता और वन भूमि का सिकुड़ता क्षेत्र।**
- **कनक्लूसिव टाइटलिंग और रिकॉर्ड्स का अभाव।**

आगे की राह

- राज्य **'मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, 2016'** पर विचार कर सकते हैं।
- भूमि संग्रहीकरण के माध्यम से भूमि के छोटे टुकड़ों को एकत्रित करना, ताकि **उत्पादकता को बढ़ाया** जा सके।
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) आदि को लागू करके **वन भूमि के प्रबंधन के संबंध में प्रभाविता को बढ़ाना।**
- **भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों का आधुनिकीकरण** और उन्हें अपडेट करना।
- **अपशिष्ट भूमि के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को आरंभ** करना।
- शहरी विकास के वित्तपोषण के लिए **भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग।**

3. राजकोषीय नीति एवं अन्य संबंधित सुर्ख़ियां (Fiscal Policy and Related News)

3.1. सरकारी वित्त की स्थिति (Status of Government Finances)

सरकारी वित्त – एक नज़र में

- वित्त वर्ष 2022 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 6.7%
- वित्त वर्ष 2022 के लिए सार्वजनिक ऋण–GDP अनुपात 85.2%
- मार्च 2021 के अंत में राज्यों का संयुक्त ऋण–GDP अनुपात 31%
- नियंत्रण से बाहर होने वाले कर्ज से बचने के लिए वित्त वर्ष 2025 तक 60% ऋण–जीडीपी अनुपात (केंद्र सरकार का 40% और राज्यों का संयुक्त ऋण–GDP अनुपात 20%)

मुख्य उद्देश्य

- स्थिर और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त राजकोषीय नीति का उपयोग करना।
- देश में पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुनिश्चित करना।
- समय के साथ देश के ऋणों का अधिक न्यायसंगत और प्रबंधन–योग्य वितरण करना।
- लंबे समय में भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता का लक्ष्य रखना और वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को GDP के 4.5% से नीचे लाना।

योजनाएं/पहल

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003, में 2019 में संशोधन किया गया।
- राज्यों द्वारा अपनाया गया राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (Fiscal Responsibility Legislation: FRL)।
- राजकोषीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) का गठन।
- महामारी संबंधी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए RBI द्वारा राज्यों और संघ के लिए वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) को 31 मार्च, 2022 तक बढाया गया।

सीमाएं

- वित्तीय संसाधनों के वितरण में लंबवत असंतुलन (केंद्र और राज्यों के बीच) और क्षैतिज असंतुलन (राज्यों के भीतर)।
- कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और भू–राजनीतिक तनावों ने उच्च मुद्रास्फीति और सब्सिडी के बोझ को बढ़ा दिया है।
- निम्न कर–जी.डी.पी. अनुपात FRBM के उद्देश्य को विफल करता है।
- विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार, लीकेज और निः शुल्क रसद वगैरह का मुद्दा।
- महामारी संबंधी अनिश्चितताओं के कारण राज्य के राजस्व में कमी।

आगे की राह

- निजी निवेशकों तथा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए समर्पित संस्थानों द्वारा वित्तपोषण।
- FRBM अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों का अनुपालन।
- परिणाम–आधारित बजटिंग, बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना।
- राज्य और नगरीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि के लिए वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण।
- कर संग्रह और व्यय में सुधार के लिए उपयुक्त मानव संसाधन प्रबंधन का अभ्यास करना।
- डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सार्वजनिक वित्त को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त की प्रशासनिक लागत को कम करना होना चाहिए।
- आर्थिक विकास के साथ राजस्व संग्रह को संतुलित करने के लिए कर प्रणाली में सुधार करना।

3.1.1. सकल घरेलू उत्पाद - सकल मूल्य वर्धित अंतराल (GDP-GVA GAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)[8] और 'सकल मूल्य वर्धित' (GVA)[9], भारतीय अर्थव्यवस्था के आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले दो विधिया हैं। इन दोनों के अलग-अलग दरों पर बढ़ने के कारण इनके बीच अंतराल बढ़ गया है।

'GDP और GVA' के मध्य अंतर

मानक	'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)	'सकल मूल्य वर्धित' (GVA)
परिभाषा	यह एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है।	यह किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इस कुल मूल्य में से निवेश और कच्चे माल की लागत को निकाल लिया जाता है।
मापन	इसे **उत्पादन, आय** और **व्यय दृष्टिकोणों** द्वारा मापा जाता है।	**इसे उत्पादन पहुंच (output reach)** द्वारा मापा जाता है और 'सकल घरेलू उत्पाद' के लिए **प्रॉक्सी** के रूप में उपयोग किया जाता है।
'GDP और GVA' के मध्य तकनीकी अंतर: **'सकल घरेलू उत्पाद' = 'सकल मूल्य वर्धित'+ उत्पादों पर शुद्ध कर - उत्पादों पर शुद्ध सब्सिडी।**		
उद्देश्य	**GDP**, किसी देश में समग्र आर्थिक विकास के आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उपाय है।	उत्पादन की तरफ से आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र-वार विवरण को मापने के लिए **GVA** का उपयोग किया जाता है।

भारत में 'GVA'

* **वर्ष 2015** से, **स्थिर मूल्य पर 'GVA'** (आधार वर्ष 2011-12) का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पादन के आकलन हेतु एक प्राथमिक मापन के रूप में किया जाता है। इसे 'GDP' को मापने के दृष्टिकोण/तरीकों की व्यापक समीक्षा के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यह **संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA), 2008 के अनुरूप है।**
    * इससे पहले, भारत समग्र आर्थिक उत्पादन को मापने के लिए **कारक लागत पर 'सकल मूल्य वर्धित' का** उपयोग करता था।
* **भारत** में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) 'GVA' के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करता है। **वस्तुओं और सेवाओं** को शामिल करते हुए इसे आठ व्यापक क्षेत्रों के तहत जारी किया जाता है (चित्र देखें)।

[8] Gross Domestic Product

[9] Gross Value Added

'GDP और GVA' के मध्य अंतराल और इसके उत्तरदायी कारण

'GVA' का उपयोग **'GDP'** के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है। फिर भी मूल रूप से दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। गौरतलब है कि 'सकल घरेलू उत्पाद' की गणना **बाजार मूल्य** पर की जाती है जबकि 'सकल मूल्य वर्धित' की गणना **स्थिर मूल्य** पर की जाती है। इससे **''GDP और GVA' के मध्य**' अंतर पैदा हो जाता है।

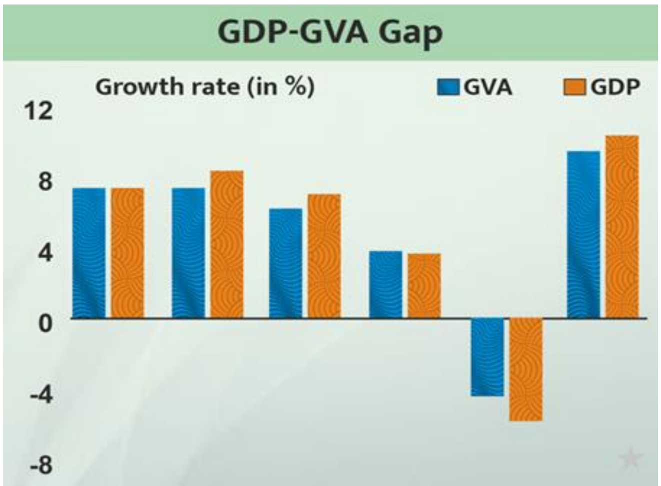

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018 से विभिन्न कारणों के चलते **'GDP और GVA' के मध्य** अंतर बढ़ता चला गया है-

- लॉकडाउन के चलते **सब्सिडी में हुई बढ़ोत्तरी** और **करों में की गई कटौती** के कारण **वित्त** वर्ष 2021 में **GDP संवृद्धि वस्तुतः 'GVA'** की वृद्धि तुलना में **180 आधार अंक कम रही है।**
- इसी तरह, **वित्त वर्ष 2022 में GDP संवृद्धि 'GVA'** की तुलना में **60 आधार अंक अधिक** रही है। इसका कारण **वित्त वर्ष 2021 के दौरान रिकॉर्ड कर संग्रह** और **सब्सिडी में कटौती** था।
- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023 में एक बार फिर से **'GDP- GVA'** के मध्य अंतर बने रहने तथा GDP संवृद्धि के GVA संवृद्धि से कम रहने का अनुमान है। इसके निम्नलिखित कारण होंगे -
    - वैश्विक कमोडिटी मूल्य में वृद्धि के कारण उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि और परिणामस्वरूप सब्सिडी में **समग्र रूप से वृद्धि**
    - मुद्रास्फीति को रोकने के लिए **ईंधन पर लगाए जाने वाले कर में कटौती**

विभिन्न परिस्थितियों में GDP और GVA की उपयोगिता

'सकल घरेलू उत्पाद' के आंकड़े **उपभोक्ता पक्ष या मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में** आर्थिक गतिविधियों का अनुमान प्रस्तुत करते हैं। इसे समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे- **'सकल घरेलू उत्पाद' = उपभोग (C) + निवेश (I) + वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च (G) + {निर्यात (X) - आयात(M)}**, अर्थात् **GDP = C + I + G + (X–M)**। इस प्रकार यह नीति निर्माताओं, निवेशकों और अन्य लोगों को निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है:

- **यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की** पहचान करने में मदद करता है। यानी यह जानने में मदद करता है कि वह **वृद्धिशील** है या **मंदी** का सामना कर रही है।
- **आय** और **निजी उपभोग के आंकड़ों** के माध्यम से लोगों **के जीवन स्तर** के विषय में उचित समझ प्राप्त करने में सहयोग करता है।।
- निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर **देशव्यापी विश्लेषण** करने में मदद करता है।।

हालांकि **'GDP'** को **प्रमुख आर्थिक संकेतक** नहीं माना जाता है क्योंकि यह केवल परिवर्तन के आकलन में मदद करता है। जबकि इसकी तुलना में **'GVA'** प्रमुख आर्थिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह **उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की तरफ से अर्थव्यवस्था की स्थिति** प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह नीति निर्माताओं, निवेशकों और अन्य लोगों को निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है:

- **यह आर्थिक गतिविधि (अर्थात् उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं) के संबंध में** वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **'GDP में बढ़ोतरी बेहतर कर अनुपालन** जैसे अन्य कारणों से भी हो सकती है।
- यह मूल्य वर्धन का **क्षेत्रक-वार** और **क्षेत्र-वार** आकलन प्रदान करता है। इससे नीति निर्माताओं को **प्रोत्साहन** या **प्रेरणा** की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

'GVA' की कमियां

- **कार्यप्रणाली की सटीकता:** 'GVA' की अनुपयुक्त या त्रुटिपूर्ण पद्धतियों से प्रभावित होने की संभावना अधिक बनी रहती है। इसके कारण यह संभव है कि यह अर्थव्यवस्था की एक विकृत तस्वीर दिखाए।
- **आंकड़ों की सटीकता:** 'GVA' की सटीकता **आंकड़ों के स्रोत और इनकी सटीकता** पर निर्भर करती है। बड़े अनौपचारिक क्षेत्रक के कारण, भारत में आकड़ों को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। इसके चलते वैकल्पिक प्रॉक्सी स्रोतों या पुराने सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के उपयोग के कारण स्थिति को वास्तविकता से अधिक आंकने की और गलत अनुमानों के प्रस्तुत होने की संभावना पैदा हो जाती है।

- वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्रक की **उत्पादकता** की पहचान करने में सहयोग करता है। इससे निवेशकों को आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर विशिष्ट निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

एक लंबी अवधि के विश्लेषण के आधार पर 'GDP' अधिक सटीक और समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी ओर 'GVA' तात्कालिक आर्थिक तस्वीर के संबंध में अधिक सटीक अनुमान प्रदान करता है। 'GVA' विभिन्न क्षेत्रकों के **आर्थिक प्रदर्शन का** उपयोगी मापक है। यह विशेष रूप से **क्षेत्रक विशेष के उत्पादन** और **रोजगार** बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों की दिशा में नीतिगत-विमर्श को अपनाने के लिए काफी उपयोगी हो जाता है।

औपचारीकरण और नई तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे हम रियल टाइम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को सही ढंग से समझने के लिए डेटा की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार कर सकते हैं। यह नीति निर्माताओं को क्षेत्र-विशिष्ट उपायों को अपनाने में सहायता करेगा। साथ ही, यह विदेशी निवेशकों को उनके निवेश निर्णयों में मदद करेगा।

3.1.2. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **"राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन"**[10] नामक शीर्षक से एक **रिपोर्ट** जारी की। इसका थीम या विषय **"महामारी से मुकाबला: एक त्रि-स्तरीय आयाम"** [11] है।

राज्य बजट के बारे में

- राज्य सरकार के खातों की संरचना काफी हद तक केंद्र सरकार के समान है। राज्यों के लिए भी, भारत का संविधान विहित करता है कि **विनियोग अधिनियम के प्राधिकार के बिना** किसी राज्य की संचित निधि से **कोई व्यय नहीं किया जा सकता है।**
- राज्य विधान-मंडल से यह प्राधिकार प्राप्त करने के लिए, **प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित या प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का विवरण** राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राज्य बजट की संरचना के लिए नीचे दिया गया इन्फोग्राफिक देखें:

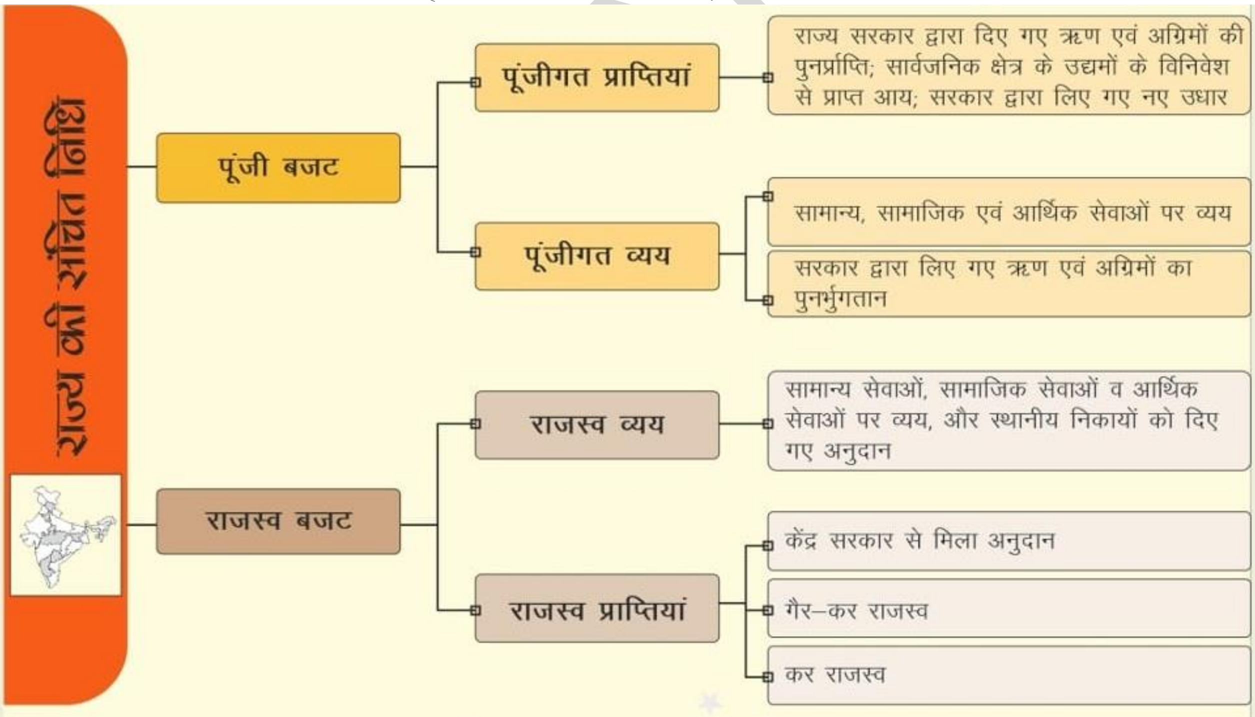

राज्य वित्त की समझ क्यों महत्वपूर्ण है?

- **पूँजीगत व्यय: भारत में लगभग दो-तिहाई सार्वजनिक पूँजीगत व्यय राज्यों द्वारा किया जाता है,** जो वैश्विक स्तर पर पूँजीगत व्यय का उच्चतम विकेंद्रीकरण है (**RBI की 2020** की एक रिपोर्ट के अनुसार)। केंद्र और राज्य सरकार के पूँजीगत व्यय की तुलना के लिए इन्फोग्राफिक देखें:

[10] State Finances: A Study of Budgets of 2021-22

[11] Coping with the Pandemic: A Third-Tier Dimension

- **रोजगार सृजन:** केंद्र की तुलना में **राज्यों में पाँच गुना अधिक लोग** नियोजित हैं।
  - इसके अलावा, जब राज्य बाजार से बहुत अधिक उधार लेते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था में प्रभारित ब्याज दरों, नए कारखानों में निवेश करने के लिए व्यवसायों के लिए धन की उपलब्धता, और नए श्रमिकों को रखने की **निजी क्षेत्र की क्षमता** पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** राज्यों की भारत की **GDP** निर्धारित करने में बड़ी भूमिका है, जिससे उनका खर्च करने का पैटर्न समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि, उदाहरण के लिए, उनका संयुक्त व्यय एक वर्ष से दूसरे वर्ष में संकुचित हो जाता है, तो इससे **भारत की GDP कम हो जाएगी।**
- **समष्टि आर्थिक स्थिरता:** अगर राज्यों को राजस्व जुटाने में मुश्किल होती है, तो ऋण का बढ़ता बोझ (ऋण-GDP अनुपात में दर्शाया गया) एक **दुष्चक्र** शुरू कर सकता है। इसमें राज्यों को अपने निवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करने वाली नई परिसंपत्तियों के सृजन पर अपना राजस्व खर्च करने के बजाय **ब्याज भुगतान के प्रति अधिक से अधिक भुगतान करना** पड़ सकता है।

राज्य वित्त के प्रमुख रुझान

- **राजकोषीय घाटे में वृद्धि:** राज्यों का **राजकोषीय घाटा** वर्ष 2019-20 में GDP के 2.9% से बढ़कर वर्ष **2020-21** में **GDP** का **4.1%** (2.25 लाख करोड़ रुपये) हो गया।
- **बढ़ता सार्वजनिक ऋण:** वर्ष 2021-22 के अंत में, राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण **GDP** का **25.1%** होने का अनुमान है, जो वर्ष 2011-12 में **GDP** के **17.2%** से एक बड़ी वृद्धि को रेखांकित करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **खुद का कर राजस्व, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है:** राज्यों का अपना कर राजस्व वर्ष 2021-22 में राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत **(कुल राजस्व प्राप्तियों का 45%)** होने का अनुमान है। यह उनके GSDP का लगभग 6.7% है।
- **कम संपत्ति कर संग्रह:** भारत में संपत्ति कर संग्रह का स्तर कुछ विकसित देशों की तुलना में **काफी कम (GDP का 0.2%)** है। 15वें वित्त आयोग ने कम संपत्ति कर राजस्व के लिए संपत्ति का **कम मूल्यांकन,** अपूर्ण संपत्ति कर **अभिलेखों** और **अक्षम** प्रशासन जैसे कारकों को रेखांकित किया था।
- **राज्य वित्त के लिए जोखिम को कम करने में डिस्कॉम्स बाधा बने हुए हैं:** अधिकांश राज्यों में, राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स/DISCOMs) **राज्य वित्त पर दबाव** का स्रोत बनी हुई हैं, क्योंकि वे लगातार घाटे में चल रही हैं और उनकी देनदारियाँ बढ़ती जा रही हैं।

राज्य वित्त के साथ समस्याएं

- **कर हस्तांतरण में गिरावट:** राज्यों को होने वाले कुल केंद्रीय हस्तांतरण का इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है: **(i)** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में **राज्यों का हिस्सा, (ii)** वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित **अनुदान,** और **(iii)** केंद्र द्वारा अन्य अनुदान जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए।
- **बढ़ते उपकरों और अधिभारों ने राज्यों को होने वाले कर हस्तांतरण को कम कर दिया है:** जहाँ उपकर और अधिभार राजस्व वर्ष 2011-20 के **दौरान सकल कर राजस्व (GTR)**[12] **का लगभग** 10-15% बना रहा, वहीं वर्ष **2020-21** में इनकी हिस्सेदारी बढ़कर **24%** तक पहुँचने का अनुमान है।
- **राज्यों को होने वाले केंद्रीय हस्तांतरण में खुले फंड (untied funds) की हिस्सेदारी में कमी:** 15वें वित्त आयोग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2021-26 के दौरान केंद्रीय हस्तांतरण में खुला फंड (कर हस्तांतरण + राजस्व घाटा अनुदान) केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 29.5% होने का अनुमान है। यह वर्ष 2015-20 के दौरान हुए हस्तांतरण (32.4%) से कम है।
- **बहुत आशावादी होकर राजस्व का अनुमान लगाना:** वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान, राज्यों ने अपने बजट अनुमानों की तुलना में 10% कम राजस्व जुटाया। इसी अवधि के दौरान, राज्यों ने अपने बजट से औसतन 9% तक कम व्यय किया।
- **कम पूंजीगत व्यय:** SBI के एक शोध के अनुसार, 13 में से नौ राज्यों ने 2020-21 में बजटीय राशियों की तुलना में कम पूँजीगत व्यय की सूचना दी। पूँजीगत व्यय में कमी का आर्थिक वृद्धि पर संभावित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

[12] Gross Tax Revenue

VISION IAS

- **अन्य मुद्दे:** कई राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कृषि ऋण माफी जैसे लोकलुभावन कार्यक्रम, से वित्तीय तनाव को बढ़ावा मिला है। साथ ही कृषि आय बढ़ाने में भी इनका कोई विशिष्ट योगदान नहीं रहा है ।
    - **विद्युत ऋण पुनर्गठन योजना अर्थात् उदय (UDAY)**[13] के कमजोर प्रदर्शन ने भी राज्य वित्त को प्रभावित किया है।
    - कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और शराब पर प्रारंभिक प्रतिबंध, आवागमन में तेज गिरावट, जिसका ईंधन स्टेशनों पर बुरा प्रभाव पड़ा और संपत्ति बाजार में मंदी ने भी राज्य सरकारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जबकि राज्य सरकारें, राजस्व के लिए शराब, ईंधन और अचल संपत्ति पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
    - राज्य **घटती राजस्व स्वायत्तता** और कर में कम उछाल की समस्या से जूझ रहे हैं (GDP में वृद्धि दर की तुलना में कर अनुपात में कम बढ़ोतरी हुई है)।

राज्यों की सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम

- **कुछ शर्तों के साथ वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त उधारी की अनुमति:** कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, मई 2020 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे की सीमा को GSDP[14] के 3% से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में GSDP का 5% करने की अनुमति दी।
    - इस 2 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि में से, चार क्षेत्रों में **सुधारों को पूरा करने** पर 1% की वृद्धि की अनुमति दी जानी है (प्रत्येक सुधार के लिए GSDP का 0.25%) - **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय करने की सुगमता, शहरी स्थानीय निकाय, और विद्युत वितरण।**
    - केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, राज्यों ने वर्ष 2020-21 में **अपने कुल GSDP के 0.42%** (89,944 करोड़ रुपये) तक सुधार से जुड़ी उधारी के लिए अनुमति प्राप्त की।

वर्ष **2021-22 के लिए पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता:** इस योजना के तहत, राज्यों को 2021-22 में **15,000 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाएगा, जिसे **50 वर्षों के बाद चुकाना** होगा। इसमें से **5,000 करोड़ रुपये का ऋण** राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों **का विनिवेश करने** या अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण करने वाले **राज्यों के लिए रखा गया है।**

आगे की राह

- **वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)[15] ढांचे का कायापलट:** 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में माना गया कि FRBM अधिनियम में, विशेष रूप से महामारी के बाद बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता है, और सिफारिश की गई कि **ऋण संधारणीयता प्राप्त** करने के लिए एक नए ढांचे की आवश्यकता है।
- **देनदारियों के बारे में बताना:** राज्यों को, विशेष रूप से, केंद्रीय कानून के साथ सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अपने वित्तीय उत्तरदायित्व कानून में संशोधन करना चाहिए। व्यापक सार्वजनिक ऋण और आकस्मिक देनदारियों, और उनके जोखिमों की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण के लिए मानकों का विकास किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय नीति को स्थिरताकारी उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिए:** राज्यों की राजकोषीय नीति फिर से तैयार की जानी चाहिए ताकि राजकोषीय खर्च चक्रीय (procyclical) के बजाय प्रति-चक्रीय (anti-cyclical) हो जाए और स्थिरताकारी उपकरण के रूप में कार्य करे।
- **विद्युत क्षेत्रक में सुधार:** विद्युत क्षेत्रक में सुधार करने से न केवल राज्यों को GSDP का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी की सुविधा मिलेगी, बल्कि डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण उनकी आकस्मिक देनदारियों में भी कमी आएगी।
- **स्वतंत्र राजकोषीय परिषद:** 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र के साथ-साथ राज्यों के अभिलेखों का आकलन करने की शक्तियों वाली स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए।
- **उत्पादक व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:** राज्यों को कम परिपक्वता अवधि वाली उच्च गुणक पूँजीगत परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर सामाजिक सुरक्षा संजाल जैसी सहायता प्रणालियों के निर्माण में खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी तरह, घाटे वाले राज्यों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज शुरू किया जाना चाहिए।
- **तृतीय स्तर की सरकारों को मजबूत बनाना:** RBI की रिपोर्ट में नागरिक निकायों की कार्यात्मक स्वायत्तता बढ़ाने, उनका शासन ढांचा मजबूत करने और उच्च संसाधन उपलब्धता के माध्यम से उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने जैसी सिफारिशें की गई हैं, जिसमें स्वयं का संसाधन सृजन और हस्तांतरण शामिल है।

---

[13] Ujjwal DISCOMs Assurance Yojana

[14] Gross State Domestic Product

[15] Fiscal Responsibility and Budget Management

3.2. अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation)

अप्रत्यक्ष कराधान – एक नज़र में

वित्त वर्ष 2022 में 12.90 लाख करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष कर संग्रह।

इसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) का सर्वाधिक योगदान रहा (5.9 लाख करोड़ रुपये)।

सीमा शुल्क में 48 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई। जबकि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क संग्रह में मामूली गिरावट आई है।

अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक GST संग्रह हुआ।

मुख्य उद्देश्य

- बजट 2021-22 में वित्त वर्ष 2022 के लिए कर राजस्व संग्रह का लक्ष्य 22.17 ट्रिलियन रुपये रखा गया है।
- केंद्रीय GST और क्षतिपूर्ति उपकर सहित **GST** राजस्व **6.30 लाख करोड़ रुपये** आंका गया है।
- वित्त वर्ष 2022 के लिए **GST क्षतिपूर्ति की आवश्यकता 2.7 ट्रिलियन रुपये** आंकी गई है। इसमें से 1.1 ट्रिलियन रुपये उपकर संग्रह के माध्यम से मिलने की उम्मीद है।

नीति/योजनाएं/पहल

- देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान कर के लिए **GST (101वां संशोधन अधिनियम, 2016)।**
- **GST** के संबंध में निर्णय लेने, आर्थिक और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए **GST** परिषद की स्थापना।
- **GST** क्षतिपूर्ति कोष से राज्यों को **GST** मुआवजा देने के लिए **GST (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017**
- बेहतर अनुपालनः प्रभावी जुड़ाव के लिए **CBDT** के साथ वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) के डेटा को साझा करना।

सीमाएं

- यूक्रेन संकट के चलते बढ़ते जोखिमों के साथ निरंतर आर्थिक मंदी।
- **GST** दरों, **GST** क्षतिपूर्ति उपकर भुगतान और जल्द ही **GST** क्षतिपूर्ति व्यवस्था को समाप्त करने पर केंद्र-राज्य संघर्ष।
- **GST** परिषद में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व एवं कुछ अन्य मुद्दे जैसे कि **GST** परिषद के फैसले केवल गैर-बाध्यकारी (सुप्रीम कोर्ट का निर्णय)।
- कुछ वस्तुएं अभी भी **GST** के दायरे से बाहर हैं, जैसे- पेट्रोलियम उत्पाद।
- अन्य मुद्देः कई टैक्स स्लैब, कुछ फाइलिंग संरचना बाधा डालते हैं, अस्पष्ट और परस्पर विरोधी **AAR** निर्णय, संक्रमणकालीन मुद्दे।
- कर चोरी और कर धोखाधड़ी।
- अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते है, क्योंकि वे हर व्यक्ति के लिए वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं, चाहे उनकी क्रय शक्ति कुछ भी हो।

आगे की राह

- कर ढांचे का और सरलीकरण करना, जैसे- अपेक्षाकृत कम टैक्स स्लैब।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए **डिजिटल संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करना**। इससे अधिक संख्या में डेटा के प्रोसेसिंग के लिए पोर्टल की क्षमता भी बढ़ सकती है।
- कर की चोरी और अनैतिक कार्य को करने वालों को पकड़ने के लिए **मजबूत अनुपालन व्यवस्था और प्रौद्योगिकी संचालित इंटेलिजेंट सिस्टम का प्रयोग।**
- **सर्वसम्मति आधारित निर्णय और GST** परिषद में सुधार कर सहकारी संघवाद की ओर ध्यान केंद्रित करना।

3.3. प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation)

प्रत्यक्ष कराधान – एक नज़र में

वित्त वर्ष 2022 में कर-GDP अनुपात 11.7% (प्रत्यक्ष करों के लिए 6.1% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.6%)

वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 14.09 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह। पिछले वर्ष की तुलना में 49% की वृद्धि।

कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर का प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक योगदान।

मार्च 2022 तक 7.14 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न।

मुख्य उद्देश्य

- बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 के लिए कर **राजस्व के संग्रह का लक्ष्य 19.34 ट्रिलियन रुपये रखा गया है।**
- केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 के लिए **कॉर्पोरेट टैक्स 7.20 लाख करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर 27 लाख करोड़ रुपये** होने का अनुमान लगाया है।

नीति/योजनाएं/पहल

- पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल कर व्यवस्था प्रदान करने के लिए **करदाता घोषणा-पत्र।**
- ईमानदार करदाताओं के सम्मान के लिए **फेसलेस असेसमेंट स्कीम और फेसलेस अपील्स स्कीम।**
- कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कवर करने के लिए इनकम टैक्स अधिनियम में संशोधन।
- **डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट** (DTAA), **टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट** (TIEA) **आदि**, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर अग्रिम निर्णय और कर संधियों के लिए प्राधिकरण।

सीमाएं

- सरकार का सकल कर संग्रह **(27.07 लाख करोड़) रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, कर-जी.डी.पी. अनुपात OECD देशों (2020 में 33.5%)** की तुलना में बहुत कम है।
- **कर चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे।**
- **उच्च छूट सीमा** और कटौती।
- लाभांश पर दोहरा कराधान।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न-कर क्षेत्राधिकार वाले देशों/ टैक्स हेवन में अपने कार्यालय स्थापित कर रही हैं।
- कर दरों पर **वैश्विक सहमति का अभाव।**
- **डिजिटल कराधान** से जुड़े मुद्दे।

आगे की राह

- GST की तर्ज **पर प्रत्यक्ष कर संहिता।**
- करदाताओं की संख्या में वृद्धि करके आधार का विस्तार करना।
- **कृषि आय पर कराधान करना।**
- प्रोत्साहन प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना।
- **कुशल सूचना केंद्र, डिजिटलीकरण आदि,** को विकसित करके गैर-अनुपालन पर अंकुश लगाना।
- कर संग्रह पर सप्लाई चेन व्यवधानों और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए **लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।**

3.3.1. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान (Taxation on Virtual Digital Assets: VDAS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लेन-देन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने **वित्त वर्ष 2022-23 के बजट** में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान को लेकर एक विशेष कर व्यवस्था प्रदान की है।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर प्रस्तावित कराधान का ढांचा

वर्चुअल परिसंपत्तियों की परिभाषा	**आयकर अधिनियम** की **धारा 2** के **खंड 47A** के तहत **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों** का अर्थ (या परिभाषा) बताया गया है। इसकी परिभाषा निम्नलिखित है: • **क्रिप्टोग्राफिक** या **अन्य माध्यमों** से उत्पन्न **इनफॉर्मेशन या कोड या संख्या या टोकन** (जो भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा नहीं है) **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति** कहलाती है। इसका नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसी परिसंपत्ति का कोई **अंतर्निहित मूल्य** (Inherent Value) है, जो उसे परिसंपत्ति का रूप देती है, **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति** कहलाएगी। ऐसी परिसंपत्ति को लाभ (रिटर्न या प्रतिफल) के साथ या लाभ के बिना एक्सचेंज किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों का कोई-न-कोई **मूल्य** होता है या वह **यूनिट ऑफ़ अकाउंट** के रूप में कार्य करती है। किसी भी वित्तीय लेन-देन या निवेश में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका **इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण, भंडारण या व्यापार** किया जा सकता है। • **नॉन-फंजिबल टोकन** (NFT)[16] या ऐसी ही प्रकृति का कोई अन्य टोकन, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, इसमें शामिल होगी। • केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति की परिभाषा में किसी अन्य डिजिटल परिसंपत्ति को **शामिल कर सकती है या उसे हटा सकती है।**
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर कर	आयकर अधिनियम की **धारा 115BBH** के तहत, किसी भी **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति** के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली **किसी भी आय पर 30% की दर से कर** लगाया जाएगा। यह **1 अप्रैल, 2022** से प्रभावी होगा। • ऐसी आय की गणना करते समय **अधिग्रहण या खरीद की लागत**[17] **को छोड़कर** किसी भी व्यय के संबंध में **किसी भी कटौती** की अनुमति नहीं है। • **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति** के हस्तांतरण से होने वाली **हानि** को किसी अन्य आय के विरुद्ध एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। • **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति** के हस्तांतरण से होने वाला **लाभ** गैर-कटौती योग्य है। • **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार** पर **प्राप्तकर्ता पर कर** लगाने का भी प्रस्ताव है।
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के अंतरण पर भुगतान	• **धारा 194S** के तहत, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में मौद्रिक सीमा से ऊपर किये गए भुगतान पर **1% TDS (स्रोत पर कर कटौती) काटा जाएगा।** यह 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा।

प्रस्तावित कराधान ढांचे के लाभ

- **गतिशील परिभाषा:** परिभाषा की गतिशील प्रकृति सरकार को किसी भी समय जरूरत पड़ने पर किसी भी नई वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को शामिल करने या बाहर करने की अनुमति देती है।
- **सख्त कराधान:** अत्यधिक उतार चढ़ाव वाली कर दर और आय के किसी अन्य स्रोत के विरुद्ध हानि को प्रतिसंतुलित करने पर लगाए गए रोक से, लोग उच्च अस्थिरता और आय की अव्यवहार्य प्रकृति के कारण इसमें निवेश करने से पहले सोचेंगे।
- **डिजिटल परिसंपत्तियों पर नियंत्रण:** इससे वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को एक अलग परिसंपत्ति वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसे- वर्चुअल परिसंपत्तियों को उपहार में देना।
- **संसाधन जुटाना:** करों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने, राजकोषीय घाटा कम करने और राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कराधान ढांचे पर चिंता

- **परिभाषा को लेकर चिंताएँ, जैसे-**
    - **व्यापक परिभाषा** में वाउचर, शॉपिंग साइट्स या क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा जारी किये गए रिवार्ड पॉइंट, एयरलाइन माइल्स आदि को शामिल किये जाने के संभावित जोखिम हैं।

[16] Non-Fungible Token

[17] Cost of Acquisition

    - वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की अंतर्निहित परिसंपत्तियों, जैसे- NFT पर कराधान के बारे में **कोई स्पष्टता नहीं है।**
- **कराधान प्रावधानों में समस्या:**
    - **खरीद की लागत और बिक्री प्रतिफल** को परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे यह भ्रम होता है कि भुगतान की गई ब्रोकरेज, लागत का हिस्सा होगी या बिक्री प्रतिफल से काटी जाएगी।
    - निर्माताओं की आय, NFT का निर्माण करने वाले व्यक्तियों, क्रिप्टो विनिमय शुल्क आदि को भी कराधान के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
    - पियर-टू-पियर (P2P) या वॉलेट-टू-वॉलेट वाले लेन-देन इस कर से बच सकते हैं।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए **डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली आय की कर देयता** अभी भी व्याख्या के लिए खुली है, क्योंकि प्रस्तावित ढांचा 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।
- **बोझिल TDS प्रक्रिया:** यदि लेन-देन में निवासी से खरीद करने वाला अनिवासी खरीदार शामिल है, तो TDS काटने के लिए भारत में TAN नंबर (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या) की आवश्यकता होगी।
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के संदर्भ में **वस्तु एवं सेवा कर पर कोई स्पष्टता नहीं है।**
- **धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण** की चिंताएँ बनी हुई हैं। उपहार में दी गई क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर प्रावधानों का परिसंपत्तियों की बेनामी (anonymity) के कारण और नियामकों के लिए डेटा अंतराल के कारण दुरुपयोग होने की संभावना है।
- सीमित या अपर्याप्त प्रकटीकरण/निरीक्षण और करदेयता का इनमें लेन-देन को कानूनी लेन-देन दिखाने के लिए उपयोग करने की संभावना के कारण **धोखाधड़ी और भ्रामक सलाह पर उत्पादों की बिक्री की संभावना बनी हुई है।**
- यह कराधान क्रिप्टो परिसंपत्तियों से **अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय अस्थिरता** के संदर्भ में RBI और IMF की **चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।**

आगे की राह

- **क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कानूनी स्थिति को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है**, अर्थात् प्रतिबंध पर स्पष्टता प्रदान करने या वित्तीय स्थिरता जोखिमों को **पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाना चाहिए।**
- डेटा अंतराल दूर करने और धनशोधन जैसी गतिविधियों के लिए इसके दुरुपयोग से बचने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के बीच **मजबूत चौकसी और बेहतर समन्वय की जरूरत है।**
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन करने में RBI की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु **CBDC का प्रचलन शुरू किया जाना चाहिए।**
- भ्रामक बिक्री जैसी धोखाधड़ी को कम करने के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की अस्थिरता के बारे में **लोगों के बीच जागरूकता पैदा की** जानी चाहिए। इसके अलावा यह भी ध्यान देना होगा कि मात्र कर लगाना लेन-देन को कानूनी रूप में स्वीकार करना नहीं है।
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की परिभाषा; GST विनियमों सहित कराधान प्रावधानों, TDS प्रक्रिया, आदि से संबंधित मुद्दों पर **कराधान ढांचे में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।**

VISION IAS

3.4. गैर-कर स्रोतों से वित्त जुटाना (Financial Mobilization from Non-tax Sources)

वित्त संग्रह या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन- एक नज़र में

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक लाभांश की प्राप्ति के कारण गैर-कर राजस्व में भी मध्यम उछाल।

वित्त वर्ष 2022 के लिए 88,000 करोड़ रुपये के परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य के मुकाबले 96,000 करोड़ रुपये के सौदे पूरे किए गए।

LIC आई.पी.ओ. से करीब 21,000 करोड़ जुटाए गए। RBI द्वारा दशक का सबसे कम अधिशेष हस्तांतरण (30,307 करोड़ रुपये) किया गया, जो समस्या पैदा कर सकता है।

मुख्य उद्देश्य

- सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों के संदर्भ में निवेश मूल्यों को साकार कर के **गैर-कर राजस्व सृजन में वृद्धि करना।**
- केंद्र सरकार की कोर परिसंपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए **चार वर्षीय** (वित्त वर्ष 2022-2025) राष्ट्रीय **मुद्रीकरण पाइप लाइन (NMP)** योजना।
- **वित्तवर्ष 2023** के लिए विनिवेश लक्ष्य **65** हज़ार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- व्यय पक्ष के बढ़ते दबाव (कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के कारण भोजन, उर्वरक आदि पर खर्च) को देखते हुए गुणवत्ता पूर्ण राज स्व सृजन की आवश्यकता।

नीति/योजनाएं/पहल

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन।
- रणनीतिक विनिवेश नीति, 2021 और गैर-रणनीतिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर दिशा-निर्देश।
- **RBI** द्वारा अधिशेष हस्तांतरण।
- अधिशेष भूमि के मुद्री करण के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन (Special Purpose-Vehicle : SPV) के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) की स्थापना।

सीमाएं

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए **करों में रियायत।**
- **उच्च राजकोषीय घाटा** (2021-22 के लिए लगभग 6.7%)।
- बाजार से अत्यधिक उधार लेना और उच्च **ऋण-जी.डी.पी. अनुपात।**
- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अक्षमता** और उप-राष्ट्रीय बैंकरप्सी का जोखिम पैदा करने वाली राज्य की लोक लुभावन नीतियां।
- वित्तीय संसाधनों को जुटाने के अतिरिक्त गुणवत्ता पूर्णविकल्पों का **निर्धारण करने संबंधी चुनौतियां।**
- महामारी और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण परिसंपत्ति मुद्रीकरण में निजी क्षेत्रक की **सीमित दिलचस्पी।**

आगे की राह

- **घरेलू स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता को मजबूत करना,** जैसे-कर प्रणालियों की प्रभावशीलता में सुधार करके और अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करके।
- कर संग्रह में सुधार करके और कर चोरी एवं अवैध वित्तीय प्रवाह का समाधान कर के राजस्व आधार **का विस्तार करना।**
- राज्यों को अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने जाने के साथजी.**एस.टी. दरों और जी.एस.टी. स्लैब को युक्ति संगत बनाना।**
- पूर्वानुमान आधारित एवं एक स्थिर कर नीति के माध्यम से **निवेश को बढ़ावा देना।**
- **प्राप्त करने योग्य विनिवेश** लक्ष्यों का समर्थ न करना।
- कार्यात्मक और परिणाम आधारित बजट के माध्यम से **वित्तीय संसाधनों का बेहतरउपयोग करना;** व्यय संबंधी दक्षता तथा प्रभाविता के लिए व्यय संबंधी सुधार करना और व्यय संबंधी लक्ष्य निर्धारित करना।

3.4.1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने एक **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम** (NLMC)[18] **की स्थापना की है।** इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमि और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों[19] के मुद्रीकरण में तेजी लाना है।

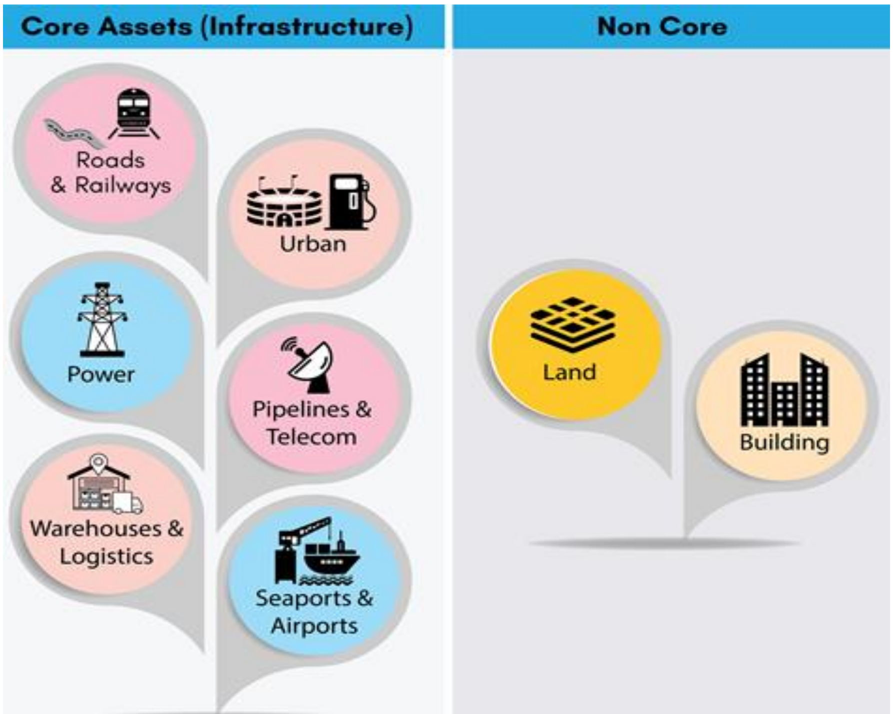

अन्य संबंधित तथ्य

- NLMC को **भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली कंपनी** के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी प्रारंभिक अथॉरिटी शेयर पूँजी[20] 5,000 करोड़ रुपये और अभिदत्त शेयर पूँजी[21] **150 करोड़ रुपये** है।
- **प्रमुख परिसंपत्तियों (Core Assets)** का मुद्रीकरण **नीति आयोग** द्वारा किया जा रहा है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में

इसे **परिसंपत्ति या पूँजी पुनर्चक्रण** के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कम या बिना उपयोग वाले या बेकार पड़े सार्वजनिक संपत्तियों को किराये या पट्टा पर देकर राजस्व के नये स्रोतों का सृजन किया जाता है।

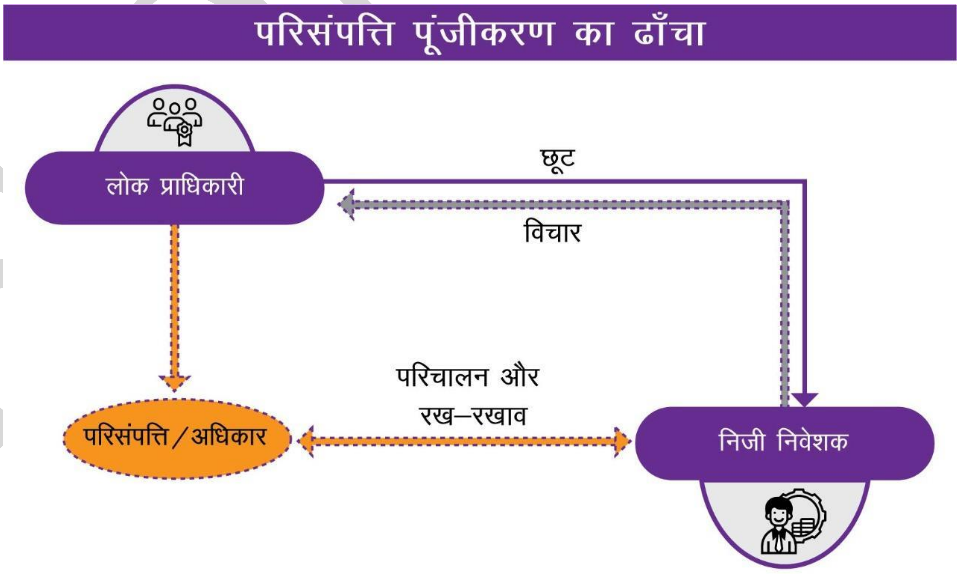

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)[22] के तहत, वित्त वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बुनियादी ढांचे में **111 लाख करोड़** रुपये का अनुमानित निवेश किया जाना है। इसके **15-17% हिस्से को परिसंपत्ति मुद्रीकरण** के माध्यम से पूरा किये जाने का अनुमान है।

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान **प्रमुख परिसंपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये के सकल मुद्रीकरण का अनुमान** है।

---

[18] National Land Monetisation Corporation

[19] Non-Core Assets

[20] Authorized Share Capital

[21] Subscribed Share Capital

[22] National Infrastructure Pipeline

- इसका लगभग **83% हिस्सा शीर्ष पांच क्षेत्रकों** (सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन और दूरसंचार) से आएगा।

- परिसंपत्ति मुद्रीकरण 'निजीकरण' और 'घाटे में संपत्ति की बिक्री' से अलग है। इसके तहत **निजी क्षेत्रक** के साथ एक **संरचित साझेदारी (Structured Partnership)** की जाती है, और इसे कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लाभ

भारत में अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रक या सरकारी वित्त पोषण द्वारा हो रहा है। निजी क्षेत्रक और ऋण देने वाली संस्थाओं की मुख्य रुचि ग्रीनफील्ड (नई) अवसंरचना के विकास में है। लेकिन, परियोजना मंजूरी में देरी, वित्त पोषण संबंधी अन्य मुद्दों, आदि के कारण इनमें अपेक्षित निवेश नहीं हो पा रहा है।

दूसरी ओर, परिसंपत्ति मुद्रीकरण मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों से संबंधित है और यह निम्नलिखित में सहायता करता है-

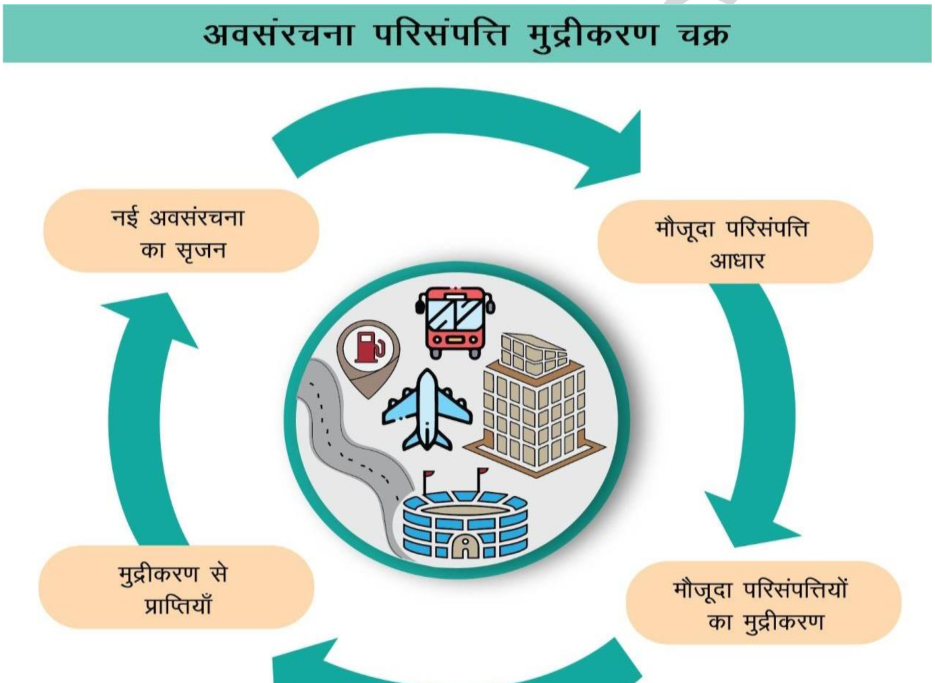

- उन्नत अवसंरचना निवेश के लिए दीर्घावधि पूंजी प्रदान करने वाले विविध विकल्पों के माध्यम से संसाधन जुटाना।
    - यह कोविड-19 के बाद विकास की गति को बहाल करने में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभा सकता है।
- संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से कंपनियों के साथ-साथ उनमें महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के लिए **अधिक वित्तीय लाभ और मूल्य वर्धन सुनिश्चित** करने में।
- इससे वर्तमान में, इष्टतम उपयोग नहीं की गई अवसंरचना का **कुशल संचालन और प्रबंधन** किया जा सकेगा। यह निजी क्षेत्रक की बेहतर परिचालन दक्षता के कारण संभव हो पाएगा।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण में चुनौतियां

वित्तीय चुनौतियां	• **निवेशकों को आकर्षित करने और बोली लगाने में उनकी रुचि बनाए रखने के लिए सतत और सुदृढ़ परिसंपत्ति पाइपलाइन** की उपलब्धता नहीं है। • विभिन्न अवसंरचना परिसंपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व विकल्पों और राजस्व हस्तांतरण तंत्र का अभाव है। • सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं को निजी निवेशकों को लीज़ पर देने के कारण उपभोक्ताओं के लिए उन सेवाओं की कीमतें ऊँची हो सकती हैं।
नियामकीय चुनौतियां	• **क्षेत्र-आधारित स्वतंत्र नियामकों की कमी** है, जो समर्पित कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर सकें और साथ ही साथ इस क्षेत्रक के विकास में सहायता कर सकें। • कानूनी अनिश्चितता और बड़े बॉण्ड बाजार की अनुपस्थिति जैसी **संरचनात्मक समस्याएँ** हैं, जो अवसंरचना में निजी निवेश को बाधित करती हैं। • अक्षम विवाद समाधान तंत्र।
अन्य चुनौतियां	• बड़ी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बावजूद राज्यों की भागीदारी का अभाव; • कोविड-19, जलवायु संबंधी आपदाओं और औद्योगिक क्रांति 4.0 के तहत आर्थिक परिवर्तन के कारण अनिश्चितताएँ, • राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चिंताएँ।

आगे की राह

क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के साथ **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP),** निजी क्षेत्र से धन जुटाने की योजना बनाने में सहायता करने की दिशा में पहला कदम है। इसमें संभावित वित्तपोषण के अवसर हैं। अन्य कदम जो चुनौतियों से निपटने और परिसंपत्ति मुद्रीकरण का लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं:

- परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना का **उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:**
    - भूमि और अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का कुशलतापूर्वक मुद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए वांछित कौशल के साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच **क्षमता और विशेषज्ञता का निर्माण किया जाए।**
    - अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि सुनिश्चित करने के लिए **निगरानी समिति** के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, परिसंपत्तियों का **व्यवस्थित और पारदर्शी आवंटन किया जाए।**
- उच्च संवृद्धि और रोजगार के लिए उच्च पूंजी निवेश सुनिश्चित करने हेतु संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इसके लिए परिसंपत्तियों का लाभ उठाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए।
- गुणवत्ता मानदंड स्थापित करने के लिए **उचित ब्राउनफील्ड मॉडल और ढांचा विकसित करना:**
    - अप्रत्याशित घटनाक्रमों से निपटने के लिए **अनुबंधों में लचीलापन लाना।**
    - अनावश्यक और लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए **मजबूत विवाद समाधान तंत्र (PPP पर** केलकर समिति द्वारा भी अनुशंसित) स्थापित करना।
- गैर-प्रमुख क्षेत्रक के लिए InvITs और REITs (SEBI के अधीन) जैसे नवाचारी तरीकों के साथ और साथ ही वैश्विक पेंशन फंड, संप्रभु वेल्थ फंड और खुदरा निवेशकों जैसे विभिन्न निवेशक वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **मजबूत नियामकीय ढांचा।**
    - उदाहरण के लिए- पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (PGInvIT) की सफलता।

4. मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

4.1. मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

मौद्रिक नीति- एक नज़र में

- कोविड पूर्व अवधि में मुद्रास्फीति एक निश्चित सीमा के दायरे में रही।
- कमोडिटी की ऊंची कीमतों, अस्थिर वित्तीय स्थितियों, बाह्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावों और भू-राजनी. तिकजोखिमों के बावजूद. मजबूत रिकवरी हो रहीहै।
- बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने में डबल डिजिट की वृद्धि हुई है।
- समष्टि आर्थिक चरों की अपेक्षित स्थिति को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति औ रराजकोषीय नीति ने मिल कर काम किया।

मुख्य उद्देश्य

- प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य **स्थिरता को बनाए रखना।**
- अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार लचीली मुद्रास्फीति के लक्ष्य {वर्तमान में4:(+/−2:)} **को लागू करना।**
- संवृद्धि के लिए **वित्तीय स्थिरता और ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।**
- रुपये के मूल्य के संबंध में सुरक्षात्मक उपाय करना और **विनिमय दरस्थिरता** को सुनिश्चित करना।

नीति/योजनाएं/पहल

- पारंपरिक साधन, जैसे-CRR, SLR, खुला बाजार परिचालन आदि।
- CPI कोमुद्रास्फीति के मापक के रूप में चुनना।
- मौद्रिकनीति के अभिनवसाधनों, जैसे-GSAP, LTROs आदि को नियमित रूप से अपनाना।
- सरकारी प्रतिभूतियांजल्द ही ग्लोबलबॉण्डइंडे. क्समें शामिल हो जाएंगी। यह RBI के टूल किट का विस्तार करेगा।

सीमाएं

- भारत जैसी **विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं** की तुलना में आपूर्ति संबंधी व्यवधान से अधिक प्रभावित होती हैं।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर अधिक झुकाव से **संवृद्धि प्रभावित होती है।** इस प्रकार यह मौद्रिक नीति संतुलन को भूत पूर्व स्थिति की ओर ले जाता है।
- **प्रामाणिक एवं रीयल-टाइमडेटा की सटीकता** और सीमित उपलब्धता भी एक चिंता का विषय है।
- कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था के आपूर्ति और मांगपक्ष अत्यधिक प्रभावित हुए, जिससे मौद्रिक नीति की गतिशीलता बाधित हुई है।

आगे की राह

- डेटा संग्रह और विश्लेषण फ्रेमवर्क में सुधार. करना।
- सरकारी प्रति भूतियों में निवेशक आधार को व्यापक बनाना।
- मौद्रिक और राजकोषीय नीति के मध्य समन्वय को मजबूत करना।
- अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव से उजागर हुई कमजोरियों को देखते हुए अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला बनाना।

4.1.1. स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility: SDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अपनी पहली **द्विमासिक नीति समीक्षा** (वित्त वर्ष 2022-23) में, **मौद्रिक नीति समिति (MPC)**[23] ने **स्थायी जमा सुविधा (SDF)** की शुरुआत की घोषणा की है। इसे **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)**[24] वाली व्यवस्था में एक न्यूनतम दर (floor rate) के रूप में प्रस्तुत किया है।

स्थायी जमा सुविधा (SDF) के बारे में

- SDF वस्तुतः **तरलता प्रबंधन का एक साधन है।** इसकी सहायता से अब RBI **बिना किसी जमानत या संपार्श्विक/सरकारी प्रतिभूतियों** के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) से तरलता को अवशोषित करता है।
- वर्ष 2022 से SDF, **फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो (FRRR)** की जगह लेगा। ज्ञातव्य है कि **FRRR** वस्तुतः **LAF** कॉरिडोर की **न्यूनतम दर** है। इसके अतिरिक्त, इसकी ब्याज दर 3.75% होगी।
- SDF के तहत जमा-राशियां **RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** को बनाए रखने के लिए पात्र नहीं होंगी। लेकिन वे **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)** को बनाए रखने के लिए पात्र परिसंपत्तियां होंगी।

SDF के लाभ

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त धन वाले बैंकों से उच्च ब्याज दरों पर **अधिशेष तरलता को अवशोषित किया जायेगा।**
- यह बिना किसी जमानत या सरकारी प्रतिभूतियों के मौद्रिक नीति के **संचालन ढांचे को मजबूत करेगा।**
  - **ई-कुबेर पोर्टल पर** उपलब्धत SDF के चलते तरलता कम करने के लिए RBI प्रभावी रूप से मजबूत हो जाएगा।
  - यह **क्षणिक प्रकृति की तरलता** को अवशोषित करेगा, क्योंकि इसे **ओवरनाइट के आधार पर संचालित** किया जाएगा। इसमें उचित मूल्य निर्धारण के साथ लंबी अवधि के लिए तरलता को अवशोषित करने का लचीलेपन भी होगा।
- इसके चलते LAF अब फिर से अपनी मूल स्थिति में पुनर्बहाल हो जाएगी, क्योंकि इसमें 50 आधार बिंदु की कमी आएगी या यह वर्तमान 90 आधार बिंदु से महामारी के पूर्व स्तर तक पहुंच जाएगा।
  - इस प्रकार LAF कॉरिडोर अब दोनों छोर पर स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ नीतिगत रेपो दर के जुड़ गया है-
    - पहला, **तरलता बढ़ाने के लिए उच्चतम सीमा के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)** के साथ, **और**
    - दूसरा, **तरलता को अवशोषित करने के लिए निम्नतम दर के रूप में SDF के साथ।**
- रेपो/रिवर्स रेपो, OMO और CRR जैसे अन्य LAF उपकरण (जो RBI के विवेकाधिकार पर उपलब्ध हैं) के विपरीत SDF तथा MSF तक पहुंच प्राप्त करने के लिए **बैंकों के विवेकाधिकार में वृद्धि होगी।**

SDF के साथ संभावित समस्याएं

- बैंकों के लिए यह अवसर होगा कि वे निजी क्षेत्रक को ऋण देने में जोखिम लेने की बजाय SDF के माध्यम से RBI के पास अधिशेष तरलता रखें। इससे बैंकों के लिए **आर्बिट्रेज अवसर** सृजित होगा।
  - **आर्बिट्रेज** से तात्पर्य अलग-अलग बाजारों में समान वित्तीय लिखतों की कीमत में अंतर का लाभ उठाने से है।
- यह कोई **दीर्घकालिक साधन नहीं** है। साथ ही, बाजार में मौजूद अत्यधिक तरलता या अत्यधिक पूँजी अंतर्वाह को अवशोषित करने के लिए OMO जैसे साधनों के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- यह **तरलता प्रबंधन संचालन और बाजार की स्थितियों के मध्य संरेखण के लिए उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के विरुद्ध** है।
- इससे RBI के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे OMO और बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS) आदि जैसे अन्य उपकरणों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

---

23 Monetary Policy Committee

24 Liquidity Adjustment Facility

VISION IAS

निष्कर्ष

बढ़ती **भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, कोविड-19 वेरिएंट के निरंतर परिवर्तन के खतरों, बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं,** वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यू.एस. फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के कारण आने वाले समय का वैश्विक परिदृश्य निराशाजनक लग रहा है। SDF की शुरुआत विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए जोखिम भावनाओं में तेजी से बदलाव और वैश्विक वित्तीय स्थितियों को कठोर करने के साथ हुई है।

यद्यपि **SDF की प्रभावशीलता** बैंकिंग क्षेत्रक की विकृतियों को न्यूनतम रखते हुए **सरल और पारदर्शी कार्यान्वयन** की क्षमता, अधिशेष तरलता के अवशोषण और इसके जोखिमों के निवारण के लिए सीमित कार्रवाइयों की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

4.1.2. खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देने** के लिए बाजार निर्माण योजना[25] अधिसूचित की है। इसके द्वारा RBI ने **खुदरा प्रत्यक्ष योजना** के तहत **खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाताधारकों (RDGAHs)**[26] को अब प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने की पेशकश की है।

G-Sec और गिल्ट खाते के बारे में

- सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित व्यापार-योग्य लिखत होती है। सरकारें इसके माध्यम से ऋण जुटाती हैं।
- **"गिल्ट खाता"** RBI द्वारा अनुमत ऐसा खाता होता है जिसे किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को धारित करने के लिए खोला और प्रबंधित किया जाता है।
  - परंतु, **'भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति'** के मामले में, गिल्ट खाते के परिचालन/प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों पर **विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 2000** और इसके तहत निर्मित विनियम लागू होंगे।

खुदरा प्रत्यक्ष योजना के बारे में

- यह **व्यक्तिगत निवेशकों** द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक योजना है।
- इस योजना के तहत, खुदरा निवेशक सीधे और नि:शुल्क G-Sec खरीद सकते हैं। इससे पहले निवेशक **गिल्ट म्यूचुअल फंड** के जरिए ही सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते थे।
- यह योजना खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में **निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती है:**
  - **खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता** (RDG खाता) खोलना और बनाए रखना;
  - सरकारी प्रतिभूतियों के **प्राथमिक निर्गमन (primary issuance)** तक पहुँच;
  - **NDS-OM** तक पहुँच।

[25] Market Making Scheme

[26] Retail Direct Gilt Account Holders

VISION IAS

इस योजना के लाभ

- **निवेशकों के लिए:** इससे अब खुदरा निवेशकों को वर्तमान लघु बचत योजनाओं के अलावा, **संप्रभु गारंटी व निश्चित आय वाले इंस्ट्रूमेंट्स (लिखत) में सीधे निवेश करने का एक और नया तरीका मिलेगा।** वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में बैंक, म्यूचुअल फंड आदि जैसे **संस्थागत निवेशकों** का ही वर्चस्व है। ये 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लॉट साइज़ में व्यापार करते हैं।
    - खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बाजारों में निवेश करने के लिए **ऑनलाइन पहुंच** प्रदान करने से इस सेगमेंट में **खुदरा निवेशकों की भागीदारी आगे और बढ़ेगी।**
- **RBI के लिए:** वर्ष 2021-22 में सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपये के विशाल उधारी कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है। ऐसे में यह कदम फंड की लागत कम रखने में केंद्रीय बैंक की मदद करेगा।
- **सरकार के लिए:** निवेशकों की संख्या में वृद्धि सरकार को अपने बजटीय खर्च में वृद्धि का वित्त-पोषण करने के लिए संसाधन जुटाने और अपने बढ़ते राजकोषीय घाटे को संतुलित करने में सक्षम बनाएगी। यह G-Sec बाजार में बेहतर कीमत खोज (प्राइस डिस्कवरी) को भी संभव बनाएगा।

इस योजना को अपेक्षाकृत अधिक सफल बनाने के लिए खुदरा G-Sec बाजार के स्तंभों को मजबूत करना जरूरी है

- **निवेश पर प्रतिफल (Return on investment):** निवेशक आमतौर पर सुरक्षा, तरलता और "यील्ड टू मैच्योरिटी" के आधार पर अलग-अलग निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों पर रिटर्न या प्रतिफल मुद्रास्फीति, सरकारी उधारी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तरलता और उतार-चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमत, समग्र जोखिम आदि से जुड़ा हुआ है।
    - जहाँ सरकारी प्रतिभूतियां आमतौर पर निवेश सुरक्षा के मामले में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, और बैंकों में **फिक्स्ड डिपॉजिट्स (FD) की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करती हैं, वहीं** डाकघर, PPF जमा, SSY आदि जैसे **अन्य लघु बचत इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करती हैं।**
    - इसलिए, सरकार को **कर-मुक्त बॉण्ड/कीमत में छूट** आदि जारी कर वरिष्ठ नागरिकों सहित खुदरा निवेशकों की **उचित रूप से क्षतिपूर्ति** करनी चाहिए।
- **मजबूत अवसंरचना: HDFC बैंक की ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं** में हालिया कटौती या बाधा ने खुदरा निवेशकों के बीच **विश्वास पैदा** करने और **खुदरा-प्रत्यक्ष** का उपयोग बढ़ाने के लिए मजबूत **व्यापार अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और ग्राहक संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।**
- **वित्तीय और डिजिटल साक्षरता:** चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में जन जागरूकता अपेक्षाकृत कम है, इसलिए **सरल, स्पष्ट और भारतीय भाषाओं** में **वित्तीय और डिजिटल साक्षरता** प्रदान किए जाने पर ही खुदरा-प्रत्यक्ष योजना सफल हो पाएगी। भारत में **76 प्रतिशत वयस्क** ब्याज दर, मुद्रास्फीति, मैच्योरिटी पर रिटर्न आदि जैसी मूलभूत वित्तीय अवधारणाओं को भी नहीं समझते हैं **(स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, 2015)।**

VISION IAS

4.2. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

क्रिप्टो करेंसी- एक नज़र में

क्रिप्टो करेंसी वस्तुतः क्रिप्टो ग्राफी द्वारा सुरक्षित एक डिजिटल या आभासी मुद्रा होतीहै। यह एक मुद्रा या करेंसी के रूप में धन के सभी प्रमुख कार्यों को पूरा करती है, जैसे- यूनिट ऑफ़ अकाउंट, मूल्य-धारण और भुगतान के लिए एक मानक के रूप में।इसकी प्रणाली निम्नलिखित व्यवस्था पर काम करती है-

- **सृजन (Generation)**:इन का सृजन ब्लॉक चेन प्रणाली पर आधारित एक विकेन्द्रीकृत और वितरित खाता-बही में माइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
- **वितरण (Distribution)**:इनका कारोबार क्रिप्टो क्यूरेंसी एक्सचेंज पर किया जा सकता है या इनका आदान-प्रदानपीयर-टू-पीयरआधार पर भी किया जा सकता है।
- **प्रबंधन (Maintenance)**:ब्लॉक चेन एक वितरित अपरिवर्तनीय खाता-बही. होती है, जिसमें लेनदेन का रिकॉर्ड होताहै।

आर्थिक सशक्तीकरण के एक साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी

- **बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त करने** से लेनदेन की लागत में काफी कमी और लेनदेन की गति में वृद्धि होती है।
- **धन के कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करती है**।इनका लेन-देन लंबी दूरी तक किया जा सकता है और बेहतर पारदर्शिता के कारण गड़बड़ी की संभावना भी लगभग नगण्य होती है।
- क्रिप्टो ग्राफिक एन्क्रिप्शन के माध्यम भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा बढ़ती है, जिससे साइबर खतरों के जोखिम में कमी आती है।
- बैंकिंग अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होती है और यह वित्ततक असमान पहुंच से संबंधित मुद्दों का समाधान करसकती है। इस प्रकार यह **वित्तीय समावेशन में सहायताकरतीहै।**
- **तकनीकी उन्नति के माध्यम** से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे साधनों को संभव करके व्यवसायों को मजबूत बनाती है।

क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के संबंध में विनियामक चुनौतियां

- एक वैकल्पिक मुद्रा की मौजूदगी में मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति आदि जैसे समष्टि आर्थिक चरों को नियंत्रित करना।
- मनीलॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी. आपराधिक गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर नजर रखना।
- किसी केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण कर चोरी और करपरिहार पर नियंत्रण रखना।
- हैकर्स और हानि पहुँचाने वाले उपयोगकर्ताओं से संबंधित साइबर सुरक्षा मुद्दों का प्रबंधन करना।
- यह सुनिश्चित करना किसी मितवित्तीय समावेशन. और तकनीकी पहुंच के कारण डिजिटल मुद्रा की मौजूदगी एक नया आर्थिक-विभाजन न पैदा करदे।
- भू-राजनीति के संबंध में एक हथियार के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को नियंत्रित करना।

क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विनियामक चुनौतियों और संभावित लाभों को संतुलित करना।

- समय के साथ विकसित होने और संबंधित समस्याओं का समाधान करने वाले विनियामकीय दृष्टिकोण को अपना कर विनियामक सैंडबॉक्स में महारत हासिल करना चाहिए।
- समष्टि-अर्थव्यवस्था (मैक्रो-इकोन०मी) में सटीक हस्तक्षेप करने और भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद करने के लिए केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDCs) के विचार की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।
- वित्तीय साक्षरता में सुधार, डिजिटल पहुँच को बेहतर करके और साइबर सुरक्षा पारितंत्र को मजबूत करके डिजिटल वित्त को अपनाने के लिए एक पारितंत्र तैयार करना चाहिए।
- नवाचारको प्रोत्साहित करने के लिए सहायक नीतियों और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्रक को शामिल करना चाहिए।
- पारंपरिक व्यवस्था को फिर से डिजाइन करके और 'स्टेबलकॉइन्स' जैसे वित्तीय घटकों के साथ प्रयोग करके इस डिजिटल युग के लिए एक कुशल मौद्रिक नीति विकसित करना चाहिए।
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बनाए रखना चाहिए।

4.2.1. क्रिप्टोकरेंसी और आर्थिक संप्रभुता (Cryptocurrency and Economic Sovereignty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI अधिकारियों ने वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति को सूचित किया है कि **क्रिप्टोकरेंसी से अर्थव्यवस्था का डॉलरीकरण (Dollarization)** हो सकता है। यह **भारत के संप्रभु हितों के विरुद्ध** होगा।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी

- भारत में, क्रिप्टोकरेंसी को **आयकर अधिनियम (1961) की धारा 2 (47A)** के तहत **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति (VDA)** के रूप में पहचाना जाता है।
- हालांकि भारतीय क्रिप्टो बाजार के **आकार पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं** है। एक अनुमान के अनुसार **भारत में 15-20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक** हैं। इन निवेशकों की कुल क्रिप्टो होल्डिंग का मूल्य लगभग 5.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

आर्थिक संप्रभुता: क्रिप्टोकरेंसी से खतरा

परंपरागत रूप से, किसी राष्ट्र में **सरकार (केंद्रीय बैंक)** का मुद्रा पर **एकाधिकार** होता है, क्योंकि मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए लोगों के बीच विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य यह है कि इसे भुगतान करने वाले व्यक्ति पर; इसे जारी करने वाले व्यक्ति पर और उस बैंक पर विश्वास होना चाहिए, जो इसे मान्यता प्रदान कर रहा है।

लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के मामले में कोई नहीं जानता कि इनमें से अधिकांश करेंसी का निर्माता कौन है और कौन इसकी गारंटी दे रहा है। इसलिए, **विश्वास और जवाबदेही का अभाव** कई अन्य चिंताएँ पैदा करता है, जैसे:

- **वित्तीय अस्थिरता:** किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्वीकृति देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समक्ष खतरा पैदा करती है, क्योंकि इसके निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं:
  - उनकी अत्यधिक अस्थिर प्रकृति के कारण अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
  - ये गुमनाम कारकों को देश में महत्वपूर्ण आर्थिक नियंत्रण प्रदान कर सकती हैं। ये कारक कोई भी व्यवसायी, विदेशी सरकारें, या उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं।
- **अर्थव्यवस्था का डॉलरीकरण:** भारत में लगभग सभी क्रिप्टोकरेंसी डॉलर-मूल्यवर्ग की हैं और विदेशी निजी संस्थाओं द्वारा जारी की गई हैं। **वे वित्तीय लेनदेन में रुपये का स्थान ले सकती हैं।**
  - **डॉलरीकरण** का अर्थ है देश की घरेलू मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर अमेरिकी डॉलर का विनिमय या वैध मुद्रा के माध्यम के रूप में उनका उपयोग किया जाना।
- **मौद्रिक नीति संचरण:** ब्याज दर, मुद्रास्फीति दर, विनिमय दर और आर्थिक विकास जैसे प्रमुख आर्थिक मापदंडों को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग **RBI की भूमिका और मौद्रिक नीति निर्धारित करने एवं मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने की उसकी क्षमता को कमजोर** करेगा।
- **अनामता (Anonymity):** दुनिया भर में खाताधारकों के बीच लेनदेन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल गुमनाम रूप से किया जा सकता है। इससे क्रिप्टोकरेंसी के आतंकी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **बैंकिंग प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:** एक सुचारू रूप से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग अपनी बचत को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करेंगे, बैंकिंग प्रणाली के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे।

VISION

- **उपभोक्ता संरक्षण:** क्रिप्टोकरेंसी में, आंतरिक और आम निवेशकों के बीच अत्यधिक सूचना विषमता मौजूद है। क्रिप्टोकरेंसी की उच्च अस्थिरता और बड़े पैमाने पर इसके अनियमित होने के कारण, उपभोक्ता के किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक समर्थन/उपाय उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, लंबी अवधि में, क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और अस्थिरता का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे आम जनता की मेहनत से अर्जित आय की हानि हो सकती है। समाज और संस्थानों की वैधता के विरुद्ध अवांछनीय परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी चिंताओं पर नियंत्रण पाने में मौजूद चुनौतियां

क्रिप्टोकरेंसी के विकास और निवेश की गति, पैमाने व स्तर को देखते हुए इससे जुड़े खतरों पर नियंत्रण पाना एक जटिल कार्य है, क्योंकि:

- इसे कई प्रभावशाली लोगों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। इसके कारण क्रिप्टोकरेंसी का मुख्यधारा में शामिल होना एवं विश्वसनीयता और वैधता प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- हालांकि, भारत सहित दुनिया भर में VDA पर विनियामक निगरानी रखी जा रही है। हमारे पास क्रिप्टोकरेंसी के इकोसिस्टम का प्रबंधन करने के लिए किसी भी वैश्विक या स्थानीय विनियामक ढांचे की कमी है। उदाहरण:
    - **'क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का विनियमन विधेयक, 2019 '** का मसौदा अभी संसद में प्रस्तुत किया जाना बाकी है।

आगे की राह

- उपभोक्ता जोखिमों को कम करने तथा बाजार का संतुलन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस व अनुमोदन के लिए **कानूनी ढांचा/ विनियम** स्थापित किये जाने चाहिए।
- क्रिप्टो एक्सचेंज तथा अन्य संस्थानों द्वारा **संदिग्ध लेनदेन की ट्रैकिंग व रिपोर्टिंग के लिए तंत्र** उपलब्ध होना चाहिए। इससे वित्तीय अपराधों और अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की जांच की जा सकेगी।
- मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता और विडॉलरीकरण करने वाली नीतियों को मजबूत करके **व्यापक आर्थिक जोखिमों के प्रबंधन** की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को जल्दी शुरू करने से निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिस्थापित करने या उससे प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिल सकती है।

VDA के विनियमन पर भारत में किये गए उपाय:

- 1 अप्रैल, 2022 से बिना किसी नुकसान की भरपाई के VDA से जुड़े सभी लेनदेन पर फ्लैट **30%** पूंजीगत लाभ कर (उपकर और अधिभार) लगाया गया है।
- क्रिप्टो एक्सचेंजों से लाभ/ हानि का अनिवार्य प्रकटीकरण किया जा रहा है।
- वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति VDA के लिए समग्र विनियामक नीति हेतु एक मसौदा विधेयक की दिशा में कार्य कर रही है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)** ने भी भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विज्ञापन और प्रचार पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- सिद्धांतों के आधार पर **व्यापक, सुसंगत और समन्वित** वैश्विक ढांचे के लिए **वैश्विक क्रिप्टो विनियमन की दिशा में** कार्य करना जरूरी है। इससे राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं अखंडता की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।
- तकनीकी, कानूनी, विनियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियों का समाधान करने के लिए **सीमा पार सहयोग एवं समर्थन को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए। उदाहरण:
    - मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को रोकने हेतु सिद्धांतों एवं तंत्रों को लागू करने के लिए **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** से सहायता ली जा सकती है।

VISION IAS

5. बैंकिंग और भुगतान प्रणालियां (Banking and Payment Systems)

5.1. बैंकिंग (Banking)

बैंकिंग- एक नज़र में

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा ऋण प्रदान करने में 9.2% की वृद्धि हुई है।
- सितंबर 2021 के अंत में SCBs का सकल NPA अनुपात 6.9% और निवल NPA 2.2% था।
- SCBs का प्रोविजन कवरेज अनुपात (Provision Coverage Ratio) 68.1% रहा।
- SCBs के लिए संपत्ति पर वार्षिकरिटर्न (RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) मार्च 2016 से नकारात्मक रहने के बादवर्ष 2020 में सकारात्मक हो गया।

आगे की राह

- संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक योगदान देने वाली एक **विविध, कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना।**
- परिचालन में लचीला पन लाकर, वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करके और संस्था गत सुदृढ़ी करण द्वारा संसाधनों की **आवंटन संबंधी दक्षता में सुधार करना।**
- **विवेक पूर्ण विनियमों को प्रोत्साहित करते हुए** वैधानिक अनुपालन में कटौती करना और अत्यधिक वित्तीय नियंत्रण को दूर करना।

योजना/पहल

- PSBs मेंसुधार के लिए एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE)5.0
- प्रिज्म अर्थात् एकीकृत पर्यवेक्षण और निग. रानी हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए मंच (PlatformforRegulatedEntitiesforIntegratedSupervisionandMonitoring, PRISM)।
- विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन संबंधीबोझ को कम करने के लिए विनियामक समीक्षा प्राधिकरण (RegulatoryReviewAuthority) 2.0 का गठन।
- बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का विस्तार, विनियामकीय सुधार।
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PromptCorrectiveAction, PCA) जैसी पर्यवेक्षण संबंधी पहल।
- अंतरिम भुगतान के साथ जमा राशि पर बीमा को बढ़ाकर 5 लाख करना।

बाधाएं

- बैंकों, विशेष रूप से ऐसे के लिए NPA का उच्चअनुपात (8.6%)।
- विनियामक अनुपालन का बढ़ता बोझ और
- भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त तामें लगातार गिरावट।
- वित्तीय प्रणाली के अलग-अलग क्षेत्रकों में PSBs के सीमित एकीकरण के कारणगैर-बैंकिंग. कंपनियों, फिनटेकआदि से संबंधित उभरती प्रतिस्पर्धा।
- जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना।
- बढ़ते सुरक्षा संबंधी खतरों के साथ उपभोक्ता की बदलती अपेक्षाएं।
- इनके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि जैसी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- बाह्य ऑडिटिंग के साथ-साथ ऑन-साइट और ऑफ-साइट निगरानी को शामिल करते हुए पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- PCA व्यवस्था के माध्यम से समस्या ग्रस्त बैंकों के लिए एक कुशल और विवेकाधीन हस्तक्षेप की प्रक्रिया की शुरुआतकरना।
- ऐसी व्यवस्था को संस्थागत रूपदेना, जोवित्तीय समूहों (FinancialConglomerates) के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु बेहतर समन्वय सुनिश्चित करती हो।
- क्रेडिटर्स के अधिकारों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना।
- जहां आवश्यक हो वहां पुन पूंजीकरण के माध्यम से PSBs की निवलसंपत्ति की पुन बहाली करना।
- प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता करने और एक सुरक्षित एवं बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।

5.1.1. बैंक पुनर्पूंजीकरण (Bank Recapitalisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कमजोर PSBs (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की है। इसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपये की सहायता देगी। इस राशि से बैंकों को अपनी पूँजी को अनिवार्य सीमा तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)[27] फ्रेमवर्क के अधीन आने से भी बच जाएंगे।

बैंक पुनर्पूंजीकरण के बारे में

- **बैंक पुनर्पूंजीकरण:** इसके तहत पूँजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों को पूरा करने के लिए **सरकार द्वारा संचालित बैंकों में अतिरिक्त पूँजी की आपूर्ति की जाती** है।
    - **पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)[28] या जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)[29]:** यह बैंक की जोखिम-भारित आस्तियों और पूँजी संबंधी निधियों का अनुपात होता है।
- **PSBs में अधिकतम शेयरधारिता सरकार की होती** है। इसलिए, **PSBs का पुनर्पूंजीकरण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी** भी सरकार की होती है।

बैंक पुनर्पूंजीकरण के चालक

- **पूँजी पर्याप्तता संबंधी विनियामकीय अनिवार्यताओं को पूरा करना:** इसके संबंध में विनियामकीय फ्रेमवर्क को, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision: BCBS) द्वारा तैयार किया गया है। अभी तक, बेसल मानदंडों के तीन समुच्चय जारी किए जा चुके हैं (बॉक्स देखें)।
- **ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि करना:** निवेश और रोजगार के अच्छे चक्र का निर्माण करने के लिए, बैंकों को स्वस्थ कंपनियों और उधारकर्ताओं को ऋण देने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए।
- **NPAs से निपटना:** बैंकों का किसी भी प्रकार से पुनर्पूंजीकरण करने से उनका पूँजी आधार मजबूत होगा। इससे उन्हें अशोध्य ऋण (bad loans) को बट्टे खाते (write-off) में डालने में मदद मिलेगी।
- **अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** इससे ऋण पर लगने वाली ब्याज दरों में कमी आएगी, कुल माँग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे निष्क्रिय पड़े कारखाने को चलाने के लिए अतिरिक्त ऋण मिल पाएगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **महत्वपूर्ण बैंकों को डूबने से बचाना:** बड़े और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों को डूबने से बचाने के लिए पहले भी बैंको को बेलआउट पैकेज दिए जाते रहे हैं।

पुनर्पूंजीकरण के विरुद्ध चिंताएं

- **राजकोषीय घाटा:** PSBs को संकट से उबारने के लिए बेलआउट पैकेज जारी करने से **या तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या जन-कल्याण और पूंजीगत व्यय में कटौती होगी।**
- **बैंकों के गवर्नेंस में कोई मूलभूत बदलाव नहीं:** बैंकों के गवर्नेंस में आवश्यक मूलभूत बदलाव किए बिना, इन्हें सार्वजनिक धन या करदाता का पैसा साल-दर-साल प्रदान किया जा रहा है।
- **कार्य संस्कृति प्रभावित होगी:** बैंक ऋण देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरतेंगे, जब उन्हें पता होगा कि ऋण डूबने की स्थिति में सरकार उनकी मदद के लिए कदम उठाएगी।
- **जवाबदेही में कमी:** बैंक पुनर्पूंजीकरण का बैंकों के प्रदर्शन और दक्षता से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। ऐसे में यह एक अस्थायी उपाय बनकर रह गया है, जहाँ जवाबदेही के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों का अभाव भी दिखता है।

वाणिज्यिक बैंकों के लिए नवीन त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क

- **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)[1] और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC)[1]** की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यढांचे की वर्ष **2017 में समीक्षा की गई** थी।
- 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी नवीनतम **PCA फ्रेमवर्क** ने पहले के **PCA** फ्रेमवर्क को संशोधित किया है।

---

[27] Prompt Corrective Action

[28] Capital Adequacy Ratio

[29] Capital to Risk-weighted Assets Ratio

VISION IAS

- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) के लाभ
- यह **बैंक को पुन:पूंजीकृत करने और आवश्यक पूंजी को बनाए रखने में मदद करता है**, क्योंकि अधिकांश बैंक गतिविधियों को जमाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसे चुकाने की आवश्यकता रहती है।
- यह **एक सीमित विनियमन को सुनिश्चित करेगा**, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक PCA बैंकों द्वारा गैर-मूल्यांकित (unrated) उधारकर्ताओं या उच्च जोखिम वाले लोगों को दिए जाने वाले उधार वितरण/ऋण को विनियमित करेगा। हालांकि, यह बैंक के उधार देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

PCA से जुड़ी समस्याएं

- **पूंजी का अभाव:** PCA बैंक पहले से ही धन की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकारी वित्त उनके लिए बहुत मुश्किल है। **ये बैंक अपने दम पर पूंजी जुटाने की स्थिति में नहीं हैं।**
- **और गिरावट:** PCA कभी-कभी बाजार हिस्सेदारी के नुकसान को तीव्र करता है और वित्तीय प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की स्थिति में और गिरावट का कारण बनता है, जो प्रणाली पहले से ही निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के पक्ष में है।
- **प्रशासन या सुधार के मोर्चे पर यह अधिक ध्यान नहीं देता है।**

आगे की राह

- **संरचनात्मक सुधार: पी. जे. नायक समिति** की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि सरकार को इन बैंकों और इनके बोर्ड्स के संचालन को पेशेवर बनाने के लिए बैंक निवेश कंपनी[30] गठित करनी चाहिए।
- **धन आपूर्ति करने संबंधी मानदंड:** बैंकों में धन की अतिरिक्त आपूर्ति करने संबंधी मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। साथ ही, इसे सभी PSBs के लिए **प्रभावी रूप से लागू** किया जाना चाहिए। हालांकि अलग-अलग स्थितियों के लिए भी मानदंडों को भली-भांति निर्धारित किया जाना चाहिए।
- **बेहतर निगरानी:** इसके संबंध में एक **प्रभावी निगरानी प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिए, जो बैंको को धन की अतिरिक्त आपूर्ति करने से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करे।
- **बैंकों की स्वायत्तता:** NPAs के स्थायी समाधान के लिए, PSBs को पर्याप्त **कार्यात्मक स्वायत्तता और परिचालन में लचीलापन** प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप को भी कम किया जाना चाहिए।

- **आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन:** इसके तहत विदेशी मुद्रा, राजकोष, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा, और अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों में प्रतिभा संबंधी अभाव का समाधान करना चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों के कौशल में भी वृद्धि करनी चाहिए।

5.1.2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण {Privatisation of Public Sector Banks (PSBs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त सचिव ने कहा है कि सरकार अधिकतर **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का** 'अंततः' **निजीकरण** करेगी। साथ ही, इस क्षेत्र में सरकार अपनी **उपस्थिति को भी न्यूनतम बनाए रखेगी।**

[30] Bank Investment Company

PSBs के निजीकरण से संबंधित चिंताएँ

- **कमजोर वर्गों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बाधा:** निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने लाभ कमाने के उद्देश्यों के कारण आबादी के संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए PSBs के निजीकरण से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बाधा आ सकती है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा **लोक हित** पर अधिक ध्यान दिया जाता है। साथ ही, इनके द्वारा आम लोगों को कई किफायती सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।
- **रोजगार में कटौती:** PSBs के विलय से PSBs की कुल संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है। इसके परिणामस्वरूप **कर्मचारियों की छंटनी हुई और बैंकों की कई शाखाएं बंद** हो गईं। निजीकरण से युवाओं के लिए **रोजगार के अवसर और कम होंगे। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों** को इससे नुकसान होगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के विपरीत, **निजी क्षेत्र में** कमजोर वर्गों के लिए **आरक्षण संबंधी नीतियों का पालन नहीं किया जाता है।**
- **जमा राशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता:** हाल के दिनों में बड़ी संख्या में निजी बैंक और वित्तीय संस्थान विफल हुए हैं। लेकिन किसी भी **PSB को विफल होते हुए** नहीं देखा गया है। **PSBs** के निजीकरण से **PSBs में जमा राशियों** के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली संप्रभु गारंटी समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार **घरेलू बचत कम सुरक्षित** रह जाएगी।
- **बैंकों की विफलता के व्यापक आर्थिक प्रभाव:** बैंकों की विफलता से सभी क्षेत्रक प्रभावित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित होगी। वर्ष 1935 से 1947 तक देश में **बैंक की विफलता की लगभग 900 घटनाएं** हुईं। साथ ही, वर्ष 1947 से 1969 तक **बैंकों की विफलता की 665 घटनाएं** हुईं। इसके परिणामस्वरूप ही वर्ष 1969 में **बैंकों का राष्ट्रीयकरण** किया गया।
- **PSBs की समस्याओं का पूर्ण समाधान निजीकरण नहीं है:** बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्या अर्थात् **NPA, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंकों के लिए आम है।**

PSBs को मजबूत करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम

क्षेत्र	विवरण
तकनीक-सक्षम, स्मार्ट बैंकिंग	• **ऋण प्रबंधन प्रणालियों और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों** की स्थापना से खुदरा ऋण वितरण में लगने वाले समय में कमी आयी है। • **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** एवं खुदरा ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करने हेतु **PSBloansin59minutes.com** का शुभारंभ किया गया है तथा **व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS)**[31] को अपनाया गया है। • ग्राहक प्रतीक्षा और लेन-देन के समय को कम करने के लिए **एकल-विंडो परिचालन** के साथ अत्यधिक लेनदेन वाली शाखाओं में **उन्नत कतार प्रबंधन प्रणाली** को अपनाया गया है। • बड़े PSBs द्वारा विश्लेषण के माध्यम से **ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित ऋण प्रस्ताव** प्रदान किए जा रहे हैं।
ऋण की निगरानी	• वित्तीय दबाव का सक्रिय रूप से पता लगाने और संपत्ति को NPAs बनाने से रोकने के लिए बैंकों में स्वचालित **अग्रिम चेतावनी प्रणाली (EWS)**[32] की स्थापना की गयी है। साथ ही, समय रहते आवश्यक कार्रवाइयों के लिए तृतीय-पक्ष के डेटा और वर्कफ्लो (कार्यप्रवाह) का उपयोग किया जा रहा है।
जोखिम प्रबंधन	• बैंकों में **प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और साथ ही डेटा-चालित रिस्क स्कोरिंग तथा जाँच प्रणाली की शुरुआत की गई है।** यह **थर्ड पार्टी डेटा व गैर-वित्तीय जोखिम कारकों** को व्यापक रूप से गणना में लेता है और उच्च जोखिम

[31] Trade Receivables Discounting System

[32] Early Warning Systems

	वाले मामलों की उन्नत जाँच की सुविधा प्रदान करता है। • **जोखिम-आधारित** मूल्य निर्धारण का **बेहतर पालन किया जा रहा है।** • **बाजार से जुड़े मुआवजे** के संबंध में बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी को बाजार से नियुक्त करके बैंक के बोर्ड्स का सशक्तीकरण किया गया है।
संकल्प और वसूली	• **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों** के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **संशोधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है।** • ऑनलाइन वसूली के लिए **वन टाइम सेटलमेंट प्लेटफॉर्म** और पोर्टल, **eDRT (डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल)** की स्थापना की गई है।
शासन	• **गैर-कार्यकारी अध्यक्षों** को शामिल किया गया है। • **बोर्ड समितियों** की प्रणाली को मजबूत बनाया गया है। • गैर-आधिकारिक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक के समान भूमिका निभाने का अधिदेश देकर उनका प्रभावी उपयोग किया गया है। साथ ही, उनके **समकक्षों द्वारा मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण** का प्रावधान किया गया है।
मानव संसाधन	• सभी अधिकारियों के लिए निरंतर सीखने हेतु **भूमिका-आधारित ई-लर्निंग** सुनिश्चित की गयी है। • **वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली** की स्थापना की गई है।
पुनर्पूंजीकरण	• सरकार द्वारा **3.17 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।** • **स्वयं बैंकों द्वारा 2.49 लाख करोड़ रुपये** से अधिक की राशि जुटाई गई है।
मार्केटिंग रणनीति और पहुँच	• मार्च 2018 और मार्च 2020 के बीच **समर्पित मार्केटिंग कार्यबल को दोगुना किया गया है।** • वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही और वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के बीच कार्यबल और मार्केटिंग के गठजोड़ के माध्यम से **ऋण स्रोतों को चार गुना किया गया है।**

आगे की राह

- **निजीकरण को कुछ PSBs तक सीमित किया जा सकता है:** हालांकि कुछ PSBs का निजीकरण, प्राप्त होने वाले अत्यधिक लाभों के आलोक में एक तार्किक निर्णय लगता है, लेकिन सभी बैंकों के निजीकरण का प्रयास, वर्षों से देश में **इन बैंकों से प्राप्त उल्लेखनीय योगदान को कमतर कर देगा।**
- **निजीकरण का श्रेणीबद्ध प्रारूप:** ऐसा हो सकता है कि सरकार निजीकरण किए जाने वाले PSBs से पूरी तरह से बाहर न निकले। इसके बजाय पहले कुछ वर्षों के लिए कम-से-कम **26% हिस्सेदारी अपने पास** रखे। यहाँ तक कि नरसिम्हम समिति-I ने भी PSBs में **सरकारी हिस्सेदारी को कम करके 33 प्रतिशत करने** की सिफारिश की थी।
- **निवेशकों की पहचान:** इन बैंकों में हिस्सेदारी रखने के लिए एक **उपयुक्त और उचित निवेशक** की पहचान करना महत्त्वपूर्ण होगा। एक विकल्प यह हो सकता है कि **PSBs** के अधिग्रहण के संदर्भ में, **मौजूदा बड़े बैंकों के हितधारकों** पर विचार किया जा सकता है। वे **PSBs** को स्वतंत्र पहचान के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में तब तक बनाए रख सकते हैं जब तक कि वे (PSBs) **बेहतर परिचालन दक्षता** प्राप्त नहीं कर लेते। तत्पश्चात अधिग्रहण करने वाले बैंक में इनका विलय किया जा सकता है।
- **बड़े बैंकों के उद्देश्य को प्राप्त करना:** निजीकृत **PSBs** का **विलय मौजूदा बड़े निजी बैंकों** के साथ किया जा सकता है। ऐसा उच्च जोखिम उठाने और ऋण वितरण क्षमता विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
- **नई परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR)[33] का विकास:** वर्ष 2015 में बैंकों की पिछली AQR मुख्यतः औपचारिक पुनर्गठन प्रक्रिया के बाहर, **ऋणों की एवरग्रीनिंग करने वाले ऋणदाताओं का पता** लगाने में विफल रही थी।

33 Asset Quality Review

5.2. परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring)

परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन- एक नज़र में

बैंकों के ऋण या अग्रिमों के संबंध में डिफ़ॉल्ट या बकाया को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें सब-स्टैंडर्ड असेट्स (NPA < 12), स्टैंडर्ड असेट्स (NPA > 12 महीने) और लॉस असेट्स के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाता है।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs) मार्च 2022 में घटकर छह साल के निचले स्तर (5.9%)पर आ गई और निवल NPA घटकर 1.7% हो गया।
- यह एक बड़ी और अधिक व्यापक समस्या है।
- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक है, अर्थात् NPA का लगभग 9/10 वां हिस्सा PSBs का है।
- NPAs की क्षेत्रक आधारित हिस्सेदारी में अब संरचना क्षेत्रक का प्रभुत्वहै।
- भारतवर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।

आर्थिककारण:

आर्थिक कारण:

- वर्ष 2006-2008 के दौरान मजबूत आर्थिक संवृद्धि के कारण अंधाधुन मात्रा में ऋण दिया गया।
- अर्थव्यवस्था में व्याप्त संरचनात्मक मुद्दे जैसे कि खराब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।

यवस्था संबंधी कारण:

- विनियामकीय सक्रियता के अभाव की एक लंबी नीति के कारण NPAs को चिन्हित करने वाली व्यवस्था की अनुपस्थिति बनी रही।
- किसी परियोजना के तहत प्रमोटर और बैंक के हित की हानि होने पर परियोजनाओं से स्वयं को अलग कर लेना।
- कमजोर कॉर्पोरेट्ग वर्नेंस और सरकार द्वारा अनुमतियों के संबंध होने वाला विलंब जैसे गवर्नेंस संबंधी मुद्दे।

नैतिक कारण:

- ऋण प्रदान करने में लापरवाही या ऋण देने से पहले विश्लेषण हेतु आउट सोर्स परनिर्भरता जैसी बैंकिंग गड़बड़ी।
- प्रमोटर द्वारा पुर्नगठ्न प्रक्रिया में हेर फेर करना।

NPAs की वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **चिन्हित करना:** इसमें NPA को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2015 की संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (Asset Quality Review) का आयोजन; त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क और ऋण से संबंधित व्यापक डेटा बेस तैयार करना शामिल हैं।
- बजटीय आवंटन और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं द्वारा पुनर्पूंजीकरण किया गया।
- **समाधान:** इसमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), प्रोजेक्ट सशक्त, कोविड-19 संकट के दौरान. आर.बी.आई द्वारा आरंभ किए गए फ्रेमवर्क और एम.एस.एम.ई समाधान (MSME SAMADHAN) जैसी अन्य योजनाएं शामिल हैं।
- **सुधार:** क्षेत्रक आधारित सुधार के लिए दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं, जैसे-अधिक मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली; आर.बी.आई की शक्तियों का विस्तार करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख सुधार।
- एनहांस्ड एक्सेस एंडसर्विस एक्सीलेंस (EASE) - EASENext सुधार (या EASE 5.0).

विद्यमान चुनौतियां

- बैंक के शीर्ष अधिकारियों पर सभी निर्णयों के बोझ डालने से प्रक्रियागत उदासीनता को बढ़ावा।
- स्पष्ट जवाब देही का अभाव नैतिक संकट और अपर्याप्त प्रयास का मुद्दा पैदा करता है।
- PSBs मे नियुक्ति में देरी, हस्तक्षेप आदि के रूप में गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे।
- बैंकिंग क्षेत्रक के समान वित्तीय क्षेत्रक में परिसंपत्ति की गुणवत्ता के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है। साथ ही, वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित NBFC क्षेत्रक और अन्य घटकों को एकीकृत रूप से नहीं देखा जाताहै।
- ARCs की वृद्धि दर एक-समान नहीं रही है। साथ ही, यह हमेशा बैंक के NPAs की प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं को ढाल भी पाई है।

NPA का समाधान बैंकिंग क्षेत्रक के सुधार के लिए एक उत्प्रेरक

- ऋण प्रदान करने की पद्धति को और अधिक कुशल बनाकर कोर बैंकिंग कार्य प्रणाली को मजबूत करना।

  पारदर्शिता और स्पष्ट संचार माध्यमों के निर्माण के द्वारा गवर्नेंस के स्तर को बेहतर करना।
- सभी हितधार कों की सोच में परिवर्तन लाते हुए इस बात को स्पष्ट करना कि विनियामकीय सक्रियता के अभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे साधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाना।
- NBFCs और फिनटेक क्षेत्रक में जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए वित्तीय प्रणाली में एकी करणको बढ़ावा देना।
- औद्योगिक क्षेत्रक और वित्तीय क्षेत्रक के बीच आपसी संपर्क के विकास में सहायता करना।

5.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)[34] के तहत तनावग्रस्त फर्मों के समाधान (रेजोल्यूशन) से वित्तीय ऋणदाताओं को मिलने वाले पैसे या वसूली में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले तिमाही में यह वसूली रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। गौरतलब है कि यह पिछली तिमाही में उनके स्वीकृत दावों की **10.2%** थी।

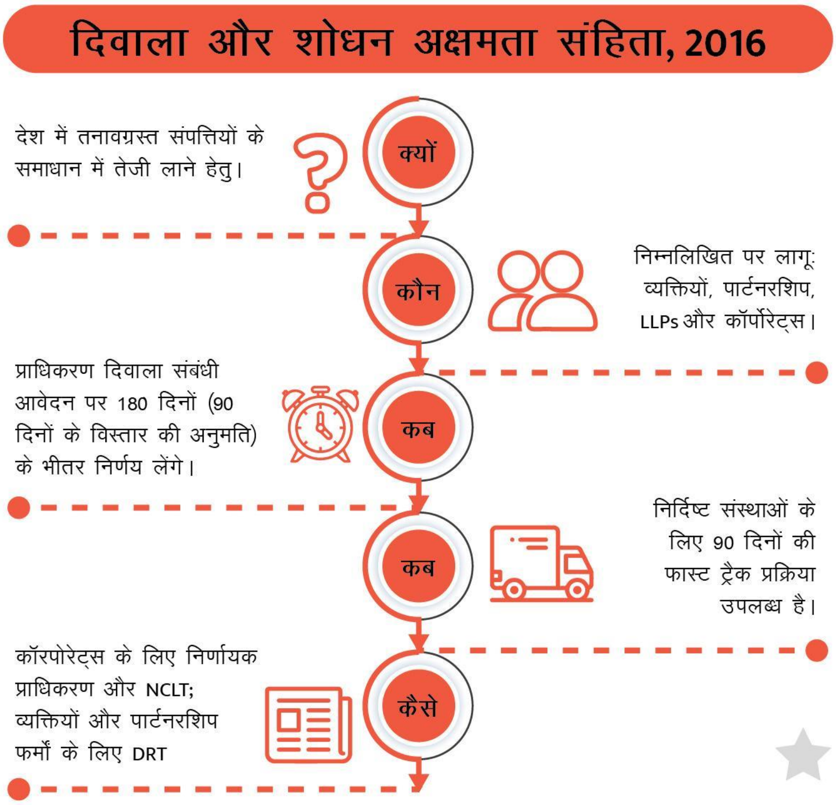

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)

- इस संहिता को दिवालिया कंपनियों से जुड़े दावों के समाधान तथा **अशोध्य ऋणों (Bad Loans) की समस्याओं** से निपटने हेतु **वर्ष 2016 में संसद के एक अधिनियम** के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
- यह सभी संस्थाओं (कॉर्पोरेट और व्यक्तियों दोनों) के **पुनर्गठन एवं दिवाला समाधान** से संबंधित कानूनों को **समेकित व संशोधित** करती है।
- यह दिवालियेपन को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है (**IBC, इसका क्रम-विकास और प्रक्रिया पर इन्फोग्राफिक देखें**)।
  - इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना है।

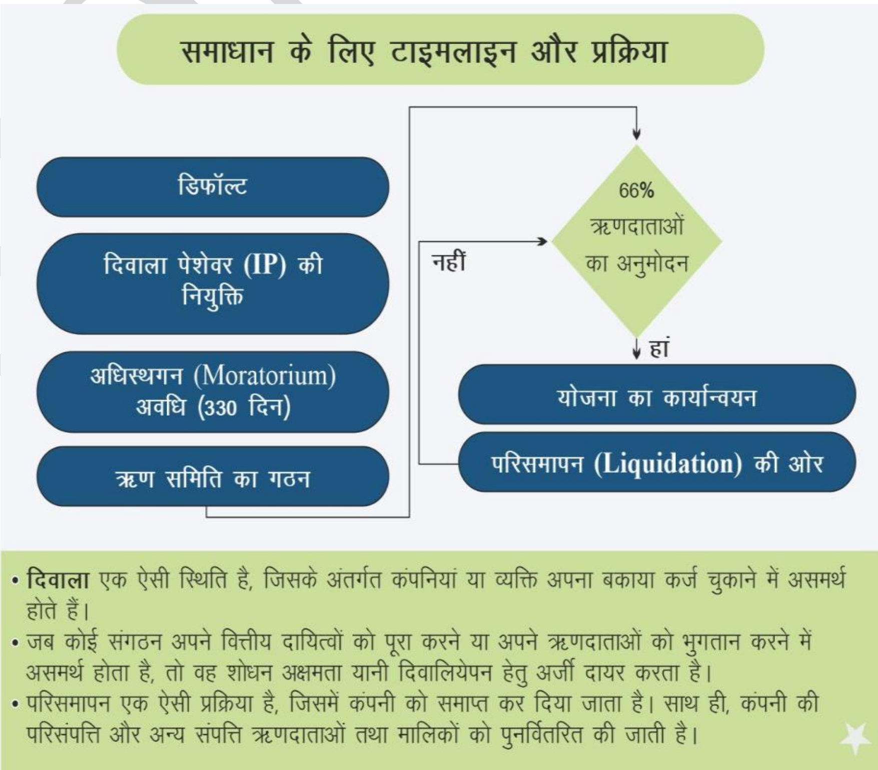

IBC का महत्व

- **ऋणदाता-ऋणी संबंध में व्यापक बदलाव:** यह "क्रेडिटर-इन-कंट्रोल" मॉडल का अनुसरण करती है, जो प्रचलित दृष्टिकोणों से एक अलग मार्ग है।

---

[34] Insolvency and Bankruptcy Code

- **ऋणदाता समिति की स्थापना:** यह समिति कॉर्पोरेट ऋणी से जुड़ी समाधान प्रक्रिया के समय एक सार्वजनिक संस्थान के रूप में कार्य करती है। इस समिति का लक्ष्य अपने हितधारकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना है।
- **ऋणदाता की शक्ति में वृद्धि:** IBC ने ऋणदाता की मोल-भाव शक्ति में वृद्धि की है। ऐसा **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)**[35] के लिए आवेदन करने की अनुमति देकर किया गया है।
- **समाधान में बढ़ोतरी तथा शोधन अक्षमता समाधान के समय और लागत में कमी:** समाधान के लिए लिया गया औसत समय वर्ष 2017 में 4.3 वर्ष था। यह वर्ष 2021-22 में घटकर 650 दिन हो गया।
- **व्यवहार परिवर्तन:** तनावग्रस्त संपत्ति के मूल्य में क्रमिक ह्रास और समाधान प्रक्रिया के दुष्परिणामों से बचने के लिए, ऋणी अब शुरुआती चरणों में ही तनाव का समाधान कर रहे हैं।
- **व्यवसाय करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) एवं संहिता को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर परिवर्तन: कॉर्पोरेट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (PPIRP)**[36] की शुरुआत की गई है।

IBC के कार्यान्वयन में समस्याएं

- **न्याय-निर्णयन में देरी:** लंबे कानूनी संघर्षों और न्याय-निर्णयन प्रणाली में बाधाओं के कारण समाधान में अत्यधिक देरी होती है। **उदाहरण के लिए, ट्रिब्यूनलों में रिक्त पदों** की उल्लेखनीय संख्या।
- **निम्न वसूली दर:** CIRP से गुजरने वाली कंपनियों के ऋणदाताओं, यानी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और अन्य वित्तीय उधारदाताओं को कई बार 90-95% तक की भारी कटौती का सामना करना पड़ा है। ऐसा आवेदन, समाधान और बोलियों या अवांछित बोलियों में देरी के कारण हुआ है।
    - महामारी के कारण दिवालिया फर्मों के लिए बाजार की मांग कम होने से परिसंपत्ति मूल्य में और गिरावट आई है।

- **सीमा-पार दिवाला:** IBC में मानकीकृत सीमा-पार दिवाला दृष्टिकोण का अभाव है, जैसा कि वीडियोकॉन और जेट एयरवेज के मामले में देखा गया है।
- **घर खरीदारों के अधिकारों को कायम रखना कठिन:** हालांकि, घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाताओं **(चित्रा शर्मा बनाम भारत संघ)** के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी परियोजना के न्यूनतम 10% या 100 घर (जो भी कम हो) की आवश्यकता होती है।

[35] Corporate Insolvency Resolution Process

[36] Pre-Packaged Insolvency Resolution Process

- **IPs और IPAs के काम-काज में समस्याएं:** IPs को विनियमित करने वाले कई IPAs विभिन्न समस्याओं को जन्म देते हैं। जैसे कि साझा मानकों का अभाव, निर्णयन में एकरूपता की कमी, दावेदारों के रिकॉर्ड के रखरखाव में यथोचित परिश्रम की कमी आदि।

आगे की राह

- रिक्तियों को तत्काल भरकर और निर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति या अस्वीकृति हेतु एक निश्चित समय निर्धारित करते हुए **न्याय-निर्णयण में देरी पर काबू पाना।**
  - NCLT पर बोझ कम करने के लिए PPIRP को CDs (MSMEs के अलावा) तक विस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है।
  - NCLT की अधिक पीठ या विशेष पीठ स्थापित की जा सकती है।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप **स्वीकृत कटौती की मात्रा के लिए एक मानदंड स्थापित करना** या प्रवर्तन एजेंसियों की नज़र में आए बिना बैंकों को कटौती की छूट देना।

IBC पर जी. एन. बाजपेयी समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **IBC की सफलता का आकलन करने** और इसके कार्यान्वयन में सुधार के लिए **एक मानकीकृत ढांचे की स्थापना।**
- दिवाला प्रक्रिया **के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए भरोसेमंद रीयल-टाइम डेटा जरूरी है।**
- संहिता के **मात्रात्मक और गैर-मात्रात्मक,** दोनों **परिणामों** को **मापा जाए** और उनकी निगरानी की जाए।
- **गैर-मात्रात्मक परिणाम** जैसे कि देनदारों और लेनदारों के **व्यवहार में** संहिता की वजह से हुए **बदलाव** की पुष्टि की जानी चाहिए। इसके लिए, अनुसंधान और मात्रात्मक छद्म संकेतकों की मदद लेने की ज़रूरत है।

- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL)**[37] सीमा पार दिवाला पर एक आदर्श कानून (1997) है। इसे अपनाया जाना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और व्यापक दिवाला ढांचे के लक्ष्य के साथ भारतीय संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधन किए जाने चाहिए।
- **जी. एन. बाजपेयी समिति की सिफारिशों को लागू करना।**
- ऋणदाता समिति (CoC) के लिए एक **पेशेवर संहिता तैयार** करना, जो किसी तनावग्रस्त कंपनी का अधिग्रहण करे।
- मानकों को निर्धारित करने और IPs के काम-काज को विनियमित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जैसे **एकल पेशेवर स्व-विनियामक IPAs की स्थापना** करनी चाहिए।
- अतिरिक्त प्रकार के प्रतिभूतिकरण की अनुमति देकर **क्रेडिट जोखिम बाजार को सुदृढ़** करना चाहिए।
- NCLT और NCLAT के रिकॉर्ड में सुधार और आभासी सुनवाई हेतु **IBC प्रक्रिया का डिजिटलीकरण।**
- दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए **घर खरीदारों से संबंधित सीमा को कम करना** या दिवालियेपन के लिए अनुरोध किए जाने पर, रियल एस्टेट मालिकों द्वारा परियोजना के अन्य घर खरीदारों का विवरण दूसरों को प्रदान किया जाना चाहिए।

[37] United Nations Commission on International Trade Law

VISION IAS

5.3. भुगतान प्रणाली (Payment Systems)

भुगतान प्रणाली – एक नज़र में

RBI के अनुसार, भारत में सभी लेन-देन का लगभग 50% नकद में होता है। 500 रुपये से कम के लेन-देन के लिए यह 70% है।

भारत के डिजिटल भुगतान की 50% मात्रा पर डेबिट कार्ड, UPI और IMPS का प्रभुत्व है।

भारत के डिजिटल भुगतान के 53% मूल्य पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।

वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4 रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)।

प्रमुख लक्ष्य

- **रियल टाइम, सुरक्षित, सुलभ और आसान भुगतान** तंत्र प्रदान करना।
- भुगतान के एक रूप का दूसरे रूप में निर्बाध प्रवाह के साथ एक **एकीकृत भुगतान प्रणाली** सुनिश्चित करना।
- **लेन-देन की लागत को यथासंभव कम** से कम करना।
- लेन-देन की उच्च मात्रा को प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए **संस्थागत, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना का निर्माण करना।**

योजना/नीति/पहल

- NEFT, RTGS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड।
- NPCI के उत्पाद, जैसे- UPI, IMPS, रुपे, भारत बिल पे, आदि।
- RBI द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) का गठन।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **(डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) दिशा-निर्देश, 2021**
- **मर्चेंट डिस्काउंट रेट** (MDR) का युक्तिकरण करना।
- RBI की विनियामकीय सैंडबॉक्स (RS) पहल, जिसमें वर्तमान में डिजिटल भुगतान, सीमा-पार भुगतान और MSME को ऋण देना शामिल हैं।

बाधाएं

- नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था से **डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को केवल क्रमिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है।**
- साइबर हमले, डेटा में सेंध, भुगतान प्लेटफॉर्म का काम न करना और सूचना की चोरी से **डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी जोखिम** पैदा होते हैं।
- **डिजिटल वित्तीय जागरूकता** और डिजिटल वित्तीय साक्षरता का अभाव।
- इंटरनेट और स्मार्टफोन की सीमित पहुंच।
- **गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं** के लिए डिजिटल भुगतान संबंधी कम विकल्प।
- ग्राहक के संरक्षण और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे।
- विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में **लागत और कनेक्टिविटी** से संबंधित मुद्दे।

आगे की राह

- डेटा का कुशलतापूर्वक संग्रहण, प्रसंस्करण और संचारण करने के लिए डिजिटल एवं वित्तीय अवसंरचना के साथ-साथ दूरसंचार जैसी **आधारभूत अवसंरचना** को भी मजबूत करना।
- भुगतान प्रणाली के लिए **एकल विनियामकीय व्यवस्था** की आवश्यकता है।
- **मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑफ-लाइन भुगतान** के लिए भी अधिक विकल्प प्रदान करना।
- वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ **डिजिटल भुगतान के संबंध में जागरूकता।**
- आपराधिक दुरुपयोग संबंधी जोखिम को पहचानकर, समझकर, उनका आकलन करना और उनके समाधान द्वारा **वित्तीय प्रणालियों की सत्यनिष्ठा** की रक्षा करना।
- लोगों द्वारा डिजिटल भुगतान की स्वीकृति को मापने के लिए **जियो-टैगिंग तकनीक का उपयोग** करना।
- **विनियामकों के बीच समन्वय** को बढ़ाना।
- **इंटरनेट की उपलब्धता, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली** में वृद्धि को एक साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.3.1. पेमेंट विजन 2025 (Payments Vision 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **"पेमेंट विजन 2025"** दस्तावेज जारी किया। इसका उद्देश्य दिसंबर 2025 तक प्रत्येक उपयोगकर्त्ता को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है।

पेमेंट विजन 2025 के बारे में

- यह पेमेंट विजन 2021 के **चार गोलपोस्ट्स (प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास)**[38] पर आधारित है। हालाँकि, **पेमेंट विजन 2025** में **पांच एंकर गोलपोस्ट भी निर्धारित किए हैं। ये हैं-**
    - पहुंच बढ़ाने, ग्राहक केंद्रित होने, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गहनता के लिए **अखंडता, समावेश, नवाचार, संस्थागतकरण** और **अंतर्राष्ट्रीयकरण** [39]**।**

> **भारतीय भुगतान प्रणाली का विनियमन और विकास**
> - इसका **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत RBI द्वारा **विनियमन** और **पर्यवेक्षण किया जाता है।**
> - इसके अलावा, **RBI** वर्ष 2001 से ही समय-समय पर **पेमेंट विजन** दस्तावेजों के माध्यम से भुगतान पारितंत्र के ठोस विकास के लिए रणनीतिक दिशा और कार्यान्वयन योजना प्रदान कर रहा है।

- **कोर थीम (मुख्य विषय): सभी के लिए, सभी जगह, सभी समय ई-भुगतान** {E-payments for everyone, everywhere, everytime (4Es)}।
- **विजन:** प्रत्येक उपयोगकर्ता को **सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ** और **किफ़ायती** ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना।

पेमेंट विजन 2025 की मुख्य विशेषताएं

- भुगतान पारितंत्र से जुड़े **सभी महत्वपूर्ण बिचौलियों**, यानी बिगटेक, फिनटेक, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें (BNPL)[40] आदि के नियमन के एक ढांचा विकसित किया गया है। साथ ही, इसमें एक **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** को लाने का भी उल्लेख है।
- ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए **डिजिटल भुगतान सुरक्षा कोष** बनाने की व्यवहार्यता की जाँच की जाएगी।
- क्लोज्ड सिस्टम PPI सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के लिए दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण किया जाएगा। साथ ही, डिजिटल भुगतान अवसंरचना और लेन-देन की जियो-टैगिंग को संभव बनाया जाएगा।
- **क्रेडिट कार्ड्स** और बैंकिंग उत्पादों के **क्रेडिट घटकों को UPI से लिंक किया जाना है।**
- एक राष्ट्र एक ग्रिड क्लीयरिंग और निपटान की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, इसमें **चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)** में सुधार लाने की भी बात कही गयी है।
- भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी होने पर रियल टाइम में सूचना का प्रावधान।

---

38 Competition, Cost, Convenience and Confidence

39 Integrity, Inclusion, Innovation, Institutionalisation and Internationalisation)

40 Buy Now Pay Later

VISION IAS

5.4. फिनटेक सेक्टर (FinTech Sector)

फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर – एक नज़र में

वित्त वर्ष 2020 में भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य 50-60 बिलियन डॉलर था।

मार्च 2020 में, भारत में फिनटेक को अपनाने की दर 87% थी, जबकि वैश्विक औसत 64% था। .

वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी का जुड़ाव

बैंक
भुगतान
एन.बी.एफ.सी
सिक्योरिटी ब्रोकिंग
धन प्रबंधन
वितरण

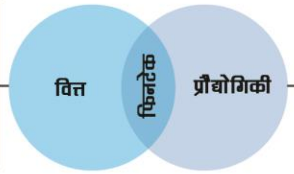

हार्डवेयर प्रदाता
सॉफ्टवेयर प्रदाता
क्लाउड प्रदाता
प्लेटफॉर्म प्रदाता

भारत में फिनटेक के विकास के चालक

- मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों द्वारा संचालित **तकनीकी नवाचार।**
- **भारत में इंटरनेट उपयोग और स्मार्टफोन की संख्या बढ़ रही है।** साथ ही, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में यह दूसरे स्थान पर है।
- भारत के पास **अनुकूल जनसांख्यिकी** है। यहाँ वर्ष 2030 तक 140 मिलियन मध्यम आय और 21 मिलियन उच्च आय वाले परिवार होंगे।
- **वित्तीय समावेशन से जुड़े पहल, जैसे- PMJDY, DAY-NRLM]** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, अटल पेंशन योजना आदि।

भारत में धन अंतर्वाह से संबंधित मुद्दे

- **डेटा लीक, प्लेटफ़ॉर्म डाउनटाइम और सूचना की चोरी से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम उत्पन्न होते हैं।**
- **विभिन्न प्रकार की स्वीकृति,** क्योंकि फिनटेक को अपनाना **हर प्रकार के व्यवसाय** के लिए आसान नहीं है।
- **तेजी से बदलते नियम** जो अनुपालन लागत को बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास को कम करते हैं।
  - इसके अलावा, इनमें निवेश के बाद सिस्टम से बाहर निकलने, क्रिप्टोकरेंसी, भुगतान नियम, डेटा, बुनियादी ढांचा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण जैसे मुद्दों पर विनियम लगातार विकसित हो रहे हैं।
- **वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी,** क्योंकि लगभग 2/3 भारतीय नागरिक गांवों में रहते हैं।

फिनटेक की क्षेत्रीय क्षमता

- **क्रेडिट:** इसमें **उधार और निवेश परिदृश्य को बदलने** की क्षमता है। यह ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से पूंजी तक तीव्र और आसान पहुंच के साथ उपभोक्ता तथा व्यवसायों की मदद कर सकता है।
- **भुगतान:** फिनटेक द्वारा विभिन्न उपयोगों, जैसे- **P2P** (व्यक्ति-से-व्यक्ति), **P2M** (व्यक्ति-से-व्यापारी), **G2P** (सरकार-से-व्यक्ति) आदि के लिए धन का हस्तांतरण किया जा सकता है।
- **पेंशन: फिनटेक-सक्षम प्रौद्योगिकियां वित्तीय नियोजन को सुलभ** बना सकती हैं। इसके लिए **जोखिम प्रबंधन अनुप्रयोगों, निवेश प्रक्रियाओं के स्वचालन और नियामक अनुपालन की सुविधा** उपयोग किया जा सकता है।
- **अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज:** विभिन्न वित्तीय सेवाओं से एक ग्राहक के वित्तीय डेटा को एकत्रित करके विश्लेषण करना और अंतर्दृष्टि का निर्माण करते हुए **अकाउंट एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करना।** इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को प्रबंधित करने में मदद करना है।

आगे की राह

- **कुशल डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और संचरण** के लिए डिजिटल और वित्तीय बुनियादी ढांचे के साथ-साथ दूरसंचार जैसे **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।**
- प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए बाजार **संकेंद्रण, मानकीकरण** और इंटरऑपरेबिलिटी के जोखिम को हल करने हेतु **अनुकूल नीतिगत ढांचा।**
- **तीव्र और कम मूल्य वाले खुदरा मोबाइल भुगतान के लिए वैश्विक गठबंधन बनाना।** उदाहरण के लिए- **UPI** नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से साझेदारी।
- **फिनटेक** के मामले में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग करना। साथ ही, दूरदराज के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भुगतान प्रणाली के बारे में और जागरूकता फैलाना जिससे लोग इससे सीधे-सीधे जुड़ सकें।
- **फिनटेक** के आपराधिक दुरुपयोग के जोखिमों की पहचान, समझ, आकलन और उन्हें कम करके **वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना।**
- **एक सक्षम वैधानिक तंत्र प्रदान करने हेतु कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण। इसमें फिनटेक** गतिविधियों के प्रमुख पहलुओं के बारे में अधिक वैधानिक स्पष्टता और निश्चितता होगी।

5.5. अन्य वित्तीय संस्थाएं (Other Financial Entities)

5.5.1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्केल-आधारित विनियामक ढांचा (Scale-based Regulatory Framework for NBFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)[41] के लिए एक संशोधित स्केल-आधारित विनियामक ढांचा पेश किया है।

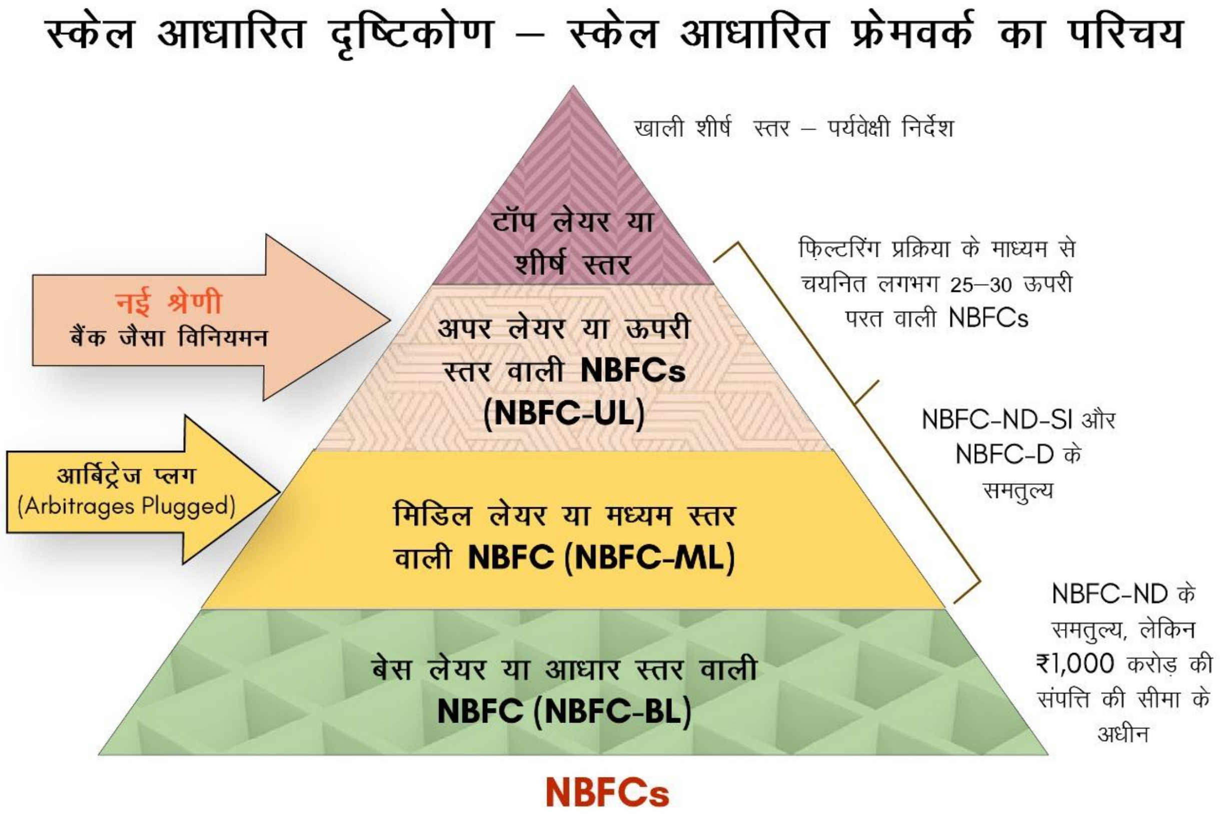

NBFCs के लिए स्केल-आधारित विनियमन

- NBFCs के लिए लाए गए विनियामक ढांचे में 4 घटकों (इन्फोग्राफिक देखें) को शामिल किया जाएगा, जिन्हें उनके आकार, गतिविधि और संभावित जोखिम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- **NPA का वर्गीकरण:** NBFCs की सभी श्रेणियों के लिए मौजूदा NPA के वर्गीकरण मानदंड (अर्थात् जिसका ब्याज/मूलधन 90 दिन से अधिक के लिए बकाया हो गया हो) को परिवर्तित कर दिया गया है।
- **बोर्ड का अनुभव:** कम से कम एक निदेशक के पास बैंक/ NBFC का उचित कार्य अनुभव होना चाहिए।
- **IPO फंडिंग की अधिकतम सीमा:** इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के सब्सक्रिप्शन के वित्तपोषण के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रु. की सीमा निर्धारित की गई है। NBFCs अधिक कठोर सीमाएं भी तय कर सकती हैं।

इस ढांचे का महत्व

- **परिसंपत्ति-देयता असंतुलन:** अधिकांश NBFCs ने लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया है, जबकि उधार देने के लिए इन्होंने वाणिज्यिक पत्र (Commercial Papers: CP) जैसे अल्पकालिक साधनों की सहायता से पूंजी जुटाया है।
- **फंड का 'रोल-ओवर':** NBFC ने पुनर्भुगतान के बकाया होने की स्थिति में वाणिज्यिक पत्र का नया सेट जारी कर फिर से उधार लिया। इस तरह उन्होंने अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड का **'रोल-ओवर'** किया।

---

[41] Non-Banking Financial Companies

- **दोषपूर्ण क्रेडिट रेटिंग:** विभिन्न एजेंसियों ने कई NBFCs को उनके व्यावसायिक मॉडल और संचालन के गहन विश्लेषण के बगैर AAA/AA (सबसे सुरक्षित निवेश) रेटिंग दी थी। उदाहरण के लिए- IL&FS की क्रेडिट रेटिंग रातों-रात AAA से खराब श्रेणी में चली गई। इससे बाजार में खलबली मच गई।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए कड़े लॉकडाउन से NBFCs के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है।
- **प्रणालीगत विफलता:** उपर्युक्त कारणों से NBFCs, जैसे- IL&FS ('टू-बिग-टू-फेल' के रूप में वर्गीकृत) ने पुनर्भुगतान में चूक की और बाज़ार में तरलता तनाव (Liquidity Stress) पैदा किया। इसने एक डोमिनो प्रभाव (Domino Effect) पैदा किया, जिसने अर्थव्यवस्था में मंदी ला दी।

आगे की राह

- सभी क्षेत्रों में जोखिम कम करने हेतु निगरानी के लिए एक शक्तिशाली निकाय बनाकर **बेहतर विनियामक व्यवस्था** {वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) द्वारा अनुशंसित} का गठन करना।
- इन परियोजनाओं की लागत मुद्रास्फीति को कम करने के लिए **परियोजना को समय पर मंजूरी।** यह विशेष रूप से ढांचागत परियोजनाओं के लिए होना चाहिए।
- बेहतर पूर्वानुमान हेतु **रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार करना,** क्योंकि अधिकांश विफल NBFCs की रेटिंग AA/AAA थी। अर्थात् इनके डिफ़ॉल्ट की संभावना लगभग शून्य थी।
- निवेशकों और उधारदाताओं के बीच विश्वास हासिल करने के लिए **NBFCs का बार-बार तनाव परीक्षण (Stress Test) करना।**
- बैलेंस शीट पर **परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन (Asset and Liability Management: ALM) की बेहतर प्रथाएं।**

5.5.2. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs) की स्थापना पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश **डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए गठित समिति की सिफारिशों** पर आधारित हैं।

DBUs के विषय में RBI के दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

DBUs क्या हैं?	• DBUs एक विशेष **फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट/हब** के समान होते हैं। इनकी स्थापना के लिए न्यूनतम डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता होती है। ये ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी बैंकिंग सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, ये डिजिटल बैंकिंग उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और अन्य संबंधित सेवाओं का वितरण भी करते हैं।
DBUs कौन आरंभ कर सकते हैं?	• **विगत डिजिटल बैंकिंग अनुभव रखने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को टियर 1 से लेकर टियर 6 केंद्रों में DBU खोलने** की अनुमति है। उन्हें प्रत्येक मामले में केंद्रीय बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और लीड एरिया बैंकों को DBU खोलने की अनुमति **नहीं** होगी। • इन **DBUs को बैंकिंग आउटलेट्स** के रूप में माना जाएगा।
अवसंरचना और संसाधन	• प्रत्येक DBU को **अलग-अलग प्रवेश और निकास प्रावधानों** की व्यवस्था के साथ पृथक रूप से रखा जाएगा। वे डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त प्रारूप और डिजाइन से युक्त **मौजूदा बैंकिंग आउटलेट्स से भिन्न** होंगी। • बैंक, DBUs सहित डिजिटल बैंकिंग खंड के संचालन के लिए **इन-सोर्स या आउट-सोर्स मॉडल अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।**
उत्पाद और सेवाएं	• प्रत्येक DBU को निश्चित न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी चाहिए, जैसे- ○ **देयता उत्पाद और सेवाएं (Liability Products and services):** खाता खोलना, ग्राहकों और व्यापारियों के लिए डिजिटल किट आदि। ○ **संपत्ति उत्पाद और सेवाएं:** निर्धारित खुदरा; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) या योजनाबद्ध ऋण आदि के लिए ग्राहक हेतु एप्लीकेशन्स का निर्माण करना और उनकी ऑनबोर्डिंग करना। ○ **डिजिटल सेवाएं:** नकद निकासी और नकद जमा केवल क्रमशः ए.टी.एम. और नकद जमा मशीनों के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क, डिजिटल रूप से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था आदि।

VISION IAS

अन्य विशेषताएं	• बैंकों के पास DBUs की वर्चुअल उपस्थिति का विस्तार करने के लिए **डिजिटल व्यवसाय सुविधा प्रदाताओं / कॉरस्पॉन्डेंट्स को शामिल करने के विकल्प होंगे।** • DBUs को **सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और प्रथाओं के विषय में ग्राहकों को व्यावहारिक शिक्षा** प्रदान करनी होगी। इससे ग्राहकों को स्वयं सेवा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। ◦ जिस जिले में DBU स्थित होगा, **वह इस उद्देश्य के लिए उसका कार्यक्षेत्र होगा।** • सीधे या व्यावसायिक सुविधाकर्ताओं / कॉरस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से ग्राहकों को रियल टाइम में सहायता प्रदान करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए, पर्याप्त डिजिटल तंत्र होना चाहिए।

डिजिटल बैंकों के लाभ

ये मूल रूप से **ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करते हैं। कुल मिलाकर, डिजिटल बैंकों के संदर्भ में तीन प्रमुख मॉडल उभर कर सामने आते हैं।**

- **लाइट बैंकिंग दृष्टिकोण:** इनकी बहुत कम भवन शाखाएं होती हैं। इस कारण भौतिक उपस्थिति न्यूनतम होती है।
- **दक्षता में वृद्धि:** आमतौर पर, ऐसे बैंक एक विशेष बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। साथ ही, अपने उत्पादों और सेवाओं को इस तरह से तैयार करते हैं, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सरल और सुविधाजनक हो जाती है।
- तकनीकी उपकरणों की वजह से कम कर्मचारी और रख-रखाव के बावजूद **ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ, पारंपरिक 'ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग'** में उच्च लेन-देन लागत, उत्पाद नवाचार की कमी, कम जोखिम लेने की प्रवृत्ति, सीमित बीमा क्षमता आदि जैसी समस्याएं आती हैं।
- **ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग** एक पारंपरिक व्यवसाय प्रणाली है, जो अपने ग्राहकों से रू-बरू (Face-To-Face) होकर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है।
- **वित्तीय समावेशन में सुधार:** लगभग 63.88 मिलियन MSMEs औपचारिक वित्त व्यवस्था की परिधि से बाहर हैं। डिजिटल बैंक अंतिम छोर तक के वित्तीय समावेशन को संभव कर सकते हैं। एक डिजिटल बैंक एक ऋणदाता के रूप में अधिक लागत प्रभावी तरीके से व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच सकता है।
- **ग्रामीण बाजारों को सेवा:** यह डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को तेज और व्यापक करेगा, क्योंकि इस कदम से सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खुल जाएगा और ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।

डिजिटल बैंकों की सीमाएं

- **कम जन जागरूकता:** अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम है। इस कारण, ग्राहकों को ऑनलाइन मोड में शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए ऑफ़लाइन उपस्थिति आवश्यक हो सकती है।
- **छोटे शहरों में इंटरनेट और स्मार्टफोन तक कम पहुंच** सेवाओं को अपनाना मुश्किल बना देगी।
- **विश्वास का निर्माण:** पारंपरिक बैंकों के विपरीत, उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है।

- **विनियमों का अभाव:** सक्षमकारी विनियमों के अभाव के कारण, ये नए-बैंक जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं या अपनी खाता बहियों पर ऋण नहीं दे सकते हैं।
- **सेवाओं की छोटी श्रृंखला:** पारंपरिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की तुलना में इनकी सेवाओं की श्रृंखला छोटी होती है।

निष्कर्ष

विकसित देशों में, डिजिटल बैंकों ने उल्लेखनीय दक्षता व कम लागत का परिचय दिया है। साथ ही, बैंकिंग की पुरानी पद्धतियों के कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इसी तरह, भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है और इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक सुविचारित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

5.5.3. विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institutions: DFIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक **(NaBFID)**[42] वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही से परिचालन शुरू करेगा। वित्त वर्ष 2023 के लिए अवसंरचना हेतु **1 लाख करोड़ रुपये** का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

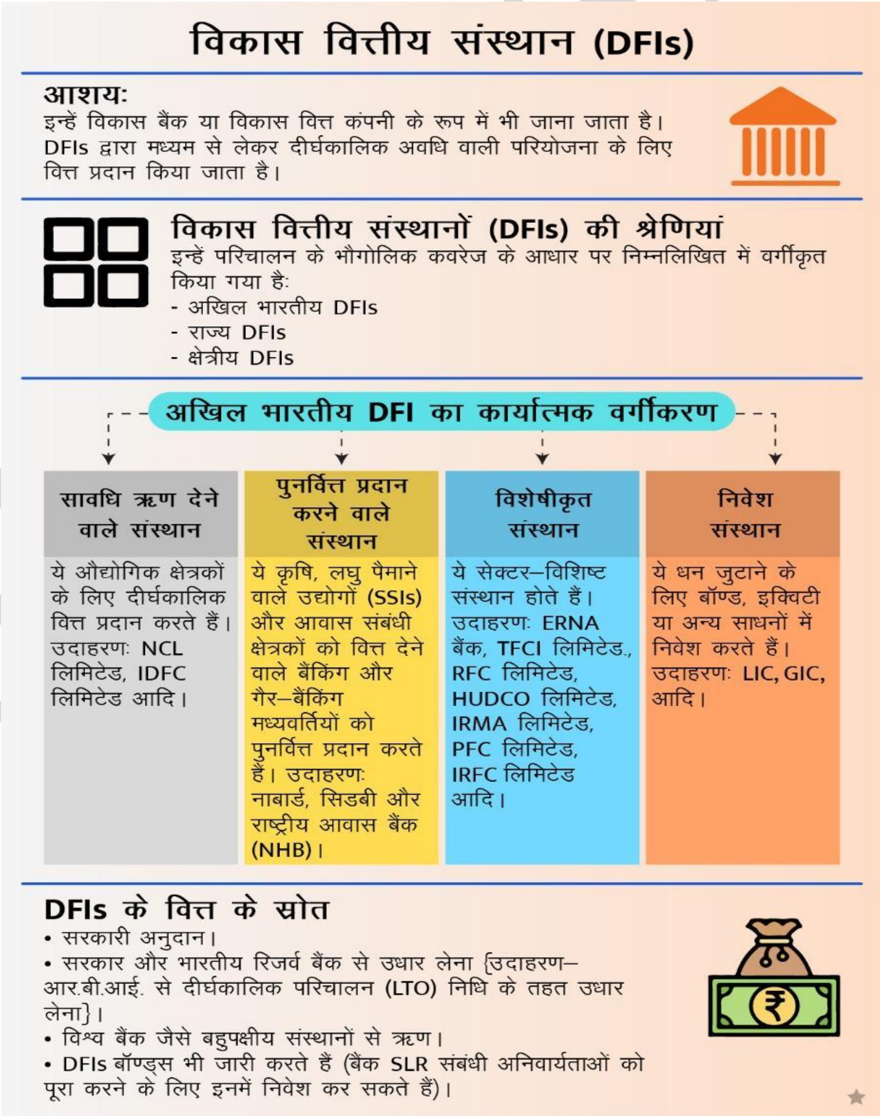

DFI: उद्देश्य और महत्व

- **वित्त पोषण:** DFIs मुख्यतः **मध्यम से लेकर लंबी परिपक्वता अवधि** वाली परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराते हैं। दूसरी ओर, वाणिज्यिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए बड़े ऋण देने से प्रायः हिचकते हैं।
- **सहायक कार्य:** वित्तीय सहायता के अलावा, कई DFIs राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक कंपनियों को वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी सलाह तथा परामर्श भी प्रदान करते हैं।
- **विकल्पों की विविधता:** DFIs के कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर उद्यमों को निम्नलिखित माध्यम से फंड मिल सकता है:
    - कंपनियों के बॉण्ड और डिबेंचर के माध्यम से; प्रतिभूतियों की अंडरराइटिंग के माध्यम से; ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से; और अन्य विदेशी तथा घरेलू स्रोतों से ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के माध्यम से।

[42] National Bank for Financial Infrastructure and Development

- **ख्याति का निर्माण:** DFIs से प्राप्त ऋण, कंपनियों को अपनी ख्याति का निर्माण करने में मदद करता है। इससे उन्हें पूँजी बाजार और अन्य स्रोतों से भी उधार लेने में मदद मिलती है।
- **संकटकालीन वित्तपोषण:** DFIs, कंपनियों की संकट या मंदी के समय में भी मदद करते हैं जब अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं या ऋण की लागत उच्च होती है।
- **पुनर्भुगतान करने संबंधी कम दबाव:** व्यवसायों को ऋण के लिए अधिस्थगन और आसान पुनर्भुगतान विकल्प उपलब्ध होता है। ऐसे में अन्य स्रोतों की तुलना में व्यवसायों पर ऋण पुनर्भुगतान करने संबंधी दबाव कम होता है।

DFIs से वित्तपोषण के समक्ष चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दा:** DFIs मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति सुभेद्य होते हैं।
- **सक्षमता:** DFIs से उम्मीद की जाती है कि वे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ जोखिमों का सामना करने की रणनीति में सक्षम हों। इसके लिए प्रबंधन के स्तर पर इस तरह की क्षमता और कौशल बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।
- **वित्तीय संधारणीयता का मुद्दा:** DFIs की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अक्सर यह लाभप्रदता को कम वरीयता देते हैं, जिससे इन्हें नुकसान होता है।

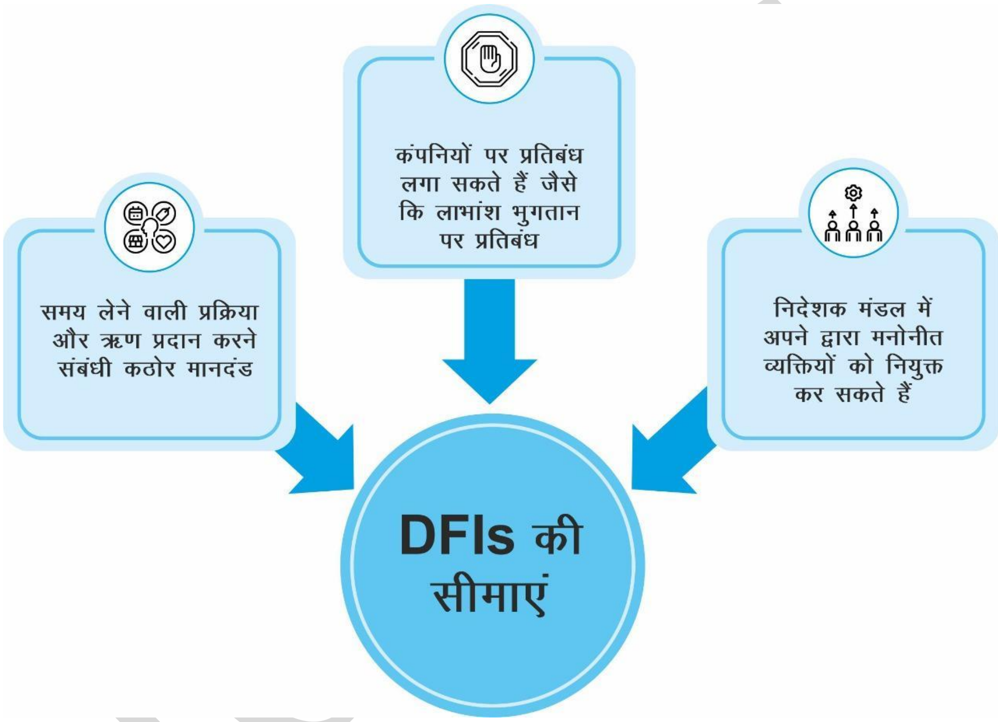

- **तीव्र प्रतिस्पर्धा:** विदेशी फंड के प्रवाह में वृद्धि और अन्य स्रोतों से धन जुटाने के विकल्पों के कारण DFIs को तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में DFIs के लिए अपनी लाभप्रदता को बनाए रखना तथा प्रतिस्पर्धा का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

आगे की राह

- **लचीली संगठन संरचना** मुख्यतः एक कुशल संगठन और परिचालनगत लचीलेपन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने में संगठन को सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए-DFIs की तुलना में, कंपनी की संरचना कहीं अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करती है।
- अधिदेश को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में एक उपयुक्त स्थिति और व्यावसायिक रणनीति हेतु **बोर्ड के विचार-विमर्श की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए।**
- DFIs को **परिचालन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।** यह चयन संबंधी नीतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दों को दूर करेगा। साथ ही, यह DFIs को और प्रतिभाओं को शामिल करने तथा उन्हें अपने साथ बनाए रखने में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए, **प्रदर्शन-आधारित पारिश्रमिक,** उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- जोखिम से बचने या अतिरिक्त अनुपालन संबंधी डर को दूर करने हेतु निर्णय लेने के संबंध में **पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करना चाहिए।**

- बदलते माहौल में परिचालन संबंधी दक्षता को बनाए रखने और सक्षम बने रहने; और दूसरों को बेहतर सहायता प्रदान करने; कौशल का नया समुच्चय प्रदान करने हेतु **क्षमता निर्माण** करना चाहिए।
- DFIs की उत्पाद संरचनाओं और मूल्य निर्धारण में **वित्तीय संधारणीयता सिद्धांतों को लागू करना चाहिए।** इससे DFIs को कम प्रतिफल, कम जोखिम और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की तलाश में रहने वाले निजी (खुदरा) निवेशकों को लक्षित करने में मदद मिलेगी।
- DFIs को सर्वोत्तम सुशासन प्रथाओं को शामिल करना चाहिए। इसके लिए सेबी के दिशा-निर्देशों के आधार पर गैर-सूचीबद्ध DFIs द्वारा **व्यापक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों को अपनाना** चाहिए। साथ ही, इस क्षेत्रक में अधिक सामंजस्य के लिए DFIs में **अधिक समन्वय और सहयोग** होना चाहिए।

6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

6.1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

भारत का निर्यात क्षेत्रक – एक नज़र में

- 2019-20 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 526.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% है। 1991 में यह 0.6% थी, हालांकि अभी भी भारत का निर्यात चीन (13%) और मैक्सिको (9%) से कम है।
- भारत का निर्यात इसके सकल घरेलू उत्पाद के 18% के बराबर है।
- भारत का सेवा क्षेत्र इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है।

भारत के निर्यात क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के कारण

- पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) में भारत की भागीदारी का स्तर निम्न है।**
- **भारत की निर्यात विविधता सीमित है।** वस्तुओं के मामले में, शीर्ष 10 प्रमुख निर्यातित वस्तुओं का कुल व्यापारिक निर्यात में 78 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- कमजोर बुनियादी ढांचे, भूमि और श्रम कानूनों की जटिलता, खंडित तथा वैधानिक दायरे से बाहर लॉजिस्टिक क्षेत्र जैसे घरेलू कारणों से **भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम है।**
- निम्न-कुशलता और निर्यातित वस्तुओं के श्रम-गहन होने से **तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाने में असमर्थता।**
- **निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में तीन मूलभूत चुनौतियाँ:**
  - निर्यात बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अंतरा और अंतर-क्षेत्रीय असमानताएं;
  - व्यापार समर्थन तथा संवृद्धि संबंधी नीतियों का निम्न स्तर; तथा
  - निम्नस्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, जो जटिल और बेहतर उत्पादों के निर्यात में बाधा डालती है।

भारत के लिए निर्यात आधारित वृद्धि की आवश्यकता

- **आत्म-निर्भरता:** निर्यात भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसे 'आत्मनिर्भर भारत' पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया जा सकता है।
- **आर्थिक वृद्धि:** उच्च निर्यात से अधिक विदेशी धन-प्रेषण प्राप्त होता है, अधिक रोजगार पैदा होता है और चालू खाता घाटा कम होता है। इसके साथ ही मांग और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी होता है।
- दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी प्रमुख निर्यातक हैं। इस दावे की पुष्टि करने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन दुनिया में वस्तुओं का अग्रणी निर्यातक है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना:** निर्यात घरेलू विक्रेताओं को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, यह वैश्विक बाजार के एक बड़े हिस्से पर अपनी पैठ बनाने का सुनहरा अवसर भी प्रस्तुत करता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:** राज्यों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने से क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सकता है। यह निर्यात आधारित विकास और इसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर में वृद्धि के माध्यम से होगा।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **RODTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना:** यह निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कर न लगाकर निर्यात की शून्य रेटिंग को सक्षम बनाती है।
- **भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS):** इसमें अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाता मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र होते हैं।
- **एडवांस अथॉराइजेशन स्कीम (AAS)** व्यापारियों को 0% आयात शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है।
- **एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (EPCG स्कीम)**
- **एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI)** उप-राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करने हेतु डेटा संचालित प्रयास के रूप में शुरू की गई पहल है।
- **अन्य पहल:**
  - **MSMEs** के निर्यात को बढ़ाने के लिए **IndiaXports** पहल। निर्यात ऋण गारंटी निगम **में पूंजी निवेश।**
  - **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** 14 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं।
  - **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता** (NEIA) को जारी रखना।

कोरोना काल के बाद के लिए आगे की राह

- मेड इन इंडिया उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना:
  - **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना।**
  - **भारत के विनिर्माण आधार में सुधार करना।**
  - **आयात शुल्क में कमी लाकर व्यापार उदारीकरण।**
  - अधिक नवाचार तथा **भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) पर ध्यान देना।**
- **संभावित क्षेत्रों की खोज करना और उन्हें मजबूत करना:**
  - भारत के निर्यात बास्केट में विविधता लाना।
  - उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को PLI योजना के तहत बढ़ावा देना।
- **मजबूत विदेश व्यापार नीति (FTP):** नई FTP में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है, जिसे कार्यान्वयन के लिए तैयार किया जा रहा है।
- यूरोपीय संघ तथा ब्रिटेन के साथ **मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही पूरा करना चाहिए,** जैसा कि संयुक्त अरब अमीरात,ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है।
- **पड़ोसियों से सीखना,** उदाहरण-बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बन गया है। पिछले आठ वर्षों में वियतनाम का निर्यात लगभग 240% बढ़ा है।

6.2. अंतर्राष्ट्रीय निवेश (International Investment)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश – एक नज़र में

2020 की तुलना में 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 10% की वृद्धि हुई।

FDI के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।

भारत FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र है, जबकि पहला और दूसरा स्थान क्रमशः USA और चीन का है

2020–21 के दौरान कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरे हैं।

2021–22 में भारत में FDI अंतर्वाह 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

भारत में FDI का महत्व

- **आर्थिक संवृद्धि के लिए दीर्घकालिक पूंजी: FDI** गैर–ऋण वित्तीय संसाधन का एक स्थिर स्रोत है।
- **मानव संसाधन विकास:** FDI के साथ, प्रबंधन तकनीकें भी प्राप्त होती हैं। इससे मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल आता है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** भारत जैसे उभरते देशों के लिए FDI महत्वपूर्ण है। यह कुशल उत्पादन के लिए उन्नत उत्पादन तकनीक और उपकरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- **निर्यात में वृद्धि:** यह बाहरी नेटवर्क के साथ अर्थव्यवस्था के वैश्विक एकीकरण में मदद करता है। यह नेटवर्क दीर्घावधि में निर्यात में वृद्धि में सहायक होता है।

भारत में FDI अंतर्वाह से जुड़े मुद्दे

- **वृद्धि दर में गिरावट:** रिकॉर्ड FDI अंतर्वाह के बावजूद, 2021–22 में FDI की वृद्धि दर तीव्र गिरावट के साथ 2% हो गई। यह 2020–21 में 10% और 2019–20 में 20% थी।
- **FDI बहिर्वाह में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2022 में शुद्ध FDI अंतर्वाह (FDI का अंतर्वाह – FDI का बहिर्वाह) 10.6% गिरकर 39.3 बिलियन डॉलर रह गया। यह वित्त वर्ष 2021 में 44 बिलियन डॉलर था।
- **कुछ क्षेत्रों पर ही केंद्रित:** कुल FDI प्रवाह का 62% केवल पांच क्षेत्रों में प्राप्त हुआ। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेवाएं, ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्रक शामिल हैं।
- **FDI को आकर्षित करने वाले कुछ सीमित प्रदेश:** कुल FDI का 78% तीन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों {कर्नाटक (38%), महाराष्ट्र (26%) और दिल्ली (14%)} तक सीमित था।
- **अपतटीय वित्तीय केंद्रों और टैक्स हैवेन का उपयोग:** मॉरीशस और कैमेन द्वीप जैसे टैक्स हैवेन शीर्ष FDI स्रोतों में शामिल हैं।
- **प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में कमी:** हस्ताक्षरित MOU और भारत में वास्तविक FDIs के बीच का अंतर उच्च बना हुआ है।
- **कम पुनर्निवेश:** विदेशी निवेशक अधिशेष को पुनर्निवेश करने के बजाए भारत से बाहर ले जाना पसंद करते हैं।

योजनाएं/पहल

- बीमा, पॉवर एक्सचेंज आदि क्षेत्रों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण।**
- **इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम** के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन और सुविधा।
- **मेक इन इंडिया जैसी पहलों** के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- **भारत और UK** जैसी विशिष्ट साझेदारियों ने **'उन्नत व्यापार साझेदारी'** के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है।
- निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से मंत्रालयों/ विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (PDC) का गठन।

आगे की राह

- भारत में युवा आबादी काफी बड़ी है। इसकी फलती–फूलती अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए FDI अंतर्वाह का लगातार बने रहना महत्वपूर्ण है। हालांकि, लगातार अंतर्वाह के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे–अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बदलता वैश्विक माहौल, **क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट** तथा महामारी का प्रभाव। इसलिए, भारत को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
    - **नीतिगत सुधार** जारी रखना और निवेशकों के मन में अनिश्चितता को दूर करने के लिए **स्थिर सार्वजनिक वित्त सुनिश्चित करना।**
    - विदेशी और घरेलू व्यवसायों में विश्वास पैदा करने के लिए **शासन की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना।**
    - भारत के समग्र विकास के लिए पर्यावरण, संस्कृति और छोटे व्यवसायों की सुरक्षा करते हुए **FDI में विविधता** लाने हेतु पहल करना।

6.2.1. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Ratings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त सचिव ने रेटिंग एजेंसियों पर यह आरोप लगाया है कि ये उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करते समय **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग** के मामले में 'दोहरे मानदंड' अपनाती हैं।

क्रेडिट रेटिंग और रेटिंग एजेंसियों के बारे में

- क्रेडिट रेटिंग के तहत यह बताया जाता है कि कोई प्रतिष्ठान, कंपनी, सरकार आदि अपनी **वित्तीय प्रतिबद्धताओं** को पूरा करने या ऋण चुकाने में कितना/कितनी समर्थ है। इसके अतिरिक्त, वह दिए जाने वाले ऋण को वापस चुकाने के मामले में विश्वसनीय है या नहीं या कितना/कितनी विश्वसनीय है।
- **"सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग"** किसी देश या संप्रभु इकाई की ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का **वस्तुनिष्ठ** और **स्वतंत्र मूल्यांकन दर्शाती** है। यह मुख्य रूप से एक संप्रभु देश की रेटिंग है।
- वैश्विक क्रेडिट रेटिंग में **तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों** (S&P, मूडीज और फिच) का प्रभुत्व है।
- ये रेटिंग एजेंसियाँ **समग्र आर्थिक** और **राजनीतिक स्थिरता** के आधार पर रेटिंग जारी करती हैं, जो यह दिखाता है कि कोई देश, इक्विटी या ऋण, वित्तीय रूप से स्थिर है या नहीं और उनके द्वारा डिफ़ॉल्ट (चूक) का जोखिम कम है या उच्च।
- इस आधार पर, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मोटे तौर पर दो श्रेणियों के तहत देशों का मूल्यांकन करती है:
  - **निवेश श्रेणी:** उच्चतम क्रेडिट रेटिंग से लेकर मध्यम क्रेडिट जोखिम तक।
  - **स्पेक्युलेटिव श्रेणी:** चूक (डिफ़ॉल्ट) के जोखिम का उच्च स्तर है या चूक पहले ही हो चुकी है।
- रेटिंग एजेंसियां **रेटिंग दृष्टिकोण** भी प्रदान करती हैं जो रेटिंग में बदलाव की संभावना इंगित करता है, जैसे- **स्थिर, धनात्मक या ऋणात्मक।**

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का महत्त्व

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का महत्त्व	
सरकारों के लिए	सरकारें सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग निम्नलिखित के लिए प्राप्त करती हैं- • उधार लिया गया धन वापस लौटाने की अपनी क्षमता इंगित कर **वैश्विक पूंजी बाजार से ऋण प्राप्ति को** सुगम बनाने के लिए। • निवेश गंतव्य के रूप में देश का मौद्रिक महत्त्व इंगित कर **विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए।** • अन्य देशों के साथ अपना न्यूनतम मानदंड बनाने के लिए देश के आर्थिक और राजनीतिक माहौल पर **आकलन** को सरल बनाने के लिए।
निवेशकों के लिए	हालांकि यह **गारंटी या पूर्ण माप नहीं** है, लेकिन निवेशकों द्वारा निवेश करने के लिए इसका विश्लेषण जरूर किया जाता है। वे अपने **निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए** इसका उपयोग करते हैं। • इससे उन्हें किसी विशेष देश में निवेश करने में शामिल **राजनीतिक जोखिम सहित जोखिम के अन्य स्तरों के बारे में जानकारी** मिलती है। • इसके माध्यम से वे एक देश की दूसरे से तुलना कर निवेश के लिए एक **रणनीतिक योजना** बनाते हैं। • इन निवेशकों में **सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड आदि** शामिल हैं।

भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR)

भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग और तीन वैश्विक रेटिंग एजेंसियों का दृष्टिकोण चित्र में दिया गया है।

रेटिंग एजेंसी	भारत की रेटिंग	आउटलुक
स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (S&P)	BBB-	स्थिर (स्टेबल)
मूडीज़	Baa3	स्थिर (स्टेबल)
फिच	BBB-	नकारात्मक

- वर्तमान में, भारत विश्व की **छठी {क्रय शक्ति समता** (PPP)[43] के आधार पर **तीसरी} सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।** हालांकि, इसकी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग, **निवेश श्रेणी के तल या अव्यवहार्य श्रेणी के ठीक ऊपर है।**
  - **चीन और भारत** सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में अपवाद हैं। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी इसे निवेश ग्रेड में निचले पायदान पर आंका जाता है।

[43] Purchasing Power Parity

रेटिंग एजेंसियों और सरकार के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण के कारण	
रेटिंग एजेंसियों द्वारा निम्न सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के लिए दिए जाने वाले कारण	• **भारत उभरते बाजारों में से सबसे अधिक ऋणग्रस्त** है। • बिगड़ती राजकोषीय स्थिति या **उच्च घाटा।** • **दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) पर स्पष्टता की कमी** के चलते निकट अवधि के संवृद्धि के लिए बजटीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है। • संवृद्धि की दर लगातार निम्न बनी रहने की संभावना है, लेकिन इस जोखिम को कम करने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं, जैसे- **संभावित संवृद्धि आघातों के प्रति अनुक्रिया हेतु वित्तीय क्षमता (Financial Headroom) की कमी।**
सरकार द्वारा अपनी उच्च सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के पक्ष में दिए जाने वाले कारण	• **सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का कोई** इतिहास नहीं होना। • **GDP की उच्च वृद्धि दर, कम मुद्रास्फीति,** और **V आकार की रिकवरी।** • बैंकों के बैड लोन्स की बड़ी वसूली के साथ **बेहतर वित्तीय स्थिरता।** हाल ही में, बैड लोन्स से निपटने के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) और भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL) की भी स्थापना की गई है। • देश के ऋण की तुलना में **उच्च विदेशी मुद्रा भंडार।** • व्यवसाय करने में सुगमता, विधि का शासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण आदि में सुधार के साथ **उच्च राजनीतिक स्थिरता।**

खराब रेटिंग का प्रभाव

- **निवेशकों का कम विश्वास:** खराब रेटिंग, भारत जैसी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के लिए बाधा के रूप में कार्य करती है।
- **उधार लेने की लागत में वृद्धि:** खराब रेटिंग से उधार लेने वाले देश के प्रति क्रेडिट जोखिम धारणा बढ़ जाती है, जिससे उभरते देश, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिभूतियों पर अधिक से अधिक ब्याज देने के लिए विवश हो जाते हैं।
- **वित्तीय बाजार की अस्थिरता:** अक्सर, रेटिंग एजेंसियां बाजार में तेजी के बाद रेटिंग ऊपर उठाती हैं और मंदी के बाद नीचे गिराती हैं। इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होने का जोखिम होता है, क्योंकि कई संस्थागत निवेशक केवल निवेश-श्रेणी के इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हैं।
- **पूंजी बाजार से अलगाव:** वाणिज्यिक बैंकों और कॉर्पोरेट ऋण के लिए खराब रेटिंग और उपनिवेश श्रेणी के कारण-
  - बैंकों के लिए घरेलू निर्यातकों और आयातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेटर ऑफ़ क्रेडिट जारी करना महंगा हो जाता है।
  - फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से ऋण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **नीतिगत निहितार्थ:** खराब रेटिंग से देश की नीति को वृद्धि और विकास के विचारों के बजाय संप्रभु क्रेडिट रेटिंग द्वारा देखने का जोखिम होता है।

घरेलू रेटिंग एजेंसियां

- भारत में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां **सेबी एक्ट, 1992** के SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियमन, 1999 के तहत **SEBI द्वारा विनियमित हैं।**

रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए SEBI द्वारा हाल में उठाए गए कदम

- कंपनियों और उनके ऋण विपत्रों (debt instruments) को रेटिंग प्रदान करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए **प्रकटीकरण मानकों को कठोर किया गया है।**
- रेटिंग की जा रही कंपनी की **तरलता की स्थिति का खुलासा करना।**
- **पहले की रेटिंग** और रेटिंग द्वारा सभी श्रेणियों में किये गए परिवर्तन के आधार का **खुलासा करना।**
- यदि **नकदी प्रवाह की धारणा** के आधार पर रेटिंग दी गई है तो **वित्त पोषण के स्रोत का खुलासा करना।**
- **तरलता की गिरावट का विश्लेषण करना और परिसंपत्ति दायित्व असंतुलन** की भी जांच करना।

वैश्विक रेटिंग के संदर्भ में आगे की राह

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरते देशों की रेटिंग में बड़ी गिरावट की अधिक संभावना जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए रेटिंग की **पारदर्शिता में सुधार लाना।**
- उभरते देशों के लिए उन्हें किसी भी पूर्वाग्रह और सब्जेक्टिविटी से मुक्त रखने के लिए **प्रतिक्रियाशील सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से बचना।**
- **उभरते देशों और उनकी रेटिंग एजेंसियों** को जोड़ना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी कार्यपद्धति, अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक क्षमता और उनके बाहरी दायित्वों का भुगतान करने की तत्परता दर्शा रही है।

- **विकसित देशों की संस्थाओं की उचित जांच।**
    - उदाहरण के लिए, अमेरिका में इनके द्वारा मॉर्टगेज-समर्थित प्रतिभूतियों[44] के लिए धनात्मक क्रेडिट रेटिंग **खराब निवेश** का कारण बनी, जिसने 2007-09 की महामंदी में योगदान दिया।
    - इसी तरह, 2010 में S&P द्वारा ग्रीस, पुर्तगाल और आयरलैंड की रेटिंग नीचे गिराने से यूरोपीय सॉवरेन ऋण संकट और गंभीर हो गया।

6.3. चालू खाता घाटा (Current Account Deficit: CAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2022 की दिसंबर तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा (CAD)[45] नौ वर्ष के उच्च स्तर, 23 अरब डॉलर **(GDP का 2.7%)** पर पहुंच गया। यह वर्ष 2012 की दिसंबर तिमाही के दौरान 31 अरब डॉलर पर था।

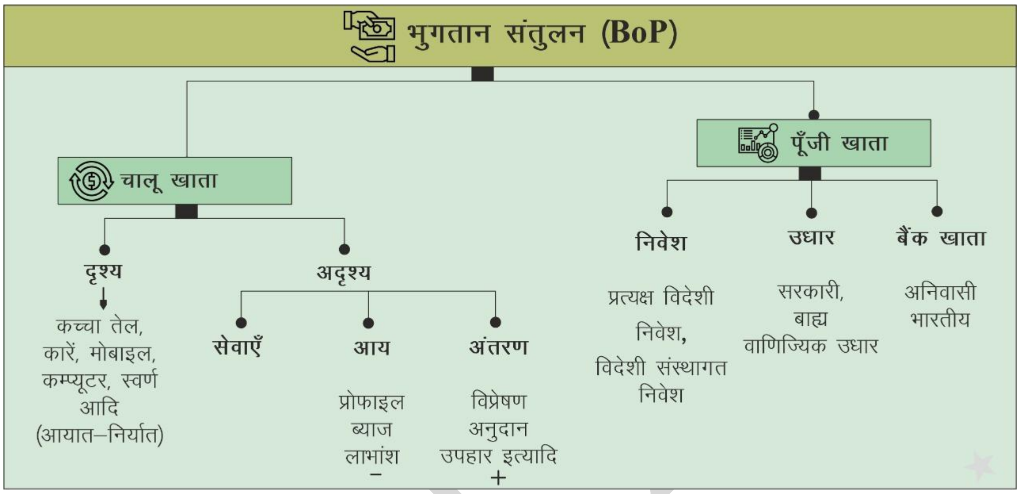

CAD के बारे में

- **भुगतान संतुलन (Balance of Payments: BoP):** इसमें किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किसी विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेनदेन को शामिल किया जाता है।
    - अंतरण भुगतान (Transfer payments) ऐसी **प्राप्तियां** हैं, जो **निवासियों द्वारा** किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना, 'निःशुल्क' **प्राप्त** की जाती हैं। इसमें प्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल हैं।
- **पूंजी खाता** में एक विशिष्ट समय, आमतौर पर एक वर्ष में संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री, जैसे- धन, स्टॉक, बॉण्ड्स, आदि को दर्ज किया जाता है।

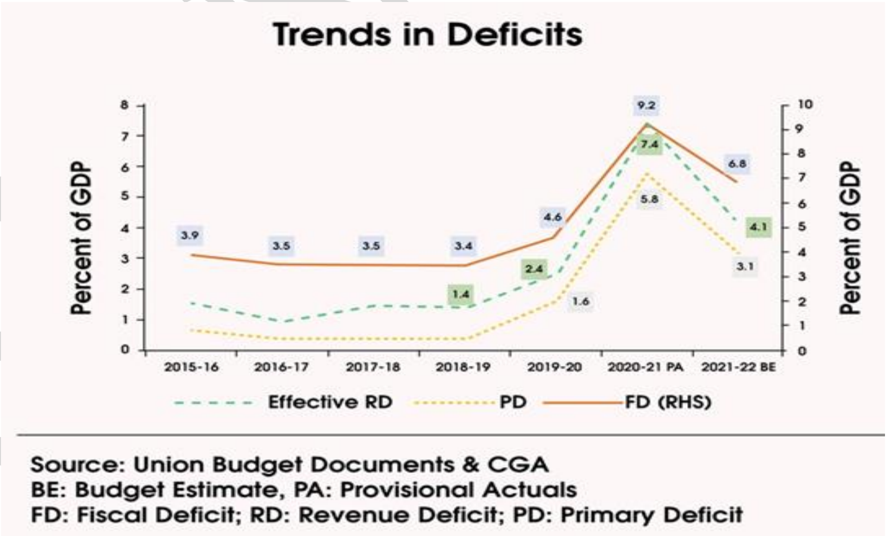

भारत का CAD रुझान

- भारत में CAD की स्थिति कमोबेश बनी रहती है। तेल की कीमतों में वृद्धि तथा अन्य कारणों की वजह से CAD के उच्च होने से वर्ष 1991 में इसे BoP संकट का सामना करना पड़ा था।
- पिछले कुछ वर्षों में, एक दशक से अधिक के अंतराल पर कुछ अलग-अलग तिमाहियों में **चालू खाता अधिशेष** दर्ज किया गया, जैसे कि **2021-22 की पहली तिमाही** के दौरान। हालांकि, भारत इस रुझान को लगातार बनाए रखने में विफल रहा। (चित्र देखें)

[44] Mortgage-Backed Securities

[45] Current Account Deficit

- भारत के निरंतर CAD के पीछे **व्यापारिक वस्तुओं में इसका व्यापार घाटा** है। भारत के पास **सेवा क्षेत्रक में व्यापार अधिशेष** है। साथ ही, यह दुनिया का सबसे बड़ा धन प्रेषण (87 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्तकर्ता देश है।

CAD बढ़ने से संभावित खतरे

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर, भारत किसी बाह्य क्षेत्रक संकट[46] में आए बिना **GDP के 2.5-3.0% के CAD को बनाए रख सकता है** (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22)। हालांकि, **बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट का डर और अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के खतरों** के साथ निम्नलिखित अन्य खतरे CAD को बढ़ा सकते हैं:

- **विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी निकाला जाना** या सीमित पूंजी का ही निवेश।
- मुद्रा विनिमय दर में तीव्र गिरावट के कारण **महंगा समष्टि अर्थशास्त्र समायोजन (Macroeconomic Adjustments)।**
- **मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं** के कारण घरेलू बचत में और गिरावट आना, जिससे निवेश में कमी आती है या विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी उधार लेना पड़ता है।
- इससे **भुगतान असंतुलन और भुगतान संकट** की स्थिति पैदा हो सकती है, जैसा कि **एशियाई वित्तीय संकट** (1997) और हाल ही में **श्रीलंकाई संकट** में देखा गया।

आगे की राह

- **सौर, हाइड्रोजन आदि जैसे अक्षय ऊर्जा ईंधन को तेजी से अपनाने** के साथ तेल और गैस के **घरेलू उत्पादन में वृद्धि।**
- **आयात प्रतिस्थापन,** इसके लिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत, स्वतंत्र व्यापार समझौतों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ाना होगा।
- मुक्त व्यापार समझौतों के अधिकतम उपयोग की सहायता से **भारतीय निर्यात में वृद्धि करना।**
- **पूंजी प्रवाह को बनाए रखना,** इसके लिए व्यापार में लगातार सुगमता के सुधार करने होंगे और विदेशी निवेश के सुगम प्रवाह के लिए FDI सुधारों के माध्यम से निवेशकों का भरोसा हासिल करना होगा।
- **राजकोषीय समेकन शुरू करना,** इसके लिए मुद्रास्फीति को काबू करने के उद्देश्य से कड़ी मौद्रिक नीति अपनानी होगी। साथ ही, चालू खाता घाटे को काबू करने के लिए बचत को बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसा कि एन. के. सिंह समिति द्वारा सुझाया गया है।

[46] External Sector Crisis

6.4. पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility: CAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI के डिप्टी गवर्नर ने भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता कार्यढांचे में मूलभूत बदलाव के संकेत दिए हैं। इससे फिर से पूंजी खाता उदारीकरण[47] से संबंधित बहस शुरू हो गई है।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (CAC) का अर्थ क्या है?

- परिवर्तनीयता या कन्वर्टिबिलिटी का आशय BoP (भुगतान संतुलन) से जुड़े लेन-देन के भुगतान के लिए **घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में और विदेशी मुद्राओं को घरेलू मुद्रा में बदलने या विनिमय की क्षमता** से है।
- इस प्रकार, CAC पूंजी खाता लेनदेन के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित करने की क्षमता या स्वतंत्रता है।
- पूंजी खाता उदारीकरण पूंजी के अंत:प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने या घरेलू निवेशकों को विदेशी परिसंपत्तियों में अधिक स्वतंत्र रूप से निवेश करने की अनुमति देने की प्रक्रिया है।
    - एक पूर्ण CAC धनराशि पर किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में विनिमय या बदलने या एक्सचेंज करने की अनुमति देता है।

संबंधित अवधारणाएं: भुगतान संतुलन (BoP), पूंजी खाता और चालू खाता

भुगतान शेष (BoP) के तहत, किसी एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक साल के दौरान शेष विश्व के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेन–देन (व्यक्तिगत, कारोबारी और सरकार के लेन–देन) को दर्ज किया जाता है। इसमें 2 घटक होते हैं–

चालू खाता (देश के अल्पकालीन लेन–देन या उसकी बचत और निवेश का अंतर)
- **विजिबल ट्रेड या दृश्य व्यापार:** वस्तुओं का निर्यात और आयात
- **इनविजिबल ट्रेड या अदृश्य व्यापार:** सेवाओं का निर्यात और आयात
- **एकपक्षीय अंतरण**
- **निवेश से आय** (भूमि और विदेशी शेयर जैसे कारकों से आय)
- **अंतरण** (अनुदान, उपहार, वित्तप्रेषण आदि)

पूंजी खाता (पूंजी का ऐसा अंतर्वाह/इनफ्लो और बहिर्वाह/आउटफ्लो जिससे किसी राष्ट्र की विदेशी संपत्ति और देनदारी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है)
- **विदेशी निवेश:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश।
- **ऋण:** बाह्य सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधारी और व्यापार उधार
- **बैंकिंग पूंजी**
- **अनिवासी भारतीय (NRI) के जमा**

- **CAC का विनियमन:**
    - भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में अपने पूंजी खाते को सावधानीपूर्वक खोलना शुरू किया और वर्तमान में **भारत में आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता** मौजूद है।
    - पूर्ण CAC की दिशा में एक मार्ग की सिफारिश करने के लिए RBI द्वारा पहले कई समितियां गठित की जा चुकी हैं, इनमें शामिल हैं-
        - **कमेटी ऑन CAC, 1997 (तारापोर समिति, 1997)** ने राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) आदि से संबंधित कुछ बेंचमार्क की पूर्ति के बाद 1999-2000 से पूर्ण CAC की सिफारिश की थी।
        - **पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता (CAC) पर कमेटी, 2006 (तारापोर समिति, 2006)** ने क्रमिक रूप से पूंजी खाते का उदारीकरण करने के उपायों पर सुझाव दिया था।

पूर्ण CAC की तरफ बढ़ने के लिए उठाए गए कदम

- **पूर्ण या फुली एक्सेसिबल रूट (FAR)** को लाया गया, जो विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में अनिवासी निवेश (non-resident investment) पर कोई सीमा नहीं लगाता है।
- **नॉन-कन्वर्टेबल फॉरवर्ड (NDF) रुपी (Rupee) मार्केट में व्यापार या ट्रेड की अनुमति:** RBI ने भारत में उन बैंकों को NDF बाजार या मार्केट में भाग लेने के लिए अनुमति दी है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट (IBU) का संचालन करते हैं।
    - NDF एक फॉरिन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है, जो परिवर्तनीय मुद्रा में अनुबंध व्यवस्था के साथ निवेशकों को गैर-परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति देता है। NDF मुख्य रूप से मुद्रा के घरेलू क्षेत्राधिकार की सीमाओं से परे व्यापार करते हैं, जिससे निवेशक घरेलू बाजार के विनियामक ढांचे के बाहर लेनदेन कर सकते हैं।
- **उदारीकृत विप्रेषण योजना**[48] नाबालिग सहित सभी निवासी व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर बाहर भेजने अर्थात् मुक्त रूप से विप्रेषित (remit) करने की अनुमति देती है। यह चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन में संभव है।
- **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB)[49] को युक्तिसंगत बनाना:** RBI द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं-

[47] Capital account liberalization

[48] Liberalised Remittance Scheme

- ○ **क्षेत्रवार सीमाओं की प्रणाली को बदलना:** दिशा-निर्देश में निर्धारित कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, FDI प्राप्त करने के पात्र सभी संस्थाओं को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ECB जुटाने की अनुमति दी गई है।
  - ○ **ECB से जुड़े अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों में ढील**: कॉर्पोरेट्स और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए ECB जुटाने की अनुमति देना।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को लगभग प्रतिबंधों से स्वतंत्र कर दिया गया है**, केवल (i) कुछ क्षेत्रो में सीमा निर्धारित की गई है, और (ii) कुछ सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (जैसे- जुआ) या अस्थिर क्षेत्र (जैसे- रियल एस्टेट) या रणनीतिक क्षेत्र (जैसे- परमाणु ऊर्जा) में प्रतिबंध लगे हुए हैं।

CAC से जुड़े लाभ

- **आर्थिक संवृद्धि को सुगम बनाता है:** CAC निवेशकों, व्यवसायों और व्यापार भागीदारों सहित वैश्विक अभिकर्ताओं के लिए बाजार खोलता है, जिससे निवेश प्रवाह में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ होता है, जैसे-
  - ○ वित्तीय बाजारों में बेहतर तरलता और जोखिम का बेहतर तरीके से बंटवारा।
  - ○ विदेशी इक्विटी और ऋण पूंजी दोनों की लागत में कमी।
  - ○ विदेशी रुपया बाजार (Offshore rupee market) का विकास।
  - ○ रोजगार और व्यापार के बेहतर अवसर।
  - ○ बेहतर बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक प्रथाओं के लिए सकारात्मक दबाव।
- **वित्तीय क्षेत्र की दक्षता में सुधार करता है,** क्योंकि यह पूंजी के प्रवाह में खुलापन ला सकता है -
  - ○ देश के वित्तीय क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना।
  - ○ विदेशी निवेशकों के मापदंडों को पूरा करने के लिए घरेलू कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार को बढ़ावा देना।
  - ○ समष्टि आर्थिक नीतियों (macroeconomic policies) और सरकार पर अनुशासन या लगाम लगाना।

पूर्ण CAC या मुक्त पूंजी परिवर्तनीयता से जुड़े जोखिम

- **विनिमिय दर की अस्थिरता:** पूर्ण CAC से बड़ी संख्या में वैश्विक बाजार की कंपनियां भारत के साथ जुड़ सकती हैं जिससे पूंजी अचानक बाहर जा सकती है। यह विदेशी मुद्रा में अस्थिरता, अवमूल्यन या मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है।
- **असंधारणीय विदेशी ऋण (Unsustainable Foreign Debts):** यदि विनिमय दरें प्रतिकूल हो जाती हैं, तो विदेशी ऋण के मामले में व्यवसायों पर उच्च पुनर्भुगतान का जोखिम आ सकता है।
- **क्रेडिट एंड एसेट बबल्स (Credit and asset bubbles):** उभरते देशों में विदेशी निवेशक इक्विटी बाजारों का उपयोग, मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर सट्टा लगाने के लिए कर सकते हैं, जिससे परिसंपत्ति मूल्यों में विकृति आती है और सट्टेबाजी का जोखिम बढ़ जाता है।
- **वैश्विक समष्टि-आर्थिक जोखिमों का खतरा**: पूर्ण या फुली CAC वैश्विक वित्तीय संकटों से जुड़े जोखिमों को बढ़ाता है, खासकर भारत जैसी उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के लिए।
  - ○ उदाहरण के लिए, 1997 के एशियाई वित्तीय संकट ने विकराल रूप ले लिया था क्योंकि प्रभावित देशों में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता थी, और 2008 के वित्तीय संकट का एक कारण उभरते देशों से भारी मात्रा में विदेशी पूंजी का बाहर जाना था।
- **व्यापार संतुलन एवं निर्यात पर प्रभाव:** पर्याप्त अंतर्वाह (घरेलू बाजार में अधिक विदेशी मुद्रा आने) से विनिमय दर अधिक हो सकती है जो भारतीय निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है।

[49] External Commercial Borrowing

- **संवृद्धि या ग्रोथ को सृजित करने में प्रभावशीलता का अभाव:** विदेशियों द्वारा विदेशी पूंजी के अंतर्वाह से विकास या संवृद्धि पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दीर्घकालिक विकास का मुख्य निर्धारक उत्पादकता वृद्धि है जिसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे, व्यापार में आसानी, तकनीकी प्रगति आदि की आवश्यकता होती है।

क्या भारत एक पूर्ण CAC के लिए तैयार है?

भारत में कई आर्थिक मापदंडों में काफी सुधार हुआ है, जो पूर्ण CAC के प्रति तैयारी का संकेत देता है-

- विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग 640 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
- अस्थिर पोर्टफोलियो प्रवाह की तुलना में FDI प्रवाह में अधिक वृद्धि (ग्राफ देखें)।
- **निम्न चालू खाता घाटा (CAD):** वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 1.0 प्रतिशत।
- लेकिन भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला दबाव उच्च राजकोषीय घाटे (2020-21 में 9.3 प्रतिशत) और मुद्रास्फीति (अक्टूबर 2021 में 4.48%) से स्पष्ट है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि और कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार की गति, CAD को काफी हद तक बढ़ा सकती है। इस प्रकार, भारत को पूंजी खाता उदारीकरण की दिशा में **एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है-**
- **चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना:** धीरे-धीरे, पूर्ण या फुली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से, संपूर्ण G-sec निर्गत, अनिवासी निवेश[50] के लिए पात्र हो सकते हैं।
- **CAC के जोखिमों से निपटने के लिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली विकसित करना:**
  - **पूंजी प्रवाह की मात्रा और संरचना का प्रबंधन करने के उपकरण।**
  - **वृहत् विवेकपूर्ण उपकरण**[51] जैसे काउंटर चक्रीय पूंजी बफर[52]।
  - **सूचना प्रवाह के लिए उचित तंत्र** ताकि बड़े विदेशी लेनदेन के वातावरण में विनिमय और ब्याज दर प्रबंधन प्रभावी बने रह सकें।
- व्यापार प्रक्रिया में बदलाव और पूंजी परिवर्तनीयता से जुड़े वैश्विक जोखिमों के प्रबंधन के लिए **बाजार सहभागियों, विशेष रूप से बैंकों को तैयार करना।**
- **ठोस समष्टि आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों का विकास करना:** इस संबंध में पूंजी खाता में पूर्ण परिवर्तनीयता (CAC) पर कमेटी, 2006 (तारापोर समिति, 2006) की सिफारिशों में शामिल हैं-
  - केंद्र के बाजार उधार कार्यक्रम के तहत पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए केंद्र के राजस्व अधिशेष का बड़ा हिस्सा निर्धारित करना।
  - केंद्र सरकार और राज्यों को राजकोषीय घाटे की गणना की वर्तमान प्रणाली से सार्वजनिक क्षेत्र की उधार आवश्यकता (PSBR)[53] की माप की तरफ बढ़ना चाहिए।
  - RBI के बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले **सार्वजनिक ऋण कार्यालय[54] की स्थापना करना।**
- **कारोबारी वातावरण को मजबूत करना:** एक पूर्ण CAC तेजी से होने वाली दिवालियापन कार्यवाही, ढांचागत विकास, FDI लेनदेन को सुव्यवस्थित करने, कर (tax) स्पष्टता और नीति निश्चितता आदि जैसे कारकों द्वारा उच्च विकास में परिणत होगी।

निष्कर्ष

भारत ने पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के बढ़े हुए स्तर को प्राप्त करने में एक लंबा सफर तय किया है। इसने विदेशी पूंजी प्रवाह की एक स्थिर संरचना को प्राप्त करने के संदर्भ में नीतिगत विकल्पों के लिए इच्छित परिणाम को बहुत हद तक प्राप्त कर लिया है। वहीं, भारत इस क्षेत्र में होने वाले कुछ बुनियादी बदलावों के मुहाने पर भी खड़ा है। पूंजी परिवर्तनीयता में बदलाव की गति इनमें से प्रत्येक और इसी तरह के उपायों के साथ ही आगे बढ़ेगी।

इसके साथ यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि पूंजी प्रवाह उपायों[55], वृहद-विवेकपूर्ण उपायों[56] और बाजार हस्तक्षेप के सही संयोजन के साथ इस तरह के प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए।

---

[50] Non-Resident Investment

[51] Macro Prudential Tools

[52] Countercyclical Capital Buffers

[53] Public Sector Borrowing Requirement

[54] Office of Public Debt

[55] Capital Flow Measures

6.5. भारत और वैश्विक सूचकांक (India and Global Indices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जारी **पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI)**[57] **2022** में भारत को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। हालांकि, इसके निष्कर्षों का भारत ने खंडन किया है। भारत का कहना है कि EPI 2022 में खामियां हैं। सूचकांक में कई सूचक निराधार मान्यताओं पर आधारित हैं। प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ सूचक अनुमानों और अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित हैं।

वैश्विक सूचकांक और उनकी उपयोगिता

- वैश्विक सूचकांक ऐसे मानदंड हैं, जो विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न देशों की **मज़बूती** और **कमजोरियों का** मूल्यांकन करते हैं। इन मापदंडों में **आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक-सांस्कृतिक, शासन-संबंधी** या **मिश्रित/ अन्य मापदंडों** जैसे घटकों को शामिल किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **वैश्विक लिंग अंतराल,** जो **आर्थिक भागीदारी एवं अवसर; शैक्षिक उपलब्धि; स्वास्थ्य और उत्तरजीविता**; तथा **राजनीतिक सशक्तिकरण** मापदंडों पर आधारित है।
- इन सूचकांको को सरकारी एजेंसियों, निजी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों या अंतरसरकारी संगठनों/ संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है।
- **वैश्विक सूचकांकों की उपयोगिता**
  - **सरकार को जवाबदेह बनाए रखने हेतु:** वैश्विक सूचकांक **शासन की बेहतर प्रभावशीलता** को बनाए रखने हेतु सार्वजनिक सेवाओं और सिविल सेवाओं की गुणवत्ता की पहचान करने में मदद करते हैं।
  - **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा और पूर्वाग्रह ग्रसित घरेलू मीडिया के** खिलाफ जवाबदेही एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करती है। साथ ही, यह नागरिकों और मीडिया की अभिव्यक्ति और संघ बनाने के अधिकार को मजबूत करती है।
  - **सुधारों के लिए एक प्रेरक:** इन सूचकांकों से संस्थानों, नीतियों और विनियमों के संदर्भ में धारणाओं के आकलन में मदद मिलती है। ये सरकार को सुधारों के लिए मजबूर करते हुए '**विधि का शासन**' स्थापित करने में सहयोग करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, ये ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस जैसे अनुबंध प्रवर्तन, संपत्ति अधिकार आदि की दिशा में सुधारों को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्र के विकास में मदद करते हैं।
  - **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण:** ये बड़े पैमाने पर मिलीभगत वाले भ्रष्टाचार के साथ-साथ कुलीनों और निजी हितों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ये निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में लोगों को जागरूक बनाते हैं।

वैश्विक सूचकांकों द्वारा जारी किए गए भारतीय रेटिंग से संबंधित मुद्दे

सूचकांक	जारीकर्ता	भारत की स्थिति	भारतीय रेटिंग से संबंधित मुद्दे
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट	अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF)	**भारत को विशेष मुद्दे वाले देशों में** शामिल किया गया है	भारत ने **पूर्वाग्रह** और **मिथ्या प्रस्तुति** जैसे मुद्दों के साथ **USCIRF की वैध स्थिति पर** आशंका व्यक्त किया है, क्योंकि यह भारत को अफगानिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान आदि देशों के साथ रखता है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक	रिपोर्टर सैन्स फ्रंटियर्स	**180 में से 150वां स्थान**	भारत को मीडिया के संदर्भ में **दुनिया के सबसे जोखिमपूर्ण देशों** में से एक घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को **अफगानिस्तान से** सिर्फ **6 स्थान** और पाकिस्तान से **7 स्थान** ऊपर रैंकिंग प्रदान की गई है।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक	कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्टहंगर लाइफ	**116 में से 101वां स्थान**	यह खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुमानों के उपयोग पर आधारित है। यह **वैज्ञानिक पद्धति** की जगह **जनमत सर्वेक्षण** का उपयोग करता है।
लोकतंत्र सूचकांक	वित्तीय आसूचना इकाई (EIU)	**167 में से 46वां स्थान**	हालांकि, भारत का स्कोर वर्ष 2020 के **निम्नतम 6.61** से बढ़कर वर्ष 2021 में **6.91** हो गया है, **लेकिन 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रों'** में इसे शामिल किए जाने का मुद्दा जारी है।

[56] Macro-Prudential Measures

[57] Environment Performance Index

VISION IAS

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक	हेरिटेज फाउंडेशन	**184 में से 131वां स्थान**	विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में बेहद कम ऋण और जीरो सोवेरिन डिफ़ॉल्ट के बावजूद, भारत को **घाटे** और **ऋण** के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य पर बहुत कम स्कोर प्रदान किया गया है। साथ ही, भारत को **'अत्यधिक अस्वतंत्र'** श्रेणी में रखा गया है।
फ्रीडम ऑफ़ द वर्ल्ड	फ्रीडम हाउस	**100 में से 66वां स्थान**	इसके तहत लोकतंत्र और मुक्त समाज के संदर्भ में भारत को **'आंशिक रूप से मुक्त'** श्रेणी में स्थान प्रदान किया गया है।

खराब रेटिंग का प्रभाव

- **निवेश: थिंक टैंक, सर्वेक्षण एजेंसियों** आदि की नकारात्मक टिप्पणी से **भारत की वैश्विक छवि**, **निवेश भावना** और अन्य स्थानों पर **भारत का प्रदर्शन** प्रभावित होता है।
    - उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के **वर्ल्डवाइड गवर्नेंस इंडिकेटर (WGI)** का इस संदर्भ में एक प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसाकि यह अन्य के साथ EIU, फ्रीडम हाउस, हेरिटेज फाउंडेशन आदि के डेटा स्रोतों का उपयोग करता है।
- **स्वतंत्र रेटिंग:** यह भारत की स्वतंत्र रेटिंग व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि देश की स्वतंत्र रेटिंग का **18-26% हिस्सा शासन, राजनीतिक संधारणीयता, विधि का शासन, भ्रष्टाचार, प्रेस की स्वतंत्रता** आदि जैसे कारकों पर आधारित है।
- **वैश्विक धारणा:** भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटकों को नकारात्मक तरीके से दिखाने पर प्रतिकूल वैश्विक धारणा उत्पन्न होती है। साथ ही, इससे वैश्विक भारतीय समुदाय, पर्यटन क्षेत्र आदि भी प्रभावित होता है।

वैश्विक सूचकांकों के उपयोग पर चिंता

संदिग्ध कार्यपद्धति और **पूर्वाग्रहों के** कारण सरकार को इन पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए:

- इनमें **बार-बार** परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि एजेंसियां अक्सर घटनाक्रमों की सतत निगरानी में विफल रहती हैं।
- इनसे **इससे भेड़-चाल** को बढ़ावा मिल सकता है।
- सरकार द्वारा इन रेटिंगों के उपयोग किए जाने से इन एजेंसियों और उनकी धारणाओं को आधिकारिक स्वीकृति मिलती है, जिससे **नैतिक खतरे से संबंधित जोखिम** बढ़ता है।
- नीतियों में इन सूचकांकों के उपयोग से **ऐसे सूचकांकों को अधिक वैधता मिलने का जोखिम** बना रहता है।

आगे की राह

- **घरेलू सांख्यिकीय पारितंत्र और डेटा संग्रह को मजबूत करना:** गहन उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण में इन एजेंसियों की मदद करने या वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आवधिक स्तर पर घरेलू डेटा का संग्रहण तथा साझा किया जाना चाहिए।
- **एजेंसियों तक पहुंच:** इन एजेंसियों तक पहुंचने के तरीकों पर काम किया जाना चाहिए, ताकि इनकी कार्य पद्धति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। साथ ही, आंतरिक मामलों में संवेदनशीलता के साथ देश में सुधार हेतु किए गए उपायों को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए।
- **एजेंसियों की जवाबदेही:** वास्तविक चिंताओं और स्पष्ट पूर्वाग्रहों की स्थिति में उनसे वार्ता की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में सवाल उठाए जाने के बाद वर्ष 2021 में लोकतंत्र सूचकांक में भारत के स्कोर में सुधार हुआ है।
- **कानून और नीतियां:** भारतीय लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों, मीडिया आदि पर सकारात्मक घरेलू माहौल के निर्माण हेतु उचित कार्यान्वयन के साथ मजबूत कानूनों और नीतियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **भारतीय राज्यों की सहायता:** चूंकि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि जैसे विषय **राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं**, इसलिए उन्हें **वित्तीय** और **तकनीकी सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।
- **भारतीय प्रवासियों को शामिल करना:** भारतीय प्रवासियों को जोड़ने के लिए भारतीय दूतावासों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे अन्य देशों में भारत की वास्तविक छवि का प्रसार किया जा सकेगा। साथ ही, उन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए भारत आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

वैश्विक सूचकांक, **भारत के सांख्यिकीय पारितंत्र के लिए मददगार** हो सकते हैं। हालांकि, इसका घरेलू डेटा पारिस्थितिकी तंत्र और डेटा-आधारित नीति संरचना हेतु **एक विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया सकता और न ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।**

6.6. वैश्विक न्यूनतम कर दर (Global Minimum Tax Rate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)[58] ने **15% वैश्विक न्यूनतम कर** (GMT)[59] को घरेलू स्तर पर लागू करने के लिए **पिलर टू (या स्तम्भ-दो) मॉडल** के नियमों को जारी किया है।

वैश्विक न्यूनतम कर दर के बारे में

- इसके तहत अलग-अलग देश अपने यहां कारोबार करने वाली **बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs)** {जैसे कि गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल (GAFA)} पर न्यूनतम कर लगा सकेंगे। इसका उद्देश्य MNCs द्वारा करों के भुगतान से बचने के प्रयासों को रोकना है।
- इससे MNCs द्वारा निम्न-कर या टैक्स हैवन देशों में अपने लाभ को स्थानांतरित कर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने में कमी आएगी। साथ ही, ऐसे देशों पर अब वैश्विक मानदंडों को सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ेगा।
    - ज्ञातव्य है कि अभी तक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर **इस आधार पर कर लगाया जाता है कि वे किस देश में अपना मुनाफा घोषित करती हैं, न कि जहाँ वे वास्तव में व्यवसाय करती हैं।**
    - इसके तहत **कई बड़ी कंपनियों द्वारा** अपने मुनाफे को निम्न-कर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे उन्हें **उन देशों में उच्च करों के भुगतान से बचने का विकल्प मिल जाता है**, जहाँ वे अपना अधिकांश व्यवसाय करती हैं।
- वैश्विक न्यूनतम कर वस्तुतः **'आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण' (BEPS)**[60] पर G20 देशों और OECD द्वारा सहमत **समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा** है।
- वैश्विक न्यूनतम कर **750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होगा।** इसका उद्देश्य **डिजिटल तथा वैश्वीकृत विश्व के लिए प्रासंगिक कराधान संरचना विकसित करना** है।

ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की आवश्यकता क्यों?

यह कम कर लगाने की होड़ को ख़त्म करने में सहायक है

- यह "कम से कम कर लगाने की होड़" को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि कई देश व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अपने करों में कटौती कर दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

इससे अतिरिक्त कर राजस्व का सृजन होगा

- कोविड–19 संकट के कारण बजट में कमी को देखते हुए, यह व्यवस्था कर राजस्व में वृद्धि करेगी। इससे सरकारों को सामाजिक विकास में निवेश करने और वैश्विक महामारी से लड़ने आदि में मदद मिलेगी।
- OECD का अनुमान है कि न्यूनतम कर से सालाना वैश्विक कर राजस्व में 150 अरब डॉलर का अतिरिक्त सृजन होगा।

यह कर चोरी पर नज़र रखने में सहायक है

- टैक्स जस्टिस नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और धनी व्यक्तियों द्वारा की गई वैश्विक कर चोरी के कारण देशों को प्रतिवर्ष कर में कुल 483 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है।
- एक अनुमान के अनुसार, भारत को प्रतिवर्ष 10 अरब डॉलर से अधिक का कर नुकसान हो रहा है।

टैक्स हेवन देशों पर नियंत्रण

- यह कर की दर को कम रखने की प्रथा को बेअसर करेगा। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने लाभ को कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से भी हतोत्साहित करेगा।
- विश्व की शीर्ष 200 कंपनियों में से लगभग 90 प्रतिशत की उपस्थिति टैक्स हेवन देशों में है।

राष्ट्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

- यह बुनियादी आर्थिक कारकों जैसे कि कार्यबल का कौशल, नवाचार क्षमता और कानूनी एवं आर्थिक संस्थानों की क्षमता पर आधारित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। यह कम कर दरों के आधार पर प्रतिस्पर्धा का विरोध करता है, जो सरकारों को बुनियादी ढांचे और शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने (कम कर दरों के कारण) से वंचित करती हैं।

---

[58] Organisation for Economic Co-operation and Development

[59] Global Minimum Tax

[60] Base Erosion and Profit Shifting

चुनौतियाँ

- **वैश्विक सहमति:** कम कॉरपोरेट कर दर से छोटी अर्थव्यवस्थाओं को अपने यहां निवेश आकर्षित करने से बहुत लाभ होता है। वहीं विकसित अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बुनियादी ढांचे, श्रम गुणवत्ता, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता आदि के कारण अत्यधिक लाभ होता है। इसलिए इन नियमों के संबंध में वैश्विक सहमति एक चुनौती है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव:** सभी देश FDI के स्रोत के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। साथ ही, इन कंपनियों द्वारा संसाधनों के कुशल उपयोग, मांग सृजित करने तथा रोजगार पैदा करने में मदद मिलती हैं।
- **कर की दर पर सहमति: विश्व असमानता रिपोर्ट**[61] में यह सुझाव दिया गया है कि 15% की कर दर आम तौर पर उच्च आय वाले देशों में श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली कर दर से कम है। यह संबंधित देशों में कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली वैधानिक कर दर से भी कम है।
- **निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा:** सरकारों द्वारा निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अनुसंधान और विकास के लिए निवेश कर के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन या कर प्रोत्साहन के माध्यम से नवाचारी गतिविधियों या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **इस कर-व्यवस्था का संपन्न देशों के पक्ष में होना:** ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) के माध्यम से अर्जित **कुल नई नकदी का दो-तिहाई भाग G7 और EU को** प्राप्त होगा। इसके विपरीत विश्व की एक तिहाई से अधिक आबादी वाले **सर्वाधिक निर्धन देशों को इस नकदी का 3% से भी कम हिस्सा** प्राप्त होगा।
- **एकपक्षीय करों पर प्रतिबंध:** कई विकासशील देशों द्वारा इन नए कर नियमों को लागू करने की शर्त के तहत प्रौद्योगिकी कंपनियों पर सभी एकपक्षीय करों को समाप्त करने के प्रावधान के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही है।

भारत के लिए निहितार्थ या भारत पर प्रभाव

- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह लाभदायक साबित होगा, क्योंकि **भारत में प्रभावी घरेलू कर की दर, इस कर की सीमा से अधिक** है। इस प्रकार भारत एक बड़ा संभावित बाजार होने के कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा।
- इस कर समझौते का अर्थ है कि **वर्ष 2023 तक मौजूदा डिजिटल सर्विस टैक्स और अन्य एकपक्षीय करों** को समाप्त करना होगा। साथ ही, इससे भारत को **कर संबंधी अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होंगे, जो भारत के लिए लाभदायक** हैं। हालांकि, इससे होने वाले लाभ का अंदाजा तब ही लग पाएगा, जब वर्तमान समकारी शुल्क से प्राप्त आय और नए 15 प्रतिशत वाले टैक्स से प्राप्त आय की तुलना की जाएगी।
- **भारत में हेडक्वार्टर वाले बड़े MNCs को भी पिलर-1 नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है।** साथ ही, भारत को अन्य देशों के साथ अपने करारोपण अधिकार को साझा करने की आवश्यकता होगी।
- यह किसी **संधि के तहत** न्यूनतम कराधान व्यवस्था संबंधी लाभों को भी निष्प्रभावी कर सकता है। भारत, शीर्ष 100 में शामिल **अपर्याप्त रूप से डिजिटलीकृत कंपनियों से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि को कम कर सकता** है।
- किसी अन्य देश में निवेश करने के संबंध में यह **देश में कर के आधार क्षरण को रोकेगा।** इसका कारण यह है कि अब सरकार किसी भारतीय निवासी के स्वामित्व वाले विदेशी व्यवसाय द्वारा 15% से कम कर भुगतान की स्थिति में किसी भी कमी को पुनः वसूल करने में सक्षम होगी।
- चूंकि भारत इन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है। इसलिए भारत को इन **तकनीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बाजार वाले देशों को** मुनाफे में अधिक हिस्सा (कर के रूप में) प्रदान किए जाने पर बल देना चाहिए।

निष्कर्ष

वैश्विक न्यूनतम कर (GMT), **अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने** के साथ-साथ डिजिटल तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसे बेहतर बनाने का **एक प्रशंसनीय प्रयास** है। हालाँकि, इस समझौते के **समग्र कार्यान्वयन को बाधित करने** वाले **कई बड़े अवरोध मौजूद हैं।** सर्वसम्मति बनाने के लिए इस प्रयास का समर्थन करने की आवश्यकता है क्योंकि **संपन्न तथा निर्धन दोनों ही प्रकार के देशों को वैश्विक महामारी और इसके परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसानों का सामना करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।**

[61] World Inequality Report

6.7. सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस-यूक्रेन संकट के बीच **कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट (SWIFT) प्रणाली से हटा दिया गया है।**

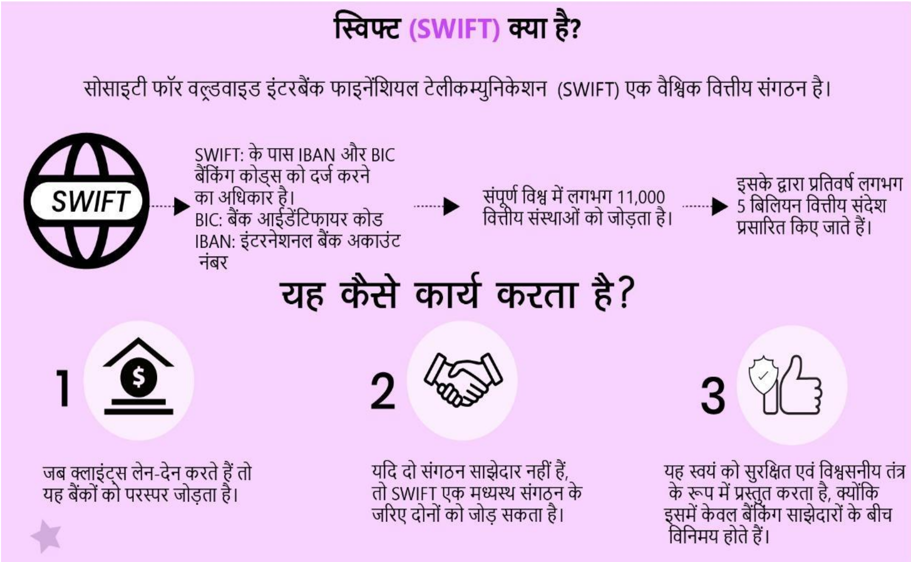

स्विफ्ट प्रणाली का महत्त्व

- **वैश्विक कवरेज:** वैश्विक स्तर पर स्विफ्ट का कवरेज बहुत व्यापक है। **यह प्रणाली विश्व भर के 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक संस्थानों को कवर करती है।** इस प्रकार यह लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रणाली है।
- **मानकीकृत और विश्वसनीय संचार:** यह भुगतान नेटवर्क **व्यक्तियों और व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या कार्ड से भुगतान लेने की अनुमति देता है,** भले ही ग्राहक या विक्रेता पैसा भेजने वाले के बैंक से भिन्न बैंक का उपयोग करता हो।
- **तटस्थ:** स्विफ्ट तटस्थ होने का दावा करता है। विश्व भर की 3,500 फर्में इसकी शेयरधारक हैं। ये शेयरधारक इसके 25-सदस्यीय बोर्ड का चुनाव करते हैं। यह बोर्ड कंपनी के कामकाज तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।
    - स्विफ्ट (SWIFT) का पर्यवेक्षण (oversee) G-10 केंद्रीय बैंकों तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम इसका प्रमुख पर्यवेक्षक है।
    - यह बेल्जियम के कानून के तहत एक सहकारी कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है।
- **प्रस्तावित सेवाएँ:** स्विफ्ट प्रणाली, व्यवसायों और व्यक्तियों को निर्बाध और सटीक व्यावसायिक लेन-देन पूरा करने में सहायता करने के प्रयोजन से कई सेवाएं प्रदान करती है। जैसे-
    - भुगतानों, प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न साधनों (derivatives) के लेन-देन हेतु क्लियरिंग और सेटलमेंट निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशन।
    - व्यापार संबंधी सूचनाएं, और अनुपालन सेवाएँ।
    - मैसेजिंग, कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर समाधान।

अगर किसी देश को स्विफ्ट (SWIFT) से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा?

- यदि किसी देश को सबसे अधिक भागीदारी वाले इस वित्तीय सुविधा प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया जाता है, तो उस देश की **विदेशी फंडिंग प्रभावित होगी। वह पूरी तरह से घरेलू निवेशकों पर निर्भर हो जाएगा।**
    - स्विफ्ट प्रतिबंध लगने पर **रूस से निर्यात होना और रूस में आयात होना लगभग असंभव हो जाएगा। रूस को धन हस्तांतरण के लिए वैकल्पिक साधनों की खोज करनी होगी।**
    - रूसी बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सहयोगी बैंकों के साथ संवाद करना कठिन हो जाएगा, व्यापार की गति मंद हो जाएगी और लेन-देन महंगा हो जाएगा।

7. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities)

7.1. कृषि निवेश प्रबंधन- भाग I (Agricultural Input Management- Part I)

कृषि आदान – एक नज़र में (आवश्यक आदान या इनपुट्स)

मृदा – एक नज़र में

मृदा आवश्यक पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन और जड़ को स्थिरता प्रदान करती है। खाद्य उत्पादक पौधों को बढ़ने और फलने-फूलने के लिए ये आवश्यक होते हैं।

चुनौतियाँ

- मृदा में मिश्रित कार्बनिक पदार्थों में गिरावट।
- मृदा की खराब उर्वरता।
- मृदा की भौतिक विशेषताओं का ह्रास, जैसे– संरचना, स्थिरता आदि।
- अम्लीकरण, लवणीकरण, क्षारीकरण और जलभराव।
- कृषि में खराब भूमि को शामिल करना।
- मृदा परीक्षण सेवा की खामियां। उर्वरकों का दुरुपयोग या अनुचित इस्तेमाल।

किए गए उपाय

- प्रभावी मृदा स्वास्थ्य निगरानी और प्रबंधन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना (RKVY) मृदा की उर्वरता में सुधार, सतही मृदा की रक्षा के लिए शुरू की गई है।
- नाबार्ड ऋणः ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत मृदा और जल संरक्षण योजना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन आदि के तहत अन्य संबंधित पहल।

आगे की राह

- मृदा परीक्षण सेवाओं में सुधार करना।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को सुदृढ़ बनाना।
- उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग को बढ़ावा देना।
- सटीक पोषक तत्व प्रबंधन (PNM) की सहायता से पोषक तत्व उपयोग दक्षता को बढ़ाना।
- किसानों में जागरूकता को बढ़ाना। सामुदायिक स्तर पर मशीनीकृत खाद को बढ़ावा देना। संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना।

जल – एक नज़र में

कृषि गहनता, उच्च उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जल का संरक्षित और कुशल उपयोग महत्वपूर्ण है। यह सतत कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।

चुनौतियाँ

- जल की सामान्य कमी और क्षेत्रीय असंतुलन।
- एक बड़ा क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।
- मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का अकुशल उपयोग। खराब सिंचाई दक्षता।
- कृषि हेतु उपयोग में लाए जाने वाले जल की खराब गुणवत्ता।

किए गए उपाय

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनाः कृषि क्षेत्रों को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करना, जल की बर्बादी को कम करना और
- जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। लघु सिंचाई अवसंरचना के निर्माण हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।
- सामुदायिक भागीदारी के साथ भू-जल के सतत प्रबंधन के लिए अटल भू-जल योजना।

आगे की राह

- भू-जल के अत्यधिक दोहन की समस्या का समाधान करना।
- पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई विकास।
- संरक्षण कृषि।
- जैविक कृषि और खाद का व्यापक प्रचार।
- कृषि-जलवायु स्थिति के अनुरूप फसलों का चुनाव और विविधीकरण।

7.2. कृषि निवेश प्रबंधन- भाग II (Agricultural Input Management- Part II)

कृषि आदान – एक नज़र में (खेतों में उपयोग होने वाले आवश्यक आदान)

बीज – एक नज़र में

अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग उत्पादकता बढ़ा सकता है, देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह अन्य सभी आदानों/इनपुट्स की प्रभावशीलता को बेहतर कर सकता है।

चुनौतियाँ

- बीज उत्पादनः इससे जुड़े प्रमुख मुद्दों में बीजों की गुणवत्ता, कीमत और समय पर उनकी उपलब्धता शामिल हैं।
- अकुशल बीज वितरण प्रणाली, मृदा की खराब उर्वरताः प्रमाणित/ लेबल युक्त बीजों की उपलब्धता केवल 35–40 प्रतिशत के आस–पास है।
- बीजों की मांग का अकुशल आकलन।

किए गए उपाय

- राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), 1963
- उच्च उपज किस्म कार्यक्रम,(1966–67)
- राष्ट्रीय बीज नीति, 2002
- विभिन्न विधायी ढांचे जैसे बीज अधिनियम (1966); पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001); आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 आदि।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप–मिशन।
- बीज ग्राम कार्यक्रम (SVP), 2005
- अन्य पहल जैसे कि बीज बैंकों और राष्ट्रीय बीज ग्रिड की स्थापना।

आगे की राह

- मृदा परीक्षण सेवाओं में सुधार करना।
- बीज की आवश्यकता या मांग का कुशलता पूर्वक आकलन।
- बीज उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला।
- डेयरी और पशुधन क्षेत्रक का सहायता प्रदान करने के लिए चारा फसलों को प्रभावी बीज श्रृंखला के साथ एकीकृत करना।
- धान जैसी सभी स्व–परागण की क्षमता वाली फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) में वृद्धि करना।
- बीज प्रसंस्करण और संग्रहण संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन करना।
- जलवायु प्रत्यास्थ और पोषणयुक्त फसल के लिए मजबूत बीज उत्पादन श्रृंखला विकसित करना।
- बीज निर्यात की गुंजाइश तलाश करना।
- बीज उत्पादन प्लेटफॉर्म का विकेंद्रीकरण और व्यापक विस्तार करना।
- स्थानीय किस्मों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक बीज बैंक (CSB) स्थापित करना।
- प्रमाणित बीजों की लागत को युक्तिसंगत बनाना।

कीटनाशक – एक नज़र में

कीटनाशक वस्तुतः फसलों को कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से बचाने के साथ–साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाकर किसानों को कम भूमि पर अधिक उपज का उत्पादन करने में मदद करते हैं। ये किसानों को अन्य मूल्यवान कृषि आदानों, जैसे– बीज, उर्वरक और जल संसाधनों की प्रभाशिलता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।

चुनौतियाँ

- कीटनाशकों की खराब गुणवत्ता।
- कीटनाशकों का उपयोग इष्टतम मात्रा में नहीं करना।
- जैव कीटनाशकों के उपयोग पर बल देने वाली एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) तकनीकों तक सीमित पहुँच।
- कीटनाशकों का अनियंत्रित मूल्य।

किए गए उपाय

- कीटनाशक अधिनियम, 1968
- राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी पर योजना (MPRNL)
- अन्य पहल, जैसे– कीट निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म; क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं; मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक बनाना, आदि।
- परम्परागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान संगठनों (ICAR/SAU) द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों में कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करना, IPM की सिफारिशों का समय पर प्रसार आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- उचित निदान, इंजेक्शन/सिरिंज के उपयोग और अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से कीटनाशकों की खपत को कम करना।
- प्रभावी और सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करना।
- कीटनाशकों का पंजीकरण करना।
- जैविक और पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों को बढ़ावा देना

7.3. कृषि निवेश प्रबंधन- भाग III (Agricultural Input Management- Part III)

कृषि आदान – एक नज़र में (संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत आदान)

कृषि का मशीनीकरण – एक नज़र में

कृषि से संबंधित मशीनों का प्रभावी उपयोग करने से उपज की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने तथा समय पर कृषि संबंधी कार्यकलापों को करने में सहायता मिलती है। इससे कठिन शारीरिक श्रम जैसी आवश्यकता में कमी आती है। साथ ही, यह किसानों को एक ही खेत में तीव्रता से फसल चक्रण करने में भी सक्षम बनाता है। एक ही खेत में द्वितीय फसल या बहु–फसलें उगाने से शस्य–गहनता में सुधार होता है। साथ ही, इससे कृषि भूमि को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने से किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ

- खेतों का छोटा आकार।
- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र।
- मिश्रित फसल और एकीकृत खेती।
- बिजली की कमी।
- खराब सर्विसिंग सुविधाएं।
- अधिशेष कृषि श्रमिकों की मौजूदगी।
- सीमित वित्तीय क्षमता।

किए गए उपाय

- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM): इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स और हाई–वैल्यू मशीनों के हाई–टेक हब' को बढ़ावा देना।
- प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना तथा जागरूकता को बढ़ावा देना।
- विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ, जैसे–
- भूमि संरक्षण विभाग महिला प्रतिष्ठानों को मशीन खरीदने के लिए 90% सब्सिडी प्रदान करता है।
- नाबार्ड ऋण योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी।

आगे की राह

- उच्चतर इंजीनियरिंग इनपुट्स पर बल तथा उच्च क्षमता वाले, सटीक, विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल उपकरणों का विकास करना चाहिए।
- बागवानी और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में मशीनीकरण का विकास करना।
- जिला स्तर पर 'कृषि मशीन बैंक' (AMB) स्थापित करना।
- किसानों के अनुकूल, स्थान–विशिष्ट और आसान तरीके से प्रबंधित की जाने वाली कृषि मशीनरी को विकसित करने के लिए स्वदेशी स्तर पर अनुसंधान एवं विकास करना।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

कृषि ऋण – एक नज़र में

कृषि ऋण में मोटे तौर पर प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि से कृषि ळक्च में 0.29 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है।

चुनौतियाँ

- गैर–संस्थागत माध्यमों पर अत्यधिक निर्भरता।
- निवेश संबंधी ऋण का अत्यंत कम हिस्सा।
- ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन।
- असंतुलित ऋण वितरण।
- कृषि में PSL के संदर्भ में विसंगतियां।

किए गए उपाय

- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की नीति।
- नाबार्ड के अधीन समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष (स्ज्थ्)।
- एकीकृत कृषि विपणन ई–प्लेटफॉर्म।
- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.–किसान)।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)।
- लघु और सीमांत किसानों के लिए बिना किसी परेशानी के ऋण सुनिश्चित करने हेतु किए गए अन्य उपाय, जैसे– ब्याज अनुदान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना।

आगे की राह

- पूंजीगत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करना।
- कृषि के लिए कुल ऋण में लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए।
- क्षेत्रीय असंतुलन से निपटने के लिए पूर्वी, मध्य, पहाड़ी और उत्तर–पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देना।
- किसान समावेश प्रक्रिया को बेहतर करना।
- किसानों/FPOs के एकीकरण को प्रोत्साहित करना।
- एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में संयुक्त देयता समूहों को बढ़ावा देना।
  बुनियादी ढांचे और साझा परिसंपत्ति तक पहुंच।
  प्रशिक्षण और कौशल।

7.4. कृषि विपणन (Agricultural Marketing)

कृषि विपणन – एक नज़र में

कृषि विपणन का अर्थ कृषि उत्पादों को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सम्मिलित वाणिज्यिक कार्यों से है। कृषि–विपणन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन विधियों का उपयोग किया जाता है:

- पारंपरिक विपणन पद्धतियाँ
- सहकारिता आधारित विपणन
- कृषि विपणन के उभरते नए मॉडल

कृषि बाजारों का महत्व

- बाजार में **कृषि उपज का मौद्रीकरण।**
- **बाजार की जानकारी और मूल्य** संकेतों के स्रोत के रूप में कार्य करना।
- **बिचौलियों की भूमिका को कम करने में सहायक।**
- **पूंजीगत निर्माण** और प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहन।
- **कृषि में मूल्यवर्धन।**

भारत में इन बाजारों के समक्ष आने वाली समस्याएं

- **संस्थागत मुद्दे:** बाजार में नए व्यापारियों को प्रवेश करने के लिए **लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं; अधिक बाजार शुल्क** (APMCs सहित) और **उपज के लिए मानकीकृत ग्रेडिंग तंत्र की अनुपस्थिति।**
- **अवसंरचना संबंधी मुद्दे:** देश के कुछ हिस्सों में **कृषि उपज बाजारों की सीमित पहुंच; कृषि बाजारों में खराब अवसंरचना** जैसे कि सुखाने वाले यार्ड या कोल्ड स्टोरेज और अन्य भंडारण सुविधाओं का अभाव; कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के **पूर्ण होने में लगने वाला अधिक समय और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य मुद्दे।**
- **बाजार सूचना प्रणाली से जुड़े मुद्दे: कुशल व रियलटाईम सूचना तंत्र की अनुपस्थिति** से मांग संबंधी संकेतों की प्राप्ति में विलंब; किसानों के लिए **सीमित जानकारी और कंटेंट** की उपलब्धता; तथा सूचना के नए माध्यमों के बारे में **किसानों में जागरूकता की कमी।**
- **अन्य मुद्दे: APMC** के एक बड़े भौतिक नेटवर्क के बावजूद राष्ट्रीय एकीकृत बाजार की अनुपस्थिति; और विपणन संबंधी अवसंरचना के विकास पर सीमित सार्वजनिक निवेश।

हालिया कृषि–सुधार संबंधी कानूनों का इन मुद्दों पर प्रभाव

- किसानों और व्यापारियों को कृषि–उत्पादों की **बिक्री और खरीद करने** के लिए विकल्पों के चुनाव **की स्वतंत्रता** वाले पारितंत्र का निर्माण कर **एकाधिकार पर नियंत्रण।**
- बाजार शुल्क को समाप्त कर और कृषि–उत्पादों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को संभव कर **'एक राष्ट्र, एक कृषि–बाजार' के विचार को आगे बढ़ाना।**
- **अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक क़ानूनी फ्रेमवर्क** प्रदान करके **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।**
- खाद्य वस्तुओं के भंडारण पर लगे प्रतिबंधों के हटने से **कृषि उपज का बेहतर भंडारण और प्रबंधन।**
- विपणन के वैकल्पिक और प्रत्यक्ष स्रोत निर्मित करके **किसानों के लिए उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना।**

बाजारों के समग्र सुधार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **APMCs में सुधार:** APMCs में एक स्वतंत्र विनियामक की नियुक्ति करना; APMCs में निजी थोक बाजारों, एकीकृत एकल पंजीकरण आदि के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **e–NAM को मजबूत कर एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का निर्माण करना:** इसके लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन प्रमाणीकरण का निर्माण; तथा किसान समूहों और अन्य मध्यस्थों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **विपणन संबंधी अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना:** इसके लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और आवाजाही पर दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति बनाना; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अवसंरचना में निवेश को बढ़ाना; और राज्यों द्वारा संबंधित अवसंरचना विकास के लिए PPP मॉडल को बढ़ावा देना जैसे कार्य किए जाने चाहिए।

- **अधिक कुशल सूचना प्रसार प्रणाली का निर्माण करना:** इसके तहत अधिक सुलभ तरीकों को लोकप्रिय बनाना; मोबाइल उपकरणों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी संबंधी जरूरतों को पूरा करना; और किसानों को व्यापक जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य किए जाने चाहिए।
- **बाजार शुल्क /कमीशन चार्ज को युक्तिसंगत कर** उपज के मूल्य के अधिकतम 2% तक सीमित करना।
- **अन्य सुधार:** इसमें उपज की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करना; किसान समूहों को संगठित कर उपज के मूल्य के संबंध में उनकी सौदेबाजी की ताकत को बढ़ना; और एक अधिक कुशल तथा प्रासंगिक आयात–निर्यात नीति विकसित करना शामिल हैं।

7.5. किसानों को वित्तीय सहायता (Financial Support to Farmers)

किसानों को वित्तीय सहायता – एक नज़र में

- **11.60 करोड़ से अधिक किसानों** को लगभग **1.60 लाख करोड़ रुपये** का वित्तीय लाभ दिया गया है।
- कुल मिलाकर **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2–2.5% सालाना सब्सिडी** के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी उर्वरक, ऋण, फसल बीमा और मूल्य समर्थन सब्सिडी के रूप में होती है।
- कुल कृषि आय का लगभग 20% भाग सब्सिडी के रूप में आता है।
- कृषि में लगे 50.2% परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज में हैं।
- किसानों द्वारा लिए गए लगभग 70% ऋण संस्थागत स्रोतों से थे।

प्रमुख उद्देश्य

- देश में सभी भूमि–धारक किसानों के परिवारों (जोत के आकार से निरपेक्ष होकर) को आय **सहायता प्रदान करना।**
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ–साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न इनपुट्स की खरीद के लिए **किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।**
- **वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने और खेती को लाभकारी** बनाने के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना।

योजना/पहल

- किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए **उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि।**
- विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए **परिवहन और विपणन सहायता**– अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल ढुलाई की कमी को दूर करने के लिए।
- निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों, FPO/FPC, सहकारी समितियों हेतु **किसान कनेक्ट पोर्टल।**
- एपीडा, MPEDA, टी बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत **कृषि उत्पाद निर्यातकों को सहायता।**
- एग्रीस्टैक, भूमि रिकॉर्ड जैसी सूचनाओं का एक डिजिटल डेटा स्टैक।
- **अन्य योजनाएं:** किसान क्रेडिट कार्ड, पी.एम, किसान, पी.एम. फसल बीमा योजना (PMFBY), ब्याज सबवेंशन योजना, पी.एम. किसान मान धन योजना, पी.एम.–आशा, किसान सुविधा एप आदि।

बाधाएं

- **आदान की बढ़ती लागत, कम उत्पादकता, ऋणग्रस्तता, मानसून की अनिश्चितता**, उत्पाद का लाभकारी मूल्य न मिलना आदि के कारण **किसानों की परेशानी में वृद्धि।**
- **किसान डेटाबेस** का अभाव, **लाभार्थी किसानों की पहचान** में होने वाली कठिनाई।
- सरकार के पास संदर्भ में अधिक **वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण** किसानों को दी जाने वाली सहायता और कृषि–निवेश के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है।
- **'वन साईज फिट फॉर आल' दृष्टिकोण।**
- विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर **किसानों में जागरूकता का अभाव।**
- **ऋण संबंधी आवश्यकता के लिए गैर–संस्थागत स्रोतों** पर निर्भरता।

आगे की राह

- **संस्थागत और डिजिटल बुनियादी ढांचे** को मजबूत करना।
- **सभी सब्सिडी को धीरे–धीरे DBT की प्रक्रिया में** बदलना।
- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए **सिंचाई सुविधाओं, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था में सुधार करना।**
- फसल उत्पादन बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए **कृषि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।**
- क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं और हस्तक्षेपों के साथ **बॉटम–अप रणनीति अपनाना।**
- विभिन्न योजनाओं के प्रति किसानों में **जागरूकता को बढ़ाना।**
- **स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में व्याप्त खामियों को दूर करना।**
- **किसानों का रीयल–टाइम डायनेमिक डिस्ट्रेस इंडेक्स** बनाना।

7.5.1. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (Agricultural Indebtedness in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** ने एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के मध्य कृषि से जुड़े प्रत्येक परिवार के औसत बकाया ऋण में **57.7 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण का शीर्षक **"ग्रामीण भारत में कृषि से जुड़े परिवारों और परिवारों की भूमि जोत की स्थिति का आकलन, 2019[62]" है।**

बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण

ऋणग्रस्तता का आशय ऋण के कारण पैदा होने वाली निर्धनता या ऐसी स्थिति से है जहां एक परिवार लगातार बढ़ते ऋण जाल में फंस जाता है। कृषि से जुड़े परिवारों में बढ़ते ऋण के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

- **कृषि उत्पादकता एवं आय में अपर्याप्त वृद्धि:** इसके लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं- जैसे **खेती की बढ़ती लागत**, **जलवायु परिवर्तन**, **मूल्य अस्थिरता**, **छोटी जोतों वाली निर्वाह कृषि**।
- **जोखिम से बचाने के लिए निम्नस्तरीय तंत्र:** भारत में जागरूकता की कमी और दावों के भुगतान में देरी के कारण फसल बीमा को अपनाने की गति अब भी धीमी है।
- **अनौपचारिक ऋणों की उच्च लागत:** वर्तमान में भी लघु और सीमांत किसान, काश्तकार और खेतिहर मजदूर अब भी अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त के अनौपचारिक स्रोतों (जैसे- स्थानीय साहूकार आदि) पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसके लिए उन्हें अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है, जो उन्हें ऋण के चक्र में धकेल देता है।
- **पैतृक ऋण का चक्र:** ग्रामीण लोगों द्वारा ऋण गैर-उत्पादक उद्देश्यों जैसे कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक कार्यों (जैसे- विवाह, जन्म, मृत्यु से संबंधित) आदि के लिए लिया जाता है। इस ऋण का बोझ किसानों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ऋण चक्र में फंसा देता है। कृषि आय की अनिश्चितता के कारण इस चक्र का टूटना और कठिन हो जाता है।
- **कृषि ऋण माफी:** सरकार द्वारा अधिक मात्रा में कृषि ऋण को माफ करने के कारण किसानों के लिए हानि होने पर ऋण की अदायगी के भय के बिना ऋण लेना आसान हो जाता है।
- **मुकदमेबाजी:** भारत में कृषि कार्य करने वाले कई लोग भूमि, संपत्ति आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवादों में संलग्न हैं, जिसमें अत्यधिक व्यय और समय लगता है।

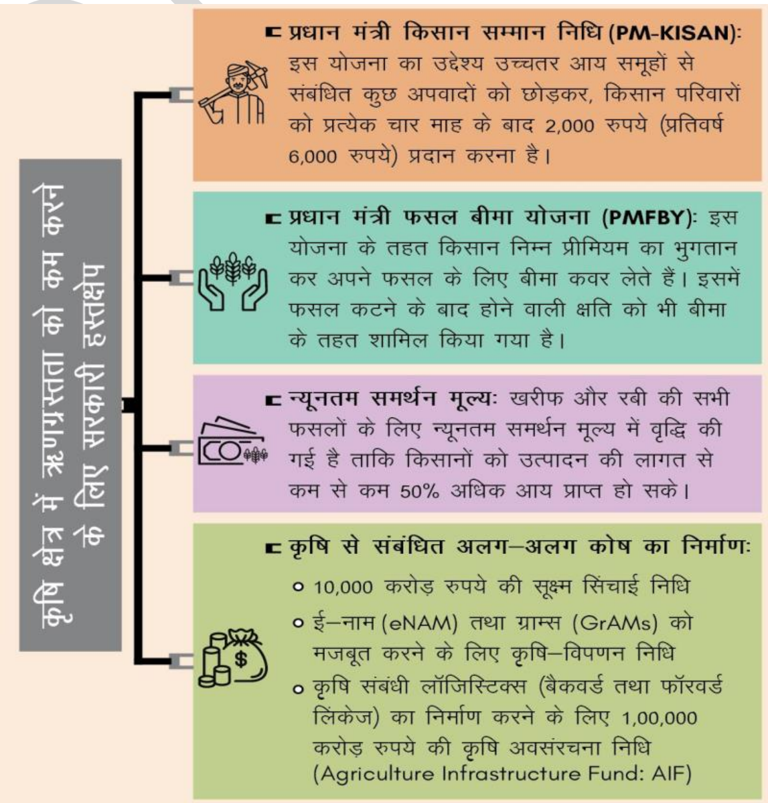

ऋणग्रस्तता (indebtedness) के प्रभाव

- कृषि के आधुनिकीकरण में **निवेश का कम होना।**
- ऋण संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए **दबाव में आकर कम मूल्य पर फसलों को बेचना।**
- **कृषक समुदाय का हाशिये पर चला जाना** और कुछ चरम मामलों में किसानों द्वारा आत्महत्या करना।
- कृषि से जुड़े परिवारों में बढ़ी हुई ग्रामीण गरीबी और **इसका समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास (शैक्षिक और स्वास्थ्य) पर प्रभाव।**
- **ऋणग्रस्तता की स्थिति नए ऋणों के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है** और डिफ़ॉल्ट की बढ़ती संभावना के कारण बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बनाती है।

---

[62] Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019

- **कई बार साहूकारों का ऋण न चुका पाने के कारण किसानों को अपनी संपत्ति (गिरवी रखी गई भूमि) से हाथ धोना पड़ जाता है।** इससे किसान भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। यह स्थिति कृषि संबंधी निर्णय लेने की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है।
- बढ़ते ऋण ने **एक आर्थिक गतिविधि के रूप में कृषि की उपयोगिता को कम कर दिया है।** यह स्थिति खाद्य सुरक्षा के सामने संकट पैदा करती है और किसानों को ऋण के अंतहीन चक्र में धकेल देती है।

आगे की राह

- किसानों को कृषि संबंधी आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना चाहिए। जलवायु के अनुकूल और उच्च मूल्य वाली कृषि फसलों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को आरंभ करना चाहिए। यह **कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने** के लिए उत्तम तरीका है।
- फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर **जोखिम कम करना।**
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की मोबाइल शाखाओं की स्थापना करने, लेन-देन की लागत को कम करने, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण करने जैसे प्रयासों के माध्यम से विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों की **संस्थागत ऋण सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि करना।**
- **वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों (FLCCs)**[63] की स्थापना करके किसानों को दीर्घकालिक ऋण के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इसके माध्यम से बैंकों, स्वयं-सहायता समूहों, एग्री क्लीनिकों और इसी तरह के अन्य संस्थानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
- किसानों को साहूकारों का ऋण चुकाने में सक्षम बनाने हेतु बैंकों को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बैंकों को **"मनी लेंडर्स डेट रिडेम्पशन फंड"** की स्थापना करना होगा, जिससे दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु एकमुश्त उपाय किया जा सके।
    - साहूकारों के साथ समझौता करने में स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठन, गैर-सरकारी संगठन या पंचायती राज संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

7.5.2. पी.एम.-किसान (PM-Kisan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से, **पी.एम.-किसान योजना** के तहत असफल लेनदेन (फेल्ड ट्रांजैक्शन) के बाद रिप्रोसेसिंग (फिर से भेजे जाने) के लिए लगभग **374.78 करोड़ रुपये की राशि लंबित** पड़ी हुई है।

इस योजना के बारे में

- **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान)** एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। इस योजना के तहत प्रत्येक **पात्र किसान परिवार** को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में **प्रति वर्ष 6,000 रुपये** का भुगतान किया जाता है।
- **इस योजना के उद्देश्य हैं:**
    - **देश में प्रत्येक जोतधारक किसानों के परिवारों (जोत की परवाह किए बिना) को आय सहायता प्रदान करना।**
    - कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न आदानों की खरीद के लिए **किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।**

पी.एम.-किसान योजना के लाभ

- **प्रत्यक्ष आय सहायता:** इस योजना का उद्देश्य कृषि इनपुट्स और अन्य **खर्चों को पूरा करने हेतु नकदी की कमी को दूर करके किसानों को आय सहायता प्रदान** करना है।
- **डेटा का सत्यापन:** पी.एम.-किसान वेब पोर्टल पर प्राप्त डेटा, **आधार तथा आयकर डेटाबेस सहित सत्यापन और वैधता के विभिन्न स्तरों** की जांच से होकर गुज़रता है।
- **पूर्वाग्रह रहित चयन:** ऐसी योजनाएं अक्सर **अभिजात वर्ग के नियंत्रण और चयन संबंधी पूर्वाग्रहों से प्रभावित** हो जाती हैं। इस योजना के **लागू होने के तीन महीने के भीतर** 30% किसानों को **आय सहायता राशि** प्राप्त हो गई थी।

[63] Financial Literacy and credit Counselling Centres

VISION IAS

- **विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप:** यह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप है, क्योंकि **प्रत्यक्ष आय सहायता ग्रीन बॉक्स का हिस्सा** है। यह WTO में बहुपक्षीय व्यापार नियमों के उल्लंघन के लिए कृषि सब्सिडी को मिलने वाली चुनौतियों से बचाने में मदद करता है। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष आय सहायता को विश्व व्यापार संगठन में **ग्रीन बॉक्स** का हिस्सा माना जाता है।

इस योजना से संबंधित मुद्दे

- **अपर्याप्त राशि: एक परिवार के लिए प्रतिदिन लगभग ₹17** की आय सहायता (पी.एम.-किसान द्वारा प्रस्तावित) सबसे कमजोर किसानों के **न्यूनतम भरण-पोषण के लिए भी** बिल्कुल अपर्याप्त है।
- **पट्टेदार किसानों और बंटाईदारों की उपेक्षा:** पी.एम-किसान योजना में **पट्टेदार किसानों या बंटाईदारों को होने वाले लाभों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** किया गया है।
- **लाभार्थियों की पहचान में डेटा विसंगतियों से संबंधित चिंताएँ:** कई राज्यों में **काश्तकारी से संबंधित रिकॉर्ड अधूरे** हैं तथा भूमि-संबंधी डेटा का डिजिटलीकरण नहीं किया गया है।
- **असफल लेनदेन:** पी.एम-किसान योजना के तहत लेनदेन के असफल होने के कई कारण हैं, जैसे- **खाते का बंद या स्थानांतरित हो जाना, गलत IFSC कोड, खाते का निष्क्रिय हो जाना,** बैंक द्वारा प्रति लेनदेन क्रेडिट/डेबिट के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि आदि।
- **लाभार्थियों की पहचान करने में कठिनाई,** क्योंकि एक ही जोत के कई धारक होते हैं या एक से अधिक जोतों के लिए एक ही धारक होता है।
- **बैंकों की भूमिका,** क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि कई बैंक शाखाओं ने कुछ किसानों की जमा राशि को पिछली देनदारियों से समायोजित कर लिया है।
- शिकायतों के समाधान और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है।

आगे की राह

- **पर्याप्त नकदी अंतरण:** एक प्रभावी नकद अंतरण योजना के तहत **प्रभावित समुदाय को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने हेतु पर्याप्त नकदी** उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में **अस्थिर बाजार और कीमतों में उतार-चढ़ाव** को देखते हुए, नकदी अंतरण को स्थानीय मुद्रास्फीति के अनुरूप रखना महत्वपूर्ण है।
- **लाभ प्रदान करने का बेहतर समय: IFPRI-ICAR के अध्ययन** के अनुसार, कृषि के मौसम में किस्त प्राप्त करने वाले किसानों द्वारा राशि को संभवतः कृषि कार्यों पर ही खर्च किया जाता है। जबकि गैर-कृषि मौसम में प्राप्त राशि को अन्य मदों में खर्च करने की संभावना अधिक होती है।
- **समग्र प्रभाव उत्पन्न करना:** अध्ययन में पाया गया है कि **कृषि सलाहकार सेवाओं** में अधिक निवेश के माध्यम से सरकार, किसानों के लिए पी.एम.-किसान योजना के समग्र प्रभाव को प्राप्त कर सकती है। इसके तहत किसानों को **आय सहायता के कुछ या सभी हिस्से को उत्पादक संपत्तियों** में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **आई.टी. आधार को मजबूत बनाना: दक्षतापूर्वक कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस और बेहतर आई.टी. अवसंरचना** वाले राज्यों द्वारा **पी.एम-किसान** को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।
- इसके तहत जिन किसानों के पास बैंक खाते नहीं हैं, उन्हें जन-धन योजना के तहत **शून्य बैंक बैलेंस वाले खाते** खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास में निवेश: ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे** (सड़क, सिंचाई व विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचे आदि) और **कृषि अनुसंधान एवं विकास** में निवेश बढ़ाने से दीर्घकालिक परिणाम के रूप में **कृषि आय बढ़ाने** में सहायता प्राप्त होगी।
- भू-अभिलेखों को योजनाबद्ध तरीके से अपडेट करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लोग वंचित न रहें, जबकि धोखाधड़ी से बचा जाए।
- **शीर्षगामी रणनीति (Bottom-Up Strategy)** और सुनियोजित कार्यान्वयन तंत्र के लिए **राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता।**

VISION IAS

7.5.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

सुर्खियों में क्यों?

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने PMFBY की समीक्षा हेतु **दो कार्यदलों** की स्थापना की थी। इन कार्यदलों ने योजना के **कवरेज को** बढ़ाने के लिए अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं।

PMFBY के बारे में

- यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख **फसल बीमा योजना** है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसने पहले से चल रही **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)[64] और संशोधित NAIS** को प्रतिस्थापित कर दिया था।
- इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित तरीकों से **संधारणीय उत्पादन का समर्थन करना है:**
  - अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई फसलों की हानि/ नुकसान का प्रभाव झेल रहे **किसानों को वित्तीय सहायता** प्रदान करके।
  - कृषि क्षेत्र में किसानों की निरंतरता (Continuance) को बनाए रखने के लिए **उनकी आय को स्थिरता** प्रदान करके।
  - किसानों को **नवीन, रचनात्मक और आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने** के लिए प्रोत्साहित करके।
  - किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा किसानों की **ऋण योग्यता, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की संवृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता** को सुनिश्चित करके।

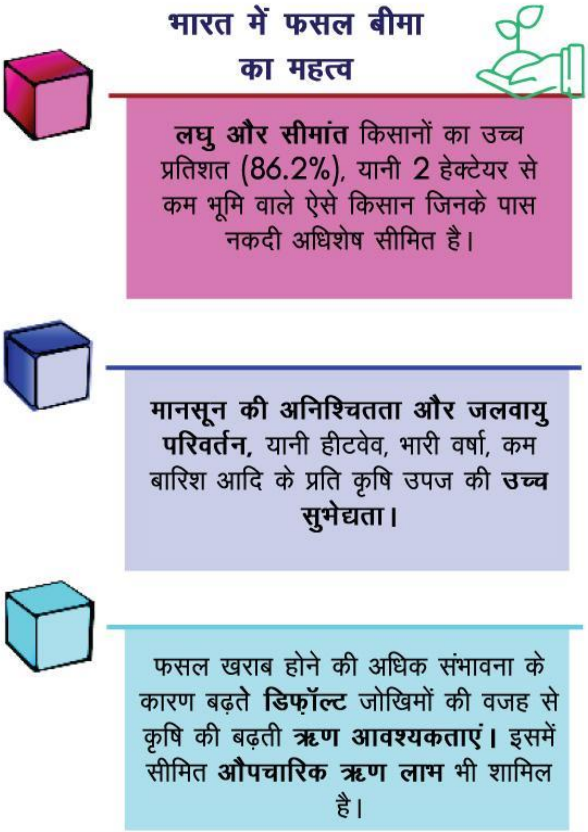

पहलों के बावजूद भी खराब कवरेज के कारण

- PMFBY के अधिमूल्य (प्रीमियम) में 6 गुना से अधिक की बढ़ोतरी तथा सरकार के सब्सिडी दायित्व में बढ़ोतरी के कारण **कुछ राज्यों में इस योजना का अक्रियान्वयन/ निलंबन।** उदाहरण के लिए:
- राज्यों द्वारा सब्सिडी के हिस्से के भुगतान में देरी, फसल कटाई प्रयोग (CCEs) में देरी और बीमा कंपनियों द्वारा दावों की जांच में विलंब जैसे विभिन्न कारणों से **किसानों के दावे के निपटान में देरी होती है।**
  - CCEs का उपयोग फसल कटाई से ठीक पहले किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिसूचित बीमा इकाइयों में सभी अधिसूचित फसलों के अनुपातिक उत्पादन का आकलन कर, फसल के नुकसान का मूल्यांकन करना है। किंतु अविश्वसनीयता, निधि और प्रशिक्षित व्यवसायियों का अभाव, खपत में अधिक समय और श्रम गहन प्रवृत्ति इसकी कुछ कमियां हैं।
- विशिष्ट क्लस्टरों, जैसे- छोटे राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों (जैसे- त्रिपुरा व मेघालय) में कम कवरेज के कारण और बड़े क्लस्टरों (जैसे- महाराष्ट्र) में उच्च जोखिम दर/ बीमित राशि के कारण **बीमा कंपनियों की प्रतिभागिता का अभाव।**
  - खरीफ़ 2021 में सहभागी बीमा योजनाओं की संख्या भी 19 कंपनियों से घटकर 11 हो गई है।
- ज्ञान और सेवाओं में व्याप्त कमियों को समाप्त करने के लिए शेयरधारकों का **प्रशिक्षण और उनकी क्षमता सीमित** है। यह बीमा दावा निपटान प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
  - यह भिन्न प्रशिक्षण ज़रूरतों के साथ **प्रत्येक शेयरधारक के वर्गीकरण की विविध परतों के कारण** और भी ज़रूरी हो जाता है।

[64] National Agricultural Insurance Scheme

- **अन्य कारण जैसे-** राज्यों द्वारा ऋण माफी योजनाओं की घोषणा; ज़्यादातर किसानों में साक्षरता की कमी और निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण सीमित प्रचार एवं जागरूकता।

हालिया कदम और कार्यदलों की सिफ़ारिशें:

PMFBY पर **प्रतिक्रियात्मक और मांग-आधारित तकनीकी सहयोग** प्रदान करने के लिए, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों कार्यदलों ने कुछ विशिष्ट समस्याओं के निपटान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफ़ारिश भी की है:

- **कवरेज:** समरूप कवरेज के साथ औसत प्रीमियम दरों को कम करने तथा निवेश बढ़ाने हेतु छोटे किसानों के लिए लक्षित प्रीमियम सब्सिडी।
- **देरी को कम करना:** सब्सिडी निपटान में देरी की स्थिति में राज्यों पर जुर्माना आरोपित करने हेतु केंद्र को शक्ति देना या ऐसी सब्सिडी को केंद्र सरकार के अन्य दायित्वों के साथ समायोजित करना। त्वरित और अधिक उपयुक्त फ़सल उपज मूल्यांकन के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा तथा मौसम डेटा का अत्यधिक प्रयोग करना।

PMFBY में सुधार के लिए अन्य कदम

- योजना के आसान और किसान-अनुकूल वितरण के लिए **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।** उदाहरण के लिए,
    - जैसा कि PMFBY में अधिदेशित किया गया है, प्रत्येक तहसील में **बीमा कंपनियों के कार्यात्मक कार्यालय** होने चाहिए।
    - उपज मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग तथा फसलों के नुकसान की स्थिति में कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा तथा किसानों का विश्वास जीता जा सकेगा।
- **नियमित रूप से बीमा कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन** होना चाहिए तथा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर दंडादेश को लागू करने के लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए।
- प्रचार और जागरूकता के लिए प्रत्येक मौसम में **प्रत्येक कंपनी के 0.5% के सकल प्रीमियम** के व्यय की ज़रूरत के अनुपालन का **निरीक्षण।**
- निर्धारित राज्य/ ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, PMFBY से बीमा कंपनियों के लाभ से, उसी राज्य/ज़िले में **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि का उपयोग** करना।
- **फसल बीमा को जलवायु परिवर्तन के साथ संबद्ध** करना। साथ ही, बीमा उत्पादों को इस तरह पुनः संरचित करना कि वे केवल जोखिम हस्तांतरण उपकरण न बनकर फसल के जोखिम और हानि को ही कम करने वाले उपकरण बनें।
- **प्राथमिक क्षेत्र ऋण के संरेखण में प्राथमिक बीमा के रूप में बीमा** प्रदान करना। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा के प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- एक क्लस्टर में कम-से-कम दो बीमा कंपनियों को शामिल करके **प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारित** करना। बीमा उत्पादों के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों से किसानों को मदद मिलेगी।

VISION IAS

7.6. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector)

संबद्ध क्षेत्रक – एक नज़र में

2014–15 से 2019–20 के दौरान पशुधन क्षेत्रक का CAGR **8.15% था। यह** 2019–20 में कुल कृषि GVA का **29.35%** (स्थिर कीमतों पर) था।

वैश्विक दुग्ध उत्पादन का **23%** उत्पादन भारत में होता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में **5%** का योगदान देता है। साथ ही, यह सीधे **8 करोड़ से अधिक** किसानों को रोजगार भी देता है।

भारत के कुल निर्यात में **37%** योगदान बागवानी क्षेत्रक द्वारा किया जाता है।

भारत **विश्व में दूसरा सबसे बड़ा** मछली उत्पादक देश है जो **वैश्विक उत्पादन का 7.56% उत्पादित** करता है।

प्रमुख उद्देश्य

- पर्यावरण की रक्षा, जंतु जैव–विविधता का संरक्षण, जैव–सुरक्षा और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करते हुए **पशुधन उत्पादकता और उत्पादन को संधारणीय तरीके से बढ़ाना।**
- **बागवानी क्षेत्रक** के समग्र विकास को बढ़ावा देना, **किसानों की आय** में वृद्धि करना और **पोषण सुरक्षा** को मजबूत करना।
- सभी क्षेत्रों में संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए **इंद्रधनुष क्रांति** की शुरुआत करना।

बाधाएं

- **पुरानी और अकुशल तकनीक** का उपयोग फसलों और पशुधन की कम उत्पादकता का प्राथमिक कारण है।
- **अधिक उपज देने वाली नस्लों, कृषि संबंधी उपकरणों की वहनीयता** एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाती है।
- **कृषि में कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद** है, जो विविधीकरण में बाधक बनता है।
- तकनीकी को अपनाने के लिए **पर्याप्त पूंजी का अभाव।**
- **सीमित प्रसंस्करण अवसंरचना** के कारण **फसल कटाई के बाद अधिक नुकसान होता है।**
- सभी संबद्ध गतिविधियों में उन्नत पद्धतियों को अपनाने का **निम्न स्तर** एक गंभीर बाधा है।

योजना / पहल

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)**– राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड।
- **नीली क्रांति के लिए योजनाएं जैसे**– मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन, मिशन फिंगरलिंग और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)** और पशुधन बीमा योजना।
- पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड।**
- **राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (NPBBDD)।**
- **राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन।**
- नई तकनीकों जैसे पर्माकल्चर आदि को प्रोत्साहित करना।

आगे की राह

- सभी संबद्ध क्षेत्रकों में **मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना।**
- संबद्ध क्षेत्रकों में लगे किसानों के लिए **सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित** करना।
- विभिन्न संबद्ध क्षेत्रकों (जैसे– मत्स्य पालन क्षेत्रक) में चलाई जा रही योजनाओं को एकीकृत करना तथा किसानों एवं मछली प्रजनकों का **क्षमता निर्माण करना।**
- अधिक आय और रोजगार सृजन के लिए **उच्च प्रतिफल देने वाली फसलों को** अपनाते हुए **विविधीकरण को** प्रोत्साहित करना।
- **स्मार्ट बागवानी: हाई डेंसिटी प्लांटेशन,** सब्जियों में **संकर प्रौद्योगिकी** और **फलों में रूटस्टॉक प्रौद्योगिकी** जैसी तकनीकों का उपयोग करना।
- **जैविक उत्पादों के लिए बाजार** को मजबूत बनाना।
- विदेशी नस्लों के साथ–साथ देशी पशुओं की नस्लों को भी बढ़ावा देना।
- प्रसंस्करण में निजी निवेश और उद्यमिता को सुगम बनाकर फसल **कटाई के बाद के होने वाले नुकसान को कम** करना।

7.6.1. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक (Fisheries Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2024-25 तक मत्स्य पालन क्षेत्रक से **1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य** निर्धारित किया है।

भारत में मत्स्य पालन के बारे में

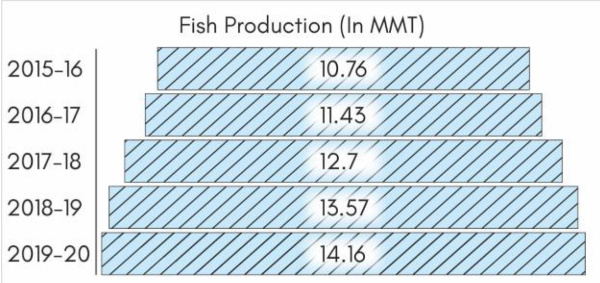

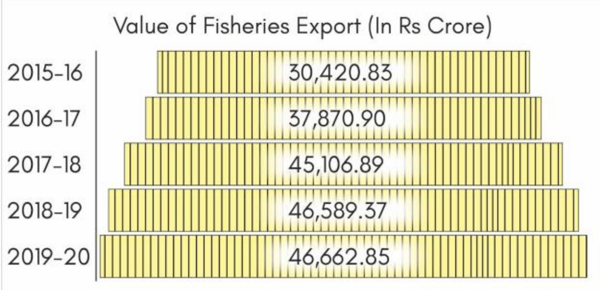

- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि** (aquaculture) **करने वाला** देश है।
- मत्स्य और शेलफिश प्रजातियों के संदर्भ में वैश्विक जैव विविधता का 10% से अधिक भारत में मौजूद है।
- मात्स्यिकी, **राज्य सूची का विषय है। इसलिए मात्स्यिकी से जुड़े विनियमन में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**
  - **केंद्र सरकार की भूमिका,** सहकारी संघवाद के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत इस संबंध में **राज्य के प्रयासों को सहायता करने की है।**
  - **अंतर्देशीय मात्स्यिकी** को पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, वहीं **समुद्री मात्स्यिकी** के तहत उत्तरदायित्व केंद्र और संबंधित तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मध्य साझा किया जाता है।

मत्स्य पालन क्षेत्रक का महत्व

- **खाद्य सुरक्षा:** यह **भोजन और पोषण संबंधी एक महत्वपूर्ण संसाधन** है, मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए।
  - अंतर्देशीय मछली वस्तुतः **'प्रच्छन्न भुखमरी (Hidden hunger)'** को दूर करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरणस्वरूप- अंतर्देशीय मछलियां उन लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करती हैं जिनके पास अन्य पोषक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं या अत्यधिक महंगे होते हैं।
- **आजीविका:** अधिकतर मत्स्य पालन ग्रामीण निर्धनों द्वारा प्रायः निर्वाह और छोटे पैमाने की आर्थिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। मत्स्य पालन, प्राथमिक स्तर पर लगभग 2.5 करोड़ मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों को आजीविका प्रदान करता है। साथ ही, यह संबंधित मूल्य श्रृंखला के तहत लगभग 5 करोड़ लोगों की आजीविका का सहारा भी है।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **नीली क्रांति:** इसे 3,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मछुआरों और मछली का पालन करने वाले किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एकीकृत तथा क्षेत्र के समग्र विकास और मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है।
- **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** वर्ष 2019 में, सरकार द्वारा मछुआरों और मछली का पालन करने वाले किसानों की आय को दोगुना करने तथा उनके लिए सार्थक रोजगार पैदा करने एवं कृषिगत सकल मूल्य वर्धन (GVA) और निर्यात में मत्स्य क्षेत्रक के योगदान को बढ़ाने के लिए इस नई योजना का आरंभ किया गया था।
  - **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** के अंतर्गत एक राष्ट्रव्यापी **"रिवर रैंचिंग कार्यक्रम"** शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि और जल के उत्पादक उपयोग, विस्तार, गहनीकरण एवं विविधीकरण की सहायता से मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना है।
- **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)[65] की स्थापना की गई।**
- **वर्ष 2019 में,** सरकार ने निम्नलिखित दो अलग-अलग विभागों के साथ एक नया **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** का निर्माण किया:
  - मत्स्य पालन विभाग; तथा
  - पशुपालन और डेयरी विभाग।
- **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2020:** इसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्रक विकसित करना है, ताकि मछुआरों एवं मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आर्थिक समृद्धि तथा कल्याण में योगदान दिया जा सके।
- हाल ही में, सरकार ने **मछुआरों और महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** देने की घोषणा की है।

---

[65] Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund

- यह आजीविका साधन विशेष रूप से **नृजातीय अल्पसंख्यकों, ग्रामीण गरीबों और महिलाओं के साथ-साथ हाशिए पर स्थित आबादी की गरीबी की रोकथाम** में महत्वपूर्ण है।

- **पर्यावरण:** अंतर्देशीय मछलियां वस्तुतः **पारितंत्र की कार्यप्रणाली और पारितंत्र में परिवर्तन के संकेतक** के रूप में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय स्तर पर मछली पकड़ने और जलीय कृषि संबंधी कई कार्यों के कम पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इन्हें **'हरित खाद्य (Green Food)' आंदोलन** के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है।
- **सामाजिक:** दुनिया भर में **कई समुदायों के लिए ये गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण** होती हैं। कई संस्कृतियों में, अंतर्देशीय मछलियों को पवित्र माना जाता है और साथ ही वे कई समुदाय की सामुदायिक पहचान भी होती हैं।
- **मानव स्वास्थ्य और कल्याण:** यह रोग नियंत्रण और चिकित्सा अनुसंधान में विकास में योगदान करता है। **रोग वाहक (जैसे मलेरिया, डेंगू बुखार, पीत-ज्वर) मच्छरों के नियंत्रण के लिए,** लार्वा का भक्षण करने वाली मछली का प्रायः उपयोग किया जाता है।

मात्स्यिकी/मत्स्य पालन क्षेत्रक के विकास के समक्ष बाधाएं

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** विशेष रूप से मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली को जलपोतों से उतारे जाने वाले केंद्रों, शीत भंडारण श्रृंखला और वितरण प्रणाली, खराब प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, अपव्यय, पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन, कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता आदि कुछ अन्य कारक हैं जो मात्स्यिकी के विकास को बाधित करते हैं।
- **तकनीकी पिछड़ापन और वित्तीय बाधाएं:** भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास में हुए विलंब के लिए, ये बाधाएं मुख्य रूप से उत्तरदायी रही हैं।
- **अत्यधिक दोहन:** असंधारणीय रूप से मछली पकड़ने से मछलियों और जलीय जैव विविधता के साथ-साथ नदी तथा झील के किनारे रहने वाले समुदायों के लोगों की आजीविका के समक्ष एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
    - इसके लिए खाद्य-पदार्थ की अत्यधिक मांग, बाजार का दबाव, मछली पकड़ने की गियर तकनीक का विकास, उचित प्रबंधन दृष्टिकोण और नीतियों का अभाव, आकस्मिक रूप से जाल में अवांछित समुद्री जीवों का फंसना, और जंगली प्रजातियों का अविनियमित एक्वैरियम व्यापार प्रमुख कारण हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** मछलियां अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। इसलिए जल के तापमान में वृद्धि या कमी का उनके विकास तथा प्रजनन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही जल के प्रवाह और रासायनिकता में परिवर्तन होगा।

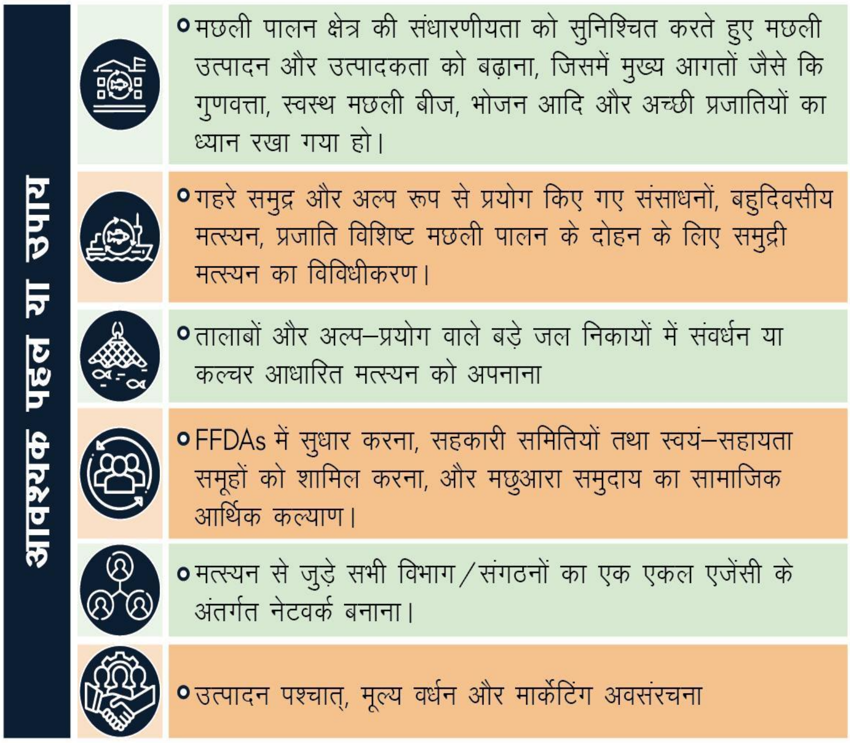

- **आक्रामक प्रजातियां:** विदेशी आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश वस्तुतः देशी मछली प्रजातियों और ताजे जल के उनके पारितंत्र के समक्ष सबसे बड़े वैश्विक खतरों में से एक है।
- **पर्यावास में परिवर्तन, विखंडन और विनाश:** बांध निर्माण, कृषि पद्धतियों, शहरी विकास, नदियों के तलकर्षण संबंधी गतिविधियों और भू-आकृतिक परिवर्तन के कारण।

निष्कर्ष

विभिन्न प्रजातियों और विभिन्न क्षेत्रकों के लिए विनियामकीय प्रबंधन रणनीतियों और ठोस नीतिगत प्रयासों के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्रक के संसाधनों का संधारणीय दोहन करना अभी भी संभव है। पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों के अनुसार मत्स्य पालन करने और खपत को जारी रखते हुए इस क्षेत्रक में संधारणीयता बनाए रखने की आवश्यकता है।

7.6.2. चीनी मिल (Sugar Mills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने **चीनी विकास निधि (SDF)**[66] **नियम, 1983** की पुनर्संरचना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- **नए दिशा-निर्देशों के लाभ:**
  - ये दिशा-निर्देश सहकारी समितियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों सहित **सभी प्रकार की कंपनियों द्वारा लिए गए SDF ऋणों पर समान रूप से लागू होते हैं। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे:**
    - **दो साल के लिए शुल्क से छूट** और फिर पाँच साल तक ऋण चुकाने की सुविधा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसी चीनी मिलों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जिन्होंने SDF ऋण लिया है।
    - पात्र चीनी मिलों को **अतिरिक्त ब्याज से पूरी छूट** दी जाएगी।
    - SDF नियम 26 (9) (a) के अनुसार, ऋण की ब्याज दर को पुनर्वास पैकेज के अनुमोदन की तिथि पर प्रचलित बैंक दर के मुताबिक **ब्याज दर में बदल दिया जाएगा।**

सामान्य नीति

- **गन्ना मूल्य नीति (Sugarcane pricing policy)**
  - **उचित और लाभकारी मूल्य (FRP):** वर्ष 2009 में **गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966** में संशोधन के साथ, गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य (SMP)[67] की अवधारणा को उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)[68] से बदल दिया गया था।
    - **FRP** वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को **गन्ना किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए** चुकाना पड़ता है।
    - FRP **चीनी की मूल प्राप्ति दर** से जुड़ा हुआ है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ निकाय, **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)**[69] **द्वारा दिए गए सुझावों** और राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
    - **राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य (SAPs)**[70] **:** उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्य उत्पादन की लागत और उत्पादकता स्तरों को देखते हुए गन्ने के लिए SAP की घोषणा करते हैं। SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।
- **चीनी मूल्य निर्धारण नीति (Sugar pricing policy)**
  - **न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP)**[71]**:** आवश्यक वस्तु अधिनियम[72], 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र ने **शर्करा मूल्य (नियंत्रण) आदेश**[73]**, 2018** को अधिसूचित किया है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा गन्ने की FRP और सबसे कुशल मिलों के न्यूनतम रूपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए MSP तय किया जाता है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत 2.5 करोड़ परिवारों को 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर से चीनी वितरित की जाती है।
- **निर्यात नीति:** भारत की निर्यात सब्सिडी में उत्पादन सहायता योजना, बफर स्टॉक योजना और विपणन व परिवहन योजना शामिल है।

चीनी मिलों को बार-बार तरलता संकट का सामना क्यों करना पड़ता है?

- **निम्नलिखित कारणों से उच्च गन्ना उत्पादन होना:**
  - **गन्ने के लिए निश्चित मूल्य:** सरकार ने किसानों की आय में सहायता के लिए गन्ने की कीमतें तय की हैं।
  - **चीनी के लिए नियंत्रित घरेलू कीमतें:** किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत से सुरक्षित रहती हैं।
  - **उच्च उपज वाली गन्ने की किस्में।**

---

66 Sugar Development Fund

67 Statutory Minimum Price

68 Fair and Remunerative Price

69 Commission for Agricultural Costs and Prices

70 State-Advised Prices

71 Minimum Selling Price

72 Essential Commodities Act

73 Sugar Price (Control) Order

- **गन्ना आरक्षित क्षेत्र और बाध्यता:** प्रत्येक निर्दिष्ट मिल गन्ना आरक्षित क्षेत्र के गन्ना किसानों से खरीद करने के लिए बाध्य है और इसी तरह किसान अपने क्षेत्र की मिल को बिक्री करने के लिए बाध्य हैं। इससे, यह सुनिश्चित होता है कि मिल को गन्ने की न्यूनतम आपूर्ति हो, वहीं मिल न्यूनतम मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदने को प्रतिबद्ध होती है।
  - हालांकि, यह व्यवस्था उस **किसान की मोलभाव शक्ति को कम कर देती है,** जो गन्ने का पैसा बकाया होने पर भी मिल को बेचने के लिए मजबूर होता है। ऐसा तब होता है जब चीनी मिल मालिक किसानों द्वारा आपूर्ति किये गए गन्ने के भुगतान में देरी करते हैं।
  - वहीं **मिलों** के पास भी गन्ने की आपूर्ति बढ़ाने की **सुविधा नहीं रह जाती।** खासकर जब गन्ना आरक्षित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में कमी होती है। इसके अलावा, मिलों को उस क्षेत्र में किसानों द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने की गुणवत्ता तक ही सीमित रहना पड़ता है।

न्यूनतम दूरी की शर्त: गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत, केंद्र सरकार ने किन्हीं दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी को 15 कि.मी. निर्धारित किया है। इस नियम से सभी मिलों के लिए गन्ने की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद की जाती है।
  - हालांकि, इस शर्त के कारण अक्सर **बाजार में गड़बड़ी पैदा होती है।** एक बड़े क्षेत्र पर आभासी एकाधिकार प्राप्त हो जाने से मिलों को किसानों पर बढ़त मिल जाती है, खासकर जहां भूमि की जोत छोटी होती है। इससे, जहाँ प्रतिस्पर्धा का मार्ग बंद होता है, वहीं उद्यमियों के प्रवेश और निवेश में भी बाधा आती है।

- **चीनी के लिए व्यापार नीति:** सरकार ने निर्यात और आयात दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया है। नतीजतन, चीनी के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम है। इसके अलावा, इससे गन्ना उद्योग और इसके उत्पादन में काफी अस्थिरता आई है।

चीनी मिलों के तरलता संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वे कितने प्रभावी हैं?

- **राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018:** इस नीति में **वर्ष 2030 तक इथेनॉल के लिए 20% की लक्षित सम्मिश्रण दर** का प्रस्ताव रखा गया।
- **एक त्रिपक्षीय समझौता:** यह चीनी कंपनियों, बैंकों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs)[74] के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। बैंक एथेनॉल क्षमता वृद्धि के लिए धन देते हैं और इथेनॉल की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग एक अलग निलंब खाते के माध्यम से ऋण चुकाने के लिए किया जाता है।
- **चीनी के लिए निर्यात सब्सिडी:** सब्सिडी के बिना भारतीय निर्यात अव्यावहारिक है क्योंकि चीनी उत्पादन की लागत (गन्ने की उच्च कीमत के कारण) चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी अधिक है।

[74] Oil Marketing Companies

चीनी मिलों के तरलता संकट को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **सी. रंगराजन समिति की सिफारिशें** {"भारत में चीनी क्षेत्र का नियमन: आगे की राह" पर रिपोर्ट (2012 में प्रस्तुत)}।
  - **गन्ना आरक्षित क्षेत्र और बाध्यता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:** राज्य सरकारों को चाहिए कि समय के साथ बाजार आधारित दीर्घकालिक संविदात्मक व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा गन्ना आरक्षित क्षेत्र और बाध्यता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। किसानों के साथ इस तरह के व्यक्तिगत अनुबंध से उन्हें यह तय करने की छूट मिलेगी कि वे अपनी उपज किस मिल को बेचना चाहते हैं।
  - **दूरी संबंधी नियम की समीक्षा की जाए:** नियमन को हटाने से किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा और मौजूदा मिलों को उन्हें समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
  - **व्यापार नीति:** चीनी के व्यापार पर सभी मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाकर शुल्क सूची में परिवर्तित किया जाना चाहिए। आयात और निर्यात पर मध्यम शुल्क के रूप में उपयुक्त शुल्क को 5-10% से अधिक नहीं लागू किया जाना चाहिए। ऐसी व्यापार नीति उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए तटस्थ होगी। जब विश्व में कीमतें बहुत अधिक या कम हों तो शुल्क को बदला जा सकता है।

7.7. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (Food Processing Sector)

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक – एक नज़र में

यह एक सनराइज सेक्टर है। इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर **(CAGR) 11%** है। वर्ष 2019–20 में 2.24 लाख करोड़ रुपये का सकल मूल्य वर्धन **(GVA)** था। यह देश में कुल **GVA** का **1.69%** है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार, इस क्षेत्रक में **20.05 लाख कर्मचारी** कार्य कर रहे हैं। यह संख्या **देश में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रक में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का सबसे बड़ा हिस्सा (11.22%)** है।

देश भर में स्वीकृत 37 में से **22 मेगा फूड पार्क परिचालन में हैं।**

बढ़ती क्षेत्रीय स्वाद वरीयता के साथ बढ़ता निर्यात।

प्रमुख उद्देश्य

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के माध्यम से **अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभों यानी** अर्थव्यवस्था और कृषि को एकीकृत करना।
- दूध, दाल, अदरक, केला और आम जैसे **{ेत्रों में बढ़ती मांग के कारण भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का दोहन करना।**
- **ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस तैयार करना।**
- **विदेशों में** भारतीय उत्पादों **की ब्रांडिंग और मार्केटिंग** को सहायता प्रदान करना।
- **खाद्य उत्पादों के मौजूदा निम्न प्रसंस्करण स्तर और आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली अत्यधिक बर्बादी की** समस्याओं का समाधान करना।

योजना/पहल

- **पी.एम. किसान संपदा योजना।**
- **ऑपरेशन ग्रीन्स** का दायरा TOP (टमाटर, प्याज और आलू) से बढ़ाकर शीघ्र खराब होने वाली 22 फसलों तक कर दिया गया है।
- सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता के लिए **प्रधान मंत्री– सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PM–FME)।**
- चयनित उत्पादों पर SME को अपग्रेड करने के लिए **PM–FME** के तहत एक जिला **एक उत्पाद पहल**
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना।**
- 100% FDI, और खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन को **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार** के तहत कृषि संबंधी गतिविधि के रूप में शामिल करना।

बाधाएं

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का **अनौपचारिक रूप।**
- **कुशल आपूर्ति श्रृंखला** अवसंरचना का अभाव।
- **कार्यशील पूंजी की उच्च आवश्यकता;** नए विश्वसनीय और बेहतर सटीकता वाले उपकरणों की कम उपलब्धता; अपर्याप्त ऑटोमेशन।
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, प्रोसेसर्स, निर्यातकों और थोक खरीददारों के साथ किसानों/क्षेत्रक का **अविकसित लिंकेज।**
- **ऋण प्रदान करने की खराब सुविधा, नौकरशाही बाधाएं और कड़े श्रम कानून।**
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास।**
- **गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता।**

आगे की राह

- **नीतिः** विनियामक संरचना, श्रम कानून, खाद्य और पैकेजिंग मानकों को कारगर बनाना।
- **वित्तीयः** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने, बाजार को बढ़ावा देने और सहायक गतिविधियों के खर्चों को ध्यान में रखते हुए उचित कर प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करना।
- **आधारभूत संरचनाः** किसान–उत्पादक–निवेशक –अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिंकेज के माध्यम से **आपूर्ति पक्ष और बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करना।**
- **मानवीय संसाधनः** मांग और लाभ आधारित उत्पादन के प्रति हितधारकों की मानसिकता तथा कुशल कार्यबल का निर्माण करना।

7.8. कृषि निर्यात (Agricultural Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में "पहली बार" देश का कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात में **19.92% की वृद्धि** हुई है। यह बढ़कर 50.21 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है।
    - यह वृद्धि **वर्ष 2020-21** में हासिल की गयी **17.66% की वृद्धि की तुलना में अधिक** है। वर्ष 2020-21 में इस वृद्धि की वजह से **41.87 अरब डॉलर** का कृषि निर्यात दर्ज किया गया था।
    - चावल, गेहूं, चीनी, और अन्य अनाज जैसी **मुख्य फसलों** के मामले में अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया गया है।
    - **समुद्री उत्पादों** का भी अब तक का सर्वाधिक निर्यात (7.71 बिलियन डॉलर) दर्ज किया गया है।

भारत के कृषि निर्यात के बारे में अन्य तथ्य

- **विश्व व्यापार में हिस्सेदारी:** वर्ष 1991 में **आर्थिक सुधार** प्रारंभ होने के बाद से भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 2017 में **विश्व कृषि व्यापार** में भारत के कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.27% और 1.90% था।
- **समग्र घरेलू निर्यात में हिस्सेदारी:** भारत के कुल निर्यात में **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का 11 प्रतिशत योगदान है।**
- **निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं:** भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख कृषि वस्तुओं में **समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय** सम्मिलित हैं।

- **प्रमुख गंतव्य:** भारतीय कृषि / बागवानी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ 100 से अधिक देशों / क्षेत्रों को निर्यात किए जाते हैं।
- **GDP के प्रतिशत के रूप में निर्यात:** भारत के **कृषि GDP के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात** वर्ष 2017-18 के 9.4% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 9.9% हो गया।
- **कृषि-निर्यात उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करता है।** इसमें अन्य घरेलू और वैश्विक लाभ, व्यापार से संबंधित **अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद की गुणवत्ता तथा पैकेजिंग मानक, बड़ी अर्थव्यवस्था** आदि की मुख्य भूमिका होती है। (चित्र देखें)।

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:

- किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता का दोहन करने और **भारत को कृषि क्षेत्र में अग्रणी** देश बनाने के लिए **कृषि निर्यात नीति** की घोषणा की गयी है।
- निर्यात के लिए **ऑनलाइन प्रमाण-पत्र** जारी करना, जिसमें मुद्दों को संभालने के लिए **नियंत्रण कक्ष एवं परीक्षण सुविधाओं** में वृद्धि की जाएगी।
- कुछ विशेष कृषि उत्पादों के लिए **परिवहन और विपणन सहायता** की घोषणा की गयी है। इसका उद्देश्य मालभाड़े के नुकसान को कम करने के लिए माल ढुलाई के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करना है।

- **किसानों, किसान उत्पादक संगठनों / किसान उत्पादक कंपनियों, सहकारी समितियों** के लिए एक **किसान कनेक्ट पोर्टल** स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से निर्यातकों से संपर्क बनाने में मदद मिलती है।
- विदेशों में स्थित **भारतीय मिशनों** के साथ नियमित आधार पर संवाद किया जाता है।
- एपीडा (APEDA), एमपीडा (MPEDA), टी-बोर्ड आदि की **निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं** के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है।
- नागर विमानन मंत्रालय ने **कृषि उड़ान 2.0** योजना शुरू की है। **इसका उद्देश्य** देश के 53 हवाई अड्डों पर **हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कृषि निर्यात में बाधाएं

- **दूर-दराज के क्षेत्रों का निम्नस्तरीय जुड़ाव:** भारत में, विशेष रूप से जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एकत्रीकरण सुविधा निम्नस्तरीय और असंगठित है। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की **गुणवत्ता और ताजगी** बनाए रखने की समस्या बनी रहती है।
- **प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी:**
  - **खेत के स्तर पर:** अनियंत्रित उत्पादक सामग्री (रसायन) का उपयोग व अपर्याप्त फसल और कटाई के बाद का प्रबंधन, उत्पाद की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ को प्रभावित करता है।
  - **निर्यातक के स्तर पर** निर्यात के लिए अपनाये जाने वाले दस्तावेज़ और प्रक्रियाओं एवं मौजूदा योजनाओं तथा निर्यात से संबंधित नीतियों के बारे में जागरूकता की कमी है।
- **कम मूल्यवर्धन (Low Value addition):** भारत **वैश्विक कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला के निचले छोर** पर बना हुआ है। इसका कारण यह है कि इसका अधिकांश निर्यात **कम मूल्य का, कच्चा या अर्ध प्रसंस्कृत है और थोक** में बाजारों तक पहुँचाया जाता है। भारत की कृषि निर्यात बास्केट में इसके उच्च मूल्य और मूल्य-वर्धित कृषि उत्पादों की भागीदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के 25% और चीन के 49% की तुलना में मात्र **15%** है।

> **कृषि निर्यात नीति**
>
> **वर्ष 2018** में एक **व्यापक कृषि निर्यात नीति** लाई गई थी। यह भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के भीतर कृषि **निर्यात के लिए उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन और समन्वय** पर ध्यान केंद्रित करती है।
>
> **उद्देश्य:**
>
> - निर्यात बास्केट व गंतव्यों में विविधता लाना और जल्दी ख़राब होने वाले उत्पादों पर ध्यान देना। उच्च मूल्य वाले और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना।
> - नवीन, स्वदेशी, जैविक, एथनिक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
> - बाजार पहुँच को विस्तार देने, बाधाओं से निपटने और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
> - वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी को दोगुना करने का प्रयास करना।
> - विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ पाने के लिए किसानों को सक्षम बनाना।

- **गैर-प्रशुल्क बाधाएं (Non-Tariff Barriers: NTB):** भारतीय कृषि निर्यात को यूरोप जैसे आकर्षक बाजारों में **NTB** का सामना करना पड़ता है (उदाहरण के लिए- अन्य शीर्ष निर्यातक देशों की तुलना में **अधिक कड़े निरीक्षण**)। NTB और लक्षित बाजारों के साथ मजबूत व्यापार समझौते की कमी भारतीय कृषि निर्यात में तीव्र वृद्धि के समक्ष मुख्य रूकावट हैं।
- **गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे:** भारतीय कृषि उत्पाद **घरेलू बाजार के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) मानकों** को तो पूरा करते हैं परन्तु **अमेरिका और यूरोपीय संघ में इन्हें समस्याओं** का सामना करना पड़ता है। **SPS** से जुड़े ये मुद्दे बंदरगाहों पर अस्वीकृति का कारण बनते हैं (विशेष रूप से **झींगा और मसालों** के लिए) और यूरोपीय बाजारों में महत्वपूर्ण रूप से प्रवेश करने की भारत की क्षमता को सीमित करते हैं।
- **गुणवत्ता, मानकीकरण में एकरूपता की कमी और मूल्य श्रृंखला में घाटे को कम करने में असमर्थता के कारण अपने विशाल बागवानी उत्पादन का निर्यात करने में असक्षमता।**

आगे की राह

- **नीतिगत एकरूपता:** घरेलू नीतियों और योजनाओं को आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन आदि के साथ संरेखित करने या तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** से संबंधित नीतियों को भी **विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप** बनाना होगा।

- **SPS मुद्दे को संबोधित करना:** एक एकीकृत निकाय पर भी विचार किया जा सकता है जो सिंगल विंडो से सभी सैनिटरी-फाइटोसैनिटरी मुद्दों को संभाल सकता हो।
- **कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना:** एक शीर्ष वैश्विक निर्यातक के रूप में उभरने के लिए, कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न तत्वों जैसे **कृषि उत्पादन प्रथाओं**, आपूर्ति श्रृंखला और रसद, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता (ट्रेसेबिलिटी) आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित HLEG[75] द्वारा की गई सिफारिशें,** जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपाय भी सम्मिलित हैं:
    - केंद्र को **सक्षमकर्ता की भूमिका** निभानी चाहिए;
    - हितधारकों की भागीदारी के साथ, **राज्यों के नेतृत्व में निर्यात योजना** बनाई जाए;
    - बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर नियामकीय स्पष्टता सहित, **अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी में उच्च निवेश** की आवश्यकता है;
    - **मूल्यवर्धन** पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, विशेष रूप से, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **तेज व अधिक समन्वित निवेश रणनीति** बनाई जानी चाहिए।

7.8.1. कृषि जिंसों के मूल्य में उतार-चढ़ाव (Fluctuation in Price of Agricultural Commodities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत विश्व में गेहूं का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है। हालांकि, गेहूं के **वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 1% से भी कम** है।
    - **भारत के प्रमुख निर्यात बाज़ार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात हैं।**
- **गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:**
    - देश की समग्र **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पड़ोसी और गरीब देशों की जरूरतों का समर्थन** जारी रखने के लिए ऐसा आवश्यक था।
    - रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की **वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि** हुई है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ किसान व्यापारियों को गेहूं बेच रहे थे। इस वजह से भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा **बफर स्टॉक की खरीद में तेज गिरावट** दर्ज की गयी है।
    - भारत की गेहूं की फसल **हीटवेव से भी प्रभावित** हुई है। इससे उत्पादन में कमी आई है।
    - खाद्य और ऊर्जा की **बढ़ती कीमतों ने भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति (रिटेल इन्फ्लेशन) को आठ वर्षों के उच्चतम स्तर** पर पहुंचा दिया है।

75 High Level Expert Group

बढ़ती घरेलू कीमतों के संभावित प्रभाव क्या हैं?

- **समग्र अर्थव्यवस्था:** मौद्रिक नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व 'कीमतों की बढ़ोतरी' है। मध्यम मुद्रास्फीति ब्याज कीमतों को कम रखने में RBI की मदद करती है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
- **उत्पादक:** खाद्य की कीमतें उच्च होने से, यह ज़रूरी नहीं है कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले।
- इसके अलावा, मध्यस्थों द्वारा परिवहन की उच्च लागतों का खर्च भी किसानों पर आरोपित कर दिया जाता है।
- **उपभोक्ता:** कीमतों में आने वाले अचानक उछाल का प्रभाव अनुमानतः नकारात्मक ही होगा। इससे खासकर, **उन गरीब परिवारों के लिए मुसीबत बढ़ेगी,** जो अपने उपभोग व्यय का अधिकतम हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं।

गेहूं के निर्यात पर वैश्विक प्रतिबंध के प्रभाव:

- **विकृत वैश्विक बाज़ार:** बढ़ती मांग, निजी क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा उच्च कीमतों के ऑफर और गेहूं की कमी के कारण **अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आटे की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई** है।
- **बफ़र स्टॉक में गिरावट:** वर्ष 2022 में फसल की कम उपज के कारण **गेहूं के वैश्विक स्टॉक में गिरावट देखी** गई है। यह स्टॉक **वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद से न्यूनतम स्तर** है।
- **व्यापक भुखमरी का बढ़ता खतरा:** वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सचेत किया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध तथा भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंध के कारण अतिरिक्त 47 मिलियन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है।
- **हिंसा:** ईरान ने आयात किए गए **गेहूं पर दी जा रही सब्सिडी में कटौती** कर दी है। इससे आटे से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों की कीमतों में 300% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए, ईरान में ब्रेड/ रोटी की बढ़ती कीमतों के कारण **विरोध प्रदर्शन हो रहे** हैं।

कीमतों में बढ़ोतरी और अस्थिरता को रोकने हेतु संभावित उपाय:

- **बफ़र स्टॉक:** बफर स्टॉक तैयार करना आवश्यक है, जिसमें **पर्याप्त भंडारण क्षमता हो।**
- **मूल्य शृंखला का विकास:** वर्तमान में भारत की कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 30-40 लाख टन कम है। इसके अलावा, फलों और सब्जियों को संग्रहीत करने के लिए **कोल्ड स्टोरेज को उन्नत बनाया जाना चाहिए**, ताकि वह ताज़े रह सकें।
- **मध्यस्थों को हटाना:** अनुबंध कृषि के तहत संगठित खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से सीधी खरीद की जानी चाहिए। साथ ही, मंडी व्यवस्था को दरकिनार करना चाहिए।
- **मंडी में सुधार:** बेहतर दक्षता के लिए निजी मंडियों की स्थापना करना, अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करना, कमीशन को घटाना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर आधारित सुधार करना।
- **विभिन्न शेयरधारकों के हितों का प्रबंधन:** प्रमुख शेयरधारकों के बीच संतुलन बनाकर मूल्यों की अस्थिरता का समाधान किया जा सकता है। जैसे-
    - उपभोक्ता न्यूनतम कीमतों पर उत्पाद खरीदना चाहता है,
    - किसान अधिकतम कीमतों पर उत्पाद बेचना चाहता है, और
    - मध्यस्थ अधिकतम लाभ कमाना चाहता है।

8. उद्योग (Industry)

8.1. औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

औद्योगिक नीति – एक नज़र में

- सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक का योगदान लगभग 16% है। यह वर्ष 1991 से लगभग स्थिर बना हुआ है।
- हाल ही में, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचकांकों जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में वर्ष 2020 में 63 वें स्थान (वर्ष 2014 में 142 वां स्थान) पर था।
- 7 भारतीय कंपनियां 2021 की फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल हैं।

प्रमुख उद्देश्य

- **भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भागीदार और अभिकर्ता के रूप में स्थापित करना।**
- **उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, लाभकारी रोजगार में वृद्धि करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राप्त करना।**
- योजनाबद्ध तरीके से 'उद्योग 4.0' को अपनाने को बढ़ावा देना।
- **फॉर्च्यून 500 श्रेणी** में वैश्विक–भारतीय कंपनियों की संख्या को बढ़ाना।
- सालाना **100 अरब डॉलर के** FDI को आकर्षित करना। वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति स्थापित करने हेतु आउटवर्ड थ्रू द्वारा सहायता प्रदान करना।

नीति/योजना/पहल

- निजी क्षेत्रक की बड़ी भूमिका के लिए वर्ष 1991 से **औद्योगिक नीति का प्रगतिशील उदारीकरण** हुआ है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रौद्योगिकी पार्कों, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (NIMZs), राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICP) आदि के माध्यम से **बुनियादी ढांचे का विकास** करना।
- विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया है।**
- विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों के लिए **उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना** शुरू की गई है।
- **अन्य कानून, नीतियां और सुधार:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम (2002); सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (2006); राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011); GST सुधार; IBC कोड। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, DTI योजना; 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम कानूनों में संकलित करना।

बाधाएं

- निवेश के **चयनात्मक** अंतर्वाह के कारण औद्योगिक पैटर्न में विकृतियां।
- ऋण बाधाओं, उच्च श्रम लागत आदि के साथ–साथ 2011–12 से **नए निवेश में चक्रीय स्लोडाउन।**
- डेटा सुरक्षा, डेटा की विश्वसनीयता और संचार/ प्रसारण में स्थिरता सहित **प्रौद्योगिकी विकास तथा उसे अपनाने** में आने वाली चुनौतियां।
- **गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की कमी** के कारण अधिक लॉजिस्टिक लागत और भारतीय वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी।
- **विनियामकीय अनिश्चितता; प्रतिबंधात्मक श्रम कानून; आई.पी.आर. से जुड़े मुद्दे** और विलंब; बिजली की कमी; फर्म–स्तरीय डेटा का अभाव; एजेंसियों की बहुलता; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान; बढ़ता इनपुट लागत आदि।

आगे की राह

- मांग का सृजन करके, **औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बेहतर करके और MSMEs को बढ़ावा देकर विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित** करना।
- **विनिर्माण क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी निवेश** को प्रोत्साहित **करने के लिए निरंतर उदारीकरण करना।**
- **श्रम प्रधान क्षेत्रकों में मेगा पार्कों और विनिर्माण समूहों** की स्थापना करना।
- **उद्योग को इंडस्ट्री 4.0 अपनाने के लिए प्रेरित करना।**
- सभी राज्यों में **"सिंगल विंडो" रेगुलेटरी सिस्टम** लागू करना।
- नई औद्योगिक नीति के भाग के रूप में **हरित औद्योगिक नीति** को शामिल करना।
- बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से **कर संबंधी सुधार करना।**
- IPRs के समग्र और संधारणीय विकास के लिए **अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि और मजबूत IPR व्यवस्था का विकास करना।**

8.1.1. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक समूह ने निर्णय लिया है कि वह अब “डूइंग बिज़नेस” रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर देगा। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक समूह अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से देशों के व्यापार माहौल के आधार पर उनकी रैंकिंग जारी करता है।

EoDB रैंकिंग की आवश्यकता क्यों हैं?

- कई विशेषज्ञ इस विचार का सदैव समर्थन करते हैं कि **व्यापार से जुड़े विनियमों, व्यापारिक माहौल और आर्थिक परिणामों के मध्य एक अहम और मजबूत संबंध होता है।**
    - व्यापार के लिए विनियामक माहौल **उत्पादकता, वृद्धि, रोजगार, व्यापार, निवेश, वित्त की सुलभता और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को प्रभावित करता है।**
- EoDB वस्तुतः कुशल बाजारों को बढ़ावा देने, उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा माल ढुलाई व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु ज़मीनी स्तर पर विद्यमान पारदर्शी नियमों का उल्लेख करता है। इससे निवेशकों की सोच और भावनाएं बदलने में मदद मिलती है।
- किसी व्यापार पर **नियम-कानून संबंधी अत्यधिक बाध्यताएं उसके प्रदर्शन को प्रभावित** करती हैं। इन नियम-कानूनों का पालन करने में समय और लागत दोनों का व्यय होता है। इससे व्यापार की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित होती है।
    - कम नियन-कानूनों के होने से उद्यमी अपना समय उत्पादक गतिविधियों में लगा सकते हैं।
- नीति आयोग द्वारा भी राज्य स्तर पर EoDB रैंकिंग व्यवस्था को आरंभ किया गया है। यह वार्षिक सुधार कार्य योजना को पूरा करने में राज्यों की प्रगति पर आधारित है। राज्यों को प्रदान की जाने वाली इस रैंकिंग से **निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है।**

EoDB रैंकिंग से संबंधित चुनौतियाँ

- **रैंकिंग में अनियमितताएं: वर्ष 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा से जुड़ी अनियमितताओं की समीक्षा के बाद** इस रैंकिंग को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
    - रैंकिंग से संबंधित अनियमितताओं के कारण चार देश, यथा- चीन, सऊदी अरब, यू.ए.ई., और अज़रबैजान प्रभावित हुए थे।
- **उदारवादी पक्षपात:** यह पाया गया है कि इसमें उदारवादी पक्षपात के कारण आर्थिक गतिविधियों की जटिलता को कम करके कुछ मात्रात्मक मैट्रिक्स (quantifiable metrics) तक ही सीमित कर दिया है। **इसके चलते उन देशों को प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है जिनकी आर्थिक नीतियां विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन के अनुरूप हैं।** विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन में निवेश के लिए नियम-कानूनों और बाधाओं को समाप्त करना, बाज़ार अनुकूल सुधार को बढ़ावा देना, श्रम संरक्षणवाद को कम करना आदि शामिल हैं।
- **स्थायी संरचनात्मक, सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं की उपेक्षा:** इस रैंकिंग की इस बात के लिए भी आलोचना की गई है कि यह वास्तविक और टिकाऊ संरचनात्मक सुधारों पर बल देने के बजाए सिस्टम में व्याप्त कमियों का उपयोग करता है। इसके चलते अनेक देश केवल उन कमियों को दूर कर रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहने की होड़ में लगे रहते हैं।

भारत में व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के सम्मुख चुनौतियाँ

भारत कई महत्वपूर्ण मानदंडों (पैरामीटर) के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है

- वैसे तो अनेक मामले में भारत में प्रगति हुई है लेकिन व्यवसाय आरंभ करने, अनुबंधों को लागू करने और संपत्ति का पंजीकरण करने जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों के मामले में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है।

उच्च प्रशुल्क या टैरिफ संरचना तथा संरक्षणवादी नीतियां

- भारत में प्रशुल्क संरचना और व्यापार संबंधी विनियमन पहले से ही गैर–पारदर्शी हैं तथा इनके बारे में अनुमान लगाना भी कठिन कार्य है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के कई निवेशकों और निर्यातकों की बाजार तक पहुंच सीमित हो जाती है।
- भारत में लागू औसत प्रशुल्क दर, विश्व व्यापार संगठन के देशों के मध्य सबसे अधिक दरों में से एक है।

अस्थिर नीतिगत माहौल

- कुछ साल पहले की एक घटना इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के बाद कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापक पैमाने प्रवेश हुआ था। लेकिन निरंतर बदलती नीतियों के कारण जल्द ही कई कंपनियों ने स्वयं को इस क्षेत्रक से अलग कर लिया।

अवसंरचना

- भारत में सड़क, रेल–मार्ग, हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, पावर ग्रिड और दूरसंचार अवसंरचना की वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय है। इससे व्यापार करने में सुगमता के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत होती हैं।

बौद्धिक संपदा से संबंधित सुरक्षात्मक उपाय

- वैसे तो भारत में स्थानीय कानून व्यापक स्वरूप में निर्मित किए गए हैं और वे सामान्य रूप से यूरोपीय यूनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बौद्धिक संपदा कानूनों के सुसंगत भी हैं। फिर भी इन कानूनों को लागू करने के संबंध में कुछ चिंताएं व्यापत हैं।
- संवेदनशील बौद्धिक संपदाओं का संरक्षण करने के संबंध में अधिकारी तंत्र की ओर से किए जाने वाले विलंब तथा पारदर्शिता का अभाव चिंता का मुख्य विषय है।

- **सभी के लिए एक दृष्टिकोण:** इसके अंतर्गत आर्थिक संवृद्धि और विकास को मापने एवं समझने के लिए "सभी के लिए एक दृष्टिकोण" को अपनाया जाता रहा है। यह मुख्य रूप से संस्थानों और हितधारकों की वैचारिक प्राथमिकता पर आधारित है। इस तरह के तरीकों को अपनाए जाने से हमेशा कुछ अहम खामियों के रह जाने की संभावना बनी रहती है।

भारत द्वारा अपनी रैंकिंग में सुधार करने हेतु लागू किए गए कुछ EoDB सुधार:

- **मेक इन इंडिया** की सहायता से कई सुधारों को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापारिक माहौल से संबंधित अप्रासंगिक नीतियों और नियम-कानूनों को समाप्त करना, अवसंरचना विकास इत्यादि।
- **वेब आधारित स्पाइस प्लस (SPICe+) और एजाइल प्रोफॉर्म (AGILE PROform)** को आरंभ किया गया है। यह 3-चरणों में नई कंपनी के निगमीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इससे पहले वर्ष 2014 तक 14 चरणों की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था।
- भारत में कॉर्पोरेट कानूनों में सुधार करने हेतु व्यापक रणनीति के भाग के रूप में **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016**[76] के माध्यम से एक आधुनिक दिवालिया व्यवस्था को स्थापित किया गया है।
- **GST रिटर्न फाइल करने के लिए सरल प्रक्रिया,** छोटे कारोबार आरंभ करने के दौरान लगने वाले शुल्क को समाप्त करना, इत्यादि।
- विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाले समय में भी कमी आई है। **वर्ष 2014 में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में 105 दिन लगते थे, लेकिन वर्ष 2019 में यह घटकर 53 दिन** हो गए हैं।
- वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए दिल्ली और मुंबई में **आधुनिक सुविधाओं के साथ समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की गई है।**
- **सभी प्रकार के आयात और निर्यात संबंधी लेन-देनों के लिए सिंगल विंडो,** सभी हितधारकों जैसे कि पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर को एक सामान्य मंच पर एकीकृत किया गया है। बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट के फ़ास्ट ट्रैकिंग क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है।
- **कराधान विधि (संशोधन) क़ानून, 2021 (Taxation Laws (Amendment) Act, 2021) को अधिसूचित** कर दिया गया है। इसने कराधान कानूनों में निश्चितता लाते हुए भूतलक्षी या पूर्वव्यापी (retrospective) कराधान व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
- **एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल:** यह "अनुबंध प्रवर्तन" के पैमाने के मद्देनजर विधायी और नीतिगत सुधारों के संबंध में सूचना का समग्र स्रोत होगा।

8.1.2. सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (Public Procurement and Project Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत में सार्वजनिक खरीद (अधिप्राप्ति) और परियोजना प्रबंधन ढांचा

- **सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन** में सरकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद तथा विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन शामिल है। उदाहरण के लिए**, सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई वस्तुएं या सेवाएं।**
- वर्तमान में**, सामान्य वित्तीय नियम (2017)** और **वित्त मंत्रालय की खरीद नियमावली** सामान्य दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। इनका सभी एजेंसियों द्वारा पालन किया जाता है। इनमें एजेंसियों को सामान्य नियमों का अनुपालन करते हुए अपने स्वयं के खरीद नियम निर्मित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
    - उदाहरण के लिए, **रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय** आदि के **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020** जैसे अपने स्वयं के खरीद दिशा-निर्देश हैं। ज्ञातव्य है कि ये मंत्रालय अपने **बजट का लगभग 50% सार्वजनिक खरीद** पर व्यय करते हैं।

क्यों इस ढांचे में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस की गई?

- **व्यापक कानून का अभाव:** ज्ञातव्य है कि इन पर करदाताओं की बड़ी राशि या देश के संसाधनों को व्यय किया जाता है। इसलिए, **सार्वजनिक वित्त का विवेकपूर्ण उपयोग** और **सुशासन** सुनिश्चित करने के लिए **प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवं कुशल** सार्वजनिक खरीद व परियोजना प्रबंधन अत्यावश्यक है।
- **जटिल विनियामकीय ढांचा:** विविध मंत्रालयों और उद्देश्यों, सांविधिक निकायों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि की बड़ी संख्या के साथ उनकी अलग-अलग ज़रूरतों के लिए शासन के तीन स्तर।

76 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

VISION

- **सार्वजनिक खरीद की बढ़ती हिस्सेदारी:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमान है कि भारत में सार्वजनिक खरीद सकल घरेलू उत्पाद (वर्ष 2013 में) का 30% है।
- **न्यूनतम लागत चयन (या 'L1') पद्धति का पालन:** उच्च प्रभाव व तकनीकी रूप से जटिल खरीद में यह उप-इष्टतम वितरण[77], अप्रदर्शन, उपयोग अवधि की उच्च लागत, विलंब तथा मध्यस्थता का कारण बनती है।
  - उदाहरण के लिए, **भारतीय गुणवत्ता परिषद** द्वारा किए गए राजमार्ग विकास क्षेत्रक के अध्ययन से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ा है कि L1 पद्धति **गुणवत्ता और प्रदर्शन को बनाए रखने में विफल** सिद्ध हुई है।

नए दिशा-निर्देश निश्चित समय, लागत और गुणवत्ता के भीतर परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए **सभी हितधारकों के हितों को ध्यान** में रखते हैं। इसका उद्देश्य परियोजना का **तेज, कुशल और पारदर्शी** कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

नवीनतम दिशा-निर्देशों के तहत प्रमुख प्रावधान

- बोलीदाताओं के लिए तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड की स्पष्ट अभिव्यक्ति के माध्यम से **प्रक्रियात्मक स्पष्टता;** अनुबंधों में **परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) की भूमिका** को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आदि।
- डिफॉल्ट रूप में **खुली ऑनलाइन निविदा** के माध्यम से **डिजिटल थ्रस्ट;** कार्यों की प्रगति को दर्ज करने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक-मापन पुस्तकों (e-MB)** का कार्यान्वयन और इनका सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम परियोजना निगरानी प्रणाली के साथ एकीकरण।
- बेहतर परियोजना निष्पादन और गुणवत्ता। ऐसा परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर एवं परियोजना शुरू करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन/ ज़मीनी सर्वेक्षण करके किया जा सकता है। निविदा दस्तावेजों में **गुणवत्ता आश्वासन योजना** को शामिल करना; बड़े अनुबंधों की **चरण-वार प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करना;** आदि।
- **कठोर भुगतान समयसीमा** जैसे कि बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर **75% तदर्थ भुगतान करना;** ठेकेदारों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु **तरलता में सुधार** लाने के लिए भुगतान में देरी पर ब्याज लगाना आदि।
- आर्बिट्रेशन द्वारा समीक्षा/अदालती निर्णय के माध्यम से **विवादों को कम करना** और लोक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ केवल वास्तविक आधार पर अपील करना।
- सार्वजनिक प्राधिकरणों को बोनस, बेहतर रेटिंग आदि सहित हितधारकों को प्रोत्साहन देने के लिए रणनीतियाँ तैयार करने की अनुमति देकर **प्रोत्साहन का प्रचलन करना।**
- परामर्श सेवा के लिए **निश्चित बजट-आधारित चयन** (FBS) और केवल अप्रतिरोध्य या अपरिहार्य परिस्थितियों में **सलाहकार बदलने** की अनुमति देना।

आगे की राह

मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर, भारत को संपूर्ण सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुविधाओं, प्रथाओं, प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों आदि के साथ सुधारों की आवश्यकता है:

- पारदर्शी, जवाबदेह और प्रतिस्पर्धी खरीद व्यवस्था के लिए **विधायी शक्ति** के माध्यम से **सामान्य वित्तीय नियमों का समर्थन करना चाहिए।** उदाहरण के लिए, खराब परियोजना वितरण के लिए अर्थदंड को कानूनी समर्थन देना।
- पर्याप्त पारदर्शिता और सक्रिय पर्यवेक्षण बनाए रखते समय विवेकाधिकार के उपयोग पर लचीलापन प्रदान करने के लिए **मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाना।** यह **नीति**

[77] Sub-Optimal Distribution

योजनाकारों, सार्वजनिक खरीद अधिकारियों और अन्य हितधारकों को मिलकर कार्य करने के लिए संगठित करके किया जा सकता है।

- लचीलेपन और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त विधियों के साथ-साथ उभरती प्रवृत्तियों के आधार पर **वैकल्पिक खरीद तंत्र की पहचान करना।** उदाहरण के लिए
    - **केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल और सरकारी ई-मार्केटिंग (GeM) पोर्टल** जैसी ई-खरीद विधियों का संवर्धन।
    - **'जानने के अधिकार'** के हिस्से के तौर पर असफल बोलीदाताओं को यह बताने के लिए **विवरण देने की प्रक्रिया का प्रचलन** करना कि वे सफल क्यों नहीं हुए।
    - जहां संभव हो, **सत्यनिष्ठा समझौता शामिल करना** और अधिक स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति करना {132 खरीद संस्थाओं के लिए वर्ष 2016 में पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा अनुमोदित}।
- अनुचित व्यवहारों का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** और सरकारों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच **घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना।** भ्रष्ट फर्मों को काली सूची में डालने के नियमों में सुधार करना और उनका सख्ती से प्रवर्तन करना।
- विभिन्न शासन स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक खरीद के सभी पहलुओं में खरीद अधिकारियों का **आवधिक जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण।**

सरकारी खरीद पर WTO समझौता (GPA)

- यह सरकारी खरीद बाजारों में प्रतिस्पर्धा की **मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी** स्थितियाँ सुनिश्चित करने के निमित्त **बहुपक्षीय समझौता** है (अर्थात, कई WTO सदस्यों पर लागू होता है, लेकिन सभी पर नहीं)।
- यह शामिल की गई वस्तुओं, सेवाओं और निर्माण सेवाओं की खरीद के संबंध में अनुबंध के पक्षकारों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए **राष्ट्रीय उपचार और गैर-भेदभाव** की गारंटी देता है, जैसा कि प्रत्येक पक्षकार की अनुसूची में निर्धारित किया गया है।
- **भारत इसका पक्षकार नहीं है, लेकिन वर्ष 2010 से पर्यवेक्षक सरकार है।**

8.1.3. विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (Special Economic Zones: SEZ)

सुर्ख़ियों में क्यों है?

सरकार ने **डेवलपमेंट इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब** (DESH)[78] **बिल, 2022** के मसौदा प्रस्ताव को विचार विमर्श हेतु जारी किया है। इस विमर्श का उद्देश्य **विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005** की जगह इस बिल को स्थापित करने के संबंध में राय प्राप्त करना है।

भारत में SEZ और उनका महत्व

- SEZ, विशेष रूप से चिन्हित **शुल्क-मुक्त क्षेत्र** होते हैं। इसे व्यापार के संचालन और शुल्क एवं कर के प्रयोजनों की दृष्टि से **एक बाह्य क्षेत्र** माना जाता है।
- भारत ने बहुत पहले ही इस तरह के **निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (EPZ)** वाले मॉडल की प्रभावशीलता को देखते हुए वर्ष 1965 में कांडला में एशिया के पहले EPZ को स्थापित किया था।
- **वर्ष 2000 में विदेश व्यापार नीति** के प्रावधानों के अंतर्गत SEZ को आर्थिक विकास के एक इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए भारत ने एक **SEZ नीति** की घोषणा की थी।
- इसके बाद क्रमिक रूप से वर्ष **2005 में SEZ अधिनियम लाया** गया तथा **वर्ष 2006 में SEZ नियमों** को लागू किया गया। इन्हें इसलिए लाया गया था, ताकि SEZ पर एक व्यापक स्थिर व्यवस्था को अपनाया जा सके तथा विभिन्न **उद्देश्यों** को निम्नलिखित कदमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सके (चित्र देखें):
    - SEZ के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए **सरलीकृत प्रक्रियाओं** को अपनाना।
    - SEZ में इकाई स्थापित करने तथा केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए **सिंगल विंडो क्लीयरेंस** की सुविधा प्रदान करना।
    - स्व-प्रमाणन आदि पर जोर देने के साथ-साथ **सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण** को बढ़ावा देना, ताकि नियंत्रण और मंजूरी की बहुलता के कारण आने वाली कमियों को दूर किया जा सके।

[78] Development Enterprise and Services Hub

VISION IAS

SEZ का प्रदर्शन

- **SEZ की संख्या:** जनवरी 2022 तक भारत में **संचालनरत SEZ की संख्या 268 थी।** इनमें **357 को अधिसूचित** श्रेणी के तहत रखा गया है और **425 को औपचारिक मंजूरी** प्रदान कर दी गई है।
- **सकारात्मक आर्थिक संकेतक: वित्त वर्ष 2021** में SEZ के माध्यम से होने वाला **निर्यात** बढ़कर **7.59 ट्रिलियन रुपये** हो गया है, जो **वित्त वर्ष 2006** में केवल **22,840 करोड़ रुपये** था। इससे **वित्त वर्ष 2021** तक **6.17 ट्रिलियन रुपये** के कुल निवेश के साथ **2.35 मिलियन रोजगार** पैदा हुए हैं।
- **चीन के मुकाबले खराब प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2020 में यह निर्यात 112.3 बिलियन डॉलर से भी कम था, जो चीन के प्रदर्शन की तुलना में कहीं भी नहीं है।
- **SEZ का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कम हो रहा है,** क्योंकि कई व्यवसाय SEZ से दूर जा रहे हैं या व्यावसायिक इकाइयों को आसियान देशों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके पीछे SEZ की तुलना में वहां मिलने वाले बेहतर प्रोत्साहन और यहाँ की विभिन्न घरेलू चुनौतियां उत्तरदायी रही हैं।

SEZ के समक्ष चुनौतियां

- वर्ष 2012 में **न्यूनतम वैकल्पिक कर**[79] लाए जाने के बाद **कर रियायतों को वापस लेना** और **कर छूट** को हटाने के लिए एक **सावधि विधि खंड** (Sunset Clause) का प्रयोग करना।
  - SEZ इकाइयों को पहले **5 वर्षों** के लिए निर्यात आय पर **100% आयकर छूट** और अगले **5 वर्षों** के लिए **50%** की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही, निर्यात लाभ को व्यापार में निवेश करने पर अगले 5 वर्षों के लिए भी **50%** की छूट प्रदान की जाती है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट पाबंदियों** के कारण SEZ के अंतर्गत भूमि का अल्प उपयोग होना या खाली पड़े भूखंडों का प्रयोग न होना।

[79] Minimum Alternate Tax

- **WTO विवाद निपटान पैनल** ने **SEZ योजना** के साथ-साथ भारत की निर्यात संबंधी योजनाओं को असंगत करार दिया है, क्योंकि यह WTO नियमों के अनुरूप नहीं है। साथ ही, यह **प्रत्यक्ष रूप से कर लाभों को निर्यात से जोड़ती** है।
  - देशों को निर्यात पर प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह बाजार कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **नीतिगत विसंगतियां और उनसे जुड़े अन्य मुद्दे, जैसे-**
  - घरेलू बिक्री के लिए निर्मित अंतिम उत्पाद पर भी **पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान** किया जाना।
  - SEZ इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA)[80] को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए **विदेशी मुद्रा में भुगतान** करने की बाध्यता।
    - ✓ ऐसे कोई भी क्षेत्र जो SEZ या किसी अन्य कस्टम बाउंडेड (सीमा शुल्क की अनिवार्यता वाले) क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, उन्हें भारत में DTA के रूप में जाना जाता है।
- **राज्यों की सीमित भूमिका,** क्योंकि अधिकांश निर्णय केंद्र के वाणिज्य विभाग द्वारा लिए जाते हैं। अतः ऐसे अनुमोदन के निर्णयों में राज्य सरकार के सहयोग का अभाव होता है।
- **SEZ** को पांच वर्षों के दौरान संचयी रूप से **निवल विदेशी मुद्रा (Net Foreign Exchange) को धनात्मक बनाए रखना पड़ता** है (अर्थात, आयात से अधिक निर्यात)।

डेवलपमेंट इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब (DESH) बिल द्वारा किए गए प्रावधान और इसके लाभ

DESH बिल वर्ष 2018 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए प्रस्तावों का परिणाम है। इसका लक्ष्य **संकीर्ण निर्यात-उन्मुख SEZ को व्यापक आर्थिक केंद्रों में परिवर्तित** करना है। हालांकि, इस बिल के अधिनियमित हो जाने के बाद SEZ का नाम बदलकर DESH कर दिया जाएगा। यह **सभी बड़े मौजूदा** और नए औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करेगा, ताकि निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध बुनियादी ढांचे का **इष्टतम उपयोग** किया जा सके और निर्यात की **प्रतिस्पर्धात्मकता** को बढ़ाया जा सके:

- जो क्षेत्र मांग/उपयोग में नहीं हैं उन्हें मुक्त करने के लिए SEZ का **आंशिक डिनोटिफिकेशन किया जाएगा।** साथ ही, ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए विशिष्ट सीमांकन की आवश्यकता को भी समाप्त किया जाएगा।

[80] Domestic Tariff Area

- **घरेलू बाजारों में बिक्री को सुगम बनाया** जाएगा। इसके तहत शुल्क का भुगतान अंतिम उत्पाद के बजाय केवल आयातित वस्तुओं और कच्चे माल पर किया जा सकता है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा में **अनिवार्य रूप से भुगतान की आवश्यकता** को भी समाप्त किया जाएगा।
  - इसके लिए सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली **वस्तुओं या सेवाओं** पर एक **समकारी लेवी**[81] लगा सकती है। इससे करों को SEZ के बाहर की इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर के समान बनाया जा सकेगा।
- अधिनियम के लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर **सिंगल-विंडो पोर्टल** लागू कर दिया जाएगा। इससे एकल आवेदन फॉर्म एवं रिटर्न के साथ-साथ हब की स्थापना और संचालन के लिए समयबद्ध मंजूरी प्राप्त की जा सकेगी।
- **SEZ** को पांच वर्षों के दौरान संचयी रूप से **निवल विदेशी मुद्रा को धनात्मक बनाए रखने** की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा।
- **राज्य की सक्रिय भागीदारी:** विकास केंद्रों को अनुमोदन देने के लिए राज्यों को सीधे केंद्रीय बोर्ड को सिफारिशें भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही, ऐसे केंद्रों के कामकाज की निगरानी के संबंध में राज्य बोर्डों की स्थापना हेतु भी राज्य सीधे केंद्रीय बोर्ड को सिफारिशें भेज सकते हैं।
  - राज्य बोर्डों को वस्तुओं के आयात या खरीद को मंजूरी प्रदान करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। अधिनियमन के बाद **DESH** के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं, वेयरहाउसिंग और व्यापार के उपयोग की निगरानी हेतु भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
- **WTO-अनुपालन:** इकाइयों के लिए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही इसकी जगह WTO नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

निष्कर्ष

हालांकि ड्राफ्ट बिल अभी भी कुछ मुद्दों पर स्पष्ट नहीं है, जैसे कि **सावधि विधि खंड** (Sunset Clause) के विस्तार के संबंध में। हालांकि, यह खंड राज्यों और केंद्र को कर छूट, प्रोत्साहन, छूट और शुल्क वापसी के रूप में और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के अवसर प्रदान कर सकता है। पुनरुद्धार के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए राज्यों, उद्योगों और बाजारों के साथ एक सामूहिक प्रयास बेहतर साबित हो सकता है।

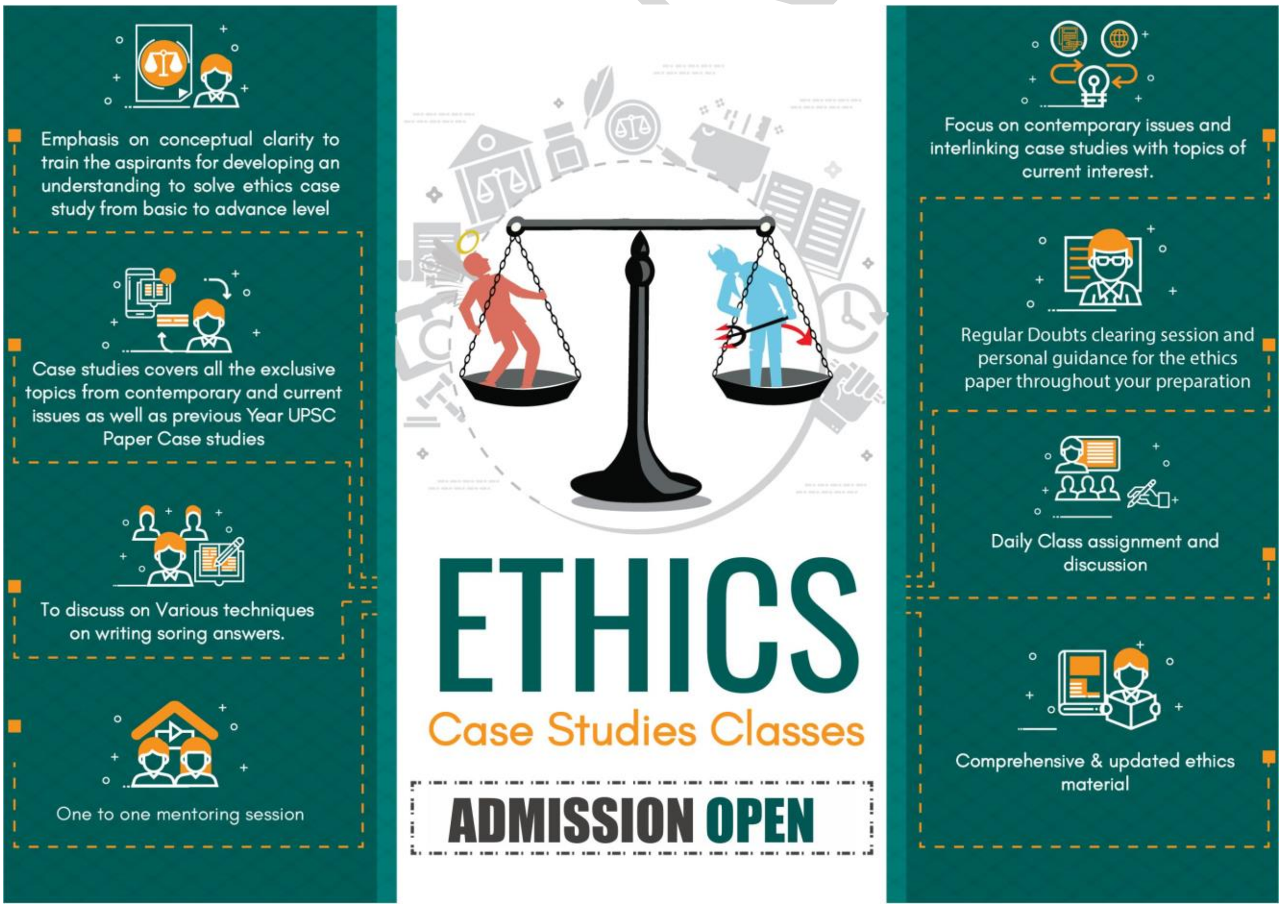

81 Equalization Levy

8.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)–एक नज़र में

- वर्तमान में भारत में 6.34 करोड़ MSMEs काम कर रहे हैं।
- भारत में MSMEs की संख्या में वर्ष 2019 से वर्ष 2020 तक 18.5% की CAGR से वृद्धि हुई है।
- MSMEs में 111 मिलियन से अधिक लोग काम कर रहे हैं।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में MSMEs का योगदान 30.5% है।
- विनिर्माण उत्पादन में MSMEs का योगदान 45% है।
- कुल निर्यात में MSMEs का अंशदान 48% है।

प्रमुख लक्ष्य

- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का विजन तभी संभव है, जब MSME क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान करेगा।
- सरकार वर्ष 2024 तक MSMEs के योगदान को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 50% तक पहुँचाने और इसमें **लगभग 15 करोड़ रोजगार सृजित करने की योजना बना रही है।**

नीति/योजना/पहल

- **MSMEs की नई परिभाषा के तहत विनिर्माण और सेवा MSMEs** के बीच कृत्रिम विभाजन को समाप्त कर दिया गया है।
- अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज़ इन एप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज़ (ANIC-ARISE)।
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PIL) योजना।
- **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना** (ECLGS)।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी–अपग्रेडेशन योजना।
- MSE–क्लस्टर विकास कार्यक्रम।
- **ज़ीरो डिफेक्ट एंड ज़ीरो इफ़ेक्ट योजना।**
- **हनी मिशन, सौर चरखा मिशन**
- एस्पायर (ASPIRE), स्फूर्ति (SFURTI), मुद्रा (MUDRA) योजना।
- उद्यमी मित्र पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, समाधान, संपर्क और संबंध पोर्टल।
- **MSME के प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेजी लाने** (Raising and Accelerating MSME Performance: RAMP) **की योजना।**

बाधाएं

- **कोविड–19 महामारी के प्रभाव से** 50% से अधिक MSMEs बंद हो गए या उनके उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं**, विशेष रूप से डिजिटल और संस्थागत अवसंरचना में।
- **पूंजी तक सीमित पहुंच** और सीमित ज्ञान–आधार।
- **उपयुक्त तकनीक की अनुपलब्धता** के कारण उत्पादन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके कारण उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- श्रम कानूनों से संबंधित व्यापक अनुपालन और कुशल श्रम की कमी जैसी **श्रम संबंधी चुनौतियां।**

आगे की राह

- **बड़ा आर्थिक पैकेज, आसान ऋण** और महामारी के कारण हुए नुकसान का आकलन करना।
- **ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।**
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला** के साथ MSME क्षेत्रक को एकीकृत करना।
- **फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए** ऋणदाताओं की उपलब्धता।
- उद्यमों और उद्यमिता के लिए एक **केंद्रीय अनुसंधान संस्थान।**
- **श्रम प्रधान क्षेत्रकों में मेगा पार्कों और विनिर्माण** क्लस्टरों की स्थापना करना।

8.3. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (Electronics Industry)

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक - एक नज़र में

- 2020 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक का देश के GDP में लगभग 3-6% का योगदान था। आने वाले वर्षों में इसका योगदान 6-4 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन 2014-15 के 29 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 67 बिलियन डॉलर हो गया।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE), 2019 के तहत 2025 तक 400 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का आकार 2021 में लगभग 71.17 अरब डॉलर था। वर्ष 2022 में इसका आकार 73.7 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक है। इसके बाद UAE, चीन, नीदरलैंड और जर्मनी का स्थान है।
- भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2013-14 के 6.6 अरब डॉलर से लगभग 88% बढ़कर 2021-22 में 12.4 अरब डॉलर हो गया।

मुख्य उद्देश्य

- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को 2026 तक भारत के निर्यात मदों में शीर्ष 2-3 के पायदान तक पहुंचाना।
- इस उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने वाले परिवेश का निर्माण कर भारत को **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग** (ESDM) के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- कोर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए **प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना।**
- नई इकाइयों को स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए **उपयुक्त योजनाएं बनाना और प्रोत्साहन तंत्र स्थापित करना।**
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रोफ़ाइल में सुधार करना।

योजना/पहल

- भारत को डिजिटल रूप से सक्षम समाज बनाने के लिए **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम।**
- घरेलू विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।**
- निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन एवं नवाचार का केंद्र बनाने के लिए **मेक इन इंडिया।**
- विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साझा सुविधाओं को विकसित करने के लिए संशोधित **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना।**
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS)।

सीमाएं

- इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के वैश्विक विनिर्माण क्षेत्रक में **भारत की हिस्सेदारी अत्यंत कम** (लगभग 1 से 2%) है।
- बिजली की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे, **भौतिक बुनियादी ढांचे का अभाव।**
- चीन और वियतनाम की तुलना में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को **आयकर में कम छूट और रियायत प्रदान करता है।**
- **आपूर्ति श्रृंखला तथा लॉजिस्टिक्स** संबंधी बाधाएं, जैसे- परिवहन और कच्चे माल की उच्च लागत।
- सस्ते और कुशल श्रम बल की उपलब्धता के बाद भी श्रम-गहन घटकों के विनिर्माण में कमी।
- **व्यापार में बाधाएं**, जैसे- उच्च आयात शुल्क, राज्य स्तरीय अतिरिक्त कर और उल्टी शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure)।
- विकसित देशों के साथ **मुक्त व्यापार समझौतों का अभाव।**

आगे की राह

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में अवसंरचना को अपग्रेड करना और **अत्याधुनिक तकनीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि।**
- इस क्षेत्रक में संवृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रक से जुड़े छोटे और **मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना चाहिए।**
- केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के सहयोग और क्षमता निर्माण के द्वारा **अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा देना।**
- **भारत में असेंबली यूनिट्स के साथ-साथ सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।** इससे संबंधित घटकों का घरेलू स्तर पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सकेगा और समग्र रूप से इस उद्योग के विकास को बढ़ावा भी मिलेगा।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को आकर्षित करने के लिए खुले **व्यापार और निवेश नीतियों** की आवश्यकता है। **टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं**, कंपोनेंट की **आवाजाही** और सब-असेंबली विनिर्माताओं को प्रभावित कर सकती हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में विनिर्माण के संबंध में FDI मानदंडों को और अधिक स्पष्टता प्रदान करने की आवश्यकता है।

8.4. वस्त्र उद्योग (Textile Industry)

वस्त्र क्षेत्रक – एक नज़र में

- वस्त्र क्षेत्रक, भारतीय GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7% तथा भारत की निर्यात से होने वाली आय में 12% का योगदान देता है।
- भारत दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है एवं तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- विश्व स्तर पर हाथ से बुने हुए कपड़ों का 95% हिस्सा अकेले भारत से आयात किया जाता है।
- 2018-19 में वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 5% थी।
- यह 35.22 लाख हथकरघा श्रमिकों सहित 45 मिलियन से अधिक लोगों (कुल रोजगार का 21%) को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। साथ ही, यह अप्रत्यक्ष रूप से 100 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है।

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) **पार्कों की स्थापना।**
- वस्त्र क्षेत्रक के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** कपड़ा उद्योगों की प्रौद्योगिकी/मशीनरी के उन्नयन के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)।
- **क्षेत्रक विशिष्ट मिशन:** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन।
- **क्षमता निर्माण एवं सामाजिक सुरक्षा: कपड़ा क्षेत्रक में क्षमता निर्माण योजना (SAMARTH), स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग (SIAM) और वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना (STIWA) आदि।**

भारत में वस्त्र क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **अधिक बिखराव** और असंगठित क्षेत्रक तथा लघु और मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व।
- **निवेश लागत अधिक होना:** बाजार की अप्रत्याशित परिस्थितियों, मौसम, नीतियों आदि के परिणामस्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति में कमी और सामग्री की लागत में वृद्धि होना।
- **GST का प्रभाव:** GST के कारण भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्रक में अनेक व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, जिससे इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित हुई है।
  - उदाहरण के लिए-मानव निर्मित रेशों (MMF) पर 18 प्रतिशत, सूती धागों पर 12 प्रतिशत और वस्त्रों पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। इस उल्टी कर संरचना (Inverted Tax Structure) के कारण MMF वस्त्र महंगे हो जाते हैं।
    - **बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाएं:** सड़कों, राजमार्गों आदि की खराब स्थिति आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं पैदा करती है। इससे मांग को पूरा करने में विलंब होता है। परिणामस्वरूप माल को गोदाम में रखने और माल ढुलाई की लागत में वृद्धि होती है।
    - **अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार:** वैश्विक बाजार में टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के साथ मुक्त/ तरजीही व्यापार समझौतों की कमी, भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

- फिटनेस और स्वच्छता पर बढ़ते जोर, ब्रांड्स के प्रति बढ़ती जागरूकता, तेजी से बदलते फैशन ट्रेंड आदि सहित उपभोक्ता प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। इनके कारण **गैर-बुनाई वाले और तकनीकी वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्रक में इन नए अवसरों का उपयोग किया जाना चाहिए।**
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** 'प्लग एंड प्ले' सुविधा के साथ बंदरगाहों के पास मेगा परिधान पार्कों की स्थापना और अपशिष्ट उपचार के लिए साझी अवसंरचना का विकास आदि करना चाहिए।
- GST परिषद की 45वीं बैठक के दौरान वस्त्रों पर लगने वाली **उल्टी शुल्क संरचना में प्रस्तावित सुधारों** को 1 जनवरी, 2022 से लागू करना चाहिए।
- भारतीय परिधानों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ आदि के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत को तेज करना चाहिए।**
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के क्षेत्रक में हो रहे नवीन तथा आगामी विकास का उपयोग करके **प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देना।**
- **संधारणीय वस्त्रों और परिधानों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना:** इस कार्य को मौजूदा वस्त्रों की अप-स्कैलिंग एवं उनके पुन: उपयोग तथा प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

8.5. भारत में अर्धचालक विनिर्माण (Semiconductor Manufacturing in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार के 76,000 करोड़ रुपये के अर्धचालक या सेमीकंडक्टर मिशन के संचालन तथा मार्गदर्शन के लिए एक **सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है।**

भारत में अर्धचालक विनिर्माण का महत्व

- **वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों से घरेलू क्षेत्र को बचाना: कोविड-19 महामारी** के दीर्घकालिक प्रभाव के परिणामस्वरूप **आपूर्ति में व्यवधान** के कारण पूरा विश्व अर्धचालकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। परिणामस्वरूप, भारत में कई कंपनियों को **उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।**
    - महामारी के कारण **लॉकडाउन के दौरान गैजेट्स की मांग में अचानक वृद्धि**, विनिर्माताओं द्वारा चिपों की जमाखोरी, चीनी तकनीकी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और 5G अवसंरचना की शुरुआत, इत्यादि से आपूर्ति प्रभावित हुई।
- **बढ़ती मांग को पूरा करना:** तीव्र डिजिटलीकरण, इंटेलीजेंट कंप्यूटिंग की क्षमता में तकनीकी प्रगति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के कारण तकनीक-सक्षम उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए भारत सहित दुनिया भर में अर्धचालकों तथा चिपसेट की अभूतपूर्व मांग पैदा हुई है।
    - MeitY के अनुसार, भारतीय अर्धचालक बाजार **वर्ष 2020 में अनुमानतः लगभग 15 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर लगभग 63 अरब डॉलर** हो सकता है।
    - **इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की आवश्यकता** पर भारत सरकार के जोर की वजह से भी चिपों की मांग बढ़ी है। उदाहरण के लिए, एक **सामान्य कार में** आमतौर पर **लगभग 300 चिपों का उपयोग होता है,** जबकि **नए इलेक्ट्रिक वाहनों में 3,000 चिप** हो सकती हैं।

- **आयात कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना:** भारत **अपनी 100% चिप** ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम से आयात करता है।
- भारत में अर्धचालक विनिर्माण से न केवल घरेलू कंपनियों **को अर्धचालक आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी,** बल्कि अन्य देशों को **निर्यात से राजस्व भी उत्पन्न होगा।**
- **गुणक प्रभाव (Multiplier effect):** घरेलू अर्धचालक विनिर्माण क्षमताओं का विकास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों पर गुणक प्रभाव डालेगा। यह वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन USD की डिजिटल अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन USD की GDP प्राप्त करने में भी बहुत अधिक योगदान देगा।
- **सामरिक महत्व:** घरेलू क्षमताएं देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, डिजिटल स्वतंत्रता या संप्रभुता, और तकनीकी नेतृत्व की सुरक्षा के लिए कुंजी हैं। आत्मनिर्भरता भारत को भू-राजनीति के संदर्भ में बेहतर वैश्विक स्थिति प्रदान करेगी।

भारत में अर्धचालक विनिर्माण हेतु पहल

- **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (भारत में अर्धचालक और डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु कार्यक्रम):** इस कार्यक्रम के तहत चार योजनाएं शुरू की गई हैं-
    - **भारत में अर्धचालक निर्माण सुविधा** की स्थापना की योजना,
    - भारत में **डिस्प्ले निर्माण सुविधा** की स्थापना की योजना,

- ○ **भारत में संयुक्त अर्धचालक/सिलिकॉन फोटोनिक्स/संवेदक निर्माण और अर्धचालक असेंबली, परीक्षण, चिह्नांकन और पैकेजिंग (ATMP)[82] या OSAT सुविधाओं की स्थापना की योजना।**
- ○ **डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (DLI) योजना** (चिप डिजाइन अवसंरचना सहायता, उत्पाद डिजाइन और परिनियोजन से जुड़ा प्रोत्साहन।)
- **भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission):** डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य अर्धचालक और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधाओं तथा अर्धचालक डिजाइन पारितंत्र को विकसित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीतियों का संचालन करना है।
- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (Modified Special Incentive Package Scheme: M-SIPS): सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु।**
- **चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम का लक्ष्य 85 हजार उच्च-गुणवत्ता वाले एवं योग्य इंजीनियर्स को व्यापक पैमाने पर एकीकरण और एंबेडेड सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है।**

आगे की राह

भारत के पास विश्व के **20%** सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स हैं और इन्हें **इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019** के तहत समर्थन प्राप्त है। इससे भारत निम्नलिखित के माध्यम से **अर्धचालक पारितंत्र** में आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी नेतृत्व प्राप्त कर सकता है:

- उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग द्वारा **अत्याधुनिक अनुसंधान (Leading-Edge Research) कार्य को बढ़ावा देना।**
- दुनिया भर के आपूर्तिकर्ताओं से घटकों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन पर कार्य करना।**
- **बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए पेटेंट परिस्थितियों** में सुधार करना, क्योंकि पेबैक की अवधि लंबी होती है।
- लंबी अवधि की नीतियों, कर लाभ संबंधी प्रावधान, औद्योगिक क्लस्टरों की स्थापना आदि की सहायता से एक **सकारात्मक कारोबारी माहौल बनाना,** ताकि फर्मों को भारत में अपने परिचालन को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- **अर्धचालक पारितंत्र** के सभी भागों हेतु आवश्यक प्रतिभा की आपूर्ति हेतु **कौशल विकास में सरकारी निवेश बढ़ाना।**
- **लॉजिस्टिक सुविधा में सुधार करते हुए लागत (बंदरगाह लागत, माल ढुलाई और बीमा लागत आदि) में कमी करना,** क्योंकि अर्धचालक उद्योगों के संचालन में भौगोलिक विस्तार महत्वपूर्ण है।
- **असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) के साथ शुरुआत करना,** क्योंकि यह अधिक रोजगार पैदा करता है। साथ ही, इसमें पूर्ण निर्माण संयंत्रों (फैब्स) की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता होती है।

[82] Assembly, Testing, Marking and Packaging

9. सेवा क्षेत्र (Service Sector)

9.1. ई-कॉमर्स (E-commerce)

ई–कॉमर्स क्षेत्रक – एक नज़र में

- भारत वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे बड़ा ई–कॉमर्स बाजार है।
- यह एक सनराइज़ क्षेत्रक है। भारत के खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10-15% है।
- इस उद्योग ने 2021 में 55-6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन किया था। इसके 2024 तक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- यह 2020 में 140 मिलियन खरीदारों के साथ तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस बन जाएगा।
- इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ के कारण मासिक (मुख्य रूप से टियर- II शहरों से) आधार पर 10 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ जाते हैं।

मुख्य उद्देश्य

- **डिजिटल एकाधिकार को समाप्त करना** और **अधिक समावेशी ई–कॉमर्स उद्योग** स्थापित करना।
- कीमतों की तुलना को आसान बनाने के लिए **कीमतों में पारदर्शिता लाना।**
- छोटे उद्यमों के लिए भारतीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वृद्धि करने या भुगतान, सेवा वितरण आदि जैसे डिजिटल स्पेस में नए नवाचारों का समर्थन करने में सहायता करना।
- ग्राहकों के लिए **बेहतर डील और ऑफ़र, वास्तविक रिव्यूज** आदि उपलब्ध करवाना।

नीति/ योजना/ पहल

- उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए **उपभोक्ता संरक्षण (ई–कॉमर्स) नियम, 2020**
- कैटलॉगिंग, वेंडर डिस्कवरी और प्राइस डिस्कवरी के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करके डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करने हेतु **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)**
- सरकारी ई–मार्केटप्लेस **(GeM)** पोर्टल, जहाँ **45** लाख के आसपास छोटे व्यवसायी पंजीकृत हैं।
- उमंग, स्टार्ट–अप, भीम, भारतनेट आदि जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना।
- इक्विलाइजेशन लेवी नियम, 2016 और वर्ष 2020 में इसमें किया गया संशोधन।
- **B2B** ई–कॉमर्स में **100% FDI** की अनुमति और ई–कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल।

बाधाएं

- इंटरनेट, बिजली, उपकरणों आदि की उपलब्धता जैसी ढांचागत समस्याएं।
- पुराने साइबर कानून और डेटा संरक्षण कानून का अभाव।
- गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं
- भुगतान और कर संबंधी मुद्दे
- डिजिटल निरक्षरता।
- फर्जी रिव्यूज, आक्रामक मूल्य निर्धारण, डेटा का दुरुपयोग, डिजिटल एकाधिकार आदि के मुद्दों के साथ ई–कॉमर्स उद्योग के नियामक ढांचे का विकास करना।

आगे की राह

- यूरोपीय संघ के **GDPR** की तर्ज पर डेटा सुरक्षा कानून लाना। साथ ही, उचित जागरूकता और प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करना।
- समान और अनुकूल वातावरण के लिए **मॉडल राष्ट्रीय खुदरा नीति।**
- अनुचित व्यापार व्यवहार (फ्लैश सेल, मिस–सेलिंग सहित) की स्पष्ट परिभाषाएं।
- एल्गोरिदम में हेर–फेर, फर्जी उत्पाद समीक्षा आदि सहित भ्रामक रणनीति को हतोत्साहित करने के लिए सुधारात्मक तंत्र।
- उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली।
- इंटरनेट का उपयोग बढ़ाना, भुगतानों को डिजिटाइज़ करना, परिवहन के बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स तथा वितरित वेयरहाउसिंग सपोर्ट में सुधार करना।

9.1.1. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने ONDC के प्रायोगिक चरण की शुरुआत की है।

ONDC के विषय में

- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT की एक पहल है। भारतीय गुणवत्ता परिषद इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के **एकीकरण की व्यवस्था प्रदान करेगा।**
- इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर **वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है।**

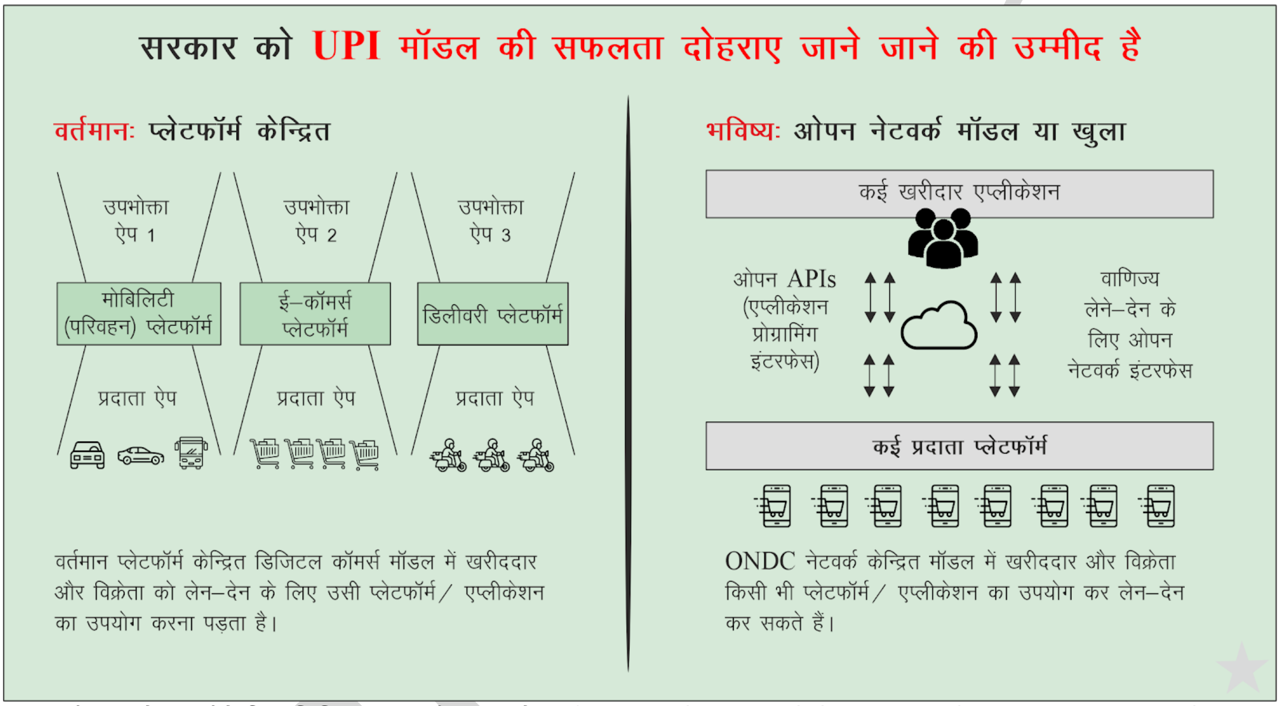

- **वर्तमान प्लेटफ़ॉर्म-केंद्रित डिजिटल कॉमर्स मॉडल में** खरीदार और विक्रेता को डिजिटल रूप से दिखाई देने और व्यावसायिक लेन-देन करने के लिए एक ही प्लेटफ़ॉर्म या एप्लिकेशन का उपयोग करना होता है, वहीं ONDC **इससे भी ज्यादा खुली व्यवस्था है।**
- ONDC, किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रहते हुए खुले विनिर्देशों और खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए **ओपन-सोर्स पद्धति पर आधारित** है।
- ONDC परियोजना को **एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)[83] परियोजना के आधार पर तैयार किया गया** है।

ONDC के लाभ

- **एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त करना:** उदाहरण के लिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आरोप है कि ये अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के बीच भेदभाव करते हैं।
- **पारस्परिकता या अंतरसंक्रियता:** एक **खुली डिजिटल अवसंरचना** ई-कॉमर्स को उन विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए अत्यधिक अंतर-संचालनीय बना देगी जो किसी विशेष उत्पाद के लिए दो या दो से अधिक मार्केटप्लेस के मध्य स्विच करने के प्रयास के बिना परस्पर जुड़ना चाहते हैं।
- **छोटे खुदरा विक्रेताओं तक खरीदारों की बेहतर पहुंच:** एक बार जब कोई खुदरा विक्रेता ONDC के खुले प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपने उत्पादों या सेवाओं को सूचीबद्ध करता है, तो उपभोक्ताओं द्वारा उसी प्रोटोकॉल का पालन करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उन तक पहुंचना आसान हो जाता है। छोटे दुकानदारों की आय बढ़ रही है।

---

[83] Unified Payments Interface

- **लॉजिस्टिक्स क्षमता में बढ़ोतरी:** यह संचालन के मानकीकरण में मदद करेगा तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के समावेशन को बढ़ावा देगा। इससे लॉजिस्टिक्स में दक्षता आएगी।
- **कारोबार में सुगमता:** व्यवसायों को पारदर्शी नियमों, कम निवेश और व्यवसाय अधिग्रहण की कम लागत से लाभान्वित होने की उम्मीद है।
  - यह भी उम्मीद की जाती है कि उत्पाद को बाजार तक पहुंचने में लगने वाले समय[84] के साथ-साथ टाइम-टू-स्केल भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
- **डिजिटल माध्यमों को तेजी से अपनाना:** यह उन लोगों को डिजिटल माध्यमों को आसानी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर नहीं हैं।
- **क्षेत्रक का समग्र विकास:** इसकी सहायता से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण, संचालन का मानकीकरण, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशन को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ावा और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं प्राप्त होने की उम्मीद की जा रही है।

आगे की राह

ONDC की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार इस परियोजना की दिशा में किस प्रकार प्रगति करती है। साथ ही, किस प्रकार सरकार ऐसे निर्बाध रूप से संचालित होने वाले प्लेटफार्म का निर्माण करती है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की तुलना में खरीदारी का बेहतर माहौल दे सके। इसके साथ ही, इस प्लेटफार्म की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए त्वरित विवाद समाधान तंत्र की भी आवश्यकता होगी।

[84] Time-to-Market

9.2. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector)

दूरसंचार क्षेत्रक – एक नज़र में

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्रक है, जिसका बाजार तीन मुख्य खंडों– वायरलेस, **वायरलाइन और इंटरनेट सेवाओं** में विभाजित है।

शहरी–ग्रामीण भारत के संदर्भ में, लगभग 66 करोड़ कनेक्शन शहरी भारत में और 53 करोड़ **ग्रामीण भारत** में हैं (ग्रामीण टेली–घनत्व **59%**)।

जून 2021 में भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 83.37 करोड़ थी। यह **वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ग्राहकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।**

यह FDI प्रवाह के मामले में तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कुल **FDI प्रवाह में 7.1% का योगदान** देता है।

यह क्षेत्र **प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन नौकरियों में योगदान** देता है।

मुख्य उद्देश्य

- सभी के लिए ब्रॉडबैंड
- 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान को बढ़ाना
- डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना
- इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक पहुँचाना (2017 में 6%)

दूरसंचार क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- दूरसंचार उद्योग पर 3.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित ऋण है। इस प्रकार यह एक ऋण ग्रस्त क्षेत्र है।
- समायोजित सकल राजस्व (AGR) की परिभाषा पर 14 साल से मुकदमे चल रहे हैं।
- राइट ऑफ वे (RoW) नियमों में एकरूपता का अभाव है।
- कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मार्जिन (लाभ) पर दबाव।
- 5G अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता।
- अन्य देशों की तुलना में उच्च स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) ।
- समग्र सेल्युलर नेटवर्क गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप जैसे मुद्दों को प्रभावित करने वाले अवैध मोबाइल बूस्टर।
- अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का अभाव।

इन चुनौतियों का सामना करने हेतु किये गए उपाय

- AGR के भुगतान और स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के लिए चार साल का समय दिया गया है।
- प्रगतिशील तरीके से AGR की परिभाषा में गैर–दूरसंचार राजस्व को शामिल नहीं करते हुए AGR का युक्तिकरण।
- दूरसंचार कंपनियों को भविष्य में होने वाली नीलामी में प्राप्त एयरवेव्स के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी नहीं देना होगा।
- वायरलेस उपकरणों के लिए 1953 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत लाइसेंस लेना होता था। यह एक बोझिल आवश्यकता थी।
- अब इसकी जगह स्व–घोषणा का प्रावधान लाया गया है। नीलामी कैलेंडर तय किया गया है।

सुधार से संभावित लाभ

- बाजार में कम–से–कम तीन निजी कंपनियों के रहने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे नकदी की तंगी से जूझ रही फर्मों को मदद मिलेगी। उन्हें काम जारी रखने की क्षमता बनाए रखने और लंबी अवधि में बकाया चुकाने के लिए अपने व्यवसाय में सुधार करने का अवसर मिलेगा।
- मौजूदा लोगों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे निवेश प्रोत्साहित होगा और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) पर नियामक बोझ भी कम होगा।
- दूर–दराज के क्षेत्रों में निवेश जारी रखने के लिए धन जुटाकर इस क्षेत्र में तरलता का संचार किया जा सकेगा। इससे नई कंपनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

9.3. पर्यटन (Tourism)

पर्यटन क्षेत्रक - एक नज़र में

- WEF के ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 117 देशों में से भारत को 54वीं रैंक मिली है। इस प्रकार भारत 2019 की 46वीं रैंक से पीछे हो गया है।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पर्यटन की स्थिति वर्ष 2026 से पहले महामारी-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच सकेगी।
- 2020 में, इस क्षेत्र ने देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4.7% का योगदान दिया था। वर्ष 2019 के 7% की तुलना में यह भारी गिरावट दर्शाता है।
- पर्यटन क्षेत्र 2019 तक देश के लिए विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा अर्जक क्षेत्र रहा है।

मुख्य उद्देश्य

- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना।
- मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक ब्रांड इंडिया विकसित करना।
- MICE/ माइस (बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन को लगभग 1% के वर्तमान हिस्से से पांच वर्षों में 2% तक बढ़ाना।
- पर्यटन की 'मौसमी' प्रवृत्ति को दूर करने और भारत को 365 दिनों के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए MICE को 'नीश पर्यटन' उत्पाद के रूप में विकसित करना।
- **सभी के लिए पर्यटन: इसे समावेशी और सुलभ बनाना।**
- सतत विकास लक्ष्यों (SDG) 8, 12 और 14 में बताए अनुसार इस क्षेत्र को टिकाऊ/संधारणीय बनाना।

मुख्य उद्देश्य

- कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (LGSCATSS) - 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण।
- स्वदेश दर्शन 2.0: स्थायी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए थीम-आधारित पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास।
- PRASHAD - तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान।
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना।
- पर्यटन मार्गों के साथ RCS-उड़ान 3.0
- **एक विरासत अपनाएं:** अपनी धरोहर, अपनी पहचान परियोजना।
- **'मीट इन इंडिया' और अतुल्य भारत** 2.0
- सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप।
- MICE के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा, चिकित्सा और कल्याण एवं ग्रामीण पर्यटन ।

बाधाएं

- संपर्क- संवेदनशील क्षेत्र।
- लग्जरी टूरिज्म पर भारी कर लगाया जाता है।
- खराब बुनियादी ढांचा, पहुंच की समस्या और सुरक्षा संबंधी चिंताएं।
- अच्छी तरह से वित्त पोषित बड़ी B2B कंपनियां जैसे कि मेक माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप, छोटी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं।
- सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों के साथ क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा।
- विश्वसनीय डेटा और आंकड़ों का अभाव।

आगे की राह

- पर्यटन को कोविड के विरुद्ध लचीला बनाने हेतु स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मजबूत प्रोटोकॉल लागू करने चाहिए।
- पर्यटन को आधारभूत संरचना का दर्जा देना, जैसा कि राजस्थान सरकार ने किया है।
- पर्यटन क्षेत्रक में सुधार करने में मदद करने के लिए स्टिमुलस रिकवरी प्रोग्राम संचालित किया जा सकता है।
- आतिथ्य/ हास्पिटैलिटी में प्रशिक्षण और कौशल विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से सांस्कृतिक स्थलों के संबंध में प्रचार और विज्ञापन किया जाना चाहिए।

9.3.1. राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (National Digital Tourism Mission: NDTM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (NDTM) तैयार करने हेतु मसौदा रिपोर्ट पर हितधारकों से अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पर्यटन क्षेत्रक में डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति

- **यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग:** सोशल मीडिया, मोबाइल उपकरण और सुलभ जानकारी जैसे डिजिटल माध्यम, गंतव्य स्थानों की मार्केटिंग करने वालों की सहायता कर रहे हैं। ये उपभोक्ताओं और हितधारकों को पहले से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर जुड़ने में सक्षम बना रहे हैं।
- **यात्रा पोर्टल और प्लेटफॉर्म का विकास:** निजी क्षेत्रक द्वारा विकसित किए जा रहे **ऐसे प्लेटफॉर्म,** परिवहन, रहने एवं भोजन आदि जैसी विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं।
- **अत्यधिक व्यक्तिगत बनाना:** ग्राहकों से व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करके और उनके व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी जुटाकर ऐसा किया जाएगा।
- **पर्यटन मंत्रालय के प्रयास**
  - बहुभाषी **'अतुल्य भारत' वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन** अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों की सहायता करते हैं।
  - **पर्यटन सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण और वर्गीकरण के लिए** आतिथ्य (Hospitality) उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDHI)[85] नामक प्लेटफॉर्म को आरंभ किया गया है।
  - **स्वदेश (swadesh) और प्रसाद (PRASHAD) योजनाओं का डिजिटलीकरण।**
  - **24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन।**

मसौदा NDTM की मुख्य विशेषताएं

विजन:

- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के तहत **पर्यटन क्षेत्रक में डिजिटलीकरण की पूरी क्षमता का उपयोग करने** के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना है। इसके लिए पर्यटन क्षेत्रक से जुड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पर्यटन संगठनों, पर्यटन सेवा प्रदाताओं, पर्यटन स्थलों, उत्पादों, अनुभवों और पर्यटकों के बारे में सूचनाओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- NDTM का विजन डिजिटल माध्यमों के माध्यम से पर्यटन की पूरी व्यवस्था **के अलग-अलग हितधारकों के बीच मौजूद सूचना संबंधी अंतराल को खत्म करना है।**

राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के सिद्धांत

इस क्षेत्रक से संबंधित सिद्धांत	डिजाइन और संरचना सिद्धांत	प्रौद्योगिकी सिद्धांत
• **मूल्य-संचालित:** लाभार्थियों के हितों को केंद्र में रखना। • **एकीकृत सेवाएं:** आपस में जुड़े पारितंत्र के लक्ष्य को साकार करना। • **परिणाम-संचालित:** सर्वोत्तम के साथ बेंचमार्किंग कर, सेवा स्तर और आउटकम को परिभाषित करना। • **किफ़ायती विकल्प** • **विविधता और समावेश:** सभी प्रकार के डिवाइस, भाषाई बाधाओं, भौगोलिक दशाओं और दिव्यांगों के अनुरूप।	• केंद्रीय और राज्यों, सार्वजनिक एवं निजी तथा अन्य व्यवस्थाओं में **इकोसिस्टम थिंकिंग लाना।** • सभी भाग लेने वाले हितधारकों को **सेवा स्तर का आश्वासन।** • 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ' और सिस्टम-ऑफ-रिकॉर्ड्स (डेटा प्रबंधन की व्यवस्था) पर आधारित **संघीय संरचना** का निर्माण करना। • **मुक्त और अंतर-संचालनीय हो।** • स्वचालित रिकवरी और अनुकूलन, विफलताओं का सामना करने के लिए **लचीलापन।** • **न्यूनतम, पुन: प्रयोज्य, पृथक और साझा करने योग्य पारितंत्र।** • **नवाचार** और उभरती प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग।	• **डेटा को संपत्ति समझना।** • **डेटा साझाकरण।** • **मानक:** पारितंत्र पर लागू मौजूदा प्रौद्योगिकी और डेटा मानकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना। अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीकों को परिभाषित करना। • **सुरक्षित और विश्वास आधारित।**

निष्कर्ष

NDTM के कार्यान्वयन से पर्यटन पारितंत्र की विभिन्न संस्थाओं को कई गुना लाभ मिलेगा। यह न केवल दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाएगा, बल्कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यह आंकड़ों के रिसाव को रोककर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

[85] National Integrated Database of Hospitality Industry

9.4. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector)

बीमा क्षेत्रक – एक नज़र में

प्रमुख लक्ष्य

- स्वास्थ्य, सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा आदि के रूप में सामाजिक संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- गंभीर बीमारी के मामले में सीधे मरीज द्वारा भुगतान (आउट-ऑफ़-पॉकेट एक्सपेंडिचर) के खर्च को कम करना।
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बीमा तक पहुंच और इसे वहन करने की क्षमता में सुधार करना।

योजनाएं/पहल

- साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
- 2021 के बजट में बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया।
- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY), और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- PM-जन आरोग्य योजना
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
- PM फसल बीमा योजना
- महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
- व्यवस्थित जोखिम और नैतिक बाधाओं (मॉरल हजार्ड) से बचने के अतिरिक्त उपायों के लिए एल.आई. सी., जी.आई.सी. तथा न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से घरेलू बीमाकर्ताओं के रूप में पहचान देना।

सीमाएं

- सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाओं की बहुलता ने जोखिम पूल को खंडित कर दिया है।
- वंचित गरीब वर्ग और अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग के बीच का 'मिसिंग मिडल' न तो सब्सिडीकृत स्वास्थ्य बीमा (गरीबों) के लिए और न ही सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना (नियोजित क्षेत्रक) के लिए अर्ह है।
- भारतीयों के मध्य बीमा उत्पादों और जोखिम स्वीकृति को लेकर जागरूकता की कमी है।

आगे की राह

- व्यावसायिक बीमाकर्ताओं के माध्यम से निजी स्वैच्छिक बीमा को विस्तृत करना।
- संचालन और वितरण लागत को कम करने के लिए सरकारी डेटा और अवसंरचना को सार्वजनिक वस्तु के रूप में साझा करना।
- सेवाओं के गारंटीकृत आधारभूत न्यूनतम पैकेज के माध्यम से मानकीकरण को सुनिश्चित करना तथा प्रणाली को सहज बनाना।
- सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करके उपभोक्ता के विश्वास को जीतना।
- मज़बूत ऑडिटिंग प्रक्रियाएं और तीव्र शिकायत निवारण तंत्र।

10. परिवहन (Transport)

10.1. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स (Multimodal Connectivity and Logistics)

10.1.1. गति शक्ति (Gati Shakti)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए **100 ट्रिलियन रुपये की गति शक्ति योजना या राष्ट्रीय मास्टर प्लान** का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना है।

गति शक्ति के 6 स्तंभ: व्यापकता, प्राथमिकताएं तय करना, अनुकूलन, समन्वय, विश्लेषणात्मक, और गतिशीलता

- **व्यापकता (Comprehensiveness):**
  - इसमें, एक ही केंद्रीकृत पोर्टल पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की वर्तमान और भविष्य की पहलें सम्मिलित होंगी।
  - प्रत्येक विभाग अब पोर्टल पर महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराकर एक-दूसरे की गतिविधियों के बारे में जान सकेंगे। साथ ही, व्यापक रूप से परियोजनाओं का नियोजन और कार्यान्वयन कर सकेंगे।
- **प्राथमिकताएं तय करना (Prioritization)**
  - इसके माध्यम से, विभिन्न विभाग अलग-अलग क्षेत्रकों के साथ संवाद स्थापित कर अपनी परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर सकेंगे।
- **अनुकूलन (Optimization)**
  - इसकी मदद से महत्वपूर्ण कमियों के बारे में जाना जा सकेगा, जिससे परियोजनाओं के नियोजन में विभिन्न मंत्रालयों को सहायता मिलेगी।
  - वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, यह योजना समय और लागत के मामले में सबसे अच्छा मार्ग चुनने में मदद करेगी।
- **समन्वय (Synchronization)**
  - इससे प्रत्येक विभाग के साथ-साथ शासन के विभिन्न स्तरों की गतिविधियों के बीच तालमेल स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से, यह उनके कामकाज के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।
- **विश्लेषणात्मक (Analytical)**
  - यह योजना GIS आधारित स्थानिक नियोजन और विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर सभी आंकड़े प्रदान करेगी, जिसमें 200 से अधिक परतें होंगी। इससे कार्य करने वाली एजेंसियों को बेहतर दृश्यता प्राप्त होगी।
- **गतिशीलता (Dynamic)**
  - सभी मंत्रालय एवं विभाग GIS प्लेटफॉर्म की मदद से अब विभिन्न क्षेत्रकों की परियोजनाओं की प्रगति जान सकेंगे। वह इसके द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी कर सकेंगे। GIS प्लेटफॉर्म पर उपग्रह से लिए गए चित्रों द्वारा समय-समय पर जमीनी प्रगति की जानकारी उपलब्ध होगी। इसकी सहायता से, पोर्टल पर नियमित रूप से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी अपडेट की जाएगी।

भारत में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने में गति शक्ति कैसे मदद करेगी?

चुनौतियां	गति शक्ति से मिलने वाली सहायता
खोखली संरचना	मास्टर प्लान से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच **सामान्य लक्ष्य के साथ परियोजनाओं को तैयार और कार्यान्वित किया जाए।** इससे, उनके बीच समन्वय में सुधार आएगा।
समय और लागत का अधिक होना	ऐसी आशा है कि **वास्तविक समय में निगरानी और समन्वय की व्यवस्था वाले तकनीकी प्लेटफॉर्म** के साथ इस योजना से इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए समय पर मंजूरी को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

VISION IAS

सामान्य लक्ष्य का अभाव	परियोजनाओं को विभिन्न मंत्रालयों के बीच **एक सामान्य लक्ष्य के साथ तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।**
व्यर्थ व्यय	इस पहल के अंतर्गत **प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं हेतु हितधारकों के लिए समग्र नियोजन को संस्थागत रूप दिया गया है।** इससे इन समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' और 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना' अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी, गति शक्ति का विज़न विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के विकास में हमारे देश की स्थिति को प्रधानता प्रदान करेगा। ये सुविधाएं, व्यावसायिक भावना को बेहतर करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के देश के विज़न को गति प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

10.1.2. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (Multimodal Logistics Parks: MMLPs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)[86] के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLPs) का कार्यान्वयन करने यानी MMLPs बनाने के लिए वर्ष 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे।

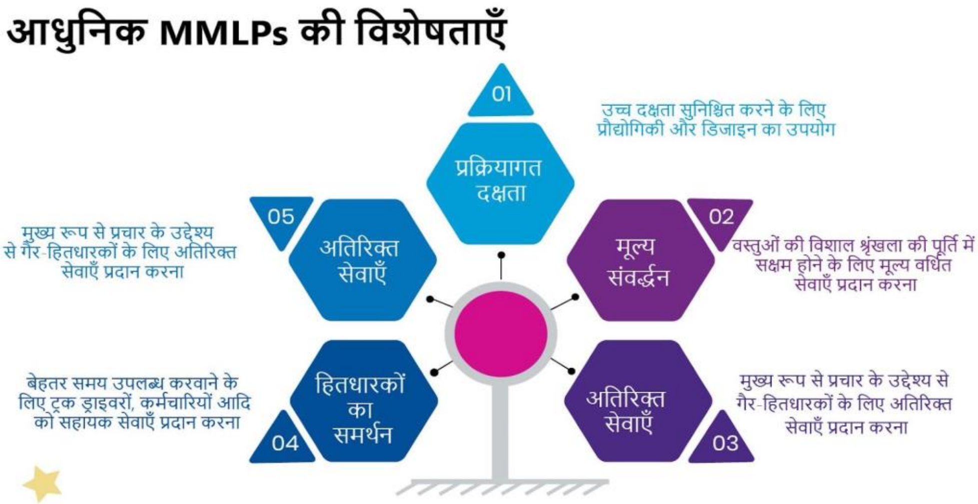

MMLP के बारे में

* **इंटर-मॉडल फ्रेट-हैंडलिंग प्रतिष्ठान के रूप** में MMLPs में गोदाम, समर्पित कोल्ड चेन सुविधाएं, फ्रेट या कंटेनर टर्मिनल और बल्क कार्गो टर्मिनल शामिल हैं। यह सड़क, रेल, जलमार्ग और वायुमार्ग के माध्यम से व्यापारिक वस्तुओं की आवाजाही को आसान और इष्टतम बनाता है। इसके परिणामस्वरूप यह लॉजिस्टिक्स की लागत को युक्तिसंगत बनाता है और लॉजिस्टिक्स की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है।

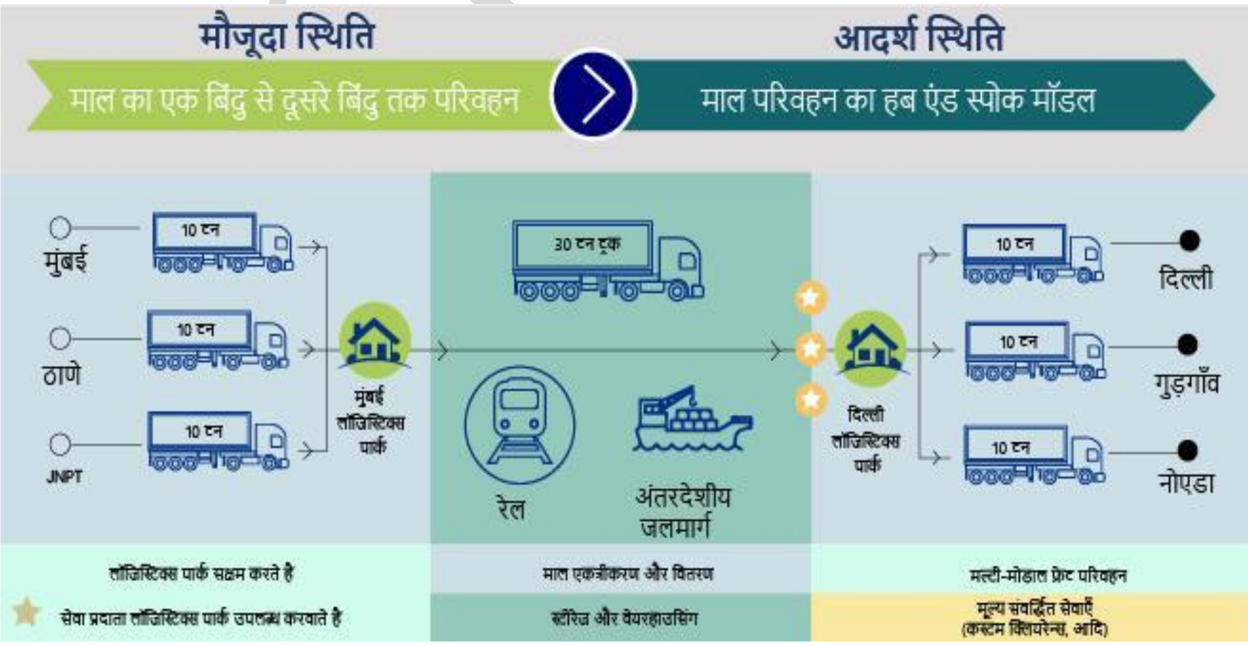

86 Public-Private Partnership

MMLPs की स्थापना करने में चुनौतियाँ

- **MMLP की कोई परिभाषा न होना: निश्चित** परिभाषा के अभाव में, रेलवे, शिपिंग व औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों को इन पार्कों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन पार्कों की विशेषताएं और मानकीकरण भी प्रमुख मुद्दों में से एक है।
- **अवसंरचना का विकास:** MMLP के सफल होने के लिए, सड़कों, रेलवे और परिवहन की अन्य उपलब्ध विधाओं में सन्निकट पार्कों, औद्योगिक समूहों तथा उपभोग केंद्रों के बीच सुचारु एवं निर्बाध संपर्क के लिए सुधार किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** MMLP के प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु डिलीवरी प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
- **कोविड-19 जनित मंदी:** कोविड-19 कुछ ऐसे मुद्दे सामने लेकर आया है, जो कुछ MMLP परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ परिवहन अवसंरचना, विशेष रूप से हवाई कवरेज और जल-परिवहन कवरेज विकसित करने की आवश्यकता है।
- **प्रशासनिक बाधाएं:** प्रस्तावित MMLP के निर्माण, निष्पादन और कामकाज की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी की अनुपस्थिति में, विकास और परिचालन करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों से लगभग 50 अलग-अलग अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। इस कारण निवेशकों के निरुत्साहित रहने की संभावना रहती है।

आगे की राह

इन चुनौतियों के समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। इससे MMLP की सफलता हेतु संबंधित बाधाओं को दूर करने और MMLP के विभिन्न स्तरों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकेगा (इन्फोग्रफिक देखें)। इसके अलावा, निम्नलिखित का भी उपयोग किया जा सकता है:

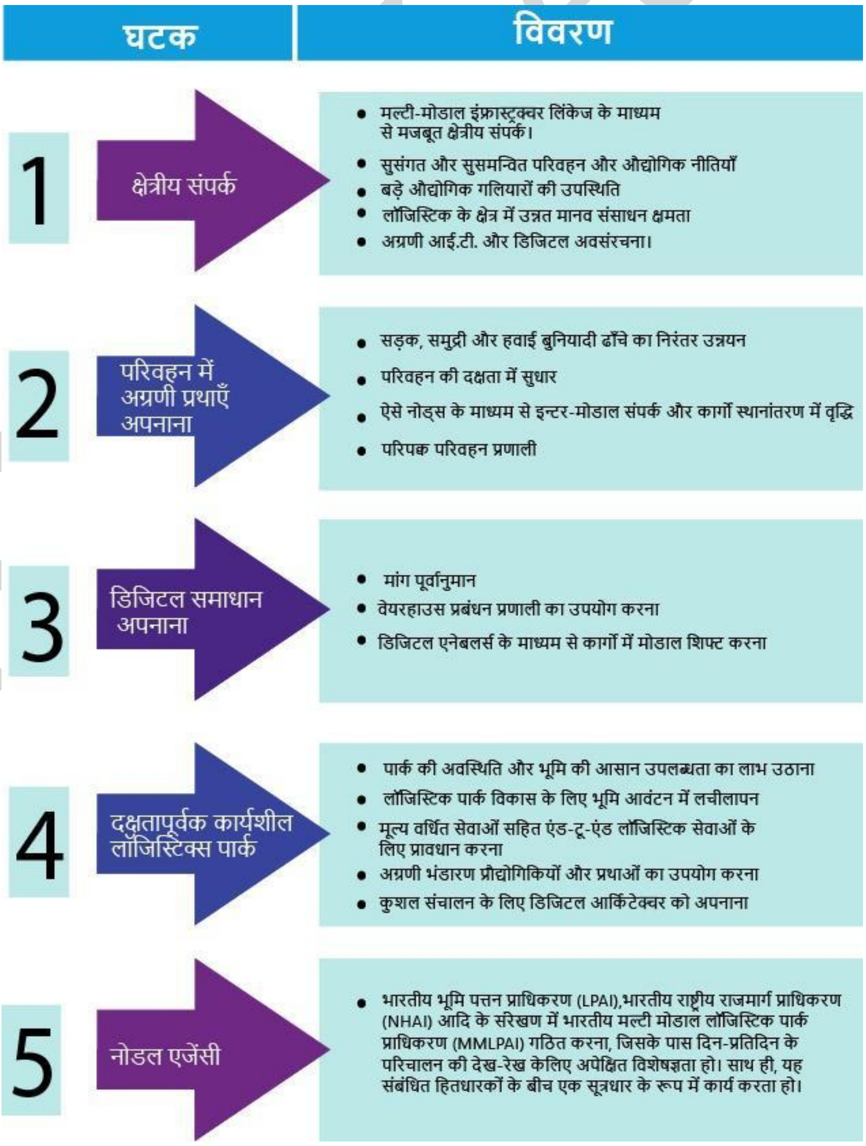

- लीड्स अर्थात् विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता (Logistics Ease Across Different States) रिपोर्ट, 2018 में पहली बार लॉन्च की गई थी। इसके तहत ट्रांजेक्शन लागत को कम करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय पहल के माध्यम से **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार** करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस संबंध में स्टार्ट-अप के माध्यम से भी नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) के हैकथॉन - 'LogiXtics'**, जैसे मंचों का उपयोग दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक की लागत को कम करने वाले विचारों को क्राउडसोर्स करने के लिए किया जा सकता है।

10.2. रेलवे (Railways)

भारतीय रेलवे – एक नज़र में

- भारतीय रेलवे दुनिया में **चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क** है।
- दैनिक यात्रियों की संख्या 2.4 करोड़ और माल ढुलाई 203.88 मिलियन टन है।
- विश्व स्तर पर यात्री और माल परिवहन में क्रमशः **पहला और चौथा स्थान।**
- वित्त वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे का राजस्व 23.30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- अप्रैल 2000 से जून 2021 तक, रेलवे से संबंधित घटकों में 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हुआ।

मुख्य उद्देश्य

- वर्ष 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे प्रणाली का निर्माण करना।
- माल भाड़े के परिवहन में रेलवे की मौजूदा हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 45% करना।
- वर्ष 2024 तक 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा), भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी-ट्रैकिंग और गति को बढ़ाना। साथ ही, सभी जी.क्यू./जी.डी. मार्गों पर लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना।
- नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना।
- रेलवे परिवहन में शून्य मृत्यु सुनिश्चित करना।
- कुल राजस्व में गैर-किराया राजस्व का हिस्सा बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना।

मुख्य उद्देश्य

- PMKVY के तहत रेल कौशल विकास योजना।
- प्रधान मंत्री गति शक्ति (कार्गो टर्मिनल विकास)।
- कवच (स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली)।
- एक स्टेशन एक उत्पाद।
- भारत गौरव और वंदे भारत।
- प्रकाश (आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता)।
- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष।

बाधाएं

- बुनियादी ढांचे की कमीः पुराना बुनियादी ढांचा तथा नई परियोजनाओं को लागू करने में देरी।
- गैर-किराया राजस्व बहुत कम है और माल भाड़े का शुल्क अधिक है। आंतरिक रूप से संसाधनों का निर्माण कम है।
- सुरक्षा और सेवा वितरण की खराब गुणवत्ता।
- खराब टर्मिनल सुविधाएंः लोडिंग और अनलोडिंग में अधिक समय लगना।
- रेलवे की कम आयः इसके कारण कम निवेश, खराब सेवाएं और धीमी गति, देरी व सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं।
- वर्ष 2019-20 में पूंजी उत्पादन अनुपात (COR) बढ़ा। यह नियोजित पूंजी की तुलना में भारतीय रेलवे के भौतिक प्रदर्शन में कमी को दर्शाता है।
- कोयले के परिवहन पर अधिक निर्भरताः यह वर्ष 2019-20 के दौरान कुल माल ढुलाई आय का लगभग 49% था।
- क्रॉस-सब्सिडीः माल ढुलाई से होने वाले लाभ का उपयोग यात्री सेवाओं के संचालन पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

आगे की राह

- बुनियादी ढांचाः प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने, टर्मिनल क्षमता में वृद्धि और विवेकपूर्ण ट्रैक विद्युतीकरण की आवश्यकता है। इसके साथ प्रमुख बुनियादी ढांचे के विस्तार और भीड़भाड़ को कम करने के कार्यक्रम पर बल दिया जाना चाहिए।
- प्रौद्योगिकीः रेलवे क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश का प्रौद्योगिकी आधार तैयार करना। इसके अलावा, उच्च हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों का उपयोग करना जो अधिक ईंधन कुशल हों।
- फ्रेट बास्केट में विविधता लानाः मालभाड़ा आय बढ़ाने के लिए माल ढुलाई में विविधता लाने हेतु कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही,अन्य आय बढ़ाने के लिए अपनी निष्क्रिय संपत्ति का दोहन करने की भी आवश्यकता है।
- सेवा की गुणवत्ता में सुधार करनाः रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को साफ रखने के लिए दंडनीय कानून लागू किया जा सकता है। साथ ही, रेलवे स्टेशन, ट्रेन के डिब्बों आदि में भोजन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए।
- शुल्क को फिर से निर्धारित करनाः यात्री किराया और रेल के अन्य शुल्कों पर फिर से विचार करने की बहुत आवश्यकता है। इससे चरणबद्ध तरीके से संचालन की लागत की वसूली की जा सकती है और इसकी मुख्य गतिविधियों में नुकसान को कम किया जा सकता है।

10.2.1. रेलवे सुरक्षा (Railway Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पश्चिम बंगाल में हुई एक रेलवे दुर्घटना में लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो गयी है। इसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने दुर्घटना से संबंधित सभी पहलुओं की पहचान करने हेतु गहन जांच के आदेश दिए हैं।

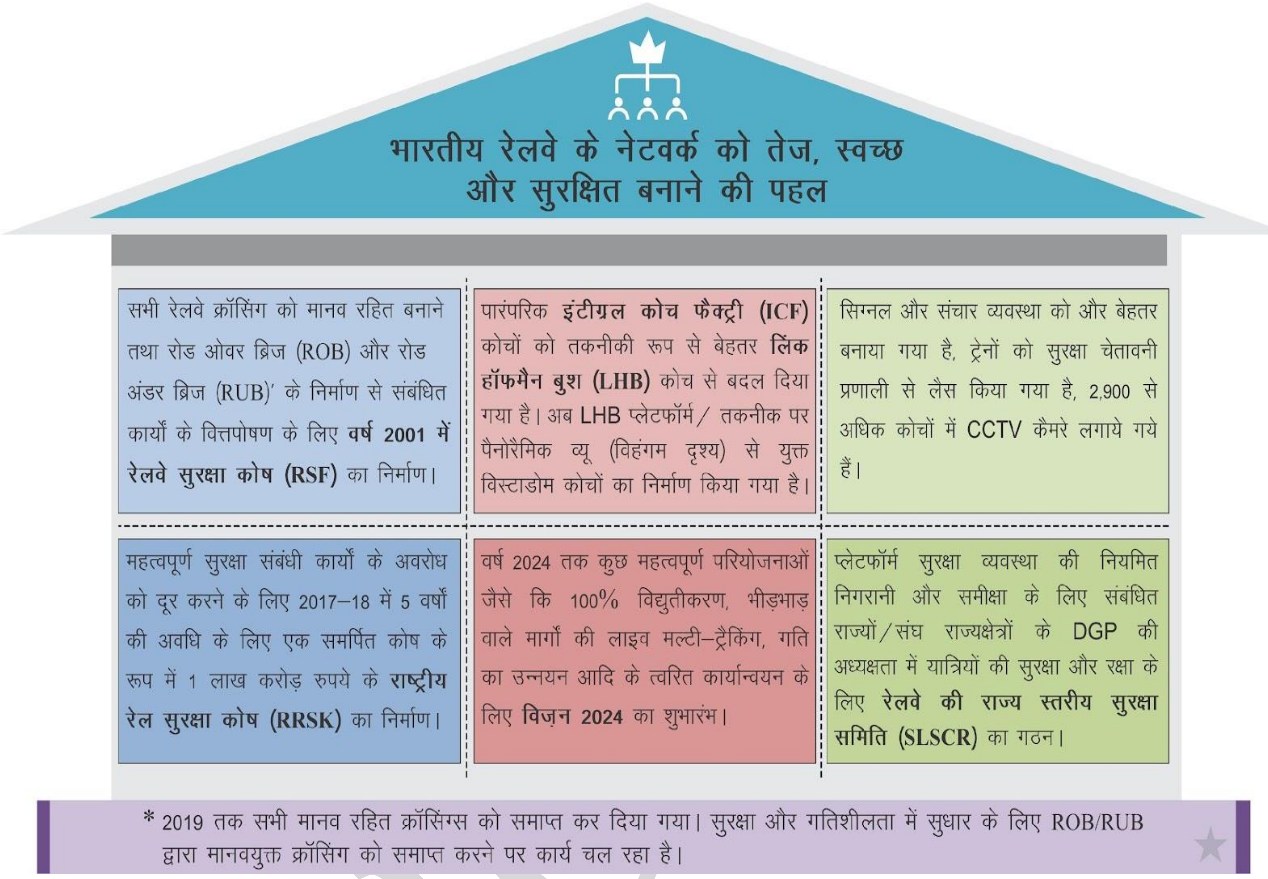

तेज, सकुशल और सुरक्षित रेलवे हेतु पिछली समितियां और पहलें

- **रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति** (खन्ना समिति) वर्ष 1998 में,
- **उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति** (काकोडकर समिति) वर्ष 2012 में,
- **भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह** (पित्रोदा समिति) वर्ष 2012 में,
- **प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए समिति** (देबरॉय समिति) वर्ष 2015 में।

रेल दुर्घटनाएं

- **ट्रेन की टक्कर और पटरी से उतरने की घटनाओं में कमी:** वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20 के बीच, ऐसी दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या क्रमशः 135 से घटकर 55 और 292 से 5 हो गई है।
- **यात्री सुरक्षा:** NCRB[87] के अनुसार, वर्ष 2019 की 27,987 दुर्घटनाओं की तुलना में, वर्ष 2020 में 13,018 दुर्घटनाएं हुई। इनमें लगभग 12,000 रेल यात्रियों की मृत्यु हुई।
  - लगभग 8,400 लोग या 70% लोग या तो ट्रेन से गिरने के कारण या रेलवे ट्रैक को पार करते हुए अपनी जान गंवा बैठे।
- **सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा:** विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग पर 1,014 दुर्घटनाओं में 1,185 लोगों की मृत्यु हुई।

एक सुरक्षित और आपदा-रहित रेलवे नेटवर्क के निर्माण के समक्ष कमियां

- **संरचनात्मक कमियां:** रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए अधिक पुरानी परिसंपत्तियों को पुनः स्थापित और उन्हें बदलने का काम अधूरा पड़ा है। **रेल संबंधी स्थायी समिति** (वर्ष 2019 में) के अनुसार, भारतीय रेलवे नेटवर्क में ऐसे 1,47,523 पुल हैं, जिनकी देखभाल की स्थिति गंभीर है।

---
87 National Crime Records Bureau

- **परिचालन में कमियां: अग्नि संसूचन प्रणाली**[88] का अभाव, चरम मौसम स्थितियों में कुछ रेलवे नेटवर्क पर रेलवे ट्रैक्स के रखरखाव के मुद्दे।
- **वित्तीय कमी:** पूंजीगत व्यय के लिए निम्नस्तरीय आंतरिक संसाधन सृजन (कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 3-3.5%) के कारण रेलवे वित्त की स्थिति निराशाजनक है। यह भारतीय रेलवे की क्षमताओं को सीमित करती है।
- **रेलवे कर्मचारियों से चूक:** वर्ष 2020 में 13,018 दुर्घटनाओं में से 12,440 दुर्घटनाएं **लोकोमोटिव पायलट की गलती** के कारण हुईं। शेष **दुर्घटनाएं** सिग्नल मैन की ओर से हुई गलतियों, यांत्रिक त्रुटियों, ख़राब ट्रैक मरम्मत, अवसंरचना, पुल/सुरंग के ढहने आदि के कारण हुई थीं।
- **अन्य मुद्दे:** सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रेलवे के लिए **राज्य स्तरीय सुरक्षा समितियों** का गठन नहीं किया गया है। यात्रियों को सुरक्षित पेयजल और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कमियां व्याप्त हैं। रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव के मुद्दे विद्यमान हैं। साथ ही, विभिन्न समितियों की सिफारिशों (जैसे- रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन) को स्वीकार किया जाना शेष है।

आगे की राह

सुरक्षा एक **गुण नहीं अपितु स्वभाव है,** जिसे स्थापित और पोषित किया जाना चाहिए। **राष्ट्रीय रेल योजना** की भांति, मांग से पहले ही क्षमता निर्माण के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के पास अपनी नेटवर्क सुरक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के लिए एक सुरक्षा योजना होनी चाहिए। इसमें कई प्रकार के चरण सम्मिलित हैं:

- पहले की तुलना में, वर्तमान और भविष्य की भारी और तेज ट्रेनों की गतिशीलता को वहन करने के लिए पुराने ट्रैक्स/ पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु **रेलवे नेटवर्क का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन।**
- नयी अवसरंचना का निर्माण करते समय अप्रचलित प्रौद्योगिकी और सामग्रियों को बदलने के लिए **आंतरिक संसाधनों को बढ़ावा।**
- **रेलवे सुरक्षा में स्वदेशी अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहित करना** ताकि सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जा सके। साथ ही, यात्रा तथा सड़क उपयोग के दौरान जनहानि को कम करना जरुरी है।
- विभिन्न रेलवे विभागों के साथ समन्वय करने, संबंधित विभागों को अपने सुरक्षा कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करने हेतु **रेल सुरक्षा प्राधिकरण** की स्थापना।
- आपराधिक तत्वों द्वारा रेलवे नेटवर्क के दुरुपयोग को दूर करने और आपस में समन्वय बढ़ाने के लिए सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जल्द से जल्द **राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति** का गठन करने का प्रयास करें।
- कर्मचारियों के बीच सुरक्षा लोकाचार को बढ़ावा देने के लिए **सुरक्षा हेतु आचार संहिता का निर्माण** करना। साथ ही, मानवीय त्रुटियों को दूर करने में मदद करने के अलावा व्यवहार संबंधी परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है।

[88] Fire Detection System

VISION IAS

10.3. सड़क मार्ग (Roadways)

सड़क मार्ग: एक नज़र में

- भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यह कुल 58-9 लाख कि.मी. में फैला हुआ है।
- वित्त वर्ष 2016 & 2021 के बीच भारत में राजमार्ग निर्माण में 17% CGAR से बढ़ोतरी हुई।
- देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.2% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
- भारत के कुल यातायात में से 40% राष्ट्रीय राजमार्गों से किया जाता है।
- भारत, दुनिया में कुल वाहन संख्या का 1%, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के 11% के लिए जिम्मेदार है। इसकी लागत सकल घरेलू उत्पाद का 3-5% है।

मुख्य उद्देश्य

- NHAI ने वर्ष 2022 & 23 में 50 कि.मी. प्रतिदिन की गति से 18,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की योजना बनाई है।
- वर्ष 2022 तक 5-35 लाख **करोड़ रुपये की लागत से** 65,000 **किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना।**
- वर्ष 2022 & 23 तक राष्ट्रीय राजमार्गों (NHs) की लंबाई को दोगुना करके 2 लाख कि.मी. करना।
- सिंगल/इंटरमीडिएट लेन वाले छभ्ध को चौड़ा करना और वर्ष 2022 & 23 तक इनकी लंबाई को कुल सड़क मार्गों की लंबाई के 10% से कम करना।
- वर्ष 2025 तक **सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को आधा करना।**
- वर्ष 2027 तक **भारतमाला परियोजना चरण- I** को पूरा करना (प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2022 था)।

योजनाएं/पहल

- **पी.एम. गति शक्ति** (81 उच्च प्रभाव वाली सड़क मार्ग परियोजनाएं)
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन**
- **भारतमाला परियोजना,** स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे
- उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्रक विकास योजना
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना**
- **सेतु-भारतम परियोजना**
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs)
- भारत श्रृंखला (बी.एच. वाहन)
- व्हीकल स्क्रैप नीति

बाधाएं

- **भूमि अधिग्रहण में देरी,** परियोजनाओं की बढ़ती लागत।
- अपर्याप्त सड़क अवसंरचना, कई चेक पॉइंट्स और भीड़भाड़।
- खराब यातायात प्रबंधन, पार्किंग की समस्या।
- **सड़क यातायात का** 65% **से अधिक भार वहन** करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर अत्यधिक दबाव है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव और मरम्मत के लिए निर्धारित **वार्षिक खर्च** आवश्यक धनराशि का केवल लगभग 40% है।
- वाहनों की कम आपूर्ति से **सार्वजनिक परिवहन बेड़े का विस्तार बाधित हुआ है।**

आगे की राह

- नियमित रखरखाव गतिविधियों के लिए **केंद्रीय सड़क निधि** (CRF) से फंड्स तय करना।
- विकास लागत को कम करने के लिए **भूमि अधिग्रहण को सरल बनाना।**
- **सार्वजनिक परिवहन** की क्षमता, पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि करना।
- परिवहन के अलग-अलग साधनों के बीच प्रौद्योगिकी को अपनाने और निर्बाध आवाजाही में वृद्धि करना।

10.3.1. सड़क सुरक्षा (Road Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)[89] ने राष्ट्रीय **सड़क सुरक्षा बोर्ड** के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है।

सड़क दुर्घटनाओं की समस्या: वैश्विक स्तर पर और भारत में

* **वैश्विक सांख्यिकी:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, विश्व स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन 3,000 से अधिक लोग घायल होते हैं।
    * प्रतिदिन 400 से अधिक मौतों के साथ, **भारत सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में दुनिया में सबसे ऊपर है (WHO, 2018)**।
* **भारत में सड़क दुर्घटनाएं:** MoRTH के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में सम्पूर्ण विश्व के 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें भारत में होती हैं।
* **आर्थिक लागत:** वर्ष 2019 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर चोट की आर्थिक लागत वर्ष 2016 के सकल घरेलू उत्पाद के 7.5% के बराबर है। यह सरकार द्वारा बताए गए जीडीपी के 3 फीसदी के आंकड़े के दोगुने से भी अधिक है।

इसे कम करने में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड कैसे मदद करेगा?

* पहाड़ी क्षेत्र के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करना। साथ ही, यातायात पुलिस, राजमार्ग प्राधिकरणों आदि के क्षमता निर्माण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
* केंद्र सरकार द्वारा विचारार्थ ट्रॉमा सुविधाओं और पैरा-मेडिकल सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
* तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना, मददगार व्यक्तियों (Good Samaritans) और अच्छे आचरण को बढ़ावा देना तथा सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए अनुसंधान करना।
* अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता को बढ़ावा देना।

[89] Ministry of Road Transport and Highways

सड़क सुरक्षा में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा किए गए अन्य उपाय

I	**विज़न जीरो**	
	• मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक व्यापक **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा रणनीति** तैयार की है। यह सड़क सुरक्षा सुधार पर **राष्ट्रीय सहयोग** के लिए रूपरेखा प्रदान करती है और **विज़न जीरो की दिशा में आगे बढ़ने** की अनुमति देती है। • इस रणनीति में **शिक्षा, प्रचार और जागरूकता अभियान, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के विषय** शामिल हैं।	
II	**शोध आधारित**	
	एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database: IRAD)	• IRAD राज्यों और केंद्र को निम्नलिखित में सक्षम बनाने की **एक मजबूत प्रणाली** है: ○ सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी को समझने, ○ सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करने और ○ 'डेटा-आधारित' सड़क सुरक्षा उपायों को विकसित और कार्यान्वित करने में।
	सड़क सुरक्षा में अनुसंधान	• **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों** की पहचान करके, वित्त पोषण आदि द्वारा **सड़क सुरक्षा अनुसंधान के कार्यक्रमों में बढ़ी हुई गतिविधि को प्रोत्साहित** करता है। • अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में **उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करना।
III	**व्यवहारात्मक परिवर्तन**	
	बेहतर सड़क उपयोग व्यवहार	• "**ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र** (DTC) की स्थापना की योजना" के लिए दिशानिर्देश • **ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान** (IDTR) और **क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र** (RDTC) की स्थापना
	प्रचार और जागरूकता अभियान	• टीवी, फिल्म, रेडियो स्पॉट और प्रिंट मीडिया के माध्यम से **जागरूकता का प्रसार;** • राज्यों में सड़क सुरक्षा **जागरूकता कार्यशालाएं** आयोजित की गईं; • **गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों** की भागीदारी।
IV	**बदलती पारगमन प्रणाली**	
	इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों, दोनों के) उपाय	• **सड़क के लिए:** ○ दुर्घटना **ब्लैक स्पॉट** की पहचान और सुधार करना तथा **सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा का प्रयोग करना;** ○ यातायात को नियंत्रित करने के उपाय और **दुर्घटना अवरोधों** का निर्माण करना; ○ राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - "पर्वतमाला" - यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों की जगह पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय और सुरक्षित विकल्प है। • **वाहनों के लिए:** ○ दोपहिया वाहनों में अनिवार्य **'स्वचालित हेडलैम्प ऑन' (AHO);** ○ मंत्रालय द्वारा सभी हल्के मोटर वाहनों के क्रैश टेस्ट को कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया है; ○ अधिसूचित बस बॉडी कोड और ट्रक बॉडी कोड; ○ कारों में स्पीड अलर्ट सिस्टम; ○ **वर्ष 2018** से नए वाहनों में अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम **(ABS)**
	इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) को बढ़ावा देना	• ई-चालान और एम-परिवहन (विभिन्न परिवहन संबंधी सेवाओं का उपयोग करने के लिए); • परिवहन मिशन मोड परियोजना (वाहन पंजीकरण के लिए **'वाहन'** और चालक लाइसेंस के लिए **'सारथी'**); • सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन।
V	**प्रवर्तन उपाय**	
	मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019	• इसमें वाहन स्क्रैपिंग नीति, वाहन रिकॉल सिस्टम, वाहन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रानिकी जांच और निगरानी आदि से संबंधित प्रावधान हैं।
	आपातकाल (दुर्घटना पश्चात् प्रतिक्रिया और ट्रामा केयर)	• प्रभावी ट्रामा केयर और मददगार व्यक्तियों के दिशानिर्देश; • गोल्डन आवर के दौरान **मोटर वाहन दुर्घटना कोष** और **कैशलेस उपचार**; • सड़क दुर्घटनाग्रस्त लोगों को **देय मुआवजा।**

आगे की राह

स्टॉकहोम घोषणा-पत्र के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत **वर्ष 2030 तक** सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली **मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने** के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और **हर समय हर किसी के लिए हर सड़क को सुरक्षित बनाना होगा।** इसके लिए हमें सभी क्षेत्रकों यानि तकनीकी, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक आदि में सुधार की ज़रूरत है।

10.4. नागरिक उड्डयन क्षेत्र (Civil Aviation Sector)

नागरिक उड्डयन क्षेत्रक - एक नज़र में

अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन (एविएशन) बाजार बन गया है।

वर्ष 2024 तक यू.के. को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयर पैसेंजर मार्केट बन सकता है।

वर्ष 2009-2019 के बीच, भारत का वैश्विक पैसेंजर ट्रैफिक वृद्धि में 5.9% का योगदान रहा है और वर्ष 2040 तक इसके 6.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, विमानन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सालाना 35 बिलियन डॉलर का योगदान देता है और पर्यटन एवं संबंधित गतिविधियों के माध्यम से 7 मिलियन नौकरियां उपलब्ध कराता है।

यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2015 में भारत 52वें स्थान से वर्ष 2019 में 34वें स्थान पर पहुंच गया है।

मुख्य उद्देश्य

- भारत में/से/के लिए एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं को विनियमित करना और नागरिक उड्डयन नियमों तथा विमानन योग्य मानकों को लागू करना।
- पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत ईको-सिस्टम स्थापित करना।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं प्रभावी निगरानी के माध्यम से विमानन क्षेत्र की सुरक्षा, सकुशलता और स्थिरता सुनिश्चित करना।
- राजकोषीय समर्थन और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना।

योजना/पहल

- गैर-विनियमन और ई-गवर्नेंस के माध्यम से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016 की शुरुआत की गई है।
- स्वचालित मार्ग के तहत गैर-अनुसूचित एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं, हेलीकॉप्टर सेवाओं और समुद्री विमानों में 100% तक FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
- आम नागरिक के लिए उड़ान को किफायती बनाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) शुरू की गई है।
- एयर पैसेंजर के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनके अति शीघ्र निवारण हेतु एयर सेवा एप का शुभारंभ किया गया है।
- रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिए नई नीति की घोषणा की गई है।
- ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों को सिक्योरिटी क्लीयरेंस प्रदान करने हेतु ई-सहज पोर्टल लांच किया गया है।
- यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को सहज बनाने और साथ ही सुरक्षा में सुधार करने हेतु डिजी यात्रा पहल शुरू की गई है।

सीमाएं

- जेट ईंधन की उच्च कीमतें एयरलाइनों की परिचालन लागत को बढ़ा देती हैं। इससे हवाई किराए में 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
- बुनियादी ढांचे और हवाई अड्डों की कमी, विमानन बाजार के विकास को सीमित करती है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बाधित करती है।
- एयरलाइन पायलटों और चालक दल से लेकर रखरखाव कर्मियों तक प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल का उपलब्ध न होना।
- विमान संचार प्रणालियों के अपग्रेडेशन में तकनीकी प्रगति के अभाव के कारण पूरी प्रणाली के बाधित होने की संभावना बनी रहती है।
- वाणिज्यिक उदारीकरण से तीव्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है और वास्तविक सृजन में भी कमी आई है।
- आतंकवाद के बढ़ते डर से कठोर चेक-इन प्रक्रियाओं अर्थात् फ्लाइट बोर्डिंग सुरक्षा जांच में बढ़ोतरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप लंबी लाइनें और विलंब जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- ईंधन लागत में होने वाली गिरावट ने कम लागत वाली एयरलाइंस के मॉडल को संभव और टिकाऊ बना दिया है।
- ईंधन दक्षता को सुनिश्चित और लागत को कम करते हुए विमानन कंपनियों को अपने वर्तमान फ्लीट को बनाए रखने तथा नए, आधुनिक फ्लीट की खरीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- विमानन उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए OEM उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के कराधान और मूल्य निर्धारण ढांचे को GST के दायरे में लाकर वैश्विक मानदंडों के अनुरूप संरेखित किया जाना चाहिए।
- UDAN पहल के तहत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
- विमानन क्षेत्र में भारत को एक ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि उससे मिलने वाले लाभों को प्राप्त किया जा सके।
- विमानन प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि देश में विनिर्माण का एक ईको-सिस्टम बनाया जा सके।

10.5. पोत परिवहन क्षेत्रक (Shipping Sector)

शिपिंग/ नौवहन क्षेत्रक – एक नज़र में

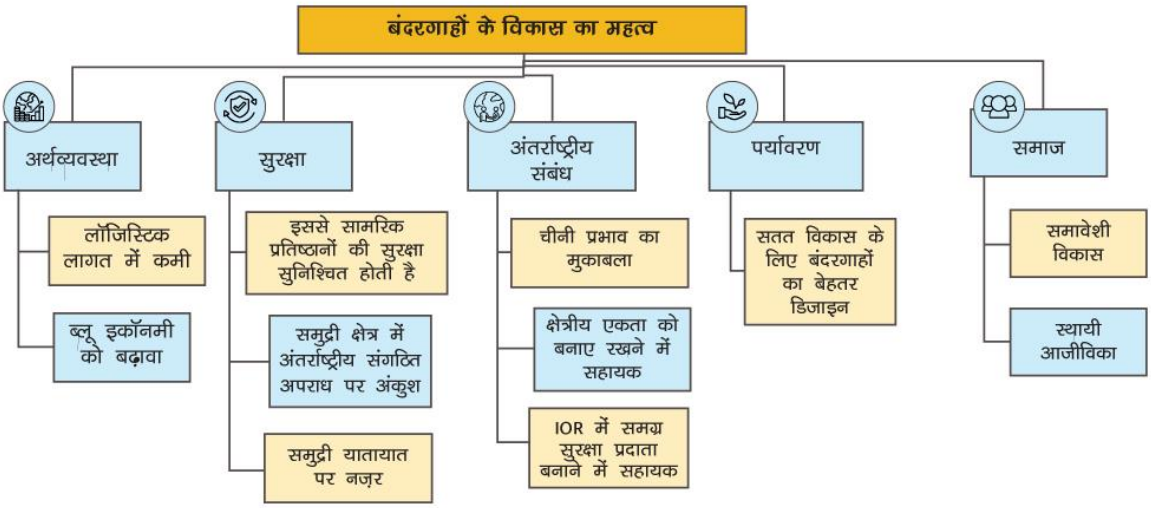

बंदरगाहों का प्रशासन

- **प्रमुख/ बड़े बंदरगाह (महापत्तन)**: ये संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन प्रशासित होते हैं।
- **लघु/छोटे बंदरगाह**: छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन राज्य स्तर पर किया जाता है।
- **गवर्नेंस मॉडल**: महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधिनियमित होने तक, भारत सरकार के स्वामित्व वाले 11 बंदरगाहों को व्यापक रूप से सर्विस पोर्ट मॉडल तथा लैंडलॉर्ड मॉडल के हाइब्रिड प्रारूप के तहत शासित किया जाता था।

भारतीय बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में आने वाली बाधाएं

- **बुनियादी ढांचे से जुड़ी बाधाएं**: उथले बंदरगाह, बंदरगाहों पर क्षमता का कम उपयोग, रसद से जुड़ी अड़चनें।
- **नियामक बाधा**: बड़े और छोटे बंदरगाहों के बीच समान अवसर का अभाव, नौकरशाही से संबंधित चुनौतियां।
- **निवेश से संबंधित मुद्दे**: वित्तपोषण का अभाव, निजी क्षेत्र की भागीदारी औसत से भी कम है।
- **श्रम से जुड़े मुद्दे**: आवश्यकता से अधिक (ओवरस्टाफ), अकुशल और अप्रशिक्षित कार्यबल।
- **वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी।**

भारतीय बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास

- **इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस**: निवेश को प्रोत्साहित करना, केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS), बंदरगाह आधारित उद्योगों के लिए कैप्टिव नीति।
- **ढांचागत बाधाओं से निपटना**: सागरमाला कार्यक्रम, भारतमाला कार्यक्रम, उन्नति परियोजना– परिचालन क्षमता में सुधार करना, मौजूदा प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना, नए बंदरगाहों का विकास, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (हब) स्थापित करना।
- **विधायी सुधार**: **महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021**
- **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग।**

आगे की राह

- **विनियामक सुधार**: ड्रेजिंग मार्केट (समुद्र तल की सफाई से संबंधित व्यवसाय) की शुरुआत करना, बंदरगाहों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए समन्वित प्रयास करना।
- **वित्तपोषण के मुद्दों से निपटना**: एक राजस्व स्रोत के रूप में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, बंकरिंग में निवेश के अवसर मुहैया कराना।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार**: सागरमाला के तहत संचालनरत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, मल्टीमॉडल कनेक्टिवि. टी को बढ़ावा देना, स्मार्ट पोर्ट के गठन और ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स को अपनाना।
- **अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप**: नौगम्य मार्गों के विकास हेतु प्रयास करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, औद्योगिक गलियारों का विकास करना, यात्री परिवहन को बढ़ावा देना, पर्याप्त एयर क्लीयरेंस सुनिश्चित करना।

10.5.1. सागरमाला कार्यक्रम (Sagarmala Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के प्रमुख कार्यक्रम **सागरमाला** को सात वर्ष पूरे हो गए हैं।

सागरमाला के बारे में

- इसका उद्देश्य अपने **चार स्तंभों** के आधार **पर पात्तन आधारित विकास** को सुनिश्चित करना है (इन्फोग्रफिक देखें)।
- सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित परियोजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से **निजी या सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** के माध्यम से संबंधित पत्तन, राज्य सरकार / समुद्री बोर्ड, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए **राज्य सरकार और अन्य MoPSW एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:**
    - पत्तन अवसंरचना परियोजना, तटीय बर्थ परियोजना, सड़क और रेल परियोजना, मछली पकड़ने के पत्तनों व कौशल विकास परियोजना, क्रूज टर्मिनल और विशिष्ट परियोजनाएं जैसे रो-पैक्स नौका सेवाएं आदि।

सागरमाला कार्यक्रम का महत्व

- **लॉजिस्टिक लागत में कमी:** सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात-आयात (EXIM) और घरेलू व्यापार के मामले में लॉजिस्टिक की लागत में कमी लाना है। इसके लिए अवसंरचना में आवश्यक निवेश किया जा रहा है।
- **प्रमुख पत्तन (महापत्तन) का आधुनिक अभिशासन:** भारत में प्रमुख पत्तनों (मेजर पोर्ट्स) के प्रशासन के लिए एक नया युग शुरू हुआ है, जिसमें उन्हें निर्णय लेने की अधिक स्वायत्तता मिली है। इस. प्रमुख पत्तन विकास के 'लैंडलॉर्ड मॉडल' को अपनाकर विश्व स्तरीय पत्तन अवसंरचना प्रदान करने में भी सक्षम होंगे।

Mains 365 – अर्थव्यवस्था

- **प्रमुख पत्तनों और पोत परिवहन क्षेत्र में व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business: EODB):**
  - **निर्बाध कार्गो आवाजाही:** इसका लक्ष्य कार्गो आवाजाही के लिए पत्तनों पर उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। साथ ही, सूचना के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
  - **परिचालन दक्षता में सुधार:** इसका उद्देश्य मौजूदा अवसंरचना के आधुनिकीकरण और उन्नयन, तथा बेहतर मशीनीकरण के अलावा अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए व्यवसाय संबंधी कार्यप्रणाली को पुनः निर्धारित करना है।
- **अर्थव्यवस्था की सहायता:** मजबूत समुद्री क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सागरमाला कार्यक्रम में ब्लू इकोनॉमी के सभी महत्वपूर्ण घटक जैसे कि पत्तन दक्षता और आधुनिकीकरण; पत्तन कनेक्टिविटी; पत्तन आधारित औद्योगीकरण और तटीय समुदाय का विकास करना भी शामिल है।
- **क्षेत्रीय विकास में सहायता:** इसके तहत पुराने पारंपरिक व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। साथ ही, भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति को मजबूती प्रदान की जा रही है।
- **तटीय समुदाय का विकास:** यह कौशल विकास और आजीविका से संबंधित गतिविधियों का निर्माण करके; मत्स्यन का विकास करके; तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के संधारणीय विकास को बढ़ावा दे रहा है।

चुनौतियां

- **संसाधन जुटाना:** ICRA के एक अध्ययन के अनुसार, समयबद्ध रूप से निवेश जुटाने में चूक और पर्याप्त बजटीय सहायता की कमी से परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ता है।
- **अनेक प्रकार के कर:** प्रमुख समुद्री देशों की तुलना में भारत में पोत परिवहन उद्योग पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इसके कारण पोत परिवहन कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना अनाकर्षक हो जाता है।
- **अकुशल समन्वय: परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति** ने MoPSW तथा कार्यान्वियन करने वाली एजेंसियों के बीच निम्न-स्तरीय समन्वय को लेकर निराशा व्यक्त की है। सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर और तेजी से पूरा करने पर जोर देने के बजाय, इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन की समय-सीमा को बढ़ाया जाता रहा है।
  - इस समिति ने **अनुमोदित लागत और निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित निगरानी तंत्र** स्थापित करने की सिफारिश की है।
- **कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि:** कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से पोत परिवहन उद्योग के लिए परेशानी और बढ़ा रही है, क्योंकि पिछले एक वर्ष में पोतों की ईंधन लागत में 40-50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **पर्यावरणीय मुद्दे: तटों पर निम्नलिखित के संबंध में पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है:**
  - **तटीय क्षेत्र में अपरदन;**
  - **तटीय क्षेत्र में निक्षेपण के संबंध में;**
  - **समुद्र तल-कर्षण;**
  - समुद्र तल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली **गंभीर समस्याओं के संबंध में आदि।**
- **सुरक्षा का मुद्दा:** समुद्र तट पर लगभग 200 छोटे पत्तनों का निर्माण करना भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है।

VISION IAS

11. खनन और विद्युत क्षेत्रक (Mining and Power Sector)

11.1. खान और खनिज (Mines and Minerals)

खान और खनिज क्षेत्रक – एक नज़र में

भारत खनिजों के मामलों में काफी हद तक आत्मनिर्भर रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल जैसे कि लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं।

भारत में कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क आदि जैसे खनिज नहीं पाए जाते हैं। इनसे जुड़ी मांग को पूरा करने के लिए इनका आयात किया जाता है।

भारतीय खनन उद्योग में छोटे स्तर पर परिचालन वाली खदानों की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है।

चिन्हित की गई 1,303 खानों में से अधिकांश खदानें मध्य प्रदेश में स्थित हैं।

खनिज उत्पादन के **मूल्य की दृष्टि से लगभग 87 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन 10 राज्यों में** होता है।

भारत के **स्पष्ट भू-वैज्ञानिक क्षमता (OGP) क्षेत्र** के तहत अब तक केवल 10% हिस्से की ही खोज की गई है।

मुख्य उद्देश्य

- वर्ष 2018–23 के दौरान 8-5% की औसत वृद्धि के साथ वर्ष 2017–18 के तहत निर्दिष्ट खनन क्षेत्र के विकास लक्ष्य को 3% से बढ़ाकर 14% करना।
- OGP क्षेत्र के तहत खोजे गए क्षेत्र को 10% से बढ़ाकर 20% तक अर्थात् दोगुना करना।
- वर्तमान में यह क्षेत्रक 10 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2022–23 में इसकी रोजगार में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 मिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है।

नीतियां/ योजनाएं/ पहल

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957; तथा वर्ष 2015 एवं 2020 का संशोधन।
- प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) और जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)।
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019
- शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के आवंटन और दोहन की योजना)।
- भारतीय खान ब्यूरो और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के मध्य SUDOOR DRISHTI/सुदूर दृष्टि परियोजना।
- खनिज के पूर्वेक्षण संचालन के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रत्यायन की योजना।

बाधाएं

- नियामक चुनौतियां जैसे कि कंपनी द्वारा सफल अन्वेषण के बाद भी यह आवश्यक नहीं कि खनन पट्टा प्राप्त हो जाए।
- 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत के आधार पर खनन लाइसेंस दिए जा रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है।
- अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जैसे उचित परिवहन और लॉजिस्टिक्स आदि का अभाव।
- संधारणीयता संबंधी चुनौती; उदाहरण के लिए 40 प्रतिशत खनन प्रस्ताव, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में असफल रहे हैं।
- पर्यावरण प्रदूषण:
  - सतही खनन, कोयला खानों और प्रगलन गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण।
  - भारी धातुओं और जहरीले तत्वों के निक्षालन के कारण जल प्रदूषण।
  - ब्लास्टिंग और सतही खनन जैसी गतिविधियों के कारण भूमि प्रदूषण।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा की चुनौतियां जैसा कि खनन कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं।

आगे की राह

- लाइसेंसिंग नीति में सुधार कर अन्वेषण हेतु निजी पक्ष की भागीदारी को सुगम बनाया जाना चाहिए।
- पर्यावरणीय और वन संबंधी मंजूरी सिंगल विंडो के जरिए और समयबद्ध तरीके से प्रदान की जानी चाहिए।
- खनिज संसाधनों के एक राष्ट्रीय डेटा भंडार (NDR) का निर्माण करना चाहिए और इसे ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।
- अन्वेषण फर्मों के लिए मजबूत और पारदर्शी सार्वजनिक रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- वैश्विक प्रथा के अनुसार, कराधान और अन्य शुल्क को बिक्री मूल्य के अधिकतम 40% तक सीमित किया जाना चाहिए।
- पीने के पानी/ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण/ स्वास्थ्य देखभाल/ शिक्षा/ कौशल विकास/ महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा विकलांग लोगों के कल्याण/ स्वच्छता के संदर्भ में PMKKKY और DMF फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

11.1.1. खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 {Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules (MCDR), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

खान मंत्रालय ने **खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में संशोधन** करने के लिए खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में-

- **डिजिटल योजना पेश करना: भारतीय खान ब्यूरो (IBM)**[90] द्वारा निर्दिष्ट कुछ या सभी पट्टों के लिए खदान से संबंधित सभी योजनाएं निम्नलिखित के संयोजन से तैयार की जानी चाहिए:
  - **डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS)** या
  - **टोटल स्टेशन** (सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टिकल उपकरण) या
  - **ड्रोन सर्वेक्षण।**
- **अनिवार्य ड्रोन सर्वेक्षण:**
  - खदानों के जिन पट्टाधारकों के पास 1 मिलियन टन या अधिक की उत्खनन योजना/ 50 हेक्टेयर या अधिक का पट्टे पर लिया गया क्षेत्र है, उन्हें प्रत्येक वर्ष, उस क्षेत्र और उससे आगे 100 मीटर तक की सीमा के ड्रोन सर्वेक्षण चित्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  - अन्य पट्टाधारक **हाई रिजोल्यूशन वाले उपग्रह चित्र प्रस्तुत करेंगे।**
- **रोजगार में वृद्धि:** खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी वाले सक्षमता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ माइनिंग इंजीनियर, खान और खनन सर्वेक्षण में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं।
- **अनुपालन के बोझ में कमी:**
  - अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए दैनिक रिटर्न/विवरणी के प्रावधान को हटा दिया गया है। राज्य सरकार के अलावा, भारतीय खान ब्यूरो (IBM) को भी मासिक या वार्षिक विवरणी में गलत जानकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है।
  - **श्रेणी 'A' वाले खदानों** (25 हेक्टेयर से कम पट्टा क्षेत्र) के लिए पार्ट-टाइम खनन इंजीनियर या पार्ट-टाइम भूविज्ञानी को शामिल किया जा सकता है। इससे छोटे खनिकों पर नियमों के पालन का बोझ कम होगा।
- **वित्तीय आश्वासन:** यदि पट्टाधारक निर्दिष्ट समय सीमा में अंतिम खान को बंद करने की योजना प्रस्तुत नहीं करता है, तो वह **वित्तीय आश्वासन** या **निष्पादन सुरक्षा**[91] **का अधिकार खो देगा।**
- **दंड नियमों का युक्तिकरण:** इसके तहत उल्लंघनों को प्रमुख (जुर्माना, कारावास या दोनों), गौण (केवल जुर्माना, न कि दंड) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अन्य उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।
  - बड़े उल्लंघन: कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों।
  - मामूली उल्लंघन: केवल जुर्माने, न कि दंड।
  - नियमों के उल्लंघन के अन्य मामलों को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।

11.1.2. लिथियम आपूर्ति (Lithium Supply)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लिथियम पिछले कुछ वर्षों के दौरान **सबसे अधिक मांग वाले खनिजों** में से एक रहा है। इसका मुख्य कारण बैटरी विनिर्माण में इसका उपयोग है।

---

90 Indian Bureau of Mines

91 Performance Security

VISION IAS

लिथियम आपूर्ति के बारे में

- **वैश्विक उत्पादन एवं मांग**: वर्तमान में लिथियम का उत्पादन **कठोर चट्टान या लवणीय खानों** से किया जाता है। **ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा** लिथियम आपूर्तिकर्ता देश है, जो कठोर चट्टानी खदानों से इसका उत्पादन करता है। **अर्जेंटीना, चिली और चीन** मुख्य रूप से लवणीय झीलों से इसका उत्पादन कर रहे हैं।
- **भारत में लिथियम:** भारत में **अब तक खोजे गए लिथियम के पहले साक्ष्य कर्नाटक के मांड्या जिले** में प्राचीन आग्नेय चट्टान के निक्षेपों (रॉक डिपोज़िट्स) में मिले हैं। प्रारंभिक खोज अपेक्षाकृत कम मात्रा में है, जिसमें लिथियम के केवल 1,600 टन निक्षेप मिले हैं।
    - मांड्या की चट्टानों में लिथियम की उपस्थिति भी अभी तक **केवल एक अनुमान** है, जिसमें खनन और निष्कर्षण में अभी कई महीने लगेंगे।
    - भारत वर्तमान में अपनी **सभी लिथियम जरूरतों का आयात करता है।** वर्ष 2016-17 और 2019-20 (30 नवंबर, 2019 तक) के बीच **अनुमानित 165 करोड़ से अधिक लिथियम बैटरियों का भारत में आयात** किया गया। इस पर **3.3 बिलियन डॉलर से अधिक का अनुमानित आयात बिल** आया।

सुरक्षित लिथियम आयात का महत्व

लिथियम वस्तुतः महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है। इसका महत्व स्पष्ट रूप से कोविड-19 के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण स्पष्ट रूप से उजागर हुआ था।

- भारत ने **बैटरी भंडारण पारितंत्र** विकसित करने की योजना को आरंभ किया है। इसके तहत उन्नत केमिकल सेल बैटरी के लिए **कम-से-कम 50-गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता** स्थापित करना शामिल है।
- केंद्र सरकार ने भारत में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए **लिथियम-आयन सेल बनाने हेतु 18,100 करोड़ रुपये की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive: PLI) योजना** की भी घोषणा की है।
- ऐसी स्थिति में, लिथियम आपूर्ति सुनिश्चित करने से हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा ।
- इसकी मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि **नई प्रौद्योगिकियों के लिए** लिथियम **एक प्रमुख तत्व** है और विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग होता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

लिथियम की आयात निर्भरता से जुड़ी चिंताएं

- **कुछ देशों में लिथियम भंडार का संकेंद्रण:** माना जाता है कि **दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया (लिथियम त्रिकोण)** के पास विश्व के **प्रमाणित लिथियम भंडार का 50% से अधिक** हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और चीन दो अन्य देश हैं, जो लिथियम भंडार के संबंध में शीर्ष देश होने का दावा करते हैं।
- **चीन का दबदबा और अपरिहार्य भू-राजनीतिक रेस:** लिथियम के भंडार के मामले में चीन की भारत पर बहुत बड़ी बढ़त है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) में बैटरी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह EV युग में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों को धीमा कर सकता है।

सुरक्षित लिथियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **अन्वेषण परियोजनाएं:** भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के मांड्या जिले में खोज के अलावा, **अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान** में सात अन्य लिथियम अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।
- **अन्य देशों के साथ सहयोग:** मार्च 2019 में, भारत ने **लिथियम के अन्वेषण और निष्कर्षण** के लिए **बोलीविया के साथ एक समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सामरिक खनिजों को हासिल करने के लिए **अर्जेंटीना के साथ द्विपक्षीय समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसे अर्जेंटीना में **राज्य के स्वामित्व वाले तीन संगठनों के साथ खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** के अनुबंध के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
  - KABIL कोबाल्ट और लिथियम की **सीधी खरीद** की संभावना भी तलाश रहा है।
- **लिथियम प्लांट:** भारत का **पहला लिथियम प्लांट वर्ष 2021 में गुजरात में स्थापित** किया गया, जहां एक निजी कंपनी ने **रिफाइनरी स्थापित** करने के लिए 1000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। यह रिफाइनरी **बेस बैटरी सामग्री के उत्पादन** के लिए लिथियम अयस्क का उपयोग करेगी।

सुरक्षित लिथियम आपूर्ति के लिए किए जा सकने वाले उपाय

- **पुनर्चक्रण या रिसाइक्लिंग पर ध्यान देना:** लिथियम अन्वेषण को तेज करने के अलावा, भारत को **उपयोग की गई लिथियम-आयन बैटरी के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण** के अवसरों का पता लगाना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में यह सुझाव दिया गया है कि लिथियम-आयन बैटरी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैटरी पुनर्चक्रण एक समाधान के रूप में काम आ सकता है। इससे **लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और ग्रेफाइट की 80-90% की रिकवरी या पुनर्प्राप्ति** हो सकती है।
  - इन कीमती धातुओं के खनन से संबंधित **पर्यावरणीय और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं** के कारण भी पुनर्चक्रण काफी महत्वपूर्ण है।
  - लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण, **आपूर्ति सुरक्षा** सुनिश्चित करने के अलावा **सर्कुलर अर्थव्यवस्था** के हमारे लक्ष्य में भी मदद करेगा।
- **लिथियम-आयन बैटरी का विकल्प तलाशना: सॉलिड-स्टेट बैटरी** अपने **उच्च ऊर्जा घनत्व** और **व्यापक ऑपरेटिंग तापमान** के कारण एक बेहतर विकल्प है। अगले 5-10 वर्षों के भीतर यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकती है।

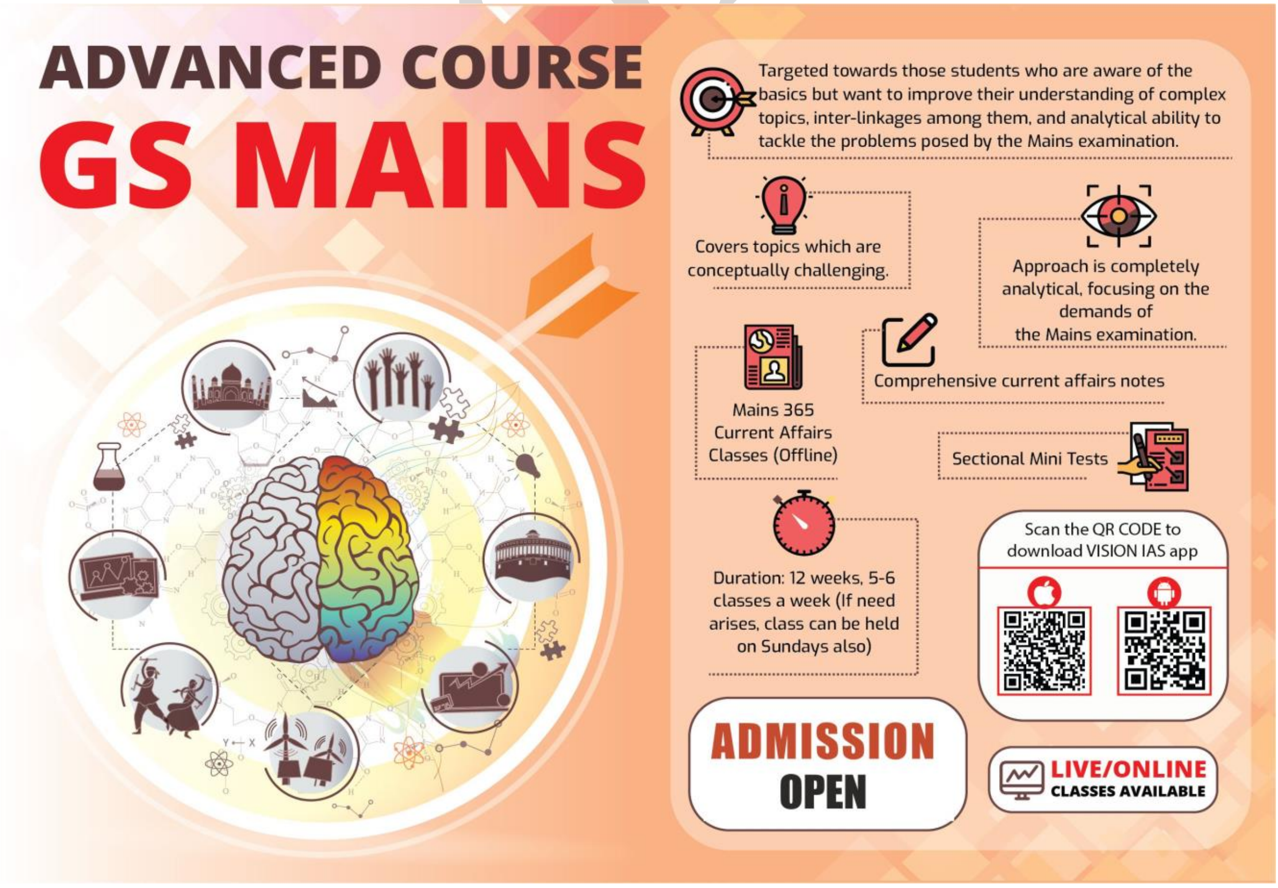

11.2. विद्युत क्षेत्रक (Power Sector)

विद्युत क्षेत्रक – एक नज़र में

- भारत वैश्विक स्तर पर विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। इसकी कुल स्थापित विद्युत क्षमता 395 गीगावाट (GW) (152 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 203 गीगावाट कोयला आधारित) है।
- अक्षय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा का 50.30 GW तथा पवन ऊर्जा का 40 GW, बायोमास का 10.2 GW और जल विद्युत का 46.5 GW का योगदान रहा है।
- वर्ष 2040 तक कोयला आधारित स्थापित विद्युत क्षमता बढ़कर लगभग 330-441 GW तक पहुंच जाएगी।
- वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत लगभग 1,181 किलोवाट प्रति घंटा (KWH) है, जबकि विश्व औसत 3,260 KWH है।
- वर्ष 2000-2021 की अवधि में विद्युत क्षेत्र में FDI लगभग 15.84 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

प्रमुख उद्देश्य

- वर्ष 2022 तक **नवीकरणीय ऊर्जा** (114 गीगावाट सौर ऊर्जा और 67 गीगावाट पवन ऊर्जा सहित) **क्षमता को बढ़ाकर 227 गीगावाट तक पहुँचाना।**
- वर्ष 2030 तक **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 GW तक पहुँचाना।**
- देश भर के **उपभोक्ताओं को सुलभ, किफायती और ऑन-डिमांड पहुंच** प्रदान करना।
- उत्पादन स्तर को बनाए रखते हुए या उसे बाधित किए बिना, उत्पादन की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए **ऊर्जा के उत्पादन के स्रोतों में विविधता** लाना।
- सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) नुकसान को कम करके **वितरण दक्षता में वृद्धि** करना।

योजनाएं/ पहल

- **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड।**
- ग्रिड-स्केल बैटरी सिस्टम सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना।
- **पी.एल.आई. योजना।**
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUG-JY)।**
- **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)।**
- **एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS)।**
- **प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना ("सौभाग्य")।**
- **राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM)।**

बाधाएं

- **घाटे में विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स):** डिस्कॉम्स को वर्ष 2021 में लगभग 90,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
- **बिजली उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता का अपर्याप्त होना:** विशेषकर यह 7% से 8% की वार्षिक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने में अक्षम है।
- **भौगोलिक बाधाओं और अल्प निवेश के कारण उच्च पारेषण क्षति।**
- **राजनीतिक-आर्थिक मुद्दे।**
- अन्य चुनौतियाँ जैसे कि ग्रिड संबंधी बाधाएं, चोरी, विद्युत कटौती, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च टैरिफ।
- **ताप विद्युत संयंत्र मुख्यतः विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोतों जैसे कोयले और कच्चे माल की आपूर्ति की भारी कमी से जूझ रहे हैं।**

आगे की राह

- प्रदर्शन प्रोत्साहन, कर्मचारियों की क्षमता में सुधार द्वारा तथा राजस्व संग्रह क्षमता को उन्नत करके डिस्कॉम्स की राजस्व वसूली को बढ़ाना।
- उन्हें अधिक लक्षित बनाकर एवं **सब्सिडी में कमी करके राजकोषीय विकल्प** प्रदान करना।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ **सरकारी बकाया राशि को कम** करना।
- **नियमित टैरिफ संशोधन** करना और **मुद्रीकरण के माध्यम से निष्क्रिय नियामक संपत्तियों को प्रबंधित** करना।

11.2.1. जनरल नेटवर्क एक्सेस (General Network Access: GNA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग[92] ने **अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली विनियम, 2021 हेतु कनेक्टिविटी तथा जनरल नेटवर्क एक्सेस** का प्रारूप तैयार किया है।

जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) क्या है?

- जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) का अर्थ अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को **बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध कराना है।** यह व्यवस्था **"एक राष्ट्र, एक ग्रिड" की अवधारणा के अनुरूप है।** यह प्रणाली, विद्युत प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पादकों और थोक उपभोक्ताओं के बीच **अनावश्यक अनुबंधों** को समाप्त करती है।

इन विनियमों के बारे में

- ये विनियम, जनरल नेटवर्क एक्सेस के माध्यम से सभी लाइसेंसधारकों या उत्पादक कंपनियों या उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) का उपयोग किए जाने हेतु नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। साथ ही, यह संबंधित नियमों को समेकित करते हैं।
- **ISTS से जुड़ने के लिए पात्र संस्थाएं:** पात्र संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के **उत्पादन स्टेशन, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS)** और **रिन्यूएबल पावर पार्क डेवलपर** शामिल हैं।
- **समर्पित पारेषण लाइनें:** अगर किसी जेनरेटिंग स्टेशन या कैप्टिव जेनरेटिंग प्रोजेक्ट या स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) को कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है तो ऐसी संस्थाओं द्वारा समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का कार्य किया जाना चाहिए।
- **STU के अलावा अन्य संस्थाओं को जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) का अनुदान:** जिन संस्थाओं को ISTS से कनेक्टिविटी दी गई है, ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्हें GNA भी प्रदान किया गया है। इसकी मात्रा कनेक्टिविटी की शुरुआत की तारीख से नियत कनेक्टिविटी की मात्रा के बराबर होगी।
- **अस्थायी जनरल नेटवर्क एक्सेस (T-GNA):** ISTS से सीधे जुड़े वितरण लाइसेंसधारी या थोक उपभोक्ता, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र आदि जैसी कुछ संस्थाएं ISTS के लिए T-GNA हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) के लाभ

- **विद्युत उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए:** इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्पादक **केवल विद्युत उत्पादन पर ध्यान दे।** वर्तमान में, **पॉइंट-टू-पॉइंट एक्सेस अवधारणा** के कारण विद्युत उत्पादक को यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि **आपूर्ति कैसे की जाएगी।** इससे इसका संचालन **प्रतिबंधात्मक** हो जाता है। GNA उन्हें **किसी भी बिंदु से आपूर्ति** करने में सक्षम करेगी।
- **उपभोक्ताओं के लिए:** उपभोक्ताओं को इस बात की चिंता नहीं होगी **कि आपूर्ति कहां से होगी और यह किस ऊर्जा स्रोत** से आएगी। उपभोक्ता को अनुबंधित मात्रा प्रेषित की जाएगी।

---

[92] Central Electricity Regulatory Commission

- **देश के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करेगा:** वर्तमान में, नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध राज्यों में **पारेषण बाधाओं के कारण** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी **बाधित है।**
- **यह निवेश को प्रोत्साहित करेगा:** GNA **से पारेषण खंड में निवेश-वृद्धि अपेक्षित है, क्योंकि इससे** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक को **ISTS नेटवर्क तक परेशानी मुक्त पहुंच** प्राप्त होगी।

GNA के उपयोग में चुनौतियां

- **मांग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल: राज्यों के लिए GNA आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाना** संभव नहीं हो सकता, क्योंकि **काफी परिवर्तनशील हो चुकी मांग के आकलन में अनिश्चितता** है।
- **मांग के उभरते क्षेत्र: परिवहन** क्षेत्र, **कृषि और खाना पकाने की व्यवस्था** के विद्युतीकरण के बढ़ते रुझान **के कारण** आने वाले वर्षों में **मांग की अनिश्चितता बढ़ने की** संभावना है।
- **उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तनशीलता:** राज्य वितरण कंपनियों के लिए भी **ऐसे ओपन एक्सेस ग्राहकों की संख्या का आकलन** करना एक चुनौती है, जो राज्य के बाहर से विद्युत ले सकते हैं। इससे **GNA** आवश्यकताओं का **सटीक आकलन करना कठिन हो जाता है।**
- **आपूर्ति में परिवर्तनशीलता: नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि के कारण** मांग में परिवर्तनशीलता के साथ-साथ **आपूर्ति परिवर्तनशीलता,** सिस्टम योजनाकारों के लिए दोहरी जटिलता प्रस्तुत करेगी। इससे **ISTS की योजनापरक गतिविधियों को अत्यधिक बड़े स्तर पर संचालित होना होगा।**

आगे की राह

जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) के माध्यम से एक राष्ट्र, एक ग्रिड को सक्षम करना होगा। लेकिन, यह प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर है और इसलिए, यह आवश्यक है कि पारेषण योजना के **लागत प्रभावों का अच्छी तरह से** और विभिन्न भार उत्पादन परिदृश्यों के लिए **अध्ययन किया** जाए।

साथ ही, **उत्पादन करने वाली कंपनियों से चूक के मामले** में, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पारेषण प्रणाली पर होने **वाले अतिरिक्त व्यय को लाभार्थियों पर न डाला जाए।**

11.3. कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक (Coal, Oil and Gas Sector)

कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक – एक नज़र में

भारत की कुल एनर्जी मिक्स के 50% हिस्से की पूर्ति कोयले से होती है।	भारत की कुल एनर्जी मिक्स के 28% हिस्से की पूर्ति तेल से होती है।	भारत हर साल 729 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है।	वित्त वर्ष 2020 में प्रति दिन 4-9 मिलियन बैरल तेल की खपत हुई और भारत की 87.6% क्रूड आयल आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया गया था।	भारत की ऊर्जा आवश्यकता हेतु आयातित कच्चे माल के 70% हिस्से की पूर्ति पश्चिम एशिया से होती है।	समग्र रूप से, भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2040 तक लगभग दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन क्रूड आयल के बराबर होने की संभावना है।

मुख्य उद्देश्य

- भूवैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण करने योग्य क्षेत्र को 10% से बढ़ाकर 20% करना।
- वर्ष 2023 तक खनन क्षेत्रक की वृद्धि दर को 3% से बढ़ाकर 14% करना।
- वर्ष 2022–23 **तक तेल और गैस के आयात में 10 प्रतिशत की कमी** करना।
- वर्ष 2030 तक घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु तेल और **गैस अन्वेषण क्षेत्र को दोगुना से अधिक** करना। भारत की प्राइमरी एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस के उपयोग को वर्तमान 6.2% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% करना।
- वर्ष 2022–23 में इस क्षेत्र की **रोजगार में हिस्सेदारी** (प्रत्यक्ष, संबद्ध और अप्रत्यक्ष) को मौजूदा 10 मिलियन से बढ़ाकर 15 मिलियन करना।
- तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए धन जुटाने और अतिरिक्त भंडारण टैंक के निर्माण हेतु सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) के **50% हिस्से का वाणिज्यीकरण करना।**

योजना/पहल

- प्रधान मंत्री **उज्ज्वला योजना**, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ **(पहल)।**
- **प्रधान मंत्री जी**–वन (जैव ईंधन–वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना।
- लगभग **34,000 कि.मी.** के अधिकृत नेटवर्क वाले **राष्ट्रीय गैस ग्रिड** का निर्माण।
- **शक्ति** (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आवंटन की योजना)।
- **खनन योजना हेतु सरल अनुमोदन प्रक्रिया और वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए अनुमति।**
- प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और रिफाइनरियों सहित तेल एवं गैस क्षेत्रक के विभिन्न खंडों में 100% FDI की अनुमति।
- **अगले 5 वर्षों में तेल और गैस अवसंरचना पर 7.5 ट्रिलियन का निवेश करना और वर्ष 2030 तक इसकी रिफायनिंग क्षमता को 450–500 मिलियन टन करना।**

बाधाएं

- **कोयला खनन** के लिए भूमि–आवंटन करना प्रमुख मुद्दा है।
- **ओपन कास्ट माइनिंग के विस्तार को प्रोत्साहन** और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला भंडार के बावजूद भी **भूमिगत परिचालन को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति।**
- कोयला बाजार में **सीमित प्रतिस्पर्धा और निजी भागीदारी।**
- इन तीनों क्षेत्रकों में कच्चे माल के लिए **आयात पर अत्यधिक निर्भरता।**
- तेल के पुराने कुओं तथा कम निवेश और विदेशी निवेशकों की कम रुचि के कारण **वित्त वर्ष 2011–12 से घरेलू कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट** आई है।
- **तेल और गैस की बढ़ती कीमतें।**

आगे की राह

- जहाँ तक संभव हो **आयात के स्रोतों में विविधता** लाई जानी चाहिए तथा **इसे सीमित किया** जाना चाहिए।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट को संभव बनाने के लिए** तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत और कोयले को **GST के दायरे में** लाया जाना चाहिए।
- उत्पादन / राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर अन्वेषण–सह–खनन पट्टों के माध्यम से **विस्तृत अन्वेषण** को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।
- **गैर–परिचलानरत तेल और गैस संपत्तियों को कार्यात्मक बनाने के लिए** अनुबंध की शर्तों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसमें आवश्यक **छूट दी जानी** चाहिए।
- छोटे तथा बिखरे हुए तटवर्ती और अपतटीय फील्ड्स से तेल एवं गैस को निकालने **के लिए साझा अवसंरचना** प्रदान करना चाहिए।
- पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पहुंच बढ़ाने के लिए **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

11.3.1. भारत में कोयला क्षेत्रक (Coal Sector in India)

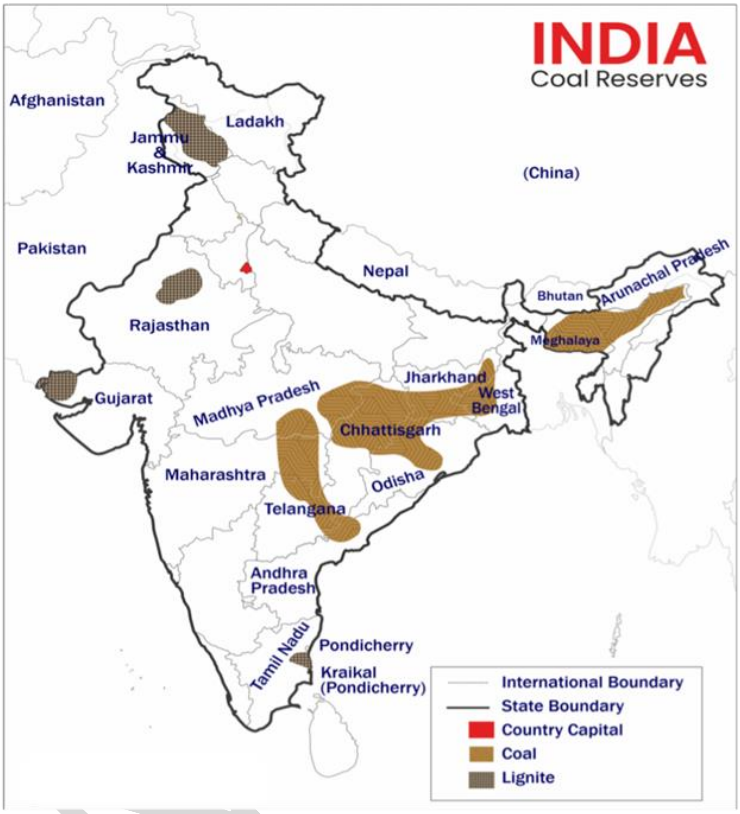

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957**[93] के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी।

भारत में कोयला क्षेत्रक

- **भारत में विश्व का पांचवां** (केवल प्रमाणित भंडार का लेखांकन करने पर) **सबसे बड़ा कोयला भंडार है।** देश में अब तक कोयले के कुल 319.02 अरब टन भू-वैज्ञानिक संसाधनों का अनुमान लगाया गया है।
- **भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।**
- नीति आयोग की प्रारूप राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अनुसार, कोयले की **मांग वर्ष 2030 तक बढ़कर 1.3-1.5 अरब टन की सीमा में रहने की उम्मीद है।**

कोयला क्षेत्रक से संबंधित मुद्दे:

- **विनियामकीय चुनौतियां:** भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास तथा पर्यावरण प्रबंधन के लिए सख्त विनियामकीय ढांचा, कोयले तक पहुँच एवं उसकी निकासी के लिए अनुपालन की लागत बढ़ा देता है।
- **प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग:** भारतीय कोयला खनन क्षेत्रक अभी भी सीमित मशीनीकरण/उपकरणों के साथ अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर खनन से ग्रसित है।
- **आयात पर निर्भरता:** हालांकि, भारत आयात में काफी कमी लाने में सफल रहा है, लेकिन फिर भी वर्ष 2012-13 और वर्ष 2020-21 के बीच, कोयला आयात (मुख्य रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया से) ने माँग के पांचवें हिस्से से कुछ अधिक की ही पूर्ति की है।
- **परिवहन संबंधी चुनौतियाँ:** घरेलू कोयला परिवहन में बाधाएं और उचित सड़क संपर्क की कमी इस चुनौती को और बढ़ा रही है।
- **कोयले में राख की उच्च मात्रा:** यह कोयला उपयोगकर्ताओं के लिए समस्याएं पैदा करता है। इसमें क्षरण, चूर्णन में कठिनाई, अपर्याप्त उत्सर्जनीयता और ज्वाला का तापमान तथा बड़ी मात्रा में अनजले कार्बन से युक्त फ्लाई-ऐश की अत्यधिक मात्रा का सृजन शामिल है।

[93] Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (CBA Act)

- **विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) की खराब वित्तीय स्थिति:** इससे संपूर्ण विद्युत क्षेत्रक में वित्तीय चुनौती पैदा हो गई है। झारखंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों पर कोयला कंपनियों का बड़ा बकाया है।
- **जल संकट में वृद्धि:** कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों को शीतलन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।
- **खनन में सुरक्षा का मुद्दा:** कोयला खनन में दुर्घटनाओं की बात आने पर भारत में विस्फोटकों के उपयोग की तुलना में संस्तर गिरने (या भूमिगत खदानों की छत और दीवारों के गिरना) से होने वाली मौतों का अनुपात अधिक है।

दीर्घकालिक समाधान (Long-Term Solutions)

- **विनियमों का सरलीकरण:** समय पर और सुचारू रूप से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास से संबंधित मुद्दों में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। परियोजनाओं के विनियामकों को सरल करने से समय पर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, उद्योग की भागीदारी में भी वृद्धि होगी।
- **संधारणीय आपूर्ति सुनिश्चित करना:** वर्तमान में, भारत तापीय कोयले के आयात के लिए मुख्य रूप से इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, कोकिंग कोल के आयात के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। इन देशों में नवीन विनियामकीय परिदृश्य मोजाम्बिक, कोलंबिया और अन्य देशों जैसे आपूर्ति के नए स्रोतों की पहचान करने के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **प्रौद्योगिकी विकास: अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों तथा बड़े पैमाने पर आधुनिक भूमिगत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए** कदम उठाए जाने चाहिए। इससे भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों से भी निपटने में मदद मिलेगी।
- **परिवहन और अवसंरचना में सुधार:** भारतीय रेलवे, पत्तन प्राधिकरण और उद्योगों को आवश्यकतानुसार ढांचागत सुविधाओं के विकास की योजना बनाने के लिए निकट सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए।

हाल ही में कोयले की कमी के कारण?

- **मांग में अचानक तेजी: कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद उद्योगों की मांग में तेजी आई है।**
- **बढ़ती गर्मी:** देश का बड़ा हिस्सा प्रचंड गर्मी की चपेट में आने से, ताप विद्युत संयंत्रों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। मई-जून में बिजली की चरम माँग 215-220 गीगावाट (GW) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच जाने की उम्मीद है।
- **कोयले की ऊँची अंतर्राष्ट्रीय कीमत:** यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप आपूर्ति में बाधा के कारण आयातित कोयले की कीमत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इससे आयात में गिरावट आई है। इससे कोयले की कमी हो गई है।
- **विद्युत क्षेत्रक में नकदी प्रवाह की समस्या:** DISCOMs की लागत वसूलने की अक्षमता के परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन कंपनियों का उन पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो गया है। फलस्वरूप, विद्युत उत्पादन कंपनियों ने CIL को भुगतान करने में चूक की है।

हालिया संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए केंद्र ने राज्यों को **25% तक अपने कैप्टिव कोयला भंडार का उपयोग करने की अनुमति दी है।**
- सरकार **ने कोयला ढुलाई करने वाली रेलगाड़ियों की तेज आवाजाही संभव बनाने के लिए कई यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है।** भारतीय रेलवे, अपने बेड़े में 1,00,000 और डिब्बे जोड़ने तथा अपेक्षाकृत तीव्र आपूर्ति के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारा बनाने की भी योजना बना रही है।
- कुछ राज्य **घरेलू और आयातित कोयला मिलाकर स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं।**

11.3.2. शहरी गैस वितरण नेटवर्क {City Gas Distribution (CGD) Network}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के 27 जिलों को कवर करते हुए पांच भौगोलिक क्षेत्रों** में CGD नेटवर्क के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।

CGD नेटवर्क के बारे में

- CGD का तात्पर्य पाइपलाइन के नेटवर्क की मदद से **प्राकृतिक गैस का परिवहन या वितरण** करना है। इसका उद्देश्य घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को साफ रसोई ईंधन ,जैसे- **पाइप युक्त प्राकृतिक गैस या PNG** की आपूर्ति करना है। इसके साथ-साथ गाड़ियों के लिए परिवहन ईंधन, जैसे- **संपीडित प्राकृतिक गैस या CNG** की आपूर्ति करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है।
- **CNG के लाभ:** इसमें कार्बन उत्सर्जन का स्तर बहुत निम्न होता है। उच्च प्रज्वलन तापमान पर भी इसमें आग पकड़ने की संभावना नहीं होती। इसके अलावा, प्रति मील गाड़ी के चलने पर जख्मी और मृत्यु होने की दर भी सबसे कम होती है।
- **PNG के लाभ:** सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति, उपयोग में सुविधाजनक, कोई बर्बादी नहीं, सिलेंडर बदलने या बुक करने की कोई झंझट नहीं, इत्यादि।

CGD नेटवर्क स्थापित करने में आने वाली चुनौतियाँ

- **मांग सृजन से संबंधित समस्याएं:**
    - **गैस आधारित उपकरणों और यंत्रों की कम पहुँच और उपभोक्ताओं की प्राथमिकता:** हालांकि, CGD का अंतिम उत्पाद एक किफायती और सुरक्षित ईंधन है, लेकिन कुछ उपभोक्ता कई कारणों से PNG कनेक्शन का विकल्प नहीं चुनते हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादातर समय, किसी घर में रहने वाले व्यक्ति किराये के आवास में रहते हैं, जो गैस सिलेंडर का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसका कारण उनकी स्थानांतरित होने वाली नौकरी होती है।

CGD नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने **CGD परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा** दिया है। इससे, इन परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता मिल सकती है।
- **लाइसेंस देने के तरीके में बदलाव:** पहले प्राथमिकता वाले ईंधन यानी CNG और PNG के परिवहन के लिए वसूला जाने वाला शुल्क ही लाइसेंस प्रदान करने के लिए एकमात्र आधार था। हालांकि, अब इसका भारांश केवल 10% है। अब तीन प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण को प्राथमिकता दी गयी है। ये तीन क्षेत्र **स्टील पाइपलाइन की लंबाई, CNG स्टेशन** और **घरेलू कनेक्शन** हैं। मार्केट में नेटवर्क की अधिकतम पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है।
- **बोली जीतने वाले भागीदार हेतु प्रोत्साहन:**
    - **आठ सालों तक बाजार का विशिष्ट अधिकार:** अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए, पहले के चरणों की तुलना में इस अवधि को बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। पहले के चरणों में बाजार का विशिष्ट अधिकार सिर्फ पांच वर्षों के लिए मिलता था।
    - **पहले उपयोग का अधिकार:** इससे बोलीदाताओं को एकाधिकार से लाभ प्राप्त करके बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार वे अपने निवेश पर अच्छा लाभ कमा पाते हैं।

- **कई प्रकार की मंजूरियाँ:** इसका कारण ग्राम पंचायत, जिला अधिकारियों, राज्य स्तर की अनुमति की आवश्यकता है। साथ ही, उन अन्य संस्थाओं से भी अनुमति लेनी पड़ती है जिन्होंने जल के उपयोग, टेलीफोन और केबल नेटवर्क के लिए पाइपलाइनें बिछायी हुई हैं।
- **LPG पर सब्सिडी और कम वसूली:** घरेलू PNG को सब्सिडी युक्त LPG के साथ तथा CNG को डीजल के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में 'पुनः गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस' (Regasified Liquefied Natural Gas: RLNG) आधारित CGD को LPG की कृत्रिम रूप से कम कीमत से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
- **प्रतिस्पर्धा में कठिनाई:** घरेलू PNG की प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी युक्त LPG से है।
- **गैस की कीमत तय करने की पद्धति:** भारत में प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने वाले कारक **अन्य देशों की खपत और कीमतों पर निर्भर** हैं। इन कारकों में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, यूरोपीय संघ में प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक खपत और हेनरी हब (HH), नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट (NBP), अल्बर्टा हब तथा रूस में दैनिक कीमतों की वार्षिक औसत शामिल हैं।
- **CGD नेटवर्क में सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ:** एक और चुनौती यह है कि गैस आपूर्ति में रिसाव हो सकता है या पाइपलाइन के टूटने का खतरा रहता है। इसके कारण गैस अनियंत्रित होकर निकलती है। अगर गैस रिसाव को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता या गलत तरीके से इसका निपटान किया जाता है, तो यह गैस लीक खतरनाक साबित हो सकता है।

CGD नेटवर्क का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के तरीके

- **सभी हितधारकों के बीच समन्वय:** इसमें सरकार, PNGRB, ट्रांसपोर्टर और गैस आपूर्तिकर्ता, CGD संस्थाएं और विक्रेता शामिल हैं। परिचालन संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने और आपूर्तिकर्ताओं के लिए कमाई की संभावना बने रहने से आम जनता को निर्बाध सेवा सुनिश्चित होगी।
- **परिचालन और रखरखाव:** शहरी क्षेत्र में CGD प्रणाली तथा नजदीकी क्षेत्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसे बारंबार सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण, व्यवहार आधारित सुरक्षा तथा प्रशिक्षण, नियंत्रण एवं निगरानी गतिविधियों के कार्यान्वयन, जोखिम विश्लेषण आदि द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** मापनीय और डेटा आधारित समाधान से परिचालनकर्ताओं को पीक आवर उपभोग के पैटर्न की पहचान में मदद मिलेगी। इससे, पीक आवर के लिए अलग कीमतें लागू की जा सकती हैं। इससे, ग्राहकों की परिचालन लागत कम होगी, परिचालन सुरक्षा बढ़ेगी और हजारों उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुरक्षित और सस्ती PNG आपूर्ति प्रदान की जा सकेगी।
- **अनुसंधान एवं विकास का वित्त-पोषण: नवोन्मेषी, किफायती व तकनीकी समाधानों** को अपनाना, इस उद्योग के अवसंरचना विकास के लिए जरूरी है। इससे **पाइपलाइन बदलने और खुदाई कार्य की लागत कम होगी।** इस प्रकार समग्र लागत और सेवा में आने वाली बाधाओं में कमी आएगी।

12. व्यापार और नवाचार (Business and Innovation)

12.1. व्यापार नीति (Business Policy)

व्यवसाय नीति – एक नज़र में

- भारत में उदारीकरण के बाद नई कंपनियां, नए विचार, नई प्रौद्योगिकियां और नई परिचालन प्रक्रियाएं विकसित हुईं।
- भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की संख्या पिछले एक दशक में 13 से घटकर 10 हो गई है।
- भारत में व्यवसाय स्थापित करने लिए 2009 में 30 दिन लगते थे, जो अब घटकर 18 दिन हो गए हैं।
- वित्त वर्ष 2022 में अब तक के सबसे अधिक वस्तुओं (421 बिलियन डॉलर) और सेवाओं (254 बिलियन डॉलर) का निर्यात किया गया।
- वित्त वर्ष 2022 में FDI अंतर्वाह 83 बिलियन डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे अधिक अंतर्वाह है।

प्रमुख उद्देश्य

- व्यवसाय-समर्थक नीति की सहायता से **आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देना** और संपदा सृजित करने के लिए **प्रतिस्पर्धी बाजारों** की शक्ति का उपयोग करना।
- निजी हितों के पक्ष वाली **'प्रो-क्रोनी नीति' को समाप्त करना।**
- भारत को **निवेश के अनुकूल बनाना;** ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष आदि जैसे **नए क्षेत्रकों** को बढ़ावा देने के लिए नियमों को उदार बनाना।
- व्यावसायिक प्रक्रियाओं और जलवायु में **पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस** (ESG) मानकों को **एकीकृत** करना।

नीति/योजना/पहल

- **प्रत्यक्ष कराधान सुधार:** मध्यम आकार की कंपनियों के लिए **कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25%** करना, न्यूनतम वैकल्पिक कर से राहत।
- **अप्रत्यक्ष कराधान सुधार,** जैसे- वस्तु एवं सेवा कर (GST)।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 में संशोधन।**
- आसान अनुपालन के लिए **क्षेत्रक विशिष्ट संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार।** साथ ही, उदार नियमों के साथ नए क्षेत्रक को शामिल करना और उनकी संवृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डों और स्वास्थ्य अवसंरचना में **PPP मॉडल अपनाना।**
- **इन्वेस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म:** विदेशी निवेश के लिए वन-स्टॉप समाधान।
- **अन्य सुधार,** जैसे- व्यवसाय सुधार कार्य योजना (2020); भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की परियोजना; कंपनी (CSR नीति) संशोधन नियम, 2021

बाधाएं

- **कानूनी और वैधानिक अनुपालनों संबंधी अनिवार्यता** की बहुलता।
- **निर्माण कार्य परमिट, विवाद समाधान** और अनुबंधों को लागू करने में देरी।
- समग्र व्यावसायिक माहौल में **बुनियादी ढांचे की कमी।**
- मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियां ख़राब होने पर **बाज़ार की विफलता।**
- **बाज़ार की गतिशीलता में अत्यधिक हस्तक्षेप** बाज़ार को गतिहीन और अक्षम बनाता है।
- क्रोनी कैपिटलिज्म, नौकरशाही संबंधी बाधाएं, भ्रष्टाचार, बिखरे हुए बाज़ार, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल असमानता **आदि जैसे मुद्दे।**

आगे की राह

- **क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन (Creative Destruction)** की डिसरप्टिव विचारधारा को अपनाया जा सकता है।
- सभी बाजार सहभागियों के लिए **समान अवसर मुहैया करना।**
- नीलामी जैसे तरीकों के माध्यम से **संसाधनों का बेहतर आवंटन करना।**
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए **संरचनात्मक बदलाव लाना।**
- लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- ESG मानदंडों को प्रभावी रूप से अपनाते हुए लचीलापन लाना।

12.1.1. संधारणीय उद्यम पद्धतियां (Sustainable Business Practices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI)[94] ने भारत में जलवायु कार्रवाइयों के संचालन में **"बिजनेस रिस्पॉन्सबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR)"** की भूमिका पर **CoP26 (ग्लासगो)** में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था।

उद्यम उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट या BRSR के बारे में

- **वैश्विक स्तर पर निवेशकों के बढ़ते दबाव** के कारण, विनियामकों द्वारा **कंपनियों के लिए** यह **अनिवार्य** किया जा रहा है, कि वे वैश्विक स्तर पर **संधारणीयता से संबंधित अपने प्रदर्शन रिपोर्ट** का प्रकटीकरण करें। उदाहरणस्वरूप- यूरोपियन यूनियन ने 500 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कंपनियों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और अभिशाशन (ESG)[95] संबंधी रिपोर्ट का प्रकटीकरण करना अनिवार्य कर दिया है।
- **संधारणीय प्रदर्शन (Sustainability performance)** या **ESG संबंधी प्रकटीकरण** या **BRSR** के भारतीय संस्करण को मई 2021 में सेबी द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों के लिए **अनिवार्य वित्तीय प्रकटीकरण के साथ गैर-वित्तीय मापदंडो** पर अतिरिक्त **प्रकटीकरण** को सुनिश्चित करना है।

BRSR और इसके सिद्धांत क्या हैं?

- **सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015**[96] के अंतर्गत BRSR में **पर्यावरण (E**nvironment**), सामाजिक (S**ocial**) और अभिशासन (G**overnance**)** से संबंधित **आवश्यक (अनिवार्य) और नेतृत्व (स्वैच्छिक) संबंधी प्रकटीकरण** शामिल हैं।
- वर्तमान में, **कुछ कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से** इससे संबंधित रिपोर्ट का प्रकटीकरण किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप, हाल ही में, इंडिगो, ESG रिपोर्ट के माध्यम से संधारणीय उड्डयन के अपने प्रयासों को प्रकट करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गयी है।
- BRSR में **नौ सिद्धांतों शामिल हैं।** यह तीन खंडों, यथा- **सामान्य प्रकटीकरण, प्रबंधकीय प्रकटीकरण** और **प्रणाली-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण**[97] में विभाजित है। यह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग कर **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और लोगों** पर कंपनियों के प्रभावों का मापन करेगा। साथ ही, इससे संधारणीयता में कंपनी के योगदान के संबंध में उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कंपनी के लिए **साख भी सृजित** होगी।

मुख्य निष्पादन सूचकांक

पर्यावरणीय	सामाजिक	कॉर्पोरेट गवर्नेंस
GHG उत्सर्जन	CEO भुगतान अनुपात	बोर्ड भिन्नता
ऊर्जा एवं उत्सर्जन गहनता	लिंग डाइवर्सिटी या भिन्नता	बोर्ड निर्भरता
अपशिष्ट प्रबंधन	जेंडर पे या लिंग भुगतान अनुपात	नैतिकता, और भ्रष्टाचार–रोधी
जल उपयोग	वैश्विक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	डेटा निजता
जलवायु खतरे का शमन या उसे कम करना, आदि	मानव अधिकार इत्यादि	खुलासे की प्रथाएं, इत्यादि

[94] Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

[95] Environment, Social and Governance

[96] SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

[97] Principle-wise performance disclosures

उद्यम उत्तरदायित्व (Business Responsibility) और संधारणीय पद्धतियों (Sustainability Practices) की आवश्यकता क्यों है?

- यह जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध कंपनी के अनुकूलन और शमन प्रयासों के माध्यम से **व्यापार में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।**
- यह कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल और संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर स्थायी अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। यह भारत के लिए वर्ष 2070 तक अपने **निवल शून्य यह नेट ज़ीरो लक्ष्य** को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- यह सभी कंपनियों और क्षेत्रकों की तुलना के माध्यम से भावी जोखिमों की पहचान कर हितधारकों, विशेष रूप से निवेशकों के लिए **दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।**
    - उदाहरणस्वरूप. बैंक **हरित जमाओं (Green Deposits)** पर निवेश के निर्णय ले सकते हैं। हरित जमा का आशय पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी परियोजनाओं और पहलों में निवेश की जाने वाली मियादी जमा (term deposits) से है।

संधारणीयता की रिपोर्टिंग हेतु प्रमुख वैश्विक मानक

- **GRI मानक:** यह मानक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) द्वारा प्रदान किया गया है। यह एक स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **संधारणीयता लेखांकन मानक बोर्ड (SASB)[98]:** इसका प्रबंधन वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
- **ISO 26000 मानक:** इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रदान किया गया है। यह एक स्वतंत्र गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट:** यह सार्वभौमिक संधारणीयता सिद्धांतों पर आधारित, विश्व की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेट संधारणीयता पहल है।

- **वैश्विक संधारणीय निधियों में पूंजी** की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह आवश्यक **पूंजी तक पहुँच को बढ़ाएगा।**
- यह सामाजिक रूप से उत्तरदायी उद्यम पद्धतियों के माध्यम से **भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगा।**
- यह पारदर्शिता व विविधता में सुधार के माध्यम से **कॉरपोरेट अभिशासन को मजबूत बनाएगा।**

भारत में उद्यम उत्तरदायित्व और संधारणीय पद्धतियों को अपनाने के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **रिपोर्टिंग संबंधी मानक एवं फ्रेमवर्क: क्षेत्रकों** और **मानकों** की बहुलता के कारण एकल फ्रेमवर्क की सहायता से सभी कंपनियों के लिए एक ही मानदंड को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- **अनुपालन संबंधी जोखिम:** निकट भविष्य में, संगठनों द्वारा **गुणात्मक** और **मात्रात्मक** मानकों का अनुपालन करना निम्नलिखित मुद्दों के कारण चुनौतीपूर्ण होगा:

[98] Sustainability Accounting Standards Board

- ESG से संबंधित डेटा को एकत्र करने, उसकी निगरानी करने और उसे रिपोर्ट करने में आने वाली **लागत संबंधी जोखिम**।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **तकनीकी और योग्य पेशेवरों की सीमित उपलब्धता**।
- संक्रमण, संपत्ति सबंधी जोखिम (जलवायु परिवर्तन के कारण) और प्रतिष्ठा के कारण कुछ व्यवसायों/उद्यमों को कम कार्बन अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंडों को पूरा करने हेतु **संधारणीयता संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ता है।**

- **मानदण्ड का अभाव (Lack of Benchmarks):** प्रदर्शन संबंधी संकेतकों के संबंध में मानदण्ड के अभाव के कारण कंपनियों और हितधारकों को ऐसे प्रकटीकरण के प्रति समझ विकसित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही,
- **ग्रीनवाशिंग (Greenwashing):** यह एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ कोई कंपनी या संस्था ESG को बढ़ावा देने के संबंध में गलत या मिथ्या जानकारी प्रकट करती है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे विपरीत होती है या दावों को गलत साबित करती है।
- **नेतृत्व संबंधी समस्या:** हाल ही में, यस बैंक और IL&FS आदि में कंपनी के अभिशासन में हुई चूक, नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को उजागर करती है। यह चूक केवल स्वयं या शेयरधारकों के संकीर्ण स्वार्थ को दर्शाती है।
- **व्यापक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** यह पूंजी की अनुपलब्धता, अप्रचलित तकनीक का इस्तेमाल, और जांच या संवीक्षा से बचने के लिए अनौपचारिक बने रहने संबंधी व्यावहारिक मुद्दों को दर्शाता है।

आगे की राह

कोविड-19 वैश्विक महामारी ने एक **संधारणीय भविष्य** के लिए लोगों, ग्रह और समृद्धि का एक साथ संरक्षण करने के महत्व को उजागर किया है। BRSR, **विनियामक प्रतिबंधों** के माध्यम से इस दिशा में पहला कदम है। निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से कॉर्पोरेट भारत को इसे **अपनाने** और इसका **अनुपालन** करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है:

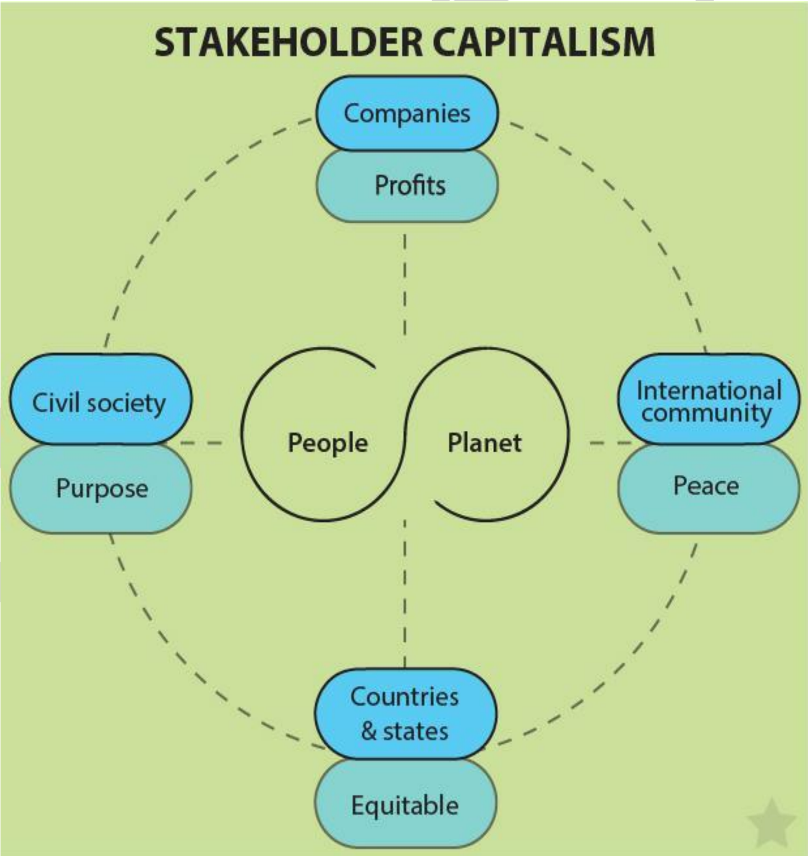

- **अपने सभी हितधारकों के हितों और व्यापक पैमाने पर समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए** हितधारक पूंजीवाद (stakeholder capitalism) को बढ़ावा देना (चित्र देखें)।
- **व्यापक प्रकटीकरण:** अन्य हितधारकों के लिए कार्रवाई की पुष्टि करने हेतु डेटा ट्रेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक प्रकटीकरण की राह चुनना।
- **हितधारकों की भागीदारी में वृद्धि करके उनकी क्षमता निर्माण करना**, ताकि वे वित्तीय अनुपालन और परिचालन संबंधी प्रभाव की जांच कर सकें।
- कार्यबल, तकनीक तथा डेटा को एकत्र और निगरानी करने वाली पद्धतियों को विकसित करने के लिए संधारणीय रिपोर्टिंग में **शोध को बढ़ावा देना**।
- प्रकटीकरण पर अधिक पारस्परिकता और संदर्भों के आदान-प्रदान (cross-referencing) के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना**।
- पूंजी और संधारणीय भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के साथ **अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को बढ़ाना देना**।
- इससे संबंधित न केवल **जोखिमों** के बारे में बल्कि **इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों** के बारे में भी **जागरूकता बढ़ाना**।
- **संधारणीयता को कंपनी और उसके नेतृत्व के विज़न तथा मिशन के दृष्टिकोण में शामिल करने के साथ-साथ** कारोबारी रणनीति का भी हिस्सा बनाना चाहिए।

12.1.2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे CSR के एक नए फॉर्म **CSR-2** में अपनी **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर एक व्यापक रिपोर्ट** प्रस्तुत करें।

वित्त वर्ष 2021 में CSR खर्च से संबंधित मुख्य तथ्य

- कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021 में CSR पर **कुल 8,828 करोड़ रुपये** खर्च किये। यह **महामारी पूर्व** वित्त वर्ष 2020 में खर्च किये गए 24,689 करोड़ रुपये का लगभग **एक तिहाई** था।
- एक वर्ष पहले की तुलना में, 2020-21 में वार्षिक आधार पर CSR गतिविधियों में शामिल कंपनियों की संख्या में **लगभग 93% की गिरावट** आई है।
- वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा संचालित फर्मों का संयुक्त व्यय CSR गतिविधियों पर खर्च की गई **कुल राशि का मात्र 6% था,** जबकि निजी फर्मों का योगदान 94% था।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में

- CSR एक प्रबंधन संबंधी अवधारणा है। इसके तहत कंपनियां अपने **व्यवसाय के परिचालन एवं अपने हितधारकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया में सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को एकीकृत करती हैं।**
- इन कंपनियों को अपने **पिछले तीन वित्तीय वर्षों की राशि के औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2%** CSR गतिविधियों पर खर्च करना जरूरी है।
- **जिन क्षेत्रों में काम करने का सुझाव दिया गया है,** उनमें (**अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार**) अन्य क्षेत्रों के अलावा निम्नलिखित क्षेत्र भी शामिल हैं: **भुखमरी, गरीबी और कुपोषण** का उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, **पर्यावरणीय संधारणीयता** सुनिश्चित करना, **राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति** की सुरक्षा, ग्रामीण विकास परियोजनाएँ और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का विकास।

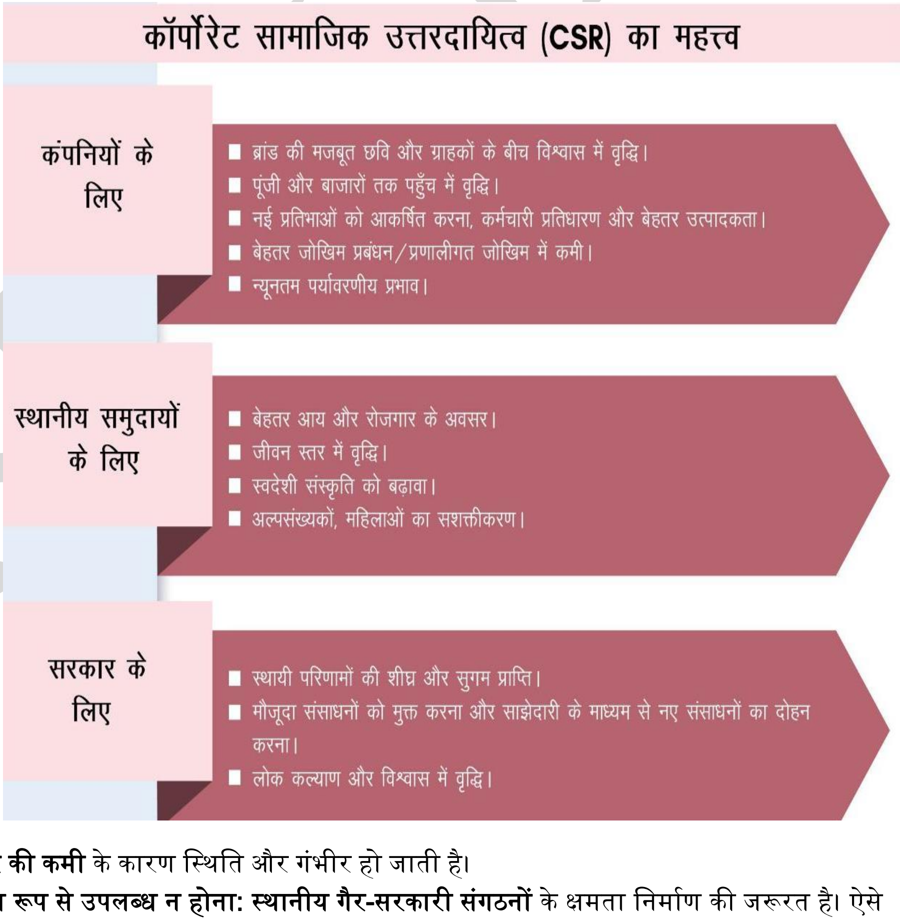

CSR की चुनौतियाँ

- **समग्र दृष्टिकोण का अभाव:** अभी भी कंपनियों के बीच CSR को लेकर एक **संकीर्ण धारणा** पाई जाती है। वे यह समझने में विफल रहती हैं कि **CSR का प्रभाव कंपनी के अधिकांश हितधारकों** पर पड़ता है। यह समग्र रूप से **समाज और पर्यावरण** दोनों को प्रभावित करता है।
- **सामुदायिक भागीदारी का अभाव:** CSR गतिविधियों में भाग लेने और योगदान करने में स्थानीय समुदाय की **रुचि की कमी** है। इसका मुख्य कारण स्थानीय समुदायों के बीच **CSR संबंधी जानकारी का कम या बिल्कुल नहीं होना** है।
    - जमीनी स्तर पर **कंपनी और विभिन्न समुदायों के बीच संचार की कमी** के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है।
- **स्थानीय स्तर पर क्षमताओं का पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होना: स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों** के क्षमता निर्माण की जरूरत है। ऐसे प्रशिक्षित और कुशल संगठनों की व्यापक कमी है, जो कंपनियों द्वारा शुरू की गई CSR गतिविधियों में प्रभावी रूप से योगदान दे सकें।
- **क्षेत्रीय असमानता:** कंपनियों द्वारा खर्च किये गए CSR फंड की एक **मामूली राशि** ही छोटे और दूरदराज के राज्यों को प्राप्त होती है, जबकि **बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों को** इससे सर्वाधिक लाभ होता है।

- **खर्च में विषमता:** वित्त वर्ष 2021 में, सभी CSR खर्चों का **दो-तिहाई हिस्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल** पर खर्च किया गया। कंपनियों ने पारंपरिक रूप से अस्पतालों और स्कूलों जैसे **भौतिक ढांचे का निर्माण** करना अधिक पसंद किया है, क्योंकि वस्तुतः ये ठोस निर्माण होते हैं। इसके अलावा, **इससे उनकी ब्रांडिंग** भी हो सकती है।

आगे की राह

- **सरकार और कॉरपोरेट जगत के बीच सहयोग:** त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, प्रशासन और कॉरपोरेट जगत के बीच **आपसी सहयोग** बहुत आवश्यक है। इससे प्रत्येक पहल के **अपेक्षित परिणामों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।**
- **प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का उपयोग करना:** यह आवश्यक है कि सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के निवारण के लिए कार्यान्वयन के **पारंपरिक तरीकों** की बजाय प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को अपनाया जाए। इससे, CSR गतिविधियों का **दायरा बड़ा होगा, समय कम लगेगा, और उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा।**
- **मीडिया और लोगों की सक्रिय भागीदारी: सफल CSR पहलों के उत्कृष्ट मामलों पर प्रकाश डालने** में मीडिया की भूमिका का स्वागत किया जाता है, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है और कंपनियों द्वारा संचालित विभिन्न CSR पहलों के बारे में **स्थानीय आबादी को संवेदनशील बनाने** में मदद मिलती है।
    - साथ ही, इससे **व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी (ISR)** का विचार धीरे-धीरे विकसित होगा।
- **इंजेती श्रीनिवास** की अध्यक्षता वाली **उच्च स्तरीय समिति** ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:
    - CSR लागू होने की **सीमा** को MCA के दायरे में आने वाली **सीमित देयता भागीदारी (LLP) कंपनियों** के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत **बैंकों तक** विस्तारित किया जाए।
    - सार्वजनिक उद्देश्य के लिए परिसंपत्ति के निर्माण के समय कंपनियों को साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका स्वामित्व **जनता के पास रहना चाहिए** और कंपनी **इसे संचालित करने तथा इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संरक्षक** के रूप में कार्य कर सकती है।
    - एक बोर्ड ऑफ कंपनी गठित की जानी चाहिए जो **कार्यान्वयन एजेंसी की विश्वसनीयता** का पता लगाए और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करे। CSR गतिविधियों को संपन्न करने के लिए IAs को **MCA के साथ पंजीकृत** किया जाए।
    - CSR **परियोजनाओं को डिजाइन करने, उनकी निगरानी और उनके मूल्यांकन** के साथ-साथ CSR-योग्य कंपनियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के **क्षमता निर्माण** के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साझेदार के तौर पर शामिल किया जा सकता है।
    - **बोर्ड ऑफ कंपनी** अगर चाहे, तो वह एक CSR पेशेवर को नियुक्त कर सकता है और सरकार ऐसे पेशेवरों के लिए **पात्रता मानदंड** निर्धारित कर सकती है।

व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी (Individual Social Responsibility: ISR)

- ISR का अर्थ हमारी जागरूकता से है कि हमारे कार्य पूरे समुदाय को कैसे प्रभावित करते हैं।
- यह व्यक्तियों को उनके कार्यों में अधिक जिम्मेदार बनाने से संबंधित है। उनके ये कार्य समुदाय, नजदीकी परिजनों और मित्रों को प्रभावित करते हैं।
- **इसमें स्वेच्छा से अपना समय देना, धन लगाना** और दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले **मुद्दों के लिए उपस्थित होना** शामिल हो सकता है।

VISION IAS

12.2. नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship)

नवाचार और उद्यमिता – एक नज़र में

- भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2021 में 131 देशों में 46वां स्थान प्राप्त हुआ।
- भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में 43वां स्थान प्राप्त हुआ।
- 2020-21 में पेटेंट आवेदन (58,502) और उनकी स्वीकृति की संख्या (28,391) बढ़ गई, जो 2010-11 में क्रमशः 39,400 और 7,509 थी।
- भारत अभी भी नवाचार के मामले में पीछे है। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.66% है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.8%, इज़राइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है।
- विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम भारत का है। साथ ही, 95% उद्यमशील प्रतिष्ठान लघु उद्यमों के रूप में स्थापित हैं।

मुख्य उद्देश्य

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए **नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना।**
- विभिन्न हितधारकों के लिए **मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना।**
- देश के नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र की देखरेख के लिए **एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर** का निर्माण करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में **उद्यमिता** संस्कृति का निर्माण करना और संपदा सृजन एवं रोजगार के लिए **तकनीकी उद्यमिता** को बढ़ावा देना।

नीति/ योजना/ पहल

- राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति **(STIP)**, 2020
- **नवाचार और उद्यमिता के लिए योजनाएं,** जैसे– मेक इन इंडिया, नए भारत के नवाचारों का त्वरित विकास (Accelerating Growth of New India's Innovations: AGNIi), उच्चतर आविष्कार योजना, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म।
- अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित लगभग 9,000 **अटल टिंकरिंग लैब्स।**
- नवाचार, इन्क्यूबेशन और प्रोत्साहन द्वारा उद्यमशील मानसिकता को बढ़ावा देने हेतु **स्टार्ट–अप इंडिया।**
- विज्ञान आधारित डीप–टेक स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन्स, मार्केट–रेडीनेस – एंटरप्रेन्योरशिप (AIM-PRIME)।
- भारत के नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने और MSME को चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करने हेतु **MSME इनोवेटिव स्कीम।**
- **नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA):** नवाचार और उद्यमिता विकास संकेतकों पर सभी प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान करना।

बाधाएं

- श्रमबल की कमी के कारण **पेटेंट प्रदान करने में देरी।**
- **IPR नीतियों में निरंतर बदलाव** के कारण उद्यमिता एक जोखिम भरा विकल्प बनता जा रहा है।
- मध्यम वर्ग में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, टैलेंट एक्सपोर्ट या ब्रेन–ड्रेन की समस्याएं।
- **वित्तीय और गैर–वित्तीय बाधाएं,** जैसे– वित्त तक पहुंच, ऋण सुविधाओं की कमी, कुशल टीम की कमी, गलत पूर्वानुमान, सामाजिक बाधाएं आदि।
- स्टार्ट–अप के लिए **सार्वजनिक रूप से सुलभ कोई भारतीय पेटेंट डेटाबेस नहीं है।**
- नवाचारों की **वृद्धिशील और नॉन–डिसरप्टिव (Non-Disruptive) प्रकृति।**
- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों पर कम ध्यान तथा **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच कमजोर लिंकेज।**

आगे की राह

- IPRs पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में **IP संस्कृति में सुधार** लाना और जालसाजी रोधी, ट्रेड सीक्रेट, IP परिसंपत्तियों के उपयोग, AI आविष्कार और शैक्षिक कॉपीराइट जैसे मुद्दों पर **कानून बनाना।**
- **रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह के लिए नवाचार, आर्थिक गतिविधि और IPR के बीच के अंतराल को कम करना।**
- अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय कर नवाचार क्षमता का निर्माण करना; कौशल, प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा में निवेश कर मानव पूंजी का विकास करना।
- सहायक नीतियों, ICT बुनियादी ढांचा, अनुसंधान प्रणाली आदि की सहायता से नवाचार के माहौल **को सक्षम बनाना।**
- **उद्यमियों और नवोन्मेषकों का मार्गदर्शन देना।**
- **आर्थिक जोखिम उठाने और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।**

12.2.1. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (Startup Ecosystem in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न अर्थात् **1 बिलियन डॉलर** से अधिक कीमत वाले स्टार्ट-अप के साथ बढ़ते स्टार्ट-अप पारितंत्र का उल्लेख किया है।

स्टार्ट-अप क्या है?

- स्टार्ट-अप किसी **कंपनी के संचालन की प्रारंभिक अवस्था** को संदर्भित करता है, जो **विचारों और नवाचारों**, जोखिम लेने एवं कुछ नया कर सकने की भावना से प्रेरित होता है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में **स्टार्ट-अप इंडिया पहल** की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप्स की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा भारत में नवाचार और स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण करना है।
- स्टार्ट-अप इंडिया के तहत, **स्टार्ट-अप्स को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)**[99] द्वारा चित्र में दिए गए मानदंडों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

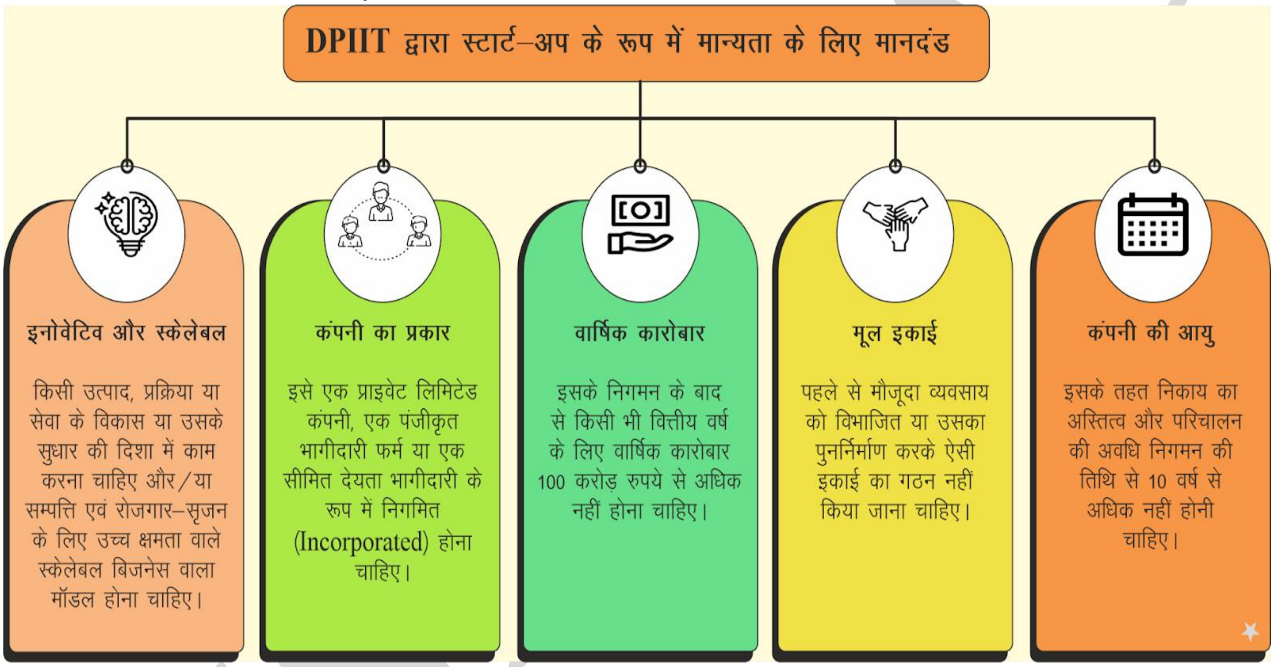

भारत का स्टार्ट-अप पारितंत्र

- **वृहद आकार:** विश्व स्तर पर, भारत में दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र** है, जिसमें **58,000** से अधिक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं, जिनमें **70+ यूनिकॉर्न** शामिल हैं, जिनका संचयी मूल्यांकन (cumulative valuation) **200 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक है।
- **विविध प्रवृत्ति:** इनमें से लगभग **40% टियर- II और टियर- III शहरों में** हैं। साथ ही **630 जिलों में कम से कम एक स्टार्ट-अप एवं उनमें से 46% में कम से कम एक महिला निदेशक** है।
- **तकनीकी वृद्धि में बढ़ोतरी:** भारत **टेक स्टार्ट-अप के लिए** दूसरा सबसे बड़ा पारितंत्र है, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी केंद्रित स्टार्ट-अप की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये स्टार्ट-अप **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** आदि जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।
- **तीव्रता से बढ़ता पारितंत्र:** भारतीय स्टार्ट-अप पारितंत्र वर्ष दर वर्ष 15% की औसत वृद्धि दर से बढ़ रहा है। साथ ही, भारतीय स्टार्ट-अप पारितंत्र **गतिशील और सशक्त पारितंत्र** के रूप में भी विकसित हुआ है। इसमें नवाचारकों और उद्यमियों की मदद करने के लिए स्टार्ट-अप मेंटर्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर आदि का एक बड़ा नेटवर्क भी शामिल है।

[99] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

स्टार्ट-अप और उसके पारितंत्र को मजबूत करने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदम:

- **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (Startup India Seed Fund Scheme: SISFS):** अगले 4 साल (2021-22 से शुरू) के लिए 300 इन्क्यूबेटरों के माध्यम से 3,600 उद्यमियों को प्रारंभिक चरण की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **₹945 करोड़ का फंड** उपलब्ध कराया गया है।
- **स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना (FFS):** स्टार्ट-अप्स को शुरुआती अवस्था में एवं विकास की अवस्था में सहायता देने के लिए **₹10,000 करोड़** के फंड का निर्माण किया गया है। DPIIT इस **FFS** के लिए निगरानी एजेंसी तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) संचालन एजेंसी है।
- **खरीद में सुगमता:** स्टार्ट-अप के लिए **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM पोर्टल)** पर पहुँच प्रदान करने हेतु सार्वजनिक खरीद में पूर्व टर्नओवर और अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
- **भारतीय स्टार्ट-अप्स तक अंतर्राष्ट्रीय पहुँच:** स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार से सरकार की भागीदारी द्वारा भारतीय स्टार्ट-अप्स को वैश्विक स्टार्ट-अप पारितंत्र के साथ जोड़ना है। इससे भारतीय स्टार्ट-अप्स को वैश्विक बाज़ार तक पहुँच और आवश्यक ज्ञान अर्जन में मदद मिलेगी।

- स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) के माध्यम फास्ट-ट्रैक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके **बौद्धिक संपदा का पता लगाने के लिए समर्थन**।
- **स्टार्ट-अप्स के लिए तेज़ निकास** (अन्य कंपनियों के लिए 180 दिनों की तुलना में स्टार्ट-अप के लिए केवल 90 दिनों के भीतर)।

स्टार्ट-अप पारितंत्र और स्टार्ट-अप्स के समक्ष चुनौतियां / सीमाएं

- **मेंटरशिप और सहयोग से जुड़ी समस्याएं:** इसके लिए उद्योग के साथ अकुशल लिंकेज, व्यवसाय/ बाजार से संबंधित अनुभव की कमी तथा योग्य कामगारों की कम उपलब्धता जैसे मुद्दे उत्तरदायी हैं।
- **स्टार्ट-अप्स के लिए अपर्याप्त धन:** इसके लिए वेन्चर कैपिटलिस्ट और ऐन्जल निवेशकों के संबंध में एक कुशल फ्रेमवर्क का अभाव तथा भारतीय बाज़ारों की जोखिम लेने से बचने की प्रवृति उत्तरदायी है।
- **राजस्व जुटाने संबंधी कठिनाईयां:** इसके लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भारत की अत्यधिक विविधता और डिजिटल डिवाइड तथा इन्क्यबेशन में लगने वाली एक निश्चित अवधि उत्तरदायी है।
- **केंद्रीकृत सहयोगी अवसंरचना:** इसके तहत स्टार्ट-अप्स के परिचालन में सहायता देने वाले प्रौद्योगिकी पार्क, लॉजिस्टिक उपलब्धता, व्यावसायिक विकास केंद्रों आदि का महानगरों में अधिक संकेन्द्रण है।
- **नौकरशाही संबंधी परेशानियाँ:** इसमें विनियामकीय अनुपालन, जटिल श्रमिक कानून आदि शामिल हैं। साथ ही, उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्रिप्टोकरेन्सी के संबंध में अस्पष्ट स्थिति भी स्टार्ट-अप्स की संवृद्धि प्रक्रिया को जटिल बना देती है।
- **बिजनेस मॉडल से जुड़े मुद्दे:** कुछ स्टार्ट-अप्स के बिजनस मॉडल दीर्घावधि में प्राप्त होने वाले परिणामों पर केन्द्रित होते हैं। इससे वर्तमान में वें बहुत कम या लगभग न के बराबर राजस्व सृजन कर पाते हैं।

आगे की राह:

- **नीति संबंधी सुधार:** नीतिगत सुधार लाकर स्टार्ट-अप्स के लिए सकारात्मक अवसरों के माध्यम से उनमें विश्वास को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में स्टार्ट-अप्स को लेकर अभी भी स्पष्ट सरकारी नीतियों का अभाव है।
- **संरचनात्मक परिवर्तन:** स्टार्ट-अप्स के लिए संस्थागत पारित्र को मजबूत {इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तकनीकी स्टार्ट-अप्स के लिए समृद्ध (SAMRIDH) योजना} किया जाना चाहिए। इससे समस्त भारत में स्टार्ट-अप्स से संबंधित अवसंरचना सुनिश्चित हो सकेगी।
- **नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन:** प्रभावकारी समाधानों को सुनिश्चित करने के लिए नए उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को शिक्षा में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए।
- **उद्योग-अकादमिक लिंकेज को मजबूत करना:** इसके तहत क्षेत्रीय, लैंगिक, जातिगत या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में उद्यमिता को अधिक समावेशी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना या दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (DICCI) जैसे संस्थानों को मजबूत करना।
- **कठिनाई के समय से उबरने में मदद:** इसके तहत एक्सेलरेटर्स नेटवर्क को व्यापक करते हुए नौकरी खो चुके सॉफ्टवेयर पेशेवरों को नौकरियों प्रदान की जा सकती हैं। साथ ही, राजस्व में कमी और कोविड-19 समस्याओं का सामना कर रहे संबंधित स्टार्ट-अप्स को भी इससे सहायता मिल सकेगी।
- **घरेलू निवेश:** भले ही स्टार्ट-अप्स में 100% FDI की अनुमति है, किंतु भारत को घरेलू स्तर पर भी अधिक निवेश को सुनिश्चित करने की जरूरत है। इससे भारत में जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा तथा इसके परिणामस्वरूप मूल्यवान स्टार्ट-अप्स का निर्माण संभव हो सकेगा।

12.3. बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights: IPR)

बौद्धिक संपदा अधिकार – एक नज़र में

IPRs व्यक्तियों द्वारा अपनी **बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके सृजित रचनात्मकता** पर दिए गए **कानूनी अधिकार** होते हैं। इनमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र शामिल होते हैं। इसके तहत रचनाकार को एक निश्चित अवधि के लिए रचना के उपयोग पर अनन्य अधिकार प्राप्त हो जाता है।

ये अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 27 में उल्लिखित हैं।

भारत में IPRs से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रशासन के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) नोडल विभाग है। यह विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में भारत की रैंकिंग में 35 स्थान का सुधार हुआ है। यह वर्ष 2015-16 में 81वें स्थान पर था, और 2021 में 46वें स्थान पर आ गया।

IPRs की आवश्यकता क्यों?

- यह FDI **को आकर्षित** करते हुए अनुसंधान और विकास के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देता है। इससे 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार होता है।
- यह रचनाकार की अनुमति के बिना **प्रतिस्पर्धियों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा** उसकी बौद्धिक संपदा के उपयोग या दुरुपयोग को रोकता है।
- **इससे उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ावा मिलता है**, नकली और पायरेटेड वस्तुओं से उनकी सुरक्षा होती है। खरीदी गई वस्तु या सेवा की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए तथ्यों पर आधारित विकल्पों के चयन में उपभोक्ता को सहायता मिलती है।

IPRs से संबंधित मुद्दे

- **विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में मौजूद पारंपरिक ज्ञान**, पेटेंट की पहुंच से बाहर है। इसका कारण जागरूकता की कमी और कानूनों में एकरूपता का अभाव है।
- IPR **के कमजोर प्रवर्तन** के कारण नकल करने वालों और उल्लंघनकर्ताओं को रोकने में असफलता मिलती है। इससे व्यापार, अनुसंधान और विकास में निवेश तथा देश की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बाधा आती है।
- **'प्रोडक्ट पेटेंट'** की व्यवस्था से एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है। TRIPS का एक पक्षकार होने के नाते, भारत को प्रक्रिया पेटेंट (Process Patent) से उत्पाद पेटेंट (Product Patent) की व्यवस्था को अपनाना पड़ा। इसका समाज के गरीब तबके पर बहुत बड़ा असर पड़ा है।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग** (CL): कभी-कभी संगठन CL का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए-इंडोनेशिया ने पेटेंट धारकों से संपर्क किए बिना 9 पेटेंट दवाओं के लिए CL प्रदान कर दिया।
  - CL के तहत कोई सरकार पेटेंट मालिक की सहमति के बिना **किसी और को पेटेंट उत्पाद या पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देती है**। सरकार उस पेटेंट-संरक्षित आविष्कार का खुद भी उपयोग कर सकती है।

IPRs में सुधार के लिए किए गए उपाय

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016: इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा के सभी रूपों, संबंधित कानूनों और एजेंसियों के बीच तालमेल बनाना और उसका दोहन करना है।
- **सेल फॉर IP प्रमोशन एंड मैनेजमेंट (CIPAM)**: इसे DPIIT के तत्वावधान में राष्ट्रीय IPR नीति के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए 2016 में गठित किया गया था।
- **ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)**: इसे भारतीय पारंपरिक औषधीय ज्ञान की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में इस ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया था।
- **पेटेंट से संबंधित कानून का निर्धारण**: भारत का पेटेंट अधिनियम 1970; पेटेंट नियम, 2003; पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005; और पेटेंट संशोधन नियम, 2016

आगे की राह

- **विधायी ढांचा**: ऐसे मजबूत और प्रभावी IPR कानूनों की आवश्यकता है, जो व्यापक जनहित और IPR धारकों के हितों को संतुलित कर सकें।
- **मानव पूंजी विकास**: IPRs में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन, संस्थानों तथा क्षमताओं को मजबूत करते हुए उन्हें विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता**: समाज के सभी वर्गों के बीच IPRs के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है।
  - देश में IPR सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। इसमें MSMEs, छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों की जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- राज्य सरकारों की भागीदारी: राज्य सक्रिय रूप से निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-
  - IPRs के महत्व पर लोगों को संवेदनशील बनाने वाली नीतियां विकसित करना,
  - शिक्षण संस्थानों में नवाचार को प्रोत्साहित करना,
  - राज्य स्तरीय नवाचार परिषदों की स्थापना करना,
  - IPR कानूनों को लागू करना और IP से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाना।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

परिशिष्टः प्रमुख आंकड़े और तथ्य

रोजगार और कौशल विकास

रोजगार	⊖ **श्रम बल**: श्रम बल भागीदारी दर 41.6% रही। (PLFS 2020-21) ➙ **लगभग 52 करोड़ श्रमिक** मिलकर भारत के कार्यबल का निर्माण करते हैं। ⊖ **बेरोजगारी**: कार्यशील रोजगार की तलाश के बावजूद 4.2% कार्यबल बेरोजगार है। ⊖ **कृषि**: कृषि में 46% श्रमिक कार्यरत हैं। ⊖ **गिग इकॉनमी**: वर्ष 2020–21 में 77 लाख कर्मचारी (कुल कार्यबल का 1.5%) गिग इकॉनमी में कार्यरत था।
कौशल विकास	⊖ **प्रशिक्षित कार्यबल**: वर्ष 2019–20 में, भारत के 542 मिलियन कार्यबल में से केवल 73 मिलियन ने ही किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ➙ भारत में केवल 5% कार्यबल औपचारिक रूप से कुशल है, जबकि अमेरिका में 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% कार्यबल औपचारिक रूप से कुशल हैं। ⊖ **जनसांख्यिकीय लाभांश**: भारत ने वर्ष 2018 से वर्ष 2055 तक चलने वाली **37 वर्षों की लंबी जनसांख्यिकीय लाभांश अवधि** में प्रवेश किया है। ⊖ कम रोजगार वाले शिक्षित लोगों की **संख्या अभी भी कम** है। **इंडिया स्किल रिपोर्ट, 2021** के अनुसार यह केवल 45.9% है। ⊖ **लक्ष्य**: NSDM के तहत वर्ष 2022 तक **40 करोड़** भारतीयों को प्रशिक्षित करना।

आर्थिक और समावेशी विकास

आर्थिक संवृद्धि	⊖ GDP: **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** (NSO) ने वर्ष 2021–22 के लिए GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया था। इसमें GDP संवृद्धि दर 9.2% आंकी गई थी। ⊖ **अंतराल प्रभाव**: सकल घरेलू उत्पाद का संशोधित अनुमान (सबसे सटीक GDP डेटा) लगभग 3 साल पीछे है।
गरीबी की स्थिति और असमानता	⊖ **भारत में गरीब**: भारत में **364 मिलियन** लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ⊖ **अत्यधिक गरीबी**: भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट (वर्ष 2011 में 22.5% से वर्ष 2019 में 10.2%) हुई है। ⊖ **वैश्विक परिदृश्य**: विश्व के **दो तिहाई** गरीब संघर्ष प्रभावित देशों में रहते हैं। ⊖ OECD **देशों में सबसे अमीर 10% लोगों और सबसे गरीब 10% लोगों** के बीच आय असमानता **1980 के दशक के मध्य के 7.2 गुना से बढ़कर वर्ष 2013 में 9.6** गुना हो गई थी। ⊖ **अत्यधिक अमीर और गरीब के बीच बढ़ता अंतराल**: निचले स्तर की 50% वैश्विक आबादी के पास संपदा का केवल 2% और आय का केवल 8% हिस्सा है। (विश्व असमानता रिपोर्ट 2022)
वित्तीय समावेशन	⊖ **बैंकिंग पहुंच**: वर्ष 2020 में प्रति 100,000 वयस्कों पर **14.7 बैंक शाखाएं थी, जो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से अधिक है।** ⊖ PMJDY: **45 करोड़** से अधिक PMJDY खाते है जिनमें महिलाओं के पास 55% से अधिक खाते हैं। ⊖ PMJJBY: **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** (PMJJBY) के तहत वर्ष 2022 तक 12.77 करोड़ नामांकन किए जा चुके है, जिसमें 4.33 करोड़ महिला लाभार्थी शामिल हैं।
आवास	⊖ **आवश्यकता**: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः **3 करोड़ और 1.2 करोड़ घरों** की आवश्यकता है। ⊖ **पूर्ण हो चुके (शहरी)**: PMAY (U) के तहत करीब **1 करोड़ घरों की नींव** डाली गई है और **61 लाख घर बन** चुके हैं। ⊖ **पूर्ण हो चुके (ग्रामीण)**: PMAY (R) के तहत करीब **2 करोड़ घरों की नींव डाली गई है और 1.66 करोड़ बन** चुके हैं।
भूमि सुधार	⊖ **औसत आकार**: 2010–11 में कृषि जोत का औसत आकार 1-15 **हेक्टेयर** था। ⊖ **गैर–कृषि उपयोग**: गैर–कृषि उपयोग के अंतर्गत **10% से कम** भूमि है। ⊖ **वनभूमि**: कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.62% हिस्से पर वन है।

राजकोषीय नीति और संबंधित सुर्खियां

सरकारी वित्तपोषण	⊖ **राजकोषीय घाटा**: वित्त वर्ष 2022 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 6.7% रहा। ⊖ **ऋण-GDP अनुपात**: वित्त वर्ष 2022 के लिए सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात 85.2% रहा। → मार्च 2021 के अंत में **राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात** 31% रहा। ⊖ **लक्ष्य**: नियंत्रण से बाहर होने वाले कर्ज से बचने के लिए वित्त वर्ष 2025 तक **60% ऋण-GDP अनुपात (केंद्र सरकार का 40% और राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 20%) रखना।** ⊖ राज्यों का राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में GDP के 2.9% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में GDP का 4.1% हो गया था। ⊖ वर्ष 2011-20 के दौरान उपकर और अधिभार राजस्व GTR **(सकल कर राजस्व) का लगभग** 10-15% था।
अप्रत्यक्ष कराधान	⊖ **संग्रह**: वित्त वर्ष 2022 में 12.90 लाख करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। ⊖ इसमें **वस्तु एवं सेवा कर** (GST) **का सर्वाधिक योगदान** (**5.9 लाख करोड़ रुपये**) रहा। ⊖ **उच्चतम वृद्धि**: सीमा शुल्क में **48 फीसदी** की बढ़ोत्तरी हुई। जबकि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क संग्रह में मामूली गिरावट आई है। ⊖ **रिकॉर्ड: अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक GST संग्रह हुआ।** ⊖ बजट 2021-22 में वित्त वर्ष 2022 के लिए कर राजस्व संग्रह का लक्ष्य 22.17 ट्रिलियन रुपये रखा गया है।
प्रत्यक्ष कराधान	⊖ **कर-GDP अनुपात**: वित्त वर्ष 2022 में कर-GDP अनुपात 11.7% (प्रत्यक्ष करों के लिए 6.1% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.6%) रहा। ⊖ **संग्रह**: वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 14.09 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 49% की वृद्धि हुई है। ⊖ **शीर्ष योगदानकर्ता**: कॉर्पोरेट टैक्स (निगम कर) और व्यक्तिगत आयकर का प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक योगदान रहा। ⊖ **कर आधार**: मार्च 2022 तक 7.14 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरी गई थीं।
गैर-कर स्रोतों से वित्त जुटाना	⊖ **रिकॉर्ड कर संग्रह**। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक लाभांश की प्राप्ति के कारण गैर-कर राजस्व में भी मध्यम उछाल। ⊖ **संपत्ति का मौद्रीकरण**: वित्त वर्ष 2022 के लिए **88,000 करोड़ रुपये** के परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य के मुकाबले **96,000 करोड़ रुपये** के सौदे पूरे किए गए। ⊖ RBI **के अधिशेष** और LIC आई.पी.ओ. से करीब 21,000 करोड़ जुटाए गए। RBI द्वारा दशक का सबसे कम अधिशेष हस्तांतरण (30,307 करोड़ रुपये) किया गया, जो समस्या पैदा कर सकता है।

बैंकिंग और भुगतान प्रणाली

बैंकिंग	⊖ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा ऋण प्रदान करने में **9.2% की वृद्धि** हुई है। ⊖ सितंबर 2021 के अंत में SCBs का सकल NPA अनुपात 6.9% और निवल **NPA 2.2%** रहा। ⊖ **SCBs** का प्रोविजन कवरेज अनुपात **(Provision Coverage Ratio) 68.1%** रहा। ⊖ SCBs के लिए संपत्ति पर वार्षिक रिटर्न (RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) मार्च **2016 से नकारात्मक रहने के बाद वर्ष 2020 में सकारात्मक** हो गया।
परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन	⊖ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs) मार्च 2022 में घटकर छह साल के निचले स्तर (5.9%) पर आ गई और निवल NPA घटकर 1.7% हो गया। ⊖ इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों **(PSBs)** का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक है, अर्थात् **NPA** का लगभग **9/10वां हिस्सा PSBs** का है। ⊖ NPAs **की क्षेत्रक आधारित हिस्सेदारी में अवसंरचना क्षेत्रक का प्रभुत्व है।** ⊖ **भारत वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं** में से एक था।
भुगतान प्रणाली	⊖ **नकद प्रभुत्व**: RBI के अनुसार, भारत में सभी लेन-देन का लगभग 50% नकद में होता है। 500 रुपये से कम के लेनदेन के लिए यह 70% है। ⊖ **भुगतान क्षेत्र का डिजिटलीकरण**: वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4 रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)। ⊖ **डिजिटल भुगतान साधन**: भारत के डिजिटल भुगतान की **50% मात्रा पर डेबिट कार्ड**, UPI **और** IMPS का प्रभुत्व है।
फिनटेक सेक्टर	⊖ **मूल्यांकन**: वित्त वर्ष 2020 में भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य **50-60 बिलियन डॉलर** था। ⊖ **स्वीकृति**: मार्च 2020 में, भारत में फिनटेक को अपनाने की दर 87% **थी, जबकि वैश्विक औसत 64% था।**

बाह्य क्षेत्रक

व्यापार	⊖ **निर्यातः** 2019-20 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) **526.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा। ⊖ **वैश्विक हिस्साः** कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% है। 1991 में यह 0.6% थी। हालांकि, अभी भी भारत का निर्यात चीन (13%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (9%) से कम है। ⊖ **GDP में हिस्साः** भारत का निर्यात उसके GDP का लगभग 18% है। ⊖ **सेवाओं का प्रभुत्वः भारत का सेवा क्षेत्र इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है।**
निवेश	⊖ वृद्धिः 2020 की तुलना में 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 10% की वृद्धि हुई। ⊖ **FDI का स्तरः FDI के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।** ⊖ वैश्विक स्थितिः भारत FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र है, जबकि पहला और दूसरा स्थान क्रमशः USA और चीन का है ⊖ **क्षेत्रवार प्रभुत्वः** 2020-21 के दौरान कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरे हैं।
बौद्धिक संपदा अधिकार	⊖ **वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 35** स्थान बढ़कर वर्ष 2021 में **46वें स्थान** पर पहुंच गई है, वर्ष 2015-16 में 81वां स्थान था।

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

कृषि आदान	⊖ **मृदाः** फरवरी 2022 तक **23 करोड़ से अधिक** मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ⊖ **बीजः** बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत **4.29 लाख बीज ग्रामों** का निर्माण किया गया है। ⊖ **उर्वरकः** विश्व में **उत्पादन** के मामले में भारत **तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उद्योग** है। ➞ **खपत की दृष्टि से** विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उद्योग** है। ⊖ **मशीनीकरणः** भारत में 40% से 45% खेती को वर्तमान में मशीनीकृत कहा जा सकता है।
किसानों को वित्तीय सहायता	⊖ **सहायताः** 11.60 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया गया है। ⊖ कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-2.5% सालाना सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी उर्वरक, ऋण, फसल बीमा और मूल्य समर्थन सब्सिडी के रूप में होती है। ⊖ **सब्सिडी बनाम आयः** कुल कृषि आय में 1/5 हिस्सा सब्सिडी के रूप में होता है। ⊖ **कर्जः कृषि में लगे 50.2% परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज में हैं।** ⊖ **ऋण के स्रोतः** किसानों द्वारा लिए गए लगभग 70% ऋण संस्थागत स्रोतों से थे।
संबद्ध क्षेत्र	⊖ **पशुधनः** 2014-15 से 2019-20 के दौरान पशुधन क्षेत्रक का CAGR 8.15% था। यह 2019-20 में कुल कृषि GVA का 29.35% (स्थिर कीमतों पर) था। ⊖ **दुग्ध उत्पादनः** वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 23% उत्पादन भारत में होता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है। साथ ही, यह सीधे **8 करोड़ से अधिक** किसानों को रोजगार भी देता है। ⊖ **बागवानीः** भारत के कुल निर्यात में 37% योगदान बागवानी क्षेत्रक द्वारा किया जाता है। ⊖ **मछली उत्पादनः** भारत **विश्व में दूसरा सबसे बड़ा** मछली उत्पादक देश है जो **वैश्विक उत्पादन का** 7.56% **उत्पादित** करता है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र	⊖ **यह एक सनराइज सेक्टर है। इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 11% है। वर्ष 2019-20 में 2.24 लाख करोड़ रुपये का सकल मूल्य वर्धन (GVA) था। यह देश में कुल GVA का 1.69% है।** ⊖ **अर्थव्यवस्था में हिस्साः** उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, इस क्षेत्रक में **20.05 लाख कर्मचारी** कार्य कर रहे हैं। यह संख्या देश में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रक में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का सबसे बड़ा हिस्सा (11.22%) है। ⊖ देश भर में स्वीकृत 37 में से **22 मेगा फूड पार्क परिचालन में हैं।** ⊖ **बढ़ती क्षेत्रीय पसंद की वरीयता के साथ बढ़ता निर्यात।**
कृषि निर्यात	⊖ वर्ष 2017 में **विश्व कृषि व्यापार** में भारत के कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.27% और 1.90% था। ⊖ भारत के कुल निर्यात में **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का 11 प्रतिशत योगदान है।** ⊖ भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख कृषि वस्तुओं में **समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय** सम्मिलित हैं। ⊖ GDP के प्रतिशत के रूप में निर्यातः भारत के **कृषि GDP के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात में वृद्धि** हुई है।

उद्योग

औद्योगिक नीति	⊖ **योगदानः** सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक का **योगदान लगभग 16% है।** यह वर्ष 1991 से लगभग स्थिर बना हुआ है। ⊖ हाल ही में, **कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचकांकों** जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक में **भारत की रैंकिंग में सुधार** हुआ है। ⊖ **EoDB रैंकिंगः** भारत **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स** में वर्ष 2020 में **63वें स्थान** (वर्ष 2014 में 142 वां स्थान) पर था। ⊖ **भारतीय कंपनियांः 7 भारतीय कंपनियां 2021** की फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	⊖ वर्तमान में भारत में 6.34 करोड़ MSMEs काम कर रहे हैं। ⊖ **वृद्धिः** भारत में MSMEs की संख्या में वर्ष 2019 से वर्ष 2020 तक 18.5% की CAGR से वृद्धि हुई है। ⊖ **MSMEs में 111 मिलियन से अधिक लोग** काम कर रहे हैं। ⊖ **देश के सकल घरेलू उत्पाद में MSMEs का योगदान 30.5% है।** ⊖ **विनिर्माण उत्पादन** में MSMEs का योगदान 45% है। ⊖ **कुल निर्यात** में MSMEs का अंशदान 48% है।
अन्य उद्योग	⊖ **इलेक्ट्रॉनिक्सः** ➔ **जीडीपी में हिस्साः** वर्ष 2020 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक का देश के GDP **में लगभग** 3.6% का योगदान था। आने वाले वर्षों में इसका योगदान 6.4 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है। ➔ **बढ़ती मांगः** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE), 2019 के तहत वर्ष 2025 तक 400 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ⊖ **वस्त्र उद्योगः** ➔ वस्त्र क्षेत्रक, भारतीय GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7% तथा भारत की निर्यात से होने वाली आय में 12% का योगदान देता है। ➔ भारत दुनिया में कपास और जूट का **सबसे बड़ा उत्पादक** है। यह **रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है एवं तकनीकी **वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है। ➔ विश्व स्तर पर हाथ से बुने हुए कपड़ों का **95%** हिस्सा अकेले भारत से आयात किया जाता है। ⊖ **अर्धचालकः** ➔ MeitY के अनुसार, भारतीय अर्धचालक बाजार **वर्ष 2020 में अनुमानतः लगभग 15 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर लगभग 63 अरब डॉलर** हो सकता है।

सेवा क्षेत्रक

ई-कॉमर्स	⊖ **वैश्विक स्थितिः** भारत वैश्विक स्तर पर **8वां सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार** है। ⊖ यह एक **सनराइज़ क्षेत्रक** है। भारत के खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10.15% है। ⊖ **बाजारः** इस उद्योग ने वर्ष 2021 में **55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का उत्पादन किया था। इसके वर्ष 2024 तक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर और **वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचने की उम्मीद है। ⊖ **क्षमताः** इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ के कारण मासिक (मुख्य रूप से टियर-II शहरों से) आधार पर 10 **मिलियन** इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ जाते हैं।
दूरसंचार	⊖ भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्रक** है। इसका बाजार **तीन मुख्य खंडों- वायरलेस, वायरलाइन और इंटरनेट सेवाओं** में विभाजित है। ⊖ **कनेक्शंसः** शहरी-ग्रामीण भारत के संदर्भ में, लगभग **66 करोड़ कनेक्शन शहरी भारत में और 53 करोड़ ग्रामीण भारत** में हैं (ग्रामीण टेली-घनत्व 59%)। ⊖ **इंटरनेट ग्राहकः** जून 2021 में भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या **83.37 करोड़** थी। यह वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ग्राहकों की **दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।** ⊖ यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह के मामले में **तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है**, जो कुल FDI प्रवाह में 7.1% का ⊖ योगदान देता है। **आर्थिक योगदानः** यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से **2.2 मिलियन रोजगार** और अप्रत्यक्ष रूप से **1.8 मिलियन नौकरियों** में योगदान देता है।
पर्यटन	⊖ वैश्विक आर्थिक मंच (WEF) के **ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 117 देशों में से भारत को 54वीं रैंक** मिली है। ⊖ नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पर्यटन की स्थिति **वर्ष 2026 से पहले महामारी-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच** सकेगी। ⊖ वर्ष 2020 में, इस क्षेत्र ने देश के कुल **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4.7% का योगदान दिया था। वर्ष 2019 के 7%** की तुलना में यह भारी गिरावट दर्शाता है। ⊖ पर्यटन क्षेत्र 2019 तक देश के लिए **विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा अर्जक** क्षेत्र रहा है।
बीमा	⊖ **घनत्व एवं पैठः** वित्त वर्ष 2021 में कुल बीमा पैठ 4.2% और कुल बीमा सघनता 78 डॉलर के बराबर था, जो वैश्विक मानकों से बहुत कम है। ⊖ **वृद्धिः** भारत में बीमा क्षेत्रक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 12% है। ⊖ बीमा क्षेत्रक में **प्रोटेक्शन गैप** 83% है, जो इस क्षेत्रक के लिए बड़े अवसर को दर्शाता है। ⊖ 57 बीमा कंपनियां, जिनमें से 24 जीवन बीमा प्रदान करती हैं और 33 गैर-जीवन बीमा से जुड़ी हुई हैं।

यातायात

रेलवे	**यात्री:** दैनिक यात्रियों की संख्या 2.4 करोड़ और माल ढुलाई 203.88 मिलियन टन है। **वैश्विक स्थान:** विश्व स्तर पर यात्री और माल परिवहन में क्रमशः **पहला और चौथा स्थान।** **राजस्व:** वित्त वर्ष 2022 में **भारतीय रेलवे का राजस्व 23.30 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया। अप्रैल 2000 से जून 2021 तक, रेलवे से संबंधित घटकों में 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) हुआ।
सड़क मार्ग/रोडवेज	भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यह कुल 58.9 लाख कि.मी. में फैला हुआ है। **वृद्धि:** वित्त वर्ष 2016-2021 के बीच भारत में राजमार्ग निर्माण में 17% CGAR से बढ़ोतरी हुई। **राष्ट्रीय राजमार्ग:** → देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.2% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। → भारत के कुल यातायात में से 40% राष्ट्रीय राजमार्गों से किया जाता है। **सड़क सुरक्षा:** भारत, दुनिया में **कुल वाहन संख्या का** 1%, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के 11% के लिए जिम्मेदार है। इसकी लागत सकल घरेलू उत्पाद का 3-5% है।
नागरिक उड्डयन	विमानन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सालाना **35 बिलियन डॉलर का योगदान** देता है और देश में **7 मिलियन नौकरियां** उपलब्ध कराता है। **वृद्धि:** अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। **प्रतिस्पर्धा: भारत में औसत घरेलू किराए में वर्ष 2005 के स्तर से 70% की गिरावट** आई है। **उच्च ईंधन लागत:** भारत में ईंधन पर किया जाने वाला व्यय, कम ईंधन लागत वाले वाहकों के कुल परिचालन व्यय का 45% है।

खनन और विद्युत क्षेत्र

खान और खनिज	**उपलब्ध संसाधन:** भारत खनिजों के मामलों में काफी हद तक आत्मनिर्भर रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल जैसे कि लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं। **दुर्लभ संसाधन:** भारत में कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क आदि जैसे खनिज नहीं पाए जाते हैं। इनसे जुड़ी मांग को पूरा करने के लिए इनका आयात किया जाता है। भारतीय खनन उद्योग में **छोटे स्तर पर परिचालन वाली खदानों** की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। चिन्हित की गई 1,303 खानों में से अधिकांश खदानें **मध्य प्रदेश में स्थित हैं।** खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से लगभग 87 **प्रतिशत हिस्से का उत्पादन 10 राज्यों में होता है।** भारत के स्पष्ट **भू-वैज्ञानिक क्षमता** (OGP) **क्षेत्र के तहत अब तक केवल** 10% हिस्से की ही खोज की गई है।
विद्युत	भारत वैश्विक स्तर पर **विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** देश है। इसकी कुल स्थापित विद्युत क्षमता 395 गीगावाट (GW) (152 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 203 गीगावाट कोयला आधारित) है। अक्षय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा का 50.30 GW तथा पवन ऊर्जा का 40 GW, बायोमास का 10.2 GW और जल विद्युत का 46.5 GW का योगदान रहा है। वर्ष 2040 तक कोयला आधारित स्थापित विद्युत क्षमता बढ़कर लगभग 330-441 GW तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत लगभग 1,181 किलोवाट प्रति घंटा (kWh) है, जबकि विश्व औसत 3,260 kWh है।
कोयला, तेल और गैस क्षेत्र	भारत के कुल एनर्जी मिक्स का 50% हिस्सा कोयले से प्राप्त होता है। भारत के कुल एनर्जी मिक्स का 28% हिस्सा तेल से प्राप्त होता है। **वित्त वर्ष 2020 में प्रति दिन 4.9 मिलियन बैरल तेल की खपत** हुई थीं। भारत की 87.6% तेल आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया गया था। भारत की ऊर्जा आवश्यकता का 70% **हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात** किया जाता है। समग्र रूप से, भारत की **प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2040 तक लगभग दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन** होने की संभावना है।

वीकली फोकस

अर्थव्यवस्था

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
तेल की कीमतें - इसके निर्धारक और प्रभाव	हाल ही में तेल मूल्य संकट ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण पर बहस शुरू कर दी है। मूल्य में ये उतार-चढ़ाव वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करते हैं। साथ ही, ये दुनिया भर के उपभोक्ताओं को सीधे प्रभावित करने के अलावा भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं पैदा करते हैं। यह डॉक्यूमेंट तेल मूल्य निर्धारण और कच्चे तेल की बास्केट्स पर चर्चा करता है। साथ ही, यह इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव के आपूर्ति और मांग निर्धारकों पर प्रभावों की पड़ताल करता है। इसमें स्पष्ट किया गया गया है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं।	
अवसंरचना का वित्तपोषण और व्यवसाय मॉडल	किसी भी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली में, अवसंरचनात्मक सेवाएं अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के आकलन के अनुसार इन सेवाओं में बढ़त हासिल करने के लिए, भारत को वर्ष 2030 तक अवसंरचनाओं पर लगभग 4.51 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह डॉक्यूमेंट इस क्षेत्र की पृष्ठभूमि प्रदान करता है, इसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है, इसके मुद्दों पर चर्चा करता है और इस संबंध में NIP रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की गणना करता है। इसके अतिरिक्त, यह डॉक्यूमेंट सभी प्रमुख सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) व्यवसाय मॉडल के बारे में भी विस्तार से बताता है।	
भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कोविड-19	भारत में कोविड-19 संकट का प्रभावी होना अनौपचारिक क्षेत्र के पतन का पर्याय बन गया था। महामारी के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का सर्वाधिक जोखिम अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों पर ही पड़ा। इस संदर्भ में, यह डॉक्यूमेंट भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति और महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही, यह इसके सामने मौजूद मुद्दों पर तथा उन्हें हल करने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों पर भी प्रकाश डालता है। यह इस आपदा को एक अवसर में बदलने के लिए अपनाए जा सकने वाले दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा करता है।	
भारत के श्रम कानूनों में सुधार और उनका संहिताकरण	श्रम कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित करना सरकार का एक पुराना एजेंडा रहा है। ऐसा करना प्रचलित मुद्दों को हल करने और अनुकूल कारोबारी माहौल हेतु आधार तैयार करने के लिए सहायक होगा। कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। इस दौरान श्रम बाजार की लागत अत्यधिक हो गई थी। इसके बाद श्रम कानूनों से जुड़ी यह समस्या और उभर कर सामने आ गई। यह डॉक्यूमेंट श्रम कानूनों के विकास और श्रम कानूनों के संहिताकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही यह इस बात का विश्लेषण करता है कि वर्तमान श्रम संहिता इन आवश्यकताओं को किस हद तक पूरा करती है। इसके अलावा यह संहिता में संभावित कमियों एवं और उन्हें दूर करने के उपायों पर भी चर्चा करता है।	

VISION IAS

भारत में कृषि विपणन	'खराब कृषि विपणन' के कारण कृषिगत वृद्धि धीमा होकर 2% से 3% के बीच है। यह इसके प्राथमिक कारणों में से एक है। हाल के कृषि सुधार कानूनों पर जोर दिया जाना उसी की पुष्टि करता है। यह डॉक्यूमेंट आपको भारत में कृषि बाजार, इसके सामने आने वाली समस्याओं और कृषि कानूनों द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं को समझने में मदद करता है। इसके अलावा, यह उन कदमों को रेखांकित करता है जो कृषि बाजार का कायापलट करने के लिए उठाए जा सकते हैं।	
भारत और मुक्त व्यापार समझौते	दुनिया भर की सरकारें कोविड-19 की पृष्ठभूमि में मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की आवश्यकता और प्रभावशीलता पर विचार कर रही हैं। नतीजतन, इस बात पर बहस होती रही है कि क्या भारत को अपनी FTA की रणनीति में बदलाव करके बाकी दुनिया के साथ व्यापार संबंधों को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। इस तरह की बहस में भारत के FTA, इससे होने वाले लाभों और इसके सामने आने वाली चुनौतियों या मुद्दों को समझने की जरूरत है। इस पर आगे बढ़ते हुए, भारत के लिए वैश्विक और द्विपक्षीय गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए FTA को अधिक प्रभावी तरीके से डिजाइन करना महत्वपूर्ण हो जाता है।	
भारत और विश्व व्यापार संगठन	संरक्षणवाद के बढ़ते चलन और दुनिया भर में फैले वैश्वीकरण के डर के मद्देनजर, विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थान संकट की स्थिति में हैं। महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार अभिकर्ताओं में से एक होने के नाते भारत इस संकट के प्रभावों से अलग नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में, वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में विश्व व्यापार संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका को समझने के अलावा, हमने संगठन के साथ भारत की यात्रा के विभिन्न पहलुओं, वर्तमान मुद्दों और आगे की राह पर भी चर्चा की है।	
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचनाओं का विकास	अपनी विशाल क्षमता के बावजूद, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्रों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस द्विभाजन के पीछे प्रमुख कारणों में से एक इस क्षेत्र में अवसंरचनाओं का खराब विकास है। यह डॉक्यूमेंट इसके अंतर्निहित कारणों, स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों और क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए आगे की राह के बारे में जानकारी देता है।	
महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था: नई मंजिल, नई राह	वर्ष 2020 वैश्विक रूप से अभूतपूर्व आर्थिक व्यवधान का वर्ष था। भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी बड़े व्यवधान का सामना करना पड़ा क्योंकि RBI ने इसे "ऐतिहासिक तकनीकी मंदी" कहा। यह डॉक्यूमेंट बताता है कि कैसे कोविड-19 ने न केवल दुर्बल भारतीय अर्थव्यवस्था को बल्कि इस दुर्बलता के बहुआयामी प्रभावों को भी उजागर किया है। इसके अलावा, यह इस बात पर भी चर्चा करता है कि महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने और मजबूत करने के लिए क्या करना होगा।	
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां - 'संकट' से 'उत्प्रेरक' तक	भारत में NPA संकट कई कमजोरियों जैसे कि खराब क्रेडिट निगरानी, शासन के मुद्दों और सीमित पूंजी उपलब्धता के चलते बना रहा है। इस समस्या को '4R रणनीति' की सहायता से हल करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, NPA समस्या यह भी इंगित करती है कि इसमें बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधारों का मार्गदर्शन करने वाला एक संकेतक होने की क्षमता है।	

कार्य की बदलती प्रकृति	सदियों से तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने काम और रोजगार की प्रकृति को बदला है। वैश्वीकरण इसका एक उदाहरण है। चौथी औद्योगिक क्रांति, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण दुनिया एक जैसे बदलाव के कगार पर है। बदलती प्रकृति सामान्य रूप से दुनिया के लिए और विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश के लिए परस्पर अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करती है। इसके लिए एक तत्काल नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है जो इन अवसरों को समझने में मदद कर सके और एक समावेशी एवं सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सके।
पोर्ट कनेक्टिविटी: दुनिया की ओर भारत का मार्ग	भारत की एक समृद्ध समुद्री विरासत है। हमारे समुद्री कौशल को राष्ट्र के विकास के एक मजबूत इंजन के रूप में आकार देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अच्छी तरह से एकीकृत करने के लिए, पत्तन आधारित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। यह डॉक्यूमेंट हमारे पत्तनों की क्षमता का उपयोग करने और इसे प्राप्त करने में लगातार आने वाली बाधाओं की दिशा में भारत के प्रयासों का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा, यह एक मजबूत पत्तन अवसंरचना के निर्माण की दिशा में आगे का मार्ग प्रशस्त करता है जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा।
1991 के आर्थिक सुधारों के 30 वर्ष - एक क्रांति से दूसरी क्रांति तक	तीन दशक पहले भारत ने LPG सुधारों के रूप में एक नई आर्थिक यात्रा शुरू की थी। तब से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक लंबा सफर तय किया है और वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन कोरोना महामारी हमें मूल प्रश्न पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है: 1991 के सुधार कितने सफल रहे हैं? यह डॉक्यूमेंट 1991 के आर्थिक सुधारों के पीछे की पूरी कहानी पर चर्चा करता है और विश्लेषण करता है कि कैसे प्राप्त अनुभव हमें भविष्य की आर्थिक नीतियों के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं।
भारत में शहरी नियोजन: भारत के भविष्य के शहरों का निर्माण	भारत शहरीकरण की एक अद्वितीय वृद्धि दर देख रहा है और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की अत्यधिक उत्पादक राष्ट्र बनने की यात्रा आर्थिक विकास के इंजनों पर निर्भर करती है। हमारे शहर, शहरी नियोजन के घटकों और विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा करते हुए, इस डॉक्यूमेंट में विस्तार से बताया गया है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर शहरी संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्ट्र की तैयारी कैसे सुनिश्चित की जाए। साथ ही, हमारे शहरों को कैसे अनियोजित शहरीकरण और अनियमित निर्माण गतिविधियों के चंगुल से बचाया जाए।
कृषि अवलोकन: उत्पादन-केंद्रित से किसान-केंद्रित तक	1947 के बाद प्रभावशाली कृषिगत वृद्धि और लाभ के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे देश किसानों ने इन चुनौतियों को सहन कर देश की भोजन की मांग को पूरा और सुरक्षित किया तथा कृषि-उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। किसानों के इस धैर्य और दृढ़ संकल्प के लिए उनका सभी सम्मान करते हैं। विडंबना यह है कि वही किसान अब और भी गंभीर चुनौतियों के भंवर में फंस गया है। यह डॉक्यूमेंट संपूर्ण कृषि श्रृंखला में से पहला है जो इस क्षेत्र, इसके महत्व, विकास और चुनौतियों पर वृहद् दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा श्रृंखला के सभी शेष डाक्यूमेंट्स के लिए आधार तैयार करता है।
कृषि आदान - भाग I मृदा और जल: प्राथमिक कृषि आगतें	अच्छी कृषि भूमि की उच्च उर्वरता और जल की उपलब्धता जैसी बुनियादी स्थितियों पर निर्भर करती है। यह डॉक्यूमेंट दो बुनियादी आगतों यानी मृदा और जल से संबंधित है और उनके अंतर्निहित मुद्दों पर चर्चा करता है। यह आगे हमें उन अनसुलझे मुद्दों की ओर में ले जाता है जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है, जो काम करने के लिए संभावित क्षेत्र हैं।

कृषि आदान - भाग II बीज और कीटनाशक: खेतों में उपयोग होने वाले आवश्यक आदान	एक बार बुनियाद सुनिश्चित हो जाने के बाद, फसल उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों और कीटों के हमलों से होने वाले नुकसान से उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से फसलों और हमारे किसानों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के साथ-साथ इन दोनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगे पढ़ने से पता चलता है कि कैसे किसान के बीच जागरूकता की कमी अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है जो इस क्षेत्र में प्रगति को रोक रहा है।	
कृषि आदान - भाग III कृषि मशीनीकरण और ऋण: संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत आदान	क्या कृषि संबंधी सभी समस्याओं के लिए पर्याप्त कृषि ऋण और कुशल कृषि मशीनरी की उपलब्धता एक अचूक उपाय है? यह डॉक्यूमेंट इन आदानों की उपलब्धता के मुद्दों की जांच करते हुए उन मुद्दों पर भी चर्चा करता है जो इनके उपलब्ध होने के बाद भी सामने आते हैं। यह इस क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं की भी पहचान करता है।	

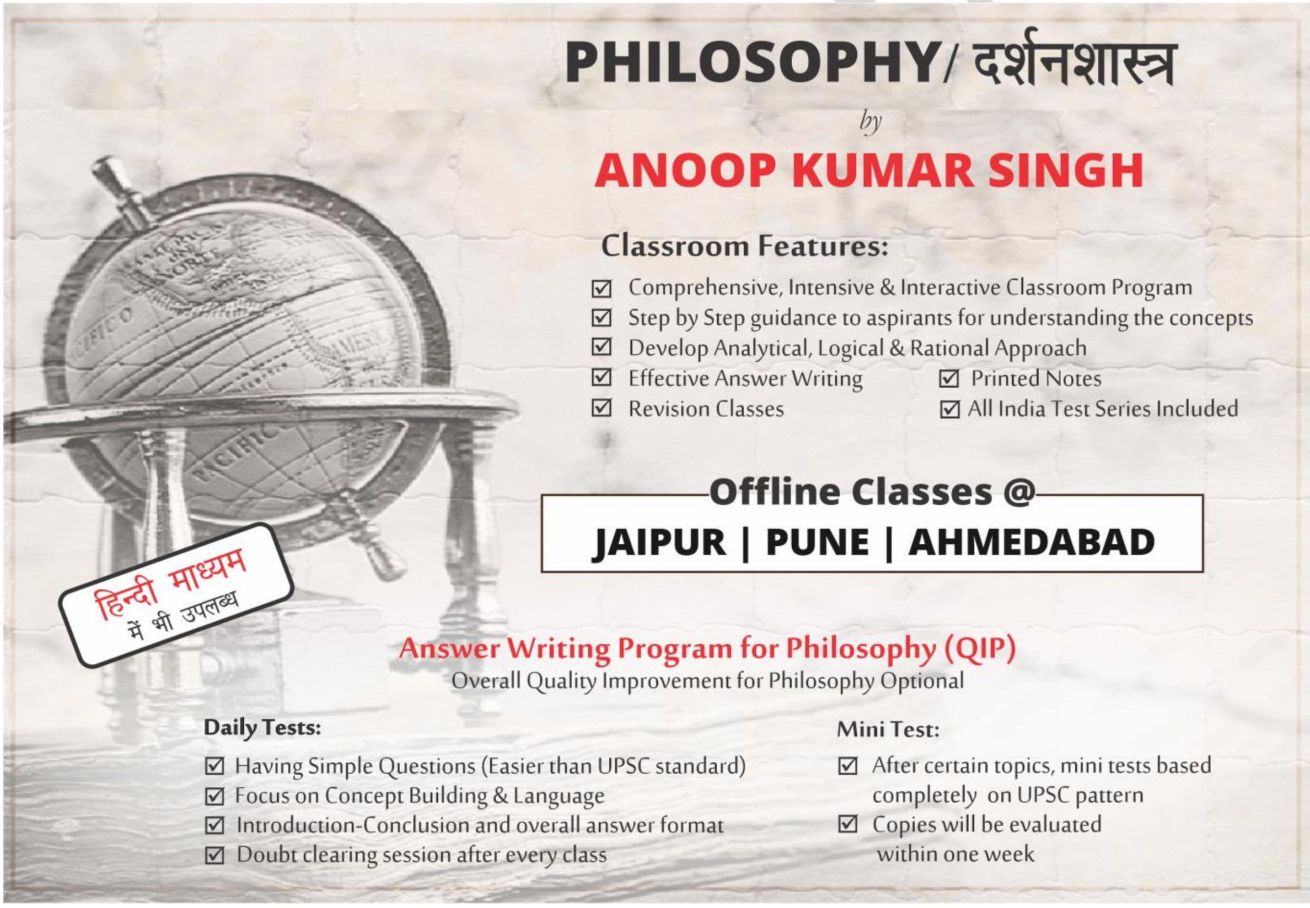

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

2021 सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 10 में से 8 चयन

from various programs of ***VisionIAS***

2 AIR

ANKITA AGARWAL

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

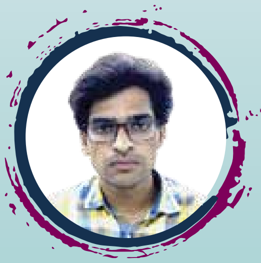

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

दिल्ली

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

जयपुर 9001949244 | हैदराबाद 9000104133 | पुणे 8007500096 | अहमदाबाद 9909447040 | लखनऊ 8468022022 | चंडीगढ़ 8468022022 | गुवाहाटी 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC